खण्ड-472, अंक-5
सोमवार, 12 माघ, शक संवत् 1931
(1 फरवरी, 2010 ई0)

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

# कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(पंद्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2010)

खण्ड 472 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2010

---

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

# विषय-सूची


| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| उपस्थित सदस्य... ... ... ... | 1-6 |
| फैजाबाद में दलित की पुलिस द्वारा निर्मम पिटाई से हुई मृत्यु विषयक नियम 311 की सूचना को सर्वप्रथम लिये जाने की मांग ... ... | 7 |
| प्रश्नोत्तर ... ... ... | 7-109 |
| सत्रकाल के समय मा0 सदस्यों हेतु एम्बुलेन्स की व्यवस्था सम्बन्धी सूचना ... | 109-110 |
| आज की कार्य-सूची के अतारांकित प्रश्न संख्या-67 के उत्तर के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ... ... ... | 110 |
| आज की कार्य-सूची के तारांकित प्रश्न संख्या-13 के उत्तर के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ... ... ... | 110-112 |
| आज की कार्य-सूची के तारांकित प्रश्न संख्या-7 पर समयाभाव के कारण अनुपूरक उत्तर पूछने का अवसर न मिलने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ... | 112-113 |
| आज की कार्य-सूची के तारांकित प्रश्न संख्या-5 के उत्तर के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ... ... ... | 113 |
| नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें ... ... | 113-115 |
| उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् एवं जूनियर हाई स्कूल के अध्यापक एवं कर्मचारियों की सेवानिवृत्त पेंशन का भुगतान 17 सितम्बर, 2009 की राजाज्ञा के अनुरूप किये जाने के सम्बन्ध में नियम् 301 के अन्तर्गत सूचना... | 115-116 |
| उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को छठे वेतनमान का लाभ 1 जनवरी, 2006 से न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 116 |
| कानपुर स्थित गोविन्द नगर सी0 टी0 आई चौराहे से शास्त्रीनगर चौक बर्रा होते हुये बाई पास कानपुर आने वाले नाले के खुले होने के कारण भीषण दुर्गन्ध से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना... ... | 116-117 |
| फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बी0 बी0 मार्ग से मिश्रा मऊ तथा फतेहपुर चन्दौली से कुशुम्मीपुर मार्ग जीर्णशीर्ण होने के कारण मरम्मत कराने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना... ... ... | 117 |
| जनपद मुजफ्फरनगर के सदर विधान सभा क्षेत्र के मुहल्ला जनकपुरी में जल निकासी का साधन न होने से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 117-118 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| जनपद बुलन्दशहर के भूतेश्वर मन्दिर शमशान घाट के रास्ते से अवैध कब्जा हटाकर पक्की सड़क निर्माण कराये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 118 |
| रौजा पावर सप्लाई कम्पनी से शाहजहांपुर जनपद को अतिरिक्त बिजली दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... ... | 118-119 |
| जनपद फतेहपुर की खागा तहसील के जर्जर भवन के निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... ... | 119 |
| जनपद प्रतापगढ़ के बाबा बेलखरनाथ घाट के लिये स्वीकृत 33/11 के0 वी0 ए0 विद्युत उपकेन्द्र उड़ैयाडीह का शीघ्र निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 119-120 |
| जनपद मुजफ्फरनगर के थाना भवन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड ऊन व थाना भवन में विद्युत आपूर्ति बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... ... ... | 120 |
| भारत सरकार के केन्द्र पुरोधानित व्यवसायिक शिक्षा योजना में गड़बड़ी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना... ... ... | 120-121 |
| जनपद सीतापुर के क्षेत्र पंचायत मिश्रिख व क्षेत्र पंचायत पिसांवा अन्तर्गत श्रमिकों को नरेगा में बेरोजगार दिये जाने हेतु विशेष पैकेज के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... ... | 121 |
| प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा आचार्य अनुदेशक को शिक्षा मित्र के रूप में समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना... ... | 121-122 |
| जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में सुभाष चन्द्र बोस स्टेडियम में खेल कोच की तैनाती न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... | 122 |
| जनपद जौनपुर के केराकत चौराहे से ग्राम सरौनी तक क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ... ... | 122-123 |
| औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं ... ... ... | 123 |
| सत्ता एवं विपक्ष के सदस्यों के प्रस्तावों पर स्वीकृत विकास कार्यों का विवरण ... | 123-125 |
| विधान सभा के सदस्यों द्वारा कराये गये विकास कार्यों पर लगाये गये शिलान्यास के पत्थरों को हटाये जाने की शिकायत तथा विकास कार्यों पर शिलान्यास के पत्थर लगाये जाने की मांग ... ... ... | 125 |
| प्रत्येक वर्ष में विधान सभा के तीन अधिवेशन तथा 90 दिन के उपवेशन न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ... ... ... | 125-129 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| संत रविदास जयन्ती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ... ... ... | 129-131 |
| नेता विरोधी दल को उनकी सुरक्षा तथा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जाने पर उनके आगमन/प्रस्थान से सम्बन्धित शिष्टाचार आदि प्रदान न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ... ... ... | 131-136 |
| श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चार दिन चर्चा न कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न... ... ... | 136-137 |
| दिनांक 18 नवम्बर, 2009 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या-16 को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ... ... | 137-138 |
| संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क-नि0-2-252/ग्याारह-9(1)-08-उ0प्र0 अधि0-5-2008-आदेश-(39) 2009, दिनांक 29 जनवरी, 2009 (सदन के पटल पर रखी गयी) ... | 138 |
| संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क-नि0-2-260/ग्याारह-9(295)-07-उ0प्र0 अधि0-5-2008-वैट नियमावली-08 आदेश-(40)-2009, दिनांक 30 जनवरी, 2009 (सदन के पटल पर रखी गयी) ... ... ... | 138 |
| संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-356/ग्यारह-9(1)/08 उ0 प्र0 अधि0-5-2008 (41)-2009 दिनांक 11 फरवरी, 2009 (सदन के पटल पर रखी गयी)... | 138 |
| संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-505/ग्यारह-9(1)/08 उ0 प्र0 अधि0-5-2008-आदेश-(43)-2009 दिनांक 2 मार्च, 2009 (सदन के पटल पर रखी गयी) ... | 138-139 |
| संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1045/ग्यारह-9(1)/08 उ0प्र0अधि0-30-2007-आदेश-(46)-2009 दिनांक 29 मई, 2009 (सदन के पटल पर रखी गयी) ... | 139 |
| संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-1754/ग्यारह-9(1)/2004 उ0 प्र0 अधि0-30-2007-आदेश-(48)-2009 दिनांक 27 अगस्त, 2009 (सदन के पटल पर रखी गयी) ... ... ... | 139 |
| उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के वित्तीय वर्ष 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 तथा 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखे गये) ... | 139 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| लोकायुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-12/2007 (सदन के पटल पर रखा गया) ... ... ... | 139 |
| नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी) ... ... ... | 140-184 |
| उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 2010 (जारी) ... ... ... | 184 |
| नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं ... ... ... | 184-185 |
| उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 2010 (पारित) ... ... ... | 185-188 |
| महाप्रशासक (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2010 (पारित) ... ... | 188-190 |
| नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं ... ... ... | 190-191 |
| नत्थियां ... ... ... ... | 192-193 |


उत्तर प्रदेश विधान सभा

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## पन्द्रहवीं विधान सभा

## सोमवार, दिनांक 01 फरवरी, 2010

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

**उपस्थित सदस्य-329**

1. अंगद यादव, श्री — आजमगढ़
2. अकबर हुसैन, श्री — मुरादाबाद
3. अकीलुर्रहमान खाँ, श्री — मुरादाबाद
4. अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
5. अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
6. अजय तोमर, डा0 — बागपत
7. अजय पाल सिंह, कुंवर — रायबरेली
8. अजय सिंह, श्री — जालौन
9. अनन्त मिश्रा, श्री — फर्रुखाबाद
10. अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
11. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
12. अनिल कुमार मौर्य, श्री — मिर्जापुर
13. अनिल कुमार सिंह यादव, श्री — एटा
14. अनिल चौधरी, डा0 — हाथरस (महामायानगर)
15. अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री — पीलीभीत
16. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
17. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
18. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
19. अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
20. अब्दुल वारिस खाँ, श्री — मुजफ्फरनगर
21. अब्बास अली जैदी उर्फ रूश्दी मियां, श्री — फैजाबाद
22. अमरमणि त्रिपाठी, श्री — महराजगंज
23. अमरेश कुमार शुक्ल, श्री — बाराबंकी
24. अमीता सिंह, श्रीमती — सुल्तानपुर
25. अमेरिका प्रधान, श्री — गाजीपुर
26. अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
27. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
28. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
29. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
30. अरूणा तोमर, श्रीमती — कानपुर नगर
31. अलाउद्दीन, श्री — बलरामपुर
32. अलीम हाजी, श्री — बुलन्दशहर
33. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
34. अवधेश वर्मा, श्री — शाहजहाँपुर
35. अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दूबे, श्री — महराजगंज
36. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
37. अशोक कंसल, श्री — मुजफ्फरनगर
38. अशोक कुमार दोहरे, श्री — औरैया
39. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
40. अशोक कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
41. अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री — हमीरपुर
42. अशोक सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
43. आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री — इलाहाबाद
44. आर0 ए0 उस्मानी डा0, — लखीमपुर खीरी
45. आर0 के0 चौधरी, श्री — लखनऊ
46. आर0 के0 शर्मा, पंडित — बरेली
47. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — गोण्डा

48. आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
49. आसिफ, श्री हरदोई
50. इकबाल महमूद, श्री मुरादाबाद
51. इरफान सोलंकी, श्री कानपुर नगर
52. ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री सिद्धार्थनगर
53. उदयराज, श्री उन्नाव
54. उदयलाल मौर्य, श्री वाराणसी
55. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
56. ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री सुल्तानपुर
57. कमलेश चन्द दिवाकर, श्री कानपुर देहात
58. कामेश्वर उपाध्याय, श्री देवरिया
59. कालीचरन राजभर, श्री गाजीपुर
60. काशीराम, श्री रामपुर
61. कुवेर सिंह, श्री एटा
62. कुलदीप सिंह गंगवार, श्री फर्रूखाबाद
63. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
64. कृपा शंकर सिंह, श्री उन्नाव
65. कृष्ण कुमार, श्री बहराइच
66. कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री हरदोई
67. कृष्ण गोपाल पटेल, श्री लखीमपुर खीरी
68. कृष्णाराज, श्रीमती लखीमपुर खीरी
69. के0 के0 सचान, डा0 जौनपुर
70. केदारनाथ वर्मा, श्री बलिया
71. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
72. कैलाश साहू, श्री झांसी
73. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
74. कौशल किशोर, डा0 लखीमपुर खीरी
75. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
76. गिरीश चन्द्र, श्री मुरादाबाद
77. गुरू प्रसाद मौर्य, श्री इलाहाबाद
78. गुलाम मोहम्मद खान, श्री बहराइच
79. घूराराम, श्री बलिया
80. चन्द्र प्रकाश मिश्र "भटियारी", श्री सुल्तानपुर
81. चन्द्र भद्र सिंह, श्री सुल्तानपुर
82. चौधरी रवीन्द्र प्रताप, श्री सिद्धार्थनगर
83. छत्रपाल सिंह, श्री बरेली
84. जगदीश नारायण, श्री जौनपुर
85. जगपाल, श्री सहारनपुर
86. जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री महराजगंज
87. जयवीर सिंह, श्री मैनपुरी
88. जयवीर सिंह, ठाकुर अलीगढ़
89. जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह, श्री कुशीनगर
90. जावेद अंसारी, श्री जौनपुर
91. जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री चन्दौली
92. जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
93. जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री फैजाबाद
94. जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री आगरा
95. जोखू लाल यादव, श्री इलाहाबाद
96. ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0 वाराणसी
97. ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री फर्रूखाबाद
98. त्रिभुवन दत्त, श्री अम्बेडकरनगर
99. दद्दन मिश्रा, श्री श्रावस्ती
100. दद्दू प्रसाद, श्री चित्रकूट
101. दयाराम, श्री कौशाम्बी
102. दशरथ प्रसाद चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
103. दाउद अहमद, श्री हरदोई
104. दिनेश प्रसाद, श्री चित्रकूट
105. दीनानाथ कुशवाहा, श्री देवरिया
106. दीनानाथ पाण्डेय, श्री वाराणसी
107. दीपक कुमार, श्री उन्नाव
108. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
109. दूधराम, श्री बस्ती
110. धर्मपाल, श्री गाजियाबाद
111. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा

112. धर्मराज निषाद, श्री अम्बेडकरनगर
113. धर्म सिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
114. धर्मी रावत, श्रीमती बाराबंकी
115. धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री बरेली
116. धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री बलरामपुर
117. धीरेन्द्र प्रसाद, श्री शाहजहांपुर
118. धू राम लोधी, (चौधरी), श्री हमीरपुर
119. नकुल दूबे, श्री लखनऊ
120. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री इलाहाबाद
121. नन्दिता शुक्ला, श्रीमती गोण्डा
122. नरेन्द्र सिंह, श्री सीतापुर
123. नारायण सिंह, श्री आगरा
124. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
125. निर्मल वर्मा, श्री सीतापुर
126. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहाँपुर
127. पशुपति, श्री गाजीपुर
128. पी0 के0 राय, डा0 कुशीनगर
129. पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री बाँदा
130. प्रजापालन, श्री एटा
131. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
132. प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू, श्री बदायूं
133. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
134. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
135. प्रमोद सिंह, श्री देवरिया
136. प्रवीण पटेल, श्री इलाहाबाद
137. प्रेमलता कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
138. फतेह बहादुर, श्री महराजगंज
139. फरहत हसन, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
140. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
141. फसीहा वशीर चौधरी (गजाला लारी),श्रीमती देवरिया
142. फागू, श्री मऊ
143. बलबीर, श्री मुजफ्फरनगर
144. बलराम सिंह सैनी, श्री मुरादाबाद
145. बादशाह सिंह, श्री हमीरपुर
146. बिरजू राम, श्री जौनपुर
147. बृजेश सौरभ, श्री प्रतापगढ़
148. बैजनाथ दूबे, श्री गोण्डा
149. ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी, श्री देवरिया
150. भगवत शरण गंगवार, श्री बरेली
151. भगवती प्रसाद सागर, श्री झाँसी
152. भगवान दास, श्री सन्तकबीरनगर
153. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
154. भगेलू राम, श्री सुल्तानपुर
155. भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री इटावा
156. भोला पासवान, श्री आजमगढ़
157. मंजू, श्रीमती बलिया
158. मदन भैया उर्फ मदन गोपाल, श्री बागपत
159. मधुबाला, श्रीमती संत रविदासनगर (भदोही)
160. मधुसूदन शर्मा, श्री आगरा
161. मनोज चौधरी, श्री सहारनपुर
162. ममतेश शाक्य, श्री एटा
163. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
164. महबूब अली, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
165. महिपाल सिंह, श्री सहारनपुर
166. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
167. महेन्द्र सिंह, श्री अलीगढ़
168. महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री इटावा
169. महेश चन्द्र, श्री औरैया
170. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूँ
171. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर देहात
172. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
173. मिथलेश कटियार, श्रीमती कानपुर देहात
174. मिथिलेश पाल, श्रीमती मुजफ्फरनगर
175. मीता गौतम, कु0 बाराबंकी
176. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ

177. मुरलीधर, श्री फतेहपुर
178. मुस्लिम खाँ, श्री बदायूँ
179. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
180. मोहम्मद इकबाल, श्री बिजनौर
181. मोहम्मद इरशाद खान, श्री लखनऊ
182. मोहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
183. मोहम्मद जलील खान, श्री गोण्डा
184. मोहम्मद ताबिश खां, श्री सन्तकबीरनगर
185. यशपाल सिंह, श्री बिजनौर
186. यशपाल सिंह चौहान, श्री अलीगढ़
187. यशवन्त सिंह, डा0 मुजफ्फरनगर
188. यसपाल सिंह रावत, श्री गोरखपुर
189. योगराज सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
190. योगेन्द्र सागर, श्री बदायूँ
191. रंगनाथ मिश्र, श्री सन्त रविदासनगर (भदोही)
192. रघुनाथ प्रसाद संखवार, डा0 कानपुर देहात
193. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
194. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
195. रतनलाल अहिरवार, श्री झांसी
196. रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री कुशीनगर
197. रमेश गौतम, श्री गोण्डा
198. रमेश चन्द्र विन्द, डा0 मिर्जापुर
199. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
200. रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री सहारनपुर
201. राकेश धर त्रिपाठी, डा0 इलाहाबाद
202. राघव लखन पाल शर्मा, श्री सहारनपुर
203. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
204. राजकुमार रवत, श्री मथुरा
205. राजदेव सिंह, श्री जौनपुर
206. राजपाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
207. राजपाल सिंह, श्री गाजियाबाद
208. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
209. राजाराम त्यागी, श्री रायबरेली
210. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
211. राजेन्द्र कुमार, श्री मऊ
212. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री प्रतापगढ़
213. राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
214. राजेन्द्र सिंह, डा0 आगरा
215. राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री गोरखपुर
216. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
217. राजेश कुमार, श्री लखीमपुर खीरी
218. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
219. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
220. राधामोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
221. राधे लाल रावत, श्री उन्नाव
222. राधे श्याम गुप्ता, श्री फतेहपुर
223. राधेश्याम जायसवाल, डा0 सीतापुर
224. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
225. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
226. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
227. राम प्रकाश कुशवाहा, श्री कानपुर नगर
228. राम प्रकाश यादव, श्री फिरोजाबाद
229. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
230. राम बिशुन आजाद, श्री गोण्डा
231. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
232. राम शिरोमणि शुक्ल, श्री प्रतापगढ़
233. राम सागर अकेला, श्री श्रावस्ती
234. राम सिंह, डा0 अलीगढ़
235. रामसेवक, श्री सुल्तानपुर
236. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
237. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
238. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहाँपुर
239. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा

240. लखीराम नागर, श्री — मेरठ
241. लल्लू सिंह, श्री — फैजाबाद
242. लालजी यादव, श्री — सिद्धार्थनगर
243. लालजी वर्मा, श्री — अम्बेडकरनगर
244. वकार अहमद शाह, डा0 — बहराइच
245. वाचस्पति, श्री — कौशाम्बी
246. वारिस अली, श्री — बहराइच
247. वासुदेव सिंह "बाबा", श्री — बुलन्दशहर
248. विजय कुमार, श्री — गाजीपुर
249. विजय कुमार उर्फ विजय यादव, श्री — मुरादाबाद
250. विजय पाल सिंह, श्री — बरेली
251. विद्या चौधरी, श्रीमती — आजमगढ़
252. विद्यासागर गुप्त, श्री — लखनऊ
253. विनोद कुमार, श्री — प्रतापगढ़
254. विनोद कुमार हरित, श्री — मेरठ
255. विनोद सिंह, श्री — सुल्तानपुर
256. विवेक कुमार सिंह, श्री — बांदा
257. विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री — बांदा
258. विशम्भर सिंह यादव, श्री — बांदा
259. विश्वनाथ, श्री — कुशीनगर
260. वीरेन्द्र कुमार, श्री — हरदोई
261. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री — बुलन्दशहर
262. बृज सिंह उर्फ बृज कुंवरि, श्रीमती — गोण्डा
263. वेदराम भाटी, श्री — बुलन्दशहर
264. शब्बीर अहमद, श्री — बहराइच
265. शम्भू चौधरी, श्री — कुशीनगर
266. शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री — बरेली
267. शहनवाज, श्री — बिजनौर
268. शारदा प्रसाद, श्री — चन्दौली
269. शाहिद मंजूर, श्री — मेरठ
270. शिव गणेश "लोधी", श्री — रायबरेली
271. शिवपाल सिंह यादव, श्री — इटावा
272. शिव प्रसाद यादव, श्री — इटावा
273. शिवबालक पासी, श्री — रायबरेली
274. शिवशंकर, श्री — बलिया
275. शीशराम, श्री — बिजनौर
276. शेर बहादुर, श्री — अम्बेडकर नगर
277. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री — जौनपुर
278. श्याम किशोर शुक्ला, श्री — लखनऊ
279. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री — वाराणसी
280. श्याम नरायण यादव, श्री — आजमगढ़
281. श्याम लाल, श्री — बलरामपुर
282. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री — मथुरा
283. श्रीपति आजाद, श्री — महराजगंज
284. श्रीभगवान पाठक, श्री — बलिया
285. संग्राम सिंह, श्री — बाराबंकी
286. संजय कपूर, श्री — रामपुर
287. संजय कुमार त्रिपाठी, श्री — प्रतापगढ़
288. संध्या, कुमारी — मैनपुरी
289. सतीश महाना, श्री — कानपुर नगर
290. सत्य नारायण जैसल, श्री — सोनभद्र
291. सत्यपाल सिंह, चौ0 — अलीगढ़
292. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री — मेरठ
293. सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री — गौतमबुद्धनगर
294. सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0 — बागपत
295. सदल प्रसाद, श्री — गोरखपुर
296. सनातन पाण्डेय, श्री — बलिया
297. सलिल विश्नोई, श्री — कानपुर नगर
298. सिद्धार्थ शंकर, डा0 — लखनऊ
299. सिनोद कुमार शाक्य, श्री — बदायूँ
300. सिवगतुल्लाह अंसारी, श्री — गाजीपुर
301. सी0 एम0 प्रसाद, श्री — सोनभद्र
302. सीमा द्विवेदी, श्रीमती — जौनपुर
303. सी0 वी0 इन्निस, श्री — नाम-निर्देशित

| | | |
|---|---|---|
| 304. | सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री | फतेहपुर |
| 305. | सुखदेव राजभर, श्री | आजमगढ़ |
| 306. | सुखलाल, श्री | पीलीभीत |
| 307. | सुधीर कुमार, श्री | उन्नाव |
| 308. | सुन्दर लाल लोधी, श्री | उन्नाव |
| 309. | सुन्दर सिंह, श्री | बुलन्दशहर |
| 310. | सुभाष, श्री | बलिया |
| 311. | सुमन देवी कुशवाहा, श्रीमती | ललितपुर |
| 312. | सुभाष पाण्डेय, श्री | जौनपुर |
| 313. | सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री | आजमगढ़ |
| 314. | सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री | वाराणसी |
| 315. | सुरेश कुमार खन्ना, श्री | शाहजहांपुर |
| 316. | सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री | लखनऊ |
| 317. | सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री | लखनऊ |
| 318. | सुरेश तिवारी, श्री | देवरिया |
| 319. | सुल्तान बेग, श्री | बरेली |
| 320. | सुशील कुमार, श्री | चन्दौली |
| 321. | सूरज सिंह शाक्य, श्री | एटा |
| 322. | सूर्यभान, श्री | मिर्जापुर |
| 323. | सोबरन सिंह, श्री | मैनपुरी |
| 324. | स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री | कुशीनगर |
| 325. | हरगोविन्द भार्गव, डा0 | सीतापुर |
| 326. | हरिओम, श्री | जालौन |
| 327. | हसरत उल्ला, श्री | एटा |
| 328. | हुकुम सिंह, श्री | मुजफ्फरनगर |
| 329. | होराम सिंह, श्री | गौतमबुद्धनगर |

**नोट :-** भूतत्व एवं खनिकर्म, सहकारिता तथा परिवार कल्याण मंत्री (श्री बाबू सिंह कुशवाहा) तथा लो0 नि0 सिंचाई, आबकारी, आवास तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

**फैजाबाद में दलित की पुलिस द्वारा निर्मम पिटाई से हुई मृत्यु विषयक नियम-311 की सूचना को सर्वप्रथम लिए जाने की मांग**

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, 50 साल के एक दलित को कल पुलिस ने 11.00 बजे पकड़ कर के इतनी बेरहमी से मारा है कि उसकी मौत हो गई है।

श्री अध्यक्ष-

चलिए ठीक है, आपने कहा था, आपकी बात आ गई है, उसको सुना जायेगा। बाद में हम उस पर सुनेंगे। अभी प्रश्नों को लेने दें।

## प्रश्नोत्तर

## अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

**केन्द्र सरकार की भांति प्रदेश के कर्मचारियों को बोनस एवं देय महगांई भत्ते का भुगतान**

1-श्री सुधीर कुमार (अनुपस्थित)-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को माह जुलाई, 2009 से देय महंगाई भत्ते की किश्त एवं वित्तीय वर्ष 2008-2009 के बोनस का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या प्रदेश सरकार भी अपने कर्मचारियों को माह जुलाई, 2009 से देय महंगाई भत्ते की किश्त एवं बोनस का भुगतान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

जी हां। केन्द्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को माह जुलाई, 2009 से देय महंगाई भत्ते की किश्त एवं वित्तीय वर्ष 2008-09 हेतु बोनस की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

राज्य सरकार द्वारा आर्थोपाय स्थिति को देखते हुए ही स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

**प्रदेश में विधान सभा क्षेत्र विकास निधि बढ़ाये जाने की मांग**

2-श्री सतीश महाना-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बढ़ती हुई मंहगाई के दृष्टिगत भवन निर्माण सामग्री के बढ़ते हुए मूल्यों को ध्यान में रखते हुए विधान सभा क्षेत्र विकास निधि (विधायक निधि) को बताने के प्रस्ताव पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो क्या वर्तमान वित्तीय वर्ष में यह लागू होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री दद्दू प्रसाद)-

जी नहीं।

वर्तमान में विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत प्रति विधान मण्डल क्षेत्र की दर से रुपये 1.25 करोड़ की धनराशि दी जा रही है। प्रदेश की वर्तमान आर्थोपाय स्थिति के दृष्टिगत विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि की धनराशि में वृद्धि किया जाना संभव नहीं हैं।

श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंनें जो प्रश्न किया था यह बड़ा महत्वपूर्ण था और विकास से सम्बन्धित इस सदन के सभी सम्मानित सदस्यों से सम्बन्धित यह प्रश्न है। मान्यवर, इसमें उत्तर आया कि जी नहीं। विकास निधि को बढ़ाने के प्रस्ताव पर सरकार विचार नहीं करेगी। मान्यवर, अभी दो दिन पहले आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आदरणीय वित्त मंत्री जी ने इसी सदन में एक बयान दिया था कि बजट का एक परसेण्ट लगभग छः हजार करोड़ रुपया, उस मार्गों के ऊपर खर्चा किया जायेगा और 403 सम्मानित सदस्यों को सवा करोड़ रुपया उनके क्षेत्र के विकास के लिए दिया जाता है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह एक ही बात की रट बारबार लगाते हैं, जबकि सारी बातों का जवाब दिया जा चुका है और बारबार एक ही प्रश्न को उठाना उचित नहीं है। यह सीधे-सीधे अनुपूरक प्रश्न पूछ लें।

श्री अध्यक्ष-

महाना जी, आप सीधे-सीधे अनुपूरक प्रश्न पूछिये।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आप नाराज न हुआ करें। माननीय अध्यक्ष जी, सहमत हैं, उनको भी अवसर दीजिए। मान्यवर, इसमें मैंने ध्यान आकर्षित किया था और प्रश्न किया था कि भवन निर्माण सामग्री मान्यवर, जैसे-ईंटों के दाम दोगुने हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष-

अच्छा उसमें जब "जी नहीं" आ गया है तो अब आप क्या चाहते हैं ? आप सीधे अनुपूरक पूछिये, आप क्या पूछना चाहते हैं ?

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, अगर यह जी नहीं की जगह जी हां लिख देते तो फिर मुझे कुछ जानने की जरूरत ही नहीं पड़ती।

श्री अध्यक्ष-

अगर 'हां' लिख देते तो फिर आप खड़े ही क्यों होते ?

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न करना चाहता हूं कि पहले सभी सम्मानित विधान सभा क्षेत्र के विधायकों को दो सौ हैण्डपम्प उनके लिए निर्धारित किये गये थे।

श्री अध्यक्ष-

देखिये, अब यह हैण्डपम्प पर आ गये।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, यह उसी क्षेत्रीय विकास निधि में ही है, यह उसी से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, यह उसी से सम्बन्धित नहीं है। यह अलग विषय है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, यह इसी से जुड़ा हुआ विषय इसलिए है, मैं आपको बताता हूं, अगर माननीय मंत्री जी नाराज न हों तो कहूं, इन्होंने कहा था कि आप लोग विधायक निधि से हैण्डपम्प भी लगवा लीजिए। यह बात कही गई थी, इसीलिए यह विषय उसी से सन्दर्भित है। यह हैण्डपम्प बन्द कर दिये गये वह विधायक विकास निधि से हैण्डपम्प भी लगवा लें और इतनी बढ़ी हुई कीमत से वह भी करा लें, तो मान्यवर मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह अपने विधान सभा क्षेत्र में जिसमें से माननीय मंत्री जी चुन कर आते हैं उसके समेत सभी विधायकों को उनके क्षेत्रों के विकास के लिए इसके ऊपर फिर से पुनर्विचार करके इसको दो करोड़ रुपया करने के ऊपर विचार करेंगें ?

श्री दद्दू प्रसाद-

मननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न के जवाब में हमने उत्तर दिया है जो स्वतः स्पष्ट है मान्यवर, प्रदेश की वित्तीय स्थिति अभी इस लायक नहीं है कि विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि को बढ़ाया जा सके और इसलिए एक करोड़ पच्चीस लाख अभी यह 13 अगस्त, 2007 को इसी सरकार ने यह बढ़ाया था तो इसलिए अभी इसका कोई औचित्य नहीं बनता है माननीय अध्यक्ष जी।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, यह माननीय विधायकों से सम्बन्धित एक सामूहिक महत्व का विषय है। सरकार कह रही है कि वित्तीय संसाधन नहीं हैं। मान्यवर, आप देखें चाहें वर्ष 2006, वर्ष 2007, वर्ष 2008, वर्ष 2009 या वर्ष 2010 का आने वाला बजट हो, बजट राशियों में वृद्धि होती रही है। चाहे वह योजनागत व्यय हो या सरकार के दूसरे व्यय हों उसमें लगातार बढ़ोत्तरी होती जा रही है। चाहे सिंचाई हो, कृषि हो या शिक्षा हो सभी विभागों की अनुदान राशियों में वृद्धि होती गयी है। तो मेरा अनुरोध है कि क्या माननीय मंत्री जी उसी समानुपातिक अनुपात में माननीय विधायकों से सम्बन्धित विधायक निधि में भी वृद्धि करने पर विचार करेंगे। सम्पूर्ण बजट में जितनी राशि बढ़ रही है उसी के दृष्टिगत विधायक निधि में भी वृद्धि करने पर विचार करें। उसकी आप इन्डेक्सिंग करा दें।

श्री अध्यक्ष-

वह एक बजटीय व्यवस्था है। उसमें वृद्धि के अनुपात में आप क्षेत्र विकास निधि में वृद्धि चाहते हैं तो उसका माननीय मंत्री कैसे जवाब दें। उनका लिखित रूप में स्पष्ट उत्तर आ गया है और अनुपूरक में भी अपनी नीति बता दी है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, माननीय विधायकों की विधायक निधि का मामला है। सरकार को सोचना चाहिए। मान्यवर, सरकारी विभाग विकास की सारी कमियों को दूर नहीं करा पाते हैं और जो चीजें छूट जाती हैं वह विधायक अपनी निधि से कराते हैं। यह क्षेत्रीय विकास में संतुलन की दृष्टि से

बहुत महत्वपूर्ण है। जब बजट बढ़ रहा है इसके मायने आपके संसाधन भी बढ़ रहे हैं तो फिर विधायक निधि की राशि को बढ़ाने में क्या दिक्कत हो सकती है ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में बताया है कि हमारी ऐसी कोई नीति नहीं है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, फिर हमारे प्रश्न करने का क्या महत्व रह जायेगा ?

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने मूल प्रश्न के उत्तर में फिर अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में बता दिया।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, फिर क्या हम लोग उनकी चिरौरी करें कि इसको बढ़ा दें ?

श्री अध्यक्ष-

आप किसी दिन उनके आवास पर जायें उनसे मिलें और बातचीत कीजिये।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मंत्री जी ने यह कहीं नहीं कहा कि उनकी इच्छा नहीं है। उन्होंने यह कहा है कि आजकल वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है और आज की वित्तीय स्थिति में इसे नहीं बढ़ावा जा सकता है। मान्यवर, अभी राज्यपाल जी का अभिभाषण हुआ उसमें बहुत सुनहरे सपने दिखाये गये हैं। वित्त मंत्री जी भी बहुत योग्य और कुशल मंत्री माने जाते हैं। मान्यवर, यह हमेशा फटीचर तो बने नहीं रहेंगे कुछ तो पोजीशन इनकी आगे इम्प्रूव करेगी ही। आज स्थिति खराब है तो कल तो सुधरेगी ही। क्या जब आपकी वित्तीय स्थिति सुधर जायेगी उस समय आप इस पर पुनर्विचार करेंगे ? क्योंकि आपके दिल में इच्छा तो है ही। मान्यवर, यह प्रश्न केवल 403 विधायकों का नहीं है यह प्रदेश की 18 करोड़ जनता से जुड़ा प्रश्न है। विधायकों के तो केवल सुझाव ही मांगे जाते हैं। वह अपने क्षेत्रों में सड़कों, पुलों और अन्य चीजों के निर्माण के लिये सुझाव दे देते हैं कार्य तो सरकार कराती है तो फिर सवा करोड़ रुपया से बढ़ाकर दो करोड़ रुपया करने में क्या कठिनाई है ? तो मेरा कहना यह है कि जब आपकी वित्तीय स्थिति ठीक हो जायेगी तो फिर इस सवा करोड़ की राशि को दो करोड़ रुपया करने पर पुनर्विचार करेंगे ?

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, आज की परिस्थितियों में जो जवाब आया है और पूरी तरह से स्पष्ट जवाब है। अब सम्भावनाओं के आधार पर तो जवाब नहीं दिया जा सकता।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, सम्भावनाओं के आधार पर तो क्या-क्या होता है यह आपको मालूम है। सम्भावना के आधार पर दुनिया चलती है। सम्भावना के आधार पर, जब यह कुंवारे रहे होंगे तो इन्होंने कभी तो सोचा होगा कि हम शादीशुदा होंगे, बच्चे होंगे तो उनका यह नाम रखेंगे।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, पहले से नाम थोड़े रख दिया गया।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, वर्मा जी ने तो पहले से ही तय कर लिया था बच्चों का नाम, इनके बच्चों का नाम मैं बता सकता हूं क्या है, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि जब समय आये उचित, आप केवल सहायता कर दें सरकार की कि जब समय आये उचित, तो उस समय विचार कर लेंगे इसमें तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी मेरे ख्याल से मान्यवर।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपना प्रश्न पूछूं इसके पहले एक और नई सूचना आ गयी है उसको ऐड करके पूछना चाहता हूं अभी माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि सम्भावनाओं के आधार पर कोई बात नहीं कही जा सकती है। माननीय वित्त मंत्री जी, जो बजट प्रस्तुत करते हैं उसमें अगले वर्ष आमदनी और खर्चा यह सभी कुछ टोटल सम्भावनाओं के आधार पर होता है। पूरे प्रदेश का बजट ही जब सम्भावनाओं के आधार पर होता है। पूरे प्रदेश का बजट ही जब सम्भावनाओं के आधार पर है तो उसमें सम्भावनाओं के आधार पर एक छोटी मद 4-500 करोड़ रुपये में अगर कोई 25-50 लाख की वृद्धि करनी हो तो वह सम्भावनाओं के आधार पर बात की जा सकती है। मैं खाली सुझाव के लिए कह रहा हूं ऐसे कोई ऐसी बात नहीं है।

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न यह है कि विकास, पूरे प्रदेश का विकास इस सदन में आये हुए प्रत्येक सदस्य की जिम्मेदारी है, उसका कर्तव्य हैं अपनी अपनी भूमिका में प्रत्येक सदस्य इस काम को गम्भीरता से करना चाहता है। अब उस विकास में बहुत सारी चीजें शामिल हैं किन्हीं कारणों से बिना किसी टिप्पणी के मैं यह बात कहना चाहता हूं कि कभी किसी सदस्य के क्षेत्र में उसके सुझाव पर किन्हीं योजनाओं में कभी ज्यादा हो जाता है और कभी कम हो जाता है उसमें कुछ सदस्य ऐसे हैं मान्यवर, विपक्ष में खासतौर से जिनके यहां इस निधि के अलावा अन्य कोई एक नये पैसे का भी प्रस्ताव उनके सुझाव पर लिया ही नहीं जाता। इसलिए उनका सरोकार इस मामले पर सर्वाधिक है क्योंकि वह किसी तौर पर कोई दूसरा प्रस्ताव नहीं कर सकते। मैं हैण्डपम्प का नाम नहीं लेना चाहता, मैं सड़क पुल या पी0डब्लू0डी या किसी विभाग का नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि ऐसे विधायक हैं विपक्ष में अधिकांश जिनको इस निधि के अलावा श्रीमन्, जिस पर मूल प्रश्न है इस विधायक क्षेत्रीय विकास निधि के अलावा उनके पास कोई दूसरी मद नहीं है जिसमें वह कोई भी प्रस्ताव दे सकें, पिछले ढ़ाई वर्षों का हमारा यह अनुभव है इसलिए श्रीमन्, ऐसे सदस्य जिनके और किसी योजना में उनके प्रस्ताव लिये जाने की कोई गुंजाइश नहीं है उनके लिए अलग से इसमें कुछ बढ़ाने का इसमें विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

अब जो और लम्बी गणित बढ़ा दिया आपने ? यह कहां बता पायेंगे ?

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 29 तारीख को इस पर पूरा जवाब दे दिया है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं कुछ नहीं पूछूंगा आप केवल 'न' बोल दीजिए कि नहीं करेंगे काम खत्म। आप कर दीजिए 'न' मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, जो कहना था कह दिया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय चौधरी साहब, अभी एक प्रश्न उत्तर हुआ माननीय विधायक निधि बढ़ाने के सवाल पर अब आप उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं कि जिन लोगों के लिए कोई सहारा नहीं है उनके लिए अलग से कोई विचार करेंगे ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इसी में विचार कर लें क्योंकि इसमें आवश्यकता है उनको।

श्री अध्यक्ष-

यह डिवीजन नहीं है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, चौधरी साहब जानते हैं कि अगर पहली बार 'ना' करने पर मान गये होते तो इनके बहुत से काम आज तक बने न होते इसलिए यह बार-बार न करते हुए भी हां कराने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा आप भी सहयोग कर दें मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, नहीं सहयोग पूरा आप लोगों के लिए है। लेकिन 'न' हो गया है तो थोड़ा उसका महत्व दीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सवाल आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, मान्यवर, यह सरकार यह मानती है कि महंगाई बढ़ी है यह सरकार यह मानती है कि सेवाओं और वस्तुओं की कीमतें बढ़ी हैं, मान्यवर, इसीलिए मा0 मुख्य मंत्री जी ने समय-समय पर चिन्ता भी व्यक्त की है इसके ऊपर भारत सरकार को पत्र भी लिखा है तो इस वक्त इसका जस्टीफिकेशन है मान्यवर, कि जब सेवाओं और वस्तुओं का मूल्य बढ़ गया और यह सरकार भी मान्यवर मानती है निश्चित रूप से मान्यवर, तो यह जस्टीफिकेशन इस बात का बनता है कि इस पर मान्यवर विचार किया जाए कि जितना काम एक करोड़ पच्चीस लाख में होता था उसका आधा काम भी मान्यवर इस वक्त नहीं हो पा रहा हैं इसलिए मान्यवर, परिस्थितियों को देखते हुए हम आपसे आग्रह करेंगे, हम आपका संरक्षण चाहेंगे कि निश्चित रूप से माननीय इस सरकार को निर्देशित करें कि जितना भी बन सके जैसा डा0 अग्रवाल साहब ने कहा उस प्रतिशत में उस समानुपातिक प्रतिशत में कि जिसमें बाकी प्रोपोसिनेट में जिसमें बढ़ाया गया उसमें इसमें भी विचार कर लें। मान्यवर, यह अपने आप में जस्टीफिकेशन है और आपका मान्यवर, संरक्षण मिल जाये तो

ये सभी पूरे प्रदेश के विकास के लिए मान्यवर, एक सार्थक कदम होगा। यही मान्यवर, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है खन्ना साहब, बहुत स्पष्ट मा0 मंत्री जी ने कर दिया है। लेकिन उन्होंने भी अपनी असमर्थता दिखाते हुए वित्तीय स्थिति को स्पष्ट कर दिया है कि मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि कुछ कर पाऊं या इसको बढ़ा दूं। इसलिए इसको "जी नहीं" कर दिये हैं। आपकी भावनाएं आई हैं उसको सरकार की तरफ आपने इंगित किया है। अब महाना साहब अंतिम प्रश्न बस।

श्री सतीश महाना-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने यहां पर कुछ कहा था। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था अगर हमें ध्यान है तो कहा था कुछ विधायकों को सम्बन्धित उनके भत्ते इत्यादि के बारे में, शायद ऐसा मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा था। मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से प्रश्न करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी को यह विषय भी संज्ञान में लाने का काम करेंगे कि यह विषय भी उसी प्रकार से महत्वपूर्ण है, जो मैं कह रहा हूं वही बात थी वह माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराकर इसको बढ़ाने के लिए विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

ये तो कई बार कह दिया विचार करेंगे।

श्री सतीश महाना-

कह दें करेंगे खत्म हो गया आपने कह दिया, करेंगे तो हमारे को संतुष्टि हो गयी।

श्री अध्यक्ष-

हमने कहां कह दिया। जब आप कह रहे हैं तो आपकी भावनाओं का आदर करते हैं।

## तारांकित प्रश्न

*1-श्री अनूप सण्डा-

(द्वितीय मंगलवार के तारांकित प्र0 सं0-10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

**प्रदेश में गिरती कानून-व्यवस्था के नियंत्रण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश**

*2-श्री जोखू लाल यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गिरती हुई कानून-व्यवस्था पर नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा कोई प्रभावी नीति बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी वर्मा-

प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ एवं नियंत्रण में है।

कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने तथा अपराधों की रोकथाम के लिए समय-समय पर मा0 मुख्यमंत्री जी के स्तर पर, प्रमुख सचिव, गृह तथा पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के

स्तर पर समीक्षा बैठके आयोजित करके कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने तथा अपराधों के रोकथाम के सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री जोखू लाल यादव-

माननीय अध्यक्ष महोदय मैंने सरकार से प्रश्न किया था कि क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगी कि प्रदेश में गिरती हुयी कानून व्यवस्था पर नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा कोई प्रभावी नीति बनायी गयी है ? जवाब आया है मान्यवर, प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ एवं नियंत्रण में है और कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने तथा अपराधों की रोकथाम के लिए समय-समय पर माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर प्रमुख सचिव (गृह) तथा पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के स्तर पर समीक्षा बैठकें आयोजित करके कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने तथा अपराधों की रोकथाम के सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं। मान्यवर, यह पूरे प्रदेश का मामला है। कानून व्यवस्था का मामला है और आज प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है और आलम यह है कि आये दिन प्रदेश में इतनी आपराधिक घटनाएं हत्यायें, लूट, डकैती, चैन स्नेचिंग महिलाओं पर अत्याचार इतने बढ़ रहे हैं कि अभी-अभी मान्यवर, लखनऊ में दो दिन पहले 5-5 सामूहिक हत्यायें हो गयी मान्यवर और फैजाबाद में कल एक दलित की पिटाई से पुलिस की पिटाई से उसकी मृत्यु हो गयी मान्यवर, और माननीय संसदीय कार्यमंत्री यह कह रहे हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ एवं नियंत्रण में है मान्यवर,। मैं आपके माध्यम से मा0 संसदीय कार्यमंत्री से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था सुदृढ़ होने का मानक क्या है, मापदंड क्या है, कब लगेगा, क्या ये अपराध घटनायें नहीं हो रही हैं ? इसलिए क्या मानक है क्या मापदंड है कानून-व्यवस्था सुदृढ़ होने का ?

श्री लालजी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, प्रदेश में मा0 मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती जी के दिशा-निर्देशन में जब से सरकार बनी है, कानून का राज स्थापित करने के लिए कानून का कड़ाई से पालन कराने के लिए कार्यवाही की गयी है। समय-समय पर इसके लिए दिशा-निर्देश भी जारी किये गये हैं, अब मैं सभी को पढ़कर सुनाऊं, इसमें समय लगेगा लेकिन मान्यवर, यह उसी का परिणाम है कि वर्तमान सरकार के प्रयास के चलते जो प्रदेश के महत्वपूर्ण अपराध हैं उसमें कमी आयी है। मान्यवर, अपराध में डकैती और लूट में 13.7 प्रतिशत की कमी आयी है पांच और नौ के बीच में हत्या में 27.15 फीसदी की कमी आयी, बलवा में 7.36 प्रतिशत की कमी आयी, रोड होल्डप में 71.43 प्रतिशत की कमी आयी, फिरौती के लिए अपहरण में 29.57 प्रतिशत की कमी आयी, दहेज, हत्या में 6.2 प्रतिशत की कमी आयी और बलात्कार में 15.19 प्रतिशत की कमी आयी। मान्यवर, यह इस बात का परिचायक है कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था सुदृढ़ है और मान्यवर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे प्रदेश में लोक सभा का भी चुनाव हुआ और भी कई चुनाव हुए, कोई भी साम्प्रदायिक घटनाएं नहीं हुई, कानून-व्यवस्था की स्थिति में कहीं से कोई कमी नजर नहीं आयी। इसके साथ ही साथ अगर मा0 सदस्य चाहेंगे तो मैं विभिन्न सरकारों के समय जो

मा0 मुख्य मंत्रीगण रहे हैं उनके समय के हिसाब से तुलनात्मक स्थिति को बताने की स्थिति में हूं कि किस तरह से हमारी सरकार के समय में अपराधों में कमी आयी है।

मान्यवर, मा0 श्री मुलायम सिंह यादव की जब सरकार थी तो डकैती का प्रतिशत औसत 18 का था, आज हमारे पूरे सरकार के समय में लगभग ढाई साल का समय हो गया है। यह औसत 10 का है। लूट 157 था उस पूरे कार्यकाल में और आज मान्यवर, प्रतिमाह औसत 122 है। इसी तरह से हत्या प्रतिमाह का औसत था 475 और इस समय अपराध को नियंत्रित करने के कारण यह औसत 355 का है। फिरौती के लिए अपहरण का प्रतिमाह औसत 14 था जब आपकी सरकार थी और आज मान्यवर, यह औसत केवल 5 है। यह इस बात का परिचायक है कि सख्ती की गयी है लेकिन इससे हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं, हमारी सरकार का प्रयास है, बहन कुमारी मायावती जी का प्रयास है कि प्रदेश अपराध-शून्य प्रदेश हो और इसके लिए समुचित प्रयास किये जा रहे हैं।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष महोदय, अभी मा0 मंत्री जी ने सदन में डकैती और लूट के लिए कहा है कि 13 प्रतिशत की कमी आयी है। इस सदन में सूचनाएं सत्य आनी चाहिए, मैंने होम-मिनिस्ट्री की वेबसाइट में उत्तर प्रदेश सरकार की साइट खोली है। 01 जनवरी, 2008 से 31 दिसम्बर, 2008 तक डकैती की घटनाएं 114 हैं, 01 जनवरी, 2009 से 31 दिसम्बर, 2009 तक डकैती की घटनाएं 147 हैं अर्थात् वर्ष 2008 में 114 डकैती और वर्ष 2009 में 147 डकैती और मा0 मंत्री जी 13 प्रतिशत कमी की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज लूट वर्ष 2008 में जनवरी से दिसम्बर तक 1564 लूट, यह आंकड़े सरकार के हैं सरकार के गृह विभाग के हैं, जो यह लोग वार्षिक रिपोर्ट तैयार करते हैं, इंटरनेट पर मैं उसी रिपोर्ट की बात कर रहा हूं। 2008 में 1564 लूट और 2009 में 1628 लूट। यानि डकैती और लूट यह दो अपराध है। जिनमें स्पष्ट रूप से इनके आंकड़े कहते हैं कि यह बढ़े हैं तो 13 प्रतिशत घटी कहां से यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं दो सवाल पूछना चाहता हूं जिसमें से एक यह है कि इधर सरकार ने जिलों में परिवर्तन किया है जिलों में डी0आई0जी0 को इंजार्च बना करके भेजा है। हम लोगों का गोरखपुर जिला उनमें से एक है। बहुत सारे अन्य जिलों में हुआ होगा। हम लोगों ने यह महसूस किया है कि जब एस0एस0पीज0 की जगह डी0आई0जीज0 को एस0एस0पी0 के दायित्व पर पदस्थापित किया गया तो उन जनपदों में कानून-व्यवस्था के नियंत्रण में, अपराध के नियंत्रण में स्वाभाविक रूप से गिरावट आ गयी है। डी0आई0जी0 स्तर के अधिकारी एस0एस0पी0 स्तर के अधिकारियों की तरह पूरे जनपद में जितना उनको दौड़-धूप व मेहनत करनी चाहिए, नहीं कर पाते हैं, मैं यह जानना चाहता हूं सरकार से कि क्या सरकार इन डी0आई0जीज0/एस0एस0पीज0 की व्यवस्था को हटाकर पुनः नौजवान एस0एस0पीज0 को जनपद में एस0एस0पीज0 के पद पर तैनात किया जाए, उस पर विचार करेगी ? दूसरा बहुत बार इस बात को कहा जाता है कि पुलिस व्यवस्था में राजनीतिक प्रशासनिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और इसलिए जो कंसेप्ट लाया गया था स्टेट सिक्योरिटी कमीशन का, क्या सरकार ने इस प्रदेश में स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनाया है, अगर बनाया है तो इसके सदस्य कौन हैं ? क्योंकि अगर होते तो दो सदस्य इस सदन के भी होते, एक पक्ष का, एक विपक्ष का

और उस कमेटी को हर साल अपनी रिपोर्ट देनी होती है, इस सदन में रखनी होती है, क्या कोई ऐसी रिपोर्ट इस सदन में कमीशन के द्वारा प्रस्तुत की गयी है ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह बात महसूस किया गया कि सीनियर अधिकारी के बड़े नगरों में रहने से कानून-व्यवस्था की स्थिति में और सुधार होगा तथा अपराधों पर अंकुश लगेगा और वह सफल हुआ है, उसमें कहीं परिवर्तन का कोई प्रश्न नहीं है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

दूसरा सवाल आयोग के बारे में पूछा था उसका उत्तर नहीं आया। मैं महसूस करता हूं कि डी0आई0जी0 की व्यवस्था से कानून-व्यवस्था बिगड़ी है, सरकार महसूस करती है कि सुधरी है, यह सरकार का व्यू है, सरकार इस पर नीतिगत निर्णय ले सकती है, जो निर्णय लेना चाहें उनका विषय है। राज्य सुरक्षा आयोग के बारे में जानना चाहा था कि क्या उसका गठन हुआ है और उसके कौन-कौन से लोग सदस्य हैं ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इस प्रश्न में जो पूछा गया था उसके हिसाब से उत्तर आ गया।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

राज्य सुरक्षा आयोग का जो कन्सेप्ट है, पूरे देश के अन्दर लागू हो रहा है उसमें बहुत साफ-साफ यह बात है कि पुलिस व्यवस्था में राजनीतिक, प्रशासनिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए इसलिए एक राज्य सुरक्षा आयोग बनेगा, उसमें डी0जी0पी0 भी होता है सरकार के पक्ष के लोग भी होते हैं, एक रिटायर्ड ज्यूरिस्ट भी होता है और उनको पालिसीज बनाने का था कोई आपत्तियां मिलती हैं तो उन पर स्पष्ट आबजर्वेशन देने का अधिकार होता है। इसलिए यह सीधा पुलिस की व्यवस्था से सम्बन्धित है। मैं माननीय मंत्री जी से इतना ही जानना चाहता हूं कि क्या सरकार राज्य सुरक्षा आयोग के गठन पर विचार कर रही है या नहीं ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसके बारे में मुझे सूचना नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मैं मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि इतनी स्पष्टता होनी चाहिए क्योंकि हम लोग एक ही उद्देश्य के लिए यहां बैठ करके काम कर रहे हैं। ठीक बात है, आपने सही उत्तर दिया, नहीं सूचना है आगे मंगा लीजिएगा। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न है कि कानून-व्यवस्था पर नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा कोई प्रभावी नीति बनायी गयी है, यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? प्रश्न नीति के सम्बन्ध में है, प्रश्न आंकड़ों के सम्बन्ध में नहीं है और उत्तर यह है कि आंकड़े अभी मा0 मंत्री जी ने अपने उत्तर में दे दिया और मूल प्रश्न के उत्तर में भी दे दिया है कि आवश्यकतानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं तो क्या सरकार की कुल मिलाकर कानून-व्यवस्था की नीति यही है कि निर्देश जारी कर दिये जाते हैं, कदाचित नहीं क्योंकि मंत्री जी स्वयं इस उत्तर से संतुष्ट नहीं होंगे कि सिर्फ निर्देश जारी कर दिये जाते हैं। इतनी ही

कानून-व्यवस्था पर सरकार की नीति नहीं है, बहुत अच्छी सरकार है, बहुत बढ़िया मंत्री जी आप हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं हो। माननीया मुख्य मंत्री जी ने दूसरी बात और कही थी, उसे उद्धृत करना चाहूंगा, उससे सम्बन्धित मेरा प्रश्न है क्योंकि कानून-व्यवस्था के लिए प्रभावी मंत्री भी माननीया मुख्य मंत्री जी हैं। उन्होंने अभी पिछले दिनों महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर उत्तर देते समय कहा कि मैंने निर्देश दिये हैं कि आंकड़ों के आधार पर अपराध की स्थिति का और कानून-व्यवस्था की स्थिति का आंकलन नहीं किया जायेगा, जो सत्य है। सिर्फ आंकड़ों के आधार पर इसका आंकलन नहीं किया जा सकता है कि कानून-व्यवस्था ठीक है या नहीं ठीक है। माननीया मुख्य मंत्री जी ने यह भी कहा कि मैंने अपने अधीनस्थों को निर्देश दे दिये हैं कि एफ0आई0आर0 के आंकड़ों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, जितने एफ0आई0आर0 होते हैं दर्ज करो। आपकी क्षमता का आंकलन इस आधार पर किया जायेगा कि आपने उसमें कार्यवाई कितनी की है। न्याय मिला कि नहीं मंत्री जी ने जितना उत्तर दिया वह आंकड़ों से परे जाकर नहीं गए। मुझे बड़ी कठिनाई यह हो रही है कि माननीय मंत्री जी का उत्तर है और इसी संदर्भ में माननीया मुख्य मंत्री जी ने कहा है मैं उसको वरीयता देना चाहती हूं। दोनों कथन में विरोधाभास है। मुख्य मंत्री जी ने जो बात स्वीकार की है उसमें उन्होंने आंकड़ों को स्वीकार किया है कि अपराध के आंकड़े बढ़े हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिकार्ड को उन्होंने माना है। मेरा प्रश्न यह है कि मंत्री जी इन परिस्थितियों में क्या सचमुच आपके पास कोई नीति है और उस नीति के सम्बन्ध में सदन को अवगत कराना चाहेंगे ? अगर नीति है तो क्या है मैं यह पूछना चाहता हूं। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है पहले जो निर्देश दिये गये थे कि अनुसूचित जाति के 20 प्रतिशत थानाध्यक्ष प्रत्येक जनपदों में तैनात किये जायें तो क्यो पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को उनकी आबादी के अनुपात में उतने थानाध्यक्षों की प्रत्येक जनपदों में नियुक्ति के लिए सरकार निर्देश जारी करेगी ? यह दूसरा प्रश्न नीति के सम्बन्ध में दोनों प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर दें।

श्री अध्यक्ष-

चौधरी जी का कहना है अपराध नियंत्रण के सम्बन्ध में कोई नीति बनाई गई है।

श्री लालजी वर्मा-

अपराध नियंत्रण के सम्बन्ध में मैंने पहले ही बताया कि समय-समय पर इसकी समीक्षा व उसका क्रियान्वयन कराया गया है। केवल निर्देश जारी करना ही नहीं बल्कि उसी फैसले का क्रियान्वयन कराना और उसी के परिणामस्वरूप जो मैंने बताया कि आंकड़ों में कमी आई है। स्पष्ट निर्देश इस बात का भी है कि किसी भी दशा में अगर कोई व्यक्ति अपराध को पंजीकरण कराने आता है तो उसको रोका न जाए और अपराध पंजीकृत किया जाय यह स्पष्ट निर्देश माननीया मुख्य मंत्री जी का है। समय-समय पर समीक्षा के आधार पर ही पुलिस बल के लिए दो लाख पुलिस बल की घोषणा की व पद स्वीकृत किया। 35 हजार पुलिस भर्ती के लिए अभियान चलाया जा रहा है जिसको जल्द से जल्द भर तिया जायेगा। इसी के अन्तर्गत बड़े-बड़े महानगरों में डी0आई0जी0 स्तर के अधिकारियों को इंचार्ज बनाया गया यह उसी नीति के अन्तर्गत आता है जिसके कारण प्रभावी रोक लगी है। जैसा कि मैंने आंकड़ों के माध्यम से उल्लेख किया उसी नीति के परिणामस्वरूप ही 31 दिसम्बर, 2007 के बाद प्रदेश में कोई आतंकवादी घटना घटित नहीं हुई,

कोई नक्सलवादी घटना घटित नहीं हुई, कोई बड़ी साम्प्रदायिक घटनाएं घटित नहीं हुई यह उसी का परिणाम है।

श्री अम्बिका चौधरी-

हमारे दो प्रश्न हैं। पिछड़ों व अल्पसंख्यकों की आबादी के अनुपात में जिलों में थानाध्यक्ष के पदों पर तैनाती के निर्देश जारी करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

उसके लिए अलग से सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री अम्बिका चौधरी-

मैं उसी नीति के बारे में प्रश्न पूछ रहा हूं। अगर कोई नीति हो तो बता दीजिए क्या पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यकों को आबादी के अनुपात में थानाध्यक्षों के पदों पर नियुक्त करेंगे। महामहिम राज्यपाल महोदय के पिछले अभिभाषण में है कि प्रत्येक थाने पर इंस्पेक्टर इंचार्ज पोस्ट होगा उसका आपने पालन नहीं किया यह करेंगे व पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यकों को उनकी आबादी के अनुपात में थानाध्यक्ष नियुक्त करने के लिए निर्देश जारी करेंगे कि नहीं। हां या न में बता दें।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है कि 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। उसी की सीमाओं में प्रदेश सरकार ने हमारी पहली सरकार है जिसने निर्देश जारी किये और उसका पालन कराया जा रहा है। इसके पहले यह कभी लागू नहीं किया गया है हमारी सरकार ने उस पर अमल किया है।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब काफी अनुपूरक प्रश्न हो चुके हैं।

(डा0 आर0ए0 उस्मानी द्वारा अपनी बात रखने पर)

श्री अध्यक्ष-

इनकी कोई बात नोट न की जाय। इनको बुलाया नहीं गया है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित है। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि 13 प्रतिशत अपराध कम हुए हैं। सरकार की गृह मंत्रालय के वेबवाइट के आधार पर आंकड़े दिये गये और जो मैंने हिसाब लगाया कि 25 प्रतिशत की वृद्धि है। एक तो मान्यवर, मैं इसके बारे में सवाल करना चाहता हूं। दूसरा नीतिगत सवाल है और नीतिगत सवाल में इसके सिक्योरिटी कमीशन की जो बात कही गयी थी मान्यवर, केन्द्र सरकार ने मेरी सुनिश्चित जानकारी में है कि केन्द्र सरकार ने प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर कहा कि आप इसके सिक्योरिटी कमीशन का गठन कीजिए। उसमें मान्यवर, चूंकि विधान मण्डल का कहीं भी उसमें लेना-देना नहीं रहता इसलिए जानकारी नहीं आ पाती इसलिए जब कमीशन का गठन होगा तो उसकी रिपोर्ट भी यहां

पर आयेगी। तो मैं जानकारी यह चाहता हूं कि जब यह नीतिगत प्रश्न है और जानकारी अगर नहीं है तो फिर मेरा आग्रह है कि इस प्रश्न को स्थगित किया जाय या इस प्रश्न को प्रश्न और संदर्भ समिति को संदर्भित किया जाय। जानकारी आ जायेगी सबकी सब और अगर जानकारी है तो दोबारा आप दे दें। क्योंकि यह कहने से काम नहीं चलेगा मान्यवर। आपने प्रश्न भी यही किया कि प्रभावी नीति बनाने पर विचार करेंगे कि नहीं करेंगे और नीति का यह हिस्सा है और इसकी जानकारी आपको नहीं है मान्यवर, तो फिर प्रश्न का उत्तर कहां आया ? दो बात मैंने कही मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह जी, प्रश्न का उत्तर तो जितना उसके प्रकाश में था, आया है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, हर बात का स्पष्टीकरण तो दिया जा सकता है। मैंने इसीलिए कहा था कि मैंने माननीय मंत्री जी के उत्तर में सम्बन्धित एक प्रश्न किया है। मैंने अपने आप कोई प्रश्न नहीं पैदा कर दिया, जो उत्तर आया है, उसी से सम्बन्धित मेरा प्रश्न है। बता दें आप। बेवसाइट का हवाला दिया कि 25 प्रतिशत की वृद्धि है, आपने कहा कि 13 प्रतिशत की कमी है, स्पष्ट बात आ गयी मान्यवर, एक जिम्मेदारी के साथ हम लोग कह रहे हैं और दूसरा मान्यवर, मेरी सुनिश्चित जानकारी है सीधा-सीधा केन्द्र सरकार ने प्रदेश सरकार को पत्र लिखा कि आप स्टेट सिक्योरिटी कमीशन का गठन कीजिये। पत्र लिखा है जो निश्चित रूप से उस पर कार्यवाही भी हुई होगी। माननीय मंत्री जी को जानकारी है नहीं। मान्यवर, जब इतनी भी मौलिक जानकारी नहीं है तो फिर प्रश्न के उत्तर का इस पर औचित्य क्या रह जाता है ?

श्री अध्यक्ष-

उसके बारे में अभी तो माननीय मंत्री जी ने अग्रवाल साहब के प्रश्न के जवाब में दे दिया और जितना प्रश्न था उसके प्रकाश में उत्तर आ गया है। अब क्या आप दूसरा चाहते हैं ?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, बहुत विनम्रता के साथ हम आपके हर निर्णय पर पूरा विश्वास करते हुए सम्मान करते हैं मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री हुकुम सिंह-

मेरा आग्रह है कि संरक्षण हो लेकिन एक हद तक हो, संरक्षण हो मान्यवर, एक सीमा तक हो। आप देख रहे हैं मान्यवर, सारी सीमाएं लांघने की बात न हो। नहीं तो यह एक सीमा लांघने की बात हो जायेगी कि एक नीतिगत प्रश्न पूछा गया और नीतिगत ही बात हम कह रहे हैं कि कोई स्टेट सिक्योरिटी कमीशन का गठन विचाराधीन है या नहीं है, किया कि नहीं किया और इस जानकारी के आधार पर हमने प्रश्न किया कि केन्द्र सरकार ने आपको पत्र लिखा मान्यवर, इसको बता दीजिये ?

नेता विरोधी दल (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी जिस प्रश्न पर माननीय मंत्री जी का जवाब आया। अपराध नियंत्रण में है। अपराध दिनोदिन बढ़ते चले जा रहे हैं।

(नेता प्रतिपक्ष के बोलने पर श्री हुकुम सिंह के खड़े होकर बोलने पर)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मेरे सवाल का उत्तर तो दिलवा दीजिये। नेता प्रतिपक्ष का सम्मान करते हुए मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवा दीजिये। मैंने बड़ा स्पष्ट सवाल किया था मान्यवर, आप कुछ संरक्षण ज्यादा दे रहे हैं। हम लोग सम्मान करते हैं मान्यवर, जब आप खड़े हुए हम तुरन्त बैठ गये मान्यवर। लेकिन फिर भी उत्तर तो आ जाय।

श्री अध्यक्ष-

यह तो अग्रवाल साहब ने भी अनुपूरक किया था कि क्या माननीय मंत्री जी राज्य सुरक्षा आयोग बनाने पर विचार करेंगे ? इसके सन्दर्भ में माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया कि हमारी जानकारी में नहीं है। इस पर लोगों ने स्वागत किया। स्पष्ट बोल दिया कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर उसका अनुपूरक कहां जब माननीय मंत्री जी ने इस तरह से कह दिया अग्रवाल साहब के प्रश्न के जवाब में। फिर हुकुम सिंह जी आप कह रहे हैं कि मंत्री जी बतायें ? एक बार माननीय मंत्री जी ने सदन में किसी प्रश्न का उत्तर दे दिया है तो फिर उन्हें मजबूर तो नहीं किया जा सकता।

श्री हुकुम सिंह-

आप तो मान्यवर, बहुत दिनों से यहां पर विराजमान हैं, प्रश्न होते हैं अगर उत्तर नहीं आता है, जानकारी नहीं है, तो उस आसन से हमेशा आदेश दिये जाते रहे हैं कि प्रश्न को स्थगित किया जाता है। इसमें किसी का सम्मान घटता बढ़ता नहीं है। जब इनके पास जानकारी नहीं है तो मैं आसन से आग्रह कर रहा हूं कि प्रश्न को स्थगित कर दें।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मामला है। आंकड़ों के मकड़जाल पर ही यह सरकार निर्भर रही है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि नियम-49 के तहत इस गम्भीर मुद्दे पर चर्चा कराई जाए जिससे पूरे प्रदेश में जितने सदस्य यहां बैठे हैं, चाहे इधर के हों चाहे उधर के मा0 सदस्य तो बोलेंगे नहीं क्योंकि उन्हें अपनी नौकरी का खतरा होगा, इधर के जितने माननीय सदस्य और नेता अपनी बात रखेंगे पूरी तस्वीर आ जायेगी और उस तस्वीर से हो सकता है इस सरकार को कानून-व्यवस्था सुधारने में मदद मिले अन्यथा कहीं मुलायम सिंह जी का उदाहरण देंगे। मान्यवर, इतनी बड़ी घटना हुई है। ...

श्री अध्यक्ष-

आप अनुपूरक करें।

श्री अवधेश प्रसाद-

महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप अनुपूरक करिए, क्या जानना चाहते हैं आपको अनुपूरक के लिए बुलाया गया है आपको प्रवचन के लिए तो खड़ा नहीं किया गया है।

श्री अवधेश प्रसाद-

नियम-49 में आप इस पर चर्चा करा दें हम लिखकर दे रहे हैं।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, इस सदन में बहुत महत्वपूर्ण बात आई है एक आंकड़े मंत्री जी ने दिये हैं कि अपराध कम हो रहे हैं इतने प्रतिशत और उसके अनुपूरक में एक तथ्य जो सरकार की बेवसाइट के ऊपर है वह आपको राधा मोहन दास ने बताया। मैं आपके माध्यम से जानकारी करना चाहता हूं कि जो तथ्य यहां पर आदरणीय मंत्री जी ने रखे हैं वह सही हैं या जो राधा मोहन दास अग्रवाल जी ने तथ्य यहां पर रखे हैं वह सही हैं। इनमें से सही कौन है भ्रम की स्थिति है ऐसे लॉ एण्ड आर्डर के ऊपर भ्रम की स्थिति बनी रहे यह सही नहीं है सदन के अन्दर मा0 सदस्यों को इसकी जानकारी न हो, या सरकार की बेवसाइट पर जो है इसमें सही क्या है यह गम्भीर बात है इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो बेवसाइट पर सूचना सरकार द्वारा दी गई है गृह मंत्रालय द्वारा क्या वह गलत है या जो आपने कहा वह सही है, मैं आपके माध्यम से यह माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैंने जो कहा है मैं उसको संख्या के आधार पर भी बता दे रहा हूं। मान्यवर, डकैती, लूट 2005 में 2,058 और 2009 में 1,775 हत्या 2005 में 5,790 और 2009 में 4,218 मान्यवर, 2005 में बलवा 3,913 ....

(शोर)

श्री अध्यक्ष-

शान्त रहें जो स्पष्ट न हो उसको पूछ लें।

श्री अम्बिका चौधरी-

2008 और 2009 का बताइए। यह कोई तुलना नहीं है।

श्री लालजी वर्मा-

आपके और हमारे समय का होगा ना, मैं तुलनात्मक बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

शान्त रहें सुन लें। चौधरी साहब बैठ जाएं सुन लें।

(शोर)

श्री लालजी वर्मा-

यह हमें बताने से तो रोक नहीं सकते हैं। अगर मैं बता रहा हूं तो मेरी बात सुनी जाए। उसके बाद पूछेंगे तो मैं उसका उत्तर फिर से दे दूंगा। मैंने तुलनात्मक कहा, मैंने आपकी सरकार और अपनी सरकार का अनुपात क्या है बताया और दोनों का तुलनात्मक विवरण दिया।

(शोर)

श्री अम्बिका चौधरी-

इनके पास जब किसी का उत्तर नहीं रहता है तो यह इसी तरह बताते हैं।

श्री लालजी वर्मा-

बलवा 2005 में 3,913 2009 में 3,625 ...

(शोर)

(सपा के कई सदस्य अपनी जगह खड़े होकर बोलने का प्रयास कर रहे थे-व्यवधान के मध्य)

फिरौती के लिए अपहरण 2005 में 641 और 2009 में 57।

श्री अम्बिका चौधरी-

नहीं, मान्यवर, नहीं, यह हमारा प्रश्न नहीं था।

श्री अध्यक्ष-

चौधरी जी, आप क्या चाहते हैं ?

श्री अम्बिका चौधरी-

अध्यक्ष जी, आप हमें संरक्षण दीजिए, आप हमारे प्रश्न का उत्तर दिलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप अनुपूरक कर लीजिए।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, पहले आप उत्तर दिलवा दीजिए जो पूछा है। अगर वर्ष 05, 03, 02 यदि यही चलना है तो उत्तर का कोई मतलब नहीं है। आप हमारे प्रश्न का उत्तर दिलवा दीजिए।

(डा0 आर0 ए0 उस्मानी, सतीश महाना तथा कुछ अन्य सदस्यों के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब महाना जी, आपका कुछ नहीं है, अब केवल चौधरी जी का जो अनुपूरक है, उसका उत्तर मा0 मंत्री जी देंगे, आप बैठिये, आपको बुलाया नहीं गया है। उस्मानी जी, आप भी बैठिए। बिना अनुमति के जो मा0 सदस्य बोल रहे हैं, उनकी बात नोट नहीं की जाए। बिना इजाजत के जो खड़े है, उनकी कोई बात नोट नहीं की जाए। उस्मानी जी, आप बैठिए। उस्मानी जी की कोई बात नोट न की जाए, बिना इजाजत के बोल रहे हैं। आप रिपीट मत कीजिए, चौधरी साहब अनुपूरक कर चुके हैं, आप बिना इजाजत के खड़े हैं। आप बैठिए। जब चौधरी साहब उसी प्रश्न के सन्दर्भ में अनुपूरक कर चुके हैं, उन्होंने रेशियो पूछा, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ी जाति का क्या आरक्षण के आधार पर नियुक्ति करने का विचार है, उसको चौधरी साहब पूछ चुके हैं। चौधरी साहब ने पूछा है, कुछ डेटा जो वर्षवार था, वर्ष 05 के बाद वर्ष 09 आया, उन्होंने कहा कि उत्तर स्पष्ट नहीं है, वर्ष 05 के बाद, 06 आए, 07 आए, 08 आए, उसी अनुपूरक का

हम उत्तर दिलवा रहे हैं, आप अनावश्यक समय बर्बाद कर रहे हैं। मा0 चौधरी साहब, आप अनुपूरक करिए।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, कानून-व्यवस्था से सम्बन्धित मूल प्रश्न था और उसी पर मैंने पूछा। मा0 मंत्री जी ने कहा कि जो निर्देश दिये जाते हैं, उसी नीति का अंश है, मैंने कहा कि नीति का अंश नहीं, नीति पूछी गई है, नीति क्या है, नीति हो तो बता दें। नीति मा0 मंत्री जी ने बताई नहीं। उसके बाद मेरा दूसरा प्रश्न था कि जैसे अनुसूचित जाति के लिए उनकी आबादी के अनुरूप थानाध्यक्षों को नियुक्त करने के आदेश दिये गये हैं, उसी तरह पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यकों की आबादी के अनुरूप क्या थानों पर थानाध्यक्ष नियुक्त करने के निर्देश जारी करेंगे ? मेरा स्पष्ट प्रश्न था कि वर्ष 2009 में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में जो बात कही गई कि प्रत्येक थाने पर इन्सपेक्टर नियुक्त किया जायेगा, थानाध्यक्ष के रूप में, एक वर्ष बीत जाने के बाद भी लागू नहीं हुआ, कब तक लागू कर देंगे और क्या नीति है, बता दें ?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न में भी हैं कि क्या कोई नीति है ? मा0 मंत्री जी ने बता दिया कि हमारा एक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के तहत या नीति के तहत यह निर्देश जारी करते हैं, नियंत्रण करते हैं। दूसरा आपने थानाध्यक्षों की नियुक्ति के बारे में पूछा कि 20 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोगों को थानाध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने का इस तरह का निर्देशन है तो क्या पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को उनकी आबादी के हिसाब से नियुक्त करने की कोई नीति या आदेश है ? इसके बारे में मा0 चौधरी साहब जानना चाहते हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसका उत्तर तो मैंने पहले दे दिया कि सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला है जिसके आधार पर 50 प्रतिशत से अधिक रिजर्वेशन नहीं हो सकता, उस परिधि में रहते हुए हमारी पहली सरकार है जिसने थानाध्यक्षों को रिजर्वेशन के बारे में एक निर्देश जारी किया और उसको अक्षरशः पालन कराया है, अनुसूचित जाति के लोगों को और पिछड़ी जाति के लोगों को भी।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, उत्तर नहीं आया। माननीय अध्यक्ष जी, इससे दुखद और कोई स्थिति नहीं हो सकती कि मेरे प्रश्न पर तो उत्तर नहीं दिया और जब मान्यवर, आपने यह प्रश्न पूछा तब भी उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं। अब यह सीधे-सीधे अगर इस तरह से होगा तो कैसे चलेगा ? मान्यवर, इस प्रदेश में रहने वाले सभी वर्गों के लोगों की हिफाजत होनी चाहिए। सर्वजन सुखाय और सर्वजन दुखाय, ये पता नहीं क्या करना चाहते हैं। सर्वजन हिताय और सर्वजन दुखाय जो कर रहे हैं तो उस सर्वजन में क्या मुसलमान नहीं आता है ? क्या पिछड़ी जातियां नहीं आती हैं, मैं यह पूछ रहा हूं और अगर आती है तो उनके बारे में आप समानता के हिसाब से उनके अधिकारों के बारे में आप निर्देश क्यों नहीं देते ? मैं यह पूछना चाहता हूं। मान्यवर, इसी प्रश्न का उत्तर दिलवा दीजिये। मान्यवर, अगर आप संरक्षण नहीं देंगे तो कौन देगा। मेरा सीधा प्रश्न है और

पुनः प्रश्न है कि अल्पसंख्यक और पिछड़ी जातियों के लोगों को यथा अनुसूचित जाति के लोगों के लिये निर्देश आपने दिया है, 20 प्रतिशत थानाध्यक्ष नियुक्त करने का। इन लोगों को कितने प्रतिशत थानाध्यक्ष नियुक्त किये जाने का निर्देश आपने दिया है। ये बता दें और उनके अनुपात में आप देंगे कि नहीं देंगे यह बाद में बता दें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, हमने स्पष्ट किया कि हमारी सरकार सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर चल रही है और मान्यवर, उसमें सभी वर्ग आते हैं। माननीय चौधरी साहब की तरह कोई सीमित क्षेत्र के लोग ही उसमें नहीं आते हैं, पूरे प्रदेश के सभी वर्ग के लोग आते हैं। मैंने पहले स्पष्ट किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया है कि 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं किया जा सकता है और उस नीति के अन्तर्गत मान्यवर, हमारी सरकार काम कर रही है।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों के द्वारा शोरगुल करने पर)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मेरी बात तो सुन नहीं रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

सुन तो लीजिये।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इनके लिये एक क्षेत्र विशेष के लोग ही पूरे प्रदेश के लोग हुआ करते थे। हमारे लिये पूरे प्रदेश के लोगों का सम्मान है और यही चिन्ता इनको खा रही है।

श्री अम्बिका चौधरी-

कितने परसेन्ट दिया आपने ? 20 प्रतिशत अनुसूचित जाति के अलावा क्या निर्देश दिया है आपने, बताइये ? मान्यवर, ये मिथ्या सूचना दे रहे हैं और बरगलाने का काम कर रहे हैं। इन्होंने 1 परसेन्ट भी अल्पसंख्यक और पिछड़ी जाति के लोगों के लिये निर्देश नहीं दिया है और अगर दिया हो तो बता दें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, सारी सूचनाओं को अगर ये एक प्रश्न के रूप में जानना चाहें तो यह संभव नहीं है। मान्यवर, आप प्रश्न देख लें। मान्यवर, हमारी सरकार ने पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समाज के थानाध्यक्षों के भी पदों पर नियुक्ति का आदेश जारी किया है, किसी भी दूसरी सरकार ने जारी नहीं किया था। पहली सरकार हमारी है बहन कुमारी मायावती जी कि जिसने अल्पसंख्यक और पिछड़ी जाति के लोगों को भी थानाध्यक्ष के पद पर रिजर्वेशन के आधार पर नियुक्ति का आदेश जारी किया है।

श्री अध्यक्ष-

वही आपको बताना है, आप बता दीजिये, वही जानना चाहते हैं, उसी को बता दें।

उसी को बता रहे हैं माननीय चौधरी साहब मंत्री जी वही बता रहे।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों द्वारा शोरगुल और नारेबाजी शुरू हो गई।)

श्री अध्यक्ष-

उसी को माननीय मंत्री जी बता रहे हैं कि कितने अल्पसंख्यक और कितने पिछड़े वर्ग का और कितना अनुसूचित जाति का है, उसी का ब्रेकअप बताया उन्होंने।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

हम लोग सदन का बहिर्गमन करते हैं।

(नेता विरोधी दल ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया।)

**प्रदेश पुलिस कर्मियों की अपराधिक घटनाओं में संलिप्तता तथा दण्डात्मक कार्यवाही की योजना**

*3-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री के संज्ञान में है कि विगत 2 वर्षों में पुलिस कर्मियों की आपराधिक घटनाओं में लिप्तता तथा अपराधियों से सांठ-गांठ रखने की दुर्घटनाओं में बढ़ोत्तरी हुई है ? यदि हां, तो क्या ऐसे पुलिस कर्मियों को चिन्हित करने, उनके विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही करने तथा पुलिस की छवि सुधारने हेतु सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी वर्मा-

वर्ष 2007 में पुलिस कर्मियों द्वारा लूट/डकैती तथा जमीन/मकान पर अवैध कब्जा करने/कराने के 6 प्रकरणों में संलिप्तता के सापेक्ष वर्ष 2008 में ऐसे 7 प्रकरणों में संलिप्तता पायी गयी। पुलिस कर्मियों द्वारा किये गये कुल अपराधों में वर्ष 2007 के कुल 176 के सापेक्ष वर्ष 2008 में 189 अपराध पंजीकृत हुये जो सामान्य वृद्धि है।

ऐसे पुलिस कर्मियों के अपराधिक प्रकरणों में संलिप्तता पाये जाने पर उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराकर विधिसम्मत कार्यवाही की जाती है एवं विभागीय नियमों के अन्तर्गत कठोरतम दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है। पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु समय-समय पर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा परिपत्र निर्गत कर जनपदीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, विषय बहुत दुःखद और गम्भीर भी है इसलिए कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को ठीक रखने के लिए और जनता की हिफाजत करने के लिए जिनके कन्धों पर जिम्मेदारी है वही लोग लूट भी कर रहे हैं, डकैती भी डाल रहे हैं, अपहरण भी कर रहे हैं, बलात्कार भी कर रहे हैं, जमीन, मकान पर अवैध कब्जा आदि आपराधिक कृत्य में लिप्त हैं। अध्यक्ष महोदय जैसे अपराध को कम दिखने की एक होड़ रहती है हर सरकार में मैं ऐसा मानता हूं। व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर ठीक उसी प्रकार जिनके कन्धों पर यह जिम्मेदारी है, वह जब इस तरह के आपराधिक कृत्यों में लिप्त पाये जाते हैं तो उनके विरुद्ध कार्यवाही शून्य के बराबर

होती है, इसलिए मैंने यह जानना चाहा है, जो सरकार ने स्वीकार किया है, मेरा आपके माध्यम से अनुपूरक प्रश्न यह है माननीय मंत्री जी से कि जैसा अभी माननीय मुख्य मंत्री बहन मायावती जी का संदर्भ देते हुए संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि उनका संकल्प है कि प्रदेश में अपराध शून्य हो और इस दिशा में वह कार्य कर रही है, सफलता मिली या नहीं मिली यह अलग प्रश्न है, लेकिन कार्य कर रही है तो मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जिनके कन्धों पर जनता के हिफाजत की, जान-माल की, आबरू की हिफाजत की जिम्मेदारी है उनको अपराध से बिल्कुल मुक्त करने और अपराध शून्य करने की दिशा में सरकार की क्या नीति है, क्या कोई कार्ययोजना है, मैंने यह जानना चाहा था, लेकिन मुझे अफसोस है कि इस तरह का कोई उत्तर नहीं आया जो एक पारम्परिक काम होते हैं उसी का सन्दर्भ और उल्लेख किया गया है तो मैं आपके माध्यम से पुनः अपने अनुपूरक को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो संकल्प है प्रदेश को अपराध शून्य करने का उसी दिशा में पुलिस कर्मियों को, अधिकारियों को अपराध शून्य करने की दिशा में क्या सरकार की कोई कार्य योजना है, कोई नीति है यदि है तो वह क्या है और उसका परिणाम क्या है ?

(बहिर्गमन कर गये समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्यगणों के सदन में पुनः वापस आ गये)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, हमारी सरकार का यह संकल्प है कि कोई भी व्यक्ति कितना बड़ा क्यों न हो और किसी भी महत्वपूर्ण पद पर क्यों न हो, अगर वह अपराध करता है तो उसके खिलाफ प्रभावी कार्यवाही की जाये और उस प्रभावी कार्यवाही का परिणाम होगा मान्यवर, जो पुलिसकर्मी को बचाने का काम हमने नहीं किया, जिन लोगों ने गलत कार्य किये थे, अपराध किया था, उनके खिलाफ कानूनी ढंग से कार्यवाही की गई। वर्ष 2007 में पुलिसकर्मियों के विरुद्ध 176 पंजीकृत अभियोगों में 295 पुलिसकर्मी अभियुक्त बनाये गये थे, 108 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही, 238 कर्मियों का निलम्बन और 65 कर्मियों को बर्खास्त किया गया। इसी तरह वर्ष 2008 में पुलिस कर्मियों के विरुद्ध 189 पंजीकृत अभियोगों में 321 पुलिस कर्मी अभियुक्त बनाये गये थे।

मान्यवर, 113 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही 261 कर्मियों का निलम्बन एवं 67 कर्मियों को बर्खास्त किया गया। इसी प्रकार से वर्ष 2009 में पुलिस कर्मियों के विरुद्ध 166 पंजीकृत अभियोगों में 91 पुलिस कर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही, 137 कर्मियों का निलम्बन एवं 13 कर्मियों को बर्खास्त किया गया। मान्यवर, यह हमारी सरकार का संकल्प है कि कोई भी व्यक्ति जो अपराध करता है उस अपराध करने वाले व्यक्ति को उसके पद के आधार पर संरक्षण देने का काम नहीं किया जायेगा। बल्कि उसके खिलाफ और कठोरतम कार्यवाही करके दण्डित करने का काम किया जायेगा। मान्यवर, आप देखें वर्ष 2009 में इसमें कमी आयी है। हमारा प्रयास है कि पूरी तरह से इसमें कमी आवे।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है। यह जो कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने का काम करते हैं उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है। माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा कि प्रभावी कार्यवाही उन लोगों के विरुद्ध करने का काम करेंगे जो भी अपराधों में लिप्त पाये गये हैं।

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि इन लोगों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के अलावा अन्य कोई कार्यवाही करने का काम भी आप करेंगे जैसे गुण्डा ऐक्ट, रासुका है या गैंगेस्टर कानून है ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आप देखें इसमें निलम्बन के साथ-साथ बर्खास्तगी करने का काम भी किया गया है। सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। इससे कठोर कार्यवाही और क्या हो सकती है।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, यह तो आम प्रक्रिया है। मैं कहना चाहता हूं कि भविष्य में और लोगों के लिए संदेश जायें तो उसमें प्रभावी कार्यवाही के साथ-साथ कोई बड़ी कार्यवाही भी करने का काम करेंगे। जैसे गैंगेस्टर ऐक्ट लागू करना, रासुका है इस पर आप विचार करेंगे। जो लूट या अपहरण करने का काम कर रहे हैं तो उससे संगत जो धारायें हैं उसमें आपने उन्हें अभियुक्त बना दिया है तो ऐसे लोगों को अन्य दण्ड भी देंगे ?

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी ने बताया है कि जिस प्रकृति का उसने अपराध किया है उस नेचर की धाराओं में उसके विरुद्ध कार्यवाही हुई है। इस दण्ड के साथ-साथ सेवा से बर्खास्तगी की कार्यवाही भी हुई है।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, विभागीय कार्यवाही भी होती है। अगर कोई कर्मी अपनी जिम्मेदारी न निभा कर गलत काम करता है तो उसमें अलग से कार्यवाही भी हो सकती है। यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष-

यह कहा गया कि जिस नेचर का उसने अपराध किया है उस अपराध का उसे मुल्जिम बनाया गया है।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, मेरा आशय यह है कि जो कर्मी ऐसी घटनाओं में संलिप्त पाये गये हैं उनके खिलाफ और धाराओं में भी कार्यवाही करने पर विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

वह कह रहे हैं कि जिन अपराधों में वह वांछित है उस नेचर की धाराओं में कार्यवाही करके उन्हें दण्डित करने का काम किया गया है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, बर्खास्तगी भी की गयी है।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, वह तो संवैधानिक रूप से एक विभागीय प्रक्रिया के तहत है कि पहले निलम्बन होगा फिर अभियुक्त सिद्ध होने पर बर्खास्तगी की कार्यवाही होगी।

श्री अध्यक्ष-

वह कह रहे हैं कि इसके अलावा भी उन पर जो अपराध बनते थे उनके अन्तर्गत भी उनको सजायें दी गयी है। अब यह स्पष्ट तो हो गया। आपके द्वारा जितना पूछा गया प्रश्न के

उपलक्ष्य में उतना बता दिया गया अब आप जानना चाहते हैं कि कोई चोरी से पकड़ा गया तो इसके अलावा और कोई सजा हुई कि नहीं तो इसको कौन बतायेगा, कहां से सूचना लायेगा ?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, अपनी सुनिश्चित जानकारी के आधार पर सवाल करना चाहता हूं कि आज कल समस्त प्रदेश में एक अभियान चल रहा है कि किसी सामान्य नागरिक के विरुद्ध 323 का मुकदमा कायम है, 325 का मुकदमा कायम है या 307 का कायम है या इससे और ज्यादा बड़े अपराधों में मुकदमें कायम हैं तो उनको गुण्डा एक्ट के तहत नोटिस दी जा रही है यह एक नहीं पूरे प्रदेश में अभियान चल रहा है। किसी भी थाने में कोई मुकदमा कायम है तो उसको आधार मानकर उसे गुण्डा ऐक्ट की नोटिस दी जा रही है। यह जो कानून के रखवाले हैं, अपराध को रोकने वाले हैं वह बड़े-बड़े अपराधों में, गम्भीर अपराधों में लिप्त है तो माननीय सदस्य का यही प्रश्न था कि सामान्य नागरिकों को आप नोटिस दे रहे हैं, गुण्डा ऐक्ट के मुकदमें उन पर चला रहे हैं और इतनी गम्भीर धाराओं में कानून के रखवाले खुद लिप्त हैं और उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं हो रही है। इसलिए सवाल इन्होंने किया। इसमें हम पूछना चाहते हैं कानून दोनों के लिए अलग-अलग तो है नहीं कानून सबके लिए एक है।

श्री अध्यक्ष-

आप क्या पूछना चाहते हैं, यह स्पष्ट करें ?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, सवाल मेरा यह है कि जब सामान्य नागरिकों पर एक अभियान चला करके, जिनके खिलाफ किसी भी अपराध में मुकदमें पंजीकृत हैं थानों में उन थानों के मुकदमों के आधार पर आप गुण्डा एक्ट की नोटिस दे रहे हैं तो क्या इन लोगों के खिलाफ भी गुण्डा एक्ट या एनएस0ए0 की कार्यवाही करेंगे ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, पुलिस महानिदेशक द्वारा पुलिस कर्मियों की विभिन्न अपराधिक घटनाओं में संलिप्तता पाये जाने पर उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने हेतु समय-समय पर परिपत्र निर्गत किये गये। आरोपित पुलिस कर्मियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की गम्भीरतापूर्वक जांच करने के लिए उच्च अधिकारियों को भी उत्तरदायी बनाया गया है। प्रत्येक स्तर पर भ्रष्ट तत्वों के विरुद्ध अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये गये हैं तो यह निर्देश जारी किये गये हैं। उसमें पुलिस के लोग भी इसमें संलिप्त हैं तो उनके खिलाफ इस तरह का निर्देश जारी किया गया है कि कड़ाई के साथ कार्यवाही करके ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाय।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, कठोर गम्भीर, प्रभावी 3 शब्द हैं, मान्यवर, मैं पूछ रहा हूं कि स्पेशिफिक या निश्चित या विशिष्ट जो एक्ट बने हुए हैं अपराध को रोकने के लिए समाज में संदेश देने के लिए कि अगर कोई यह अपराध करेगा तो वह गुण्डा माना जायेगा तो इनके खिलाफ यह कार्यवाही की गयी है या नहीं की गयी है ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जहां जरूरत होगी और यह महसूस होगा तो उसमें निसंदेह वह कार्यवाही भी की जायेगी।

श्री राजाराम त्यागी-

माननीय अध्यक्ष जी, पुलिस की लिप्तता का प्रश्न है इसलिए कानून व्यवस्था का मामला आ रहा है। मान्यवर, इससे बड़ी पुलिस लिप्तता का और क्या मामला हो सकता है कि हमारे बछरावां विधान सभा में महराजगंज कोतवाली के अन्तर्गत कोषागार में चोरी हो गयी वहां 6-6 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगी थी। पुलिस की 24 घण्टे ड्यूटी रहती है। मान्यवर, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष-

आप जिक्र कर रहे हैं किसी घटना का आप प्रश्न करिये।

श्री राजाराम त्यागी-

मान्यवर, पुलिसकर्मी जिनकी ड्यूटी थी उनके खिलाफ भी कार्यवाही नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष-

आप चाहते क्या हैं ?

श्री राजाराम त्यागी-

मान्यवर, हम पूछना चाहते हैं कि जो भी वहां कोषागार में चोरी हुई उसमें क्या कार्यवाही हुई है, कोई कार्यवाही नहीं हुई है तो इसमें कब तक कार्यवाही आप कर लेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

आपकी किसी थाने की बात बता रहे हैं यह प्रश्न से हटकर है।

श्री राजाराम त्यागी-

यह पुलिस की निष्क्रियता से सम्बन्धित है किसी थाने का नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न से हटकर है उसका कोई उत्तर नहीं मिलेगा। आप प्रश्न के लाइट में पूछिये तो मैं बताऊं आपको।

त्यागी जी, यह प्रश्न लगा है उसके सापेक्ष में प्रश्न बने, आप एक थाने की घटना का जिक्र कर रहे हैं। चोरी हुई उसमें पकड़े गये कि नहीं पकड़े गये। अब इसकी सूचना मा0 मंत्री जी कैसे देंगे, यह तो प्रश्न से बिल्कुल भिन्न हैं, आप प्रश्न करना चाहें तो अनुपूरक कीजिए।

श्री राजराम त्यागी-

मान्यवर, कब तक कार्यवाही हो जायेगी ?

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न से अलग है, प्रश्नों से हटकर कुछ नहीं पूछा जायेगा। मा0 कृष्णाराज जी आप अनुपूरक कीजिए।

श्रीमती कृष्णाराज-

मैं मा0 मंत्री जी से अपराध और पुलिस की जो सांठ-गांठ है उसके बारे में पूछना चाहूंगी कि मा0 मुख्य मंत्री जी ने सदन में कहा कि एक-एक एफ0आई0आर0 होनी चाहिए। मैं

मा0 मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि जब भी कोई अपराध होता है, एफ0आई0आर0 दर्ज होती है, अपराधियों को भी पहचाना जाता है लेकिन अपराधियों पर शिकंजा कसने के बजाय तमाम बेगुनाह लोगों पर पुलिस का शिकंजा कसता है और उनसे धन उगाही की जाती है और किसी न किसी प्रकार से दण्ड दिया जाता है। मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि ऐसे जिन निरपराधी लोगों को अनावश्यक दण्ड दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष-

अरे कृष्णाराज जी प्रश्न पढ़ा कीजिए, यह पूछना है तो अलग से पूछ लीजिएगा।

श्रीमती कृष्णाराज-

मान्यवर, जो निरपराधी लोग होते हैं उन्हें दण्ड दिया जाता है और अपराधियों को मुक्त किया जाता हैं मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि क्या कोई ऐसी योजना बनी है जिसमें केवल अपराधियों को ही दण्ड दिया जाये और निरपराधियों को दण्ड न मिले।

श्री अध्यक्ष-

आपका यह प्रश्न नहीं बनता है इसलिए यह पूछने के लिए आप अलग से प्रश्न लगा लें। आप अनुपूरक करतीं तो मैं स्वागत करता लेकिन आप एक अलग से सूचना मांग रही है जो प्रश्न के सापेक्ष नहीं है।

श्रीमती कृष्णाराज-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी यह जवाब दे दें कि क्या इस पर कोई अंकुश लगेगा ?

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जाइये।

(विपक्ष के कई मा0 सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 गुप्ता जी, आप बैठ जायें, आप लोग बैठ जायें मैंने मा0 चौधरी साहब को बुला लिया है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मा0 अध्यक्ष महोदय, हम सभी को जानकारी है कि भारतीय संविधान के अनुसार कानून के समक्ष सभी बराबर हैं। यहां पर बराबरी की बात का उत्तर तो नहीं मिल रहा है लेकिन मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जो इस प्रकार के गम्भीर आरोपों में लिप्त पाये जाते हैं अगर इसी प्रकार के गम्भीर अपराध किसी सामान्य नागरिक जो अपराधी की श्रेणी में आता है तो अपराधों की गम्भीरता के अनुसार उस पर एन0एस0ए0 भी लगता है, गुण्डा ऐक्ट में चालान किया जाता है और मान्यवर, वह इसलिए कि जो अपराधों में लिप्त लोग हैं उनको एक संवाद जाये कि अपराध करने पर गम्भीर सजा भी मिल सकती है और यह भुगतना पड़ सकता है। कई मा0 सदस्यों ने यह जानना चाहा कि जब कानून के समक्ष सभी बराबर हैं तो सामान्य अपराधी के साथ जो कार्यवाही की जाती है क्या एक भी उदाहरण मा0 मुख्य मंत्री जी बताने में सक्षम हैं कि उसी प्रकार के अपराध में किसी पुलिसकर्मी का गुण्डा-ऐक्ट में चालान हुआ हो, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत किसी का चालान हुआ हो या अन्य किसी अपराध में किसी का चालान हुआ हो।

हां या ना में मैं आपके माध्यम से जवाब जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की कार्यवाही की गई अथवा नहीं की गई।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैंने पहले ही पूरा उत्तर दिया है और उसमें इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि जहां भी जरूरत पड़ेगी गैंगेस्टर, गुण्डा एक्ट लगाने की भी कार्यवाही की जायेगी, जहां जरूरत महसूस होगी। उसके अपराधिक प्रवृत्ति के आधार पर महसूस की जायेगी तो निश्चित रूप से कार्यवाही होगी।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित एक अनुपूरक करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी अभी जब खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि जैसी आवश्यकता समझी जायेगी कार्यवाही की जायेगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वर्ष 2007 से लेकर 2008 तक का आपने आंकड़ा पेश किया है और इसमें आपने स्वयं स्वीकार किया है कि लूट, हत्या, डकैती आदि में पुलिसकर्मी पाये गये, फिर आपने कहा कि किन्हीं को निलम्बित किया गया, किन्हीं लोगों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गयी तो सवाल यह है कि क्या आपने अब तक किसी भी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध एन0एस0ए0 की कार्यवाही करने की, गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही करनें की आवश्यकता नहीं पायी क्या, इसका उत्तर दे दें ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसकी सूचना की जरूरत पड़ेगी।

**प्रदेश के समस्त सचिवालयों को विशेष दर्जा दिये जाने की मांग**

*4-चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के समस्त सचिवालयों को विशेष दर्जा देते हुए उनको राज्य कर्मचारियों से उच्चतर वेतनमान एवं अन्य सुविधायें देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)-

उ0 प्र0 सचिवालय प्रदेश सरकार की सर्वोच्च इकाई है, जिसकी विशिष्टता स्वयं सिद्ध है। अतः इस सम्बन्ध में अलग से कोई आदेश निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है।

शासन द्वारा 1-1-1986 से सचिवालय के कार्मिकों के वेतन केन्द्र के समान रखे जाने का सिद्धान्त स्वीकार किया गया था। वर्तमान में उ0 प्र0 सचिवालय के कार्मिकों को दिये जा रहे वेतन इसी सिद्धान्त पर आधारित है। उ0 प्र0 सचिवालय से समकक्षता के आधार पर अन्य सचिवालय जैसे विधान सभा सचिवालय, विधान परिषद् सचिवालय व राज्यपाल सचिवालय के कर्मचारियों को वेतनमान स्वीकृत किये जाते हैं। सचिवालय के विशिष्ट कार्य को दृष्टिगत रखते हुए उ0 प्र0 सचिवालय के सभी कार्मिकों को विशेष भत्ता दिया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

**मा0 विधायकों के फोन पर इण्टरनेट की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की मांग**

*5-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या संसदीय कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 विधान सभा के सभी सदस्यों को एक मोबाइल फोन, एक लखनऊ आवास पर फोन तथा एक निर्वाचन क्षेत्र में टेलीफोन अनुमन्य है जिसका कुल मासिक खर्च रु0 6000/- दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विधायकों के फोन पर इन्टरनेट की सुविधा न होने के कारण उनको कई नई-नई जानकारियां नहीं हो पा रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार कुल मासिक टेलीफोन व्यय रु0 6000/-के अन्तर्गत ही इसी रेन्ट में इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

जी हां।

कुल मासिक टेलीफोन व्यय रुपये 6,000/- प्रतिमास से अनधिक के अन्तर्गत मा0 विधायकों के फोन पर इण्टरनेट की सुविधा दिये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

मान्यवर, मैंने प्रश्न पूछा था कि क्या संसदीय कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के सभी सदस्यों को एक मोबाइल फोन, एक लखनऊ आवास पर फोन तथा एक निर्वाचन क्षेत्र में टेलीफोन अनुमन्य है जिसका कुल मासिक खर्च रु0 6000/- दिया जा रहा है ? उत्तर आया कि जी हां। दूसरा यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विधायकों के फोन पर इण्टरनेट की सुविधा न होने के कारण उनको कई नई-नई जानकारियां नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार कुल मासिक टेलीफोन व्यय रु0 6000/- के अन्तर्गत ही इसी रेण्ट में इण्टरनेट की सुविधा उपलब्ध करायेगी ? इसका उत्तर आया कि कुल मासिक टेलीफोन व्यय रुपये 6000/- प्रतिमास से अनधिक के अन्तर्गत मा0 विधायकों के फोन पर इण्टरनेट की सुविधा दिये जाने का औचित्य नहीं पाया गया। मा0 अध्यक्ष जी, मैंने यह कहा कि 6000/-रुपये से अनधिक नहीं, 6000/- के अन्दर ही। सरकार के ऊपर कोई वित्तीय व्यय भार पड़ने नहीं जा रहा है उसी के अन्तर्गत मा0 विधायकों को इण्टरनेट की सुविधा दी जाये। उसमें सरकार का जवाब आ रहा है कि औचित्य नहीं पाया गया। ग्राम्य विकास विभाग के हिसाब से अब तक उत्तर प्रदेश के सभी मा0 विधायकों को लैपटाप उपलब्ध करा दी गई है और इण्टरनेट की सुविधा आप नहीं देंगे। टेलीफोन दे रहे हैं, फैक्स मशीन भी दे रहे हैं और इण्टरनेट की सुविधा उसी के अन्तर्गत है खाली एक लाइन जोड़ देनी है कि इसी व्यय भार में इण्टरनेट भी दिया जा रहा है। अगर इण्टरनेट का ज्यादा यूज करेंगे तो विधायक उसका भुगतान स्वयं करेंगे। उसमें भी जवाब आ रहा है कि औचित्य नहीं पाया गया, किस बात का औचित्य नहीं पाया गया ?

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, सवालकर्ता ने यह पूछा है कि क्या इण्टरनेट की सुविधा देने का कार्य करेंगे, प्रश्नकर्ता का प्रश्न गलत है या नहीं परन्तु सरकार का जवाब जरूर गलत है, इसलिये गलत है क्योंकि हम लोग सरकार के दिये हुए लैपटाप पर इण्टरनेट का उपयोग कर रहे हैं।

आप कह रहे हैं कि औचित्य नहीं है लेकिन मैं आपका लैपटाप आपके मोबाइल को जोड़कर इण्टरनेट का प्रयोग करता हूं। यह इसलिये कह रहा हूं क्योंकि यहां आजकल जो जवाब आ रहे हैं वह हम लोगों के लिये महत्वपूर्ण है। सदन के अधिकारी बैठकर जवाब बना रहे हैं। मंत्री जी ने जो अपराध के बारे में आंकड़े सदन में दिये उसमें भी अन्तर है मंत्री जी ने बताया कि 122 लूट प्रतिमाह होती है जबकि सच्चाई यह है कि 122 लूट प्रतिमाह नहीं होती है। साल भर में 1628 लूट की घटनायें होती हैं यानी मंत्री जी से जी बढ़ाकर कहलाया गया। अधिकारी बैठकर गलत बयानी करके स्थिति खराब कर देना चाहते हैं। इसी प्रकार से लैपटाप पर हम लोग इण्टरनेट का प्रयोग पहले से कर रहे हैं फिर यह कैसे आ गया कि इण्टरनेट के प्रयोग का औचित्य नहीं पाया गया।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, अब 12.20 हो गया है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

**प्रदेश के महानगरों/नगरपालिकाओं/टाउन एरियाओं में स्वीकृत पेयजल योजनायें**

*6-श्री उदयभान करवरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के महानगरों/नगरपालिकाओं/टाउन एरियाओं में पेयजल की कमी के बारे में कोई ब्यौरा तैयार किया गया है ? यदि हां, तो क्या प्रदेश सरकार ने इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार से कोई सहायता प्राप्त की है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास, पर्यावरण, शहरी समग्र विकास एवं कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

जी हां।

प्रदेश के महानगरों/नगर पालिकाओं/नगर पंचायतों के मानक के सापेक्ष वर्तमान में उपलब्ध पेयजल की मात्रा के आधार पर पेयजल कमी वाले नगर निकायों का विवरण निम्नवत् है :-

| क्र0सं0 | स्थानीय निकाय | कुल | पेयजल कमी वाले निकायों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | नगर निगम | 13 | 8 |
| 2 | नगर पालिका परिषद् | 194 | 157 |
| 3 | नगर पंचायत | 423 | 52 |
| | योग : | 630 | 217 |

जी हां।

केन्द्र सरकार द्वारा जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्यूवल मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के 6 महानगरों में (20 लाख से अधिक आबादी) की 11 योजनाओं हेतु रु0 2197.9391 करोड़ एवं 36 अन्य नगरों की योजनाओं हेतु रु0 485.9983 करोड़ की पेयजल योजनायें स्वीकृत की गई हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

नोट :-तारांकित प्रश्न संख्या-5 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

**प्रदेश में आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु आतंकवादी निरोधी दस्ता (ए0टी0एस0) का गठन**

*7-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले आतंकवाद से प्रभावित हैं तथा कितने जिलों में आई0एस0आई0 की गतिविधियां चिन्हित की गयी हैं ? क्या जो जिले आतंकवाद से प्रभावित हैं या आई0एस0आई0 की गतिविधियों का केन्द्र बने हुए हैं उनमें सघन तलाशी लेकर इस प्रकार की गतिविधियों का पर्दाफाश करने की सरकार के पास कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार सुरक्षा की दृष्टि से कोई अन्य सार्थक कदम उठायेगी जिससे इस प्रकार की गतिविधियों को समय से पूर्व रोका जा सके ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

प्रदेश में कोई भी जनपद आतंकवाद से प्रभावित नहीं है। प्रदेश में 34 जनपद आई0एस0आई0 गतिविधियों की दृष्टि से संवेदनशील चिन्हित किये गये थे।

प्रदेश में आतंकवादी एवं आई0एस0आई0 गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। प्रदेश का कोई भी जनपद आई0एस0आई0 की गतिविधियों का केन्द्र नहीं बना है।

आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु प्रदेश में आतंकवादी निरोधी दस्ता (ए0टी0एस0) का गठन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण की सुविधा पुनः बहाल करने की मांग**

*8-श्री सुधीर कुमार-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए क्या सरकार अवकाश नकदीकरण की सुविधा पुनः बहाल करेगी ? यदि हां, तो तद्विषयक शासनादेश कब तक जारी कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

वर्तमान में राज्य कर्मचारियों को केवल सेवानिवृत्ति पर 300 दिनों तक देय अर्जित अवकाश नकदीकरण की सुविधा अनुमन्य है। इसके अतिरिक्त नकदीकरण संबंधी अन्य प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश शासन की वित्तीय स्थिति एवं विकास संबंधी अन्य प्रतिबद्धताओं को देखते हुए यह सम्भव नहीं है।

**प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु सड़कों पर अतिक्रमण हटाये जाने की योजना**

*9-श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए शहरों/कस्बों में सड़कों पर किये गये अतिक्रमणों को हटाने की समयबद्ध कार्य योजना सरकार ने बनाई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही समय-समय पर प्रत्येक नगर निकाय द्वारा की जाती है।

नगर निगम क्षेत्र के भीतर नगरीय फेरी तथा सड़क पटरियों पर कारबार को विनियमित करने की दृष्टि से अधिसूचना संख्या-2842/9-9-07, दिनांक 04-08-07 द्वारा नियमावली बनाई गई है। सड़कों से अतिक्रमण हटाने के उद्देश्य से संबंधित जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। राज्य मुख्यालय लखनऊ के लिये श्री डी0एस0 भटनागर, पूर्व महानिदेशक पुलिस, उ0प्र0 की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है तथा इन दोनों समितियों की कठिनाइयों के निवारण हेतु शासन स्तर पर भी प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय इन्फोर्समेंट सुपरवाइजरी कमेटी गठित की गई है। उक्त के अतिरिक्त शासन स्तर से समय-समय पर समस्त मण्डलायुक्तों/जिलाधिकारियों/समस्त नगर निकायों को अतिक्रमण हटाने हेतु दिशा-निर्देश प्रदान किये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**आतंकवाद के बढ़ते प्रभाव को रोकने हेतु श्वेत पत्र जारी करने की योजना**

*10-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जनवरी, 2009 से सितम्बर, 09 तक कितने आतंकवादी व पाकिस्तानी जासूस पकड़े गये ? क्या आतंकवाद के बढ़ते प्रभाव को रोकने हेतु सरकार श्वेत-पत्र जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

प्रदेश में 01 जनवरी, 2009 से 30 सितम्बर, 2009 तक 01 आतंकवादी पकड़ा गया तथा तीन पाकिस्तानी जासूस निरुद्ध किये गये।

प्रदेश में आतंकवादी गतिविधियों पर पूरा नियंत्रण है और ऐसी कोई परिस्थितियां विद्यमान नहीं हैं जिसके कारण श्वेत-पत्र निर्गत किये जाने की आवश्यकता हो।

**प्रदेश के नगरों में मलिन बस्तियों में रह रहे भूमिहीन गरीबों को आवास उपलब्ध कराये जाने की योजना**

*11-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में महानगरों, नगरपालिका क्षेत्रों तथा नगर पंचायतों में मलिन बस्तियों में रह रहे भूमिहीन गरीबों को आवास उपलब्ध कराने हेतु सरकार की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डा0 यशवन्त सिंह)-

जी नहीं, किन्तु पहले से ही प्रदेश के नगरों में मलिन बस्तियों सहित शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहे शहरी गरीबों को आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराने संबंधी प्रदेश सरकार की

योजना "मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना" पहले से ही चल रही है, जिसके विस्तृत निर्देश भी नगर विकास विभाग द्वारा जारी हो चुके हैं। इस योजना के दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत दो कमरे, किचन, लैट्रिन व बाथरूम सहित लगभग 30 वर्ग मी0 आच्छादित क्षेत्रफल की आवासीय इकाई, पात्र शहरी गरीबों (जिनमें मलिन बस्तियों के भूमिहीन गरीब भी शामिल हैं) को निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। उक्त के अतिरिक्त शहरी गरीबों (जिनमें मलिन बस्तियों के भूमिहीन गरीब भी शामिल हैं) को आवास उपलब्ध कराने हेतु एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आई0एच0एस0डी0पी0) एवं शहरी गरीबों के लिये बुनियादी सेवायें (बी0एस0यू0पी0) योजनायें भी चल रही हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद प्रतापगढ़ की सई नदी को प्रदूषण मुक्त कर शुद्ध जल उपलब्ध कराने की व्यवस्था**

*12-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ से गुजरने वाली सई नदी को प्रदूषण मुक्त कर शुद्ध जल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

जनपद प्रतापगढ़ में कोई प्रदूषणकारी उद्योग स्थापित नहीं है। नगरपालिका परिषद् रायबरेली तथा प्रतापगढ़ से क्रमशः लगभग 20 एम0एल0डी0 एवं 18 एम0एल0डी0 घरेलू जल मल बिना शुद्धिकरण किये सई नदी में निस्तारित किया जाता है। सई नदी के जल की गुणता का नियमित अनुश्रवण जनपद रायबरेली एवं प्रतापगढ़ में विभिन्न स्थलों पर किया जाता है, जिसके अनुसार नदी में घुलित आक्सीजन की मात्रा जलचरीय जीवन हेतु उपयुक्त पाई गई।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश के विधायकों एवं सांसदों को सुरक्षा हेतु सुरक्षा कर्मी उपलब्ध कराने की मांग**

*13-श्री हुकुम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के किन-किन विधायकों एवं सांसदों को वर्ष 2009 में एक से अधिक सुरक्षा कर्मी शासन द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराये गये हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त के अतिरिक्त किन-किन विधायकों एवं सांसदों ने वर्ष 2009 में अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की परन्तु उनको सुरक्षा उपलब्ध नहीं करायी गयी ? सुरक्षा उपलब्ध न कराये जाने के कारण क्या हैं ?

सुश्री मायावती-

कैलेण्डर वर्ष 2009 में निम्नलिखित 04 मा0 विधायकों को विभिन्न अवधि के लिये पदेन सुरक्षा के अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी निःशुल्क उपलब्ध कराये गये थे :-

1-श्री अजय राय

2-श्री रमेश चन्द्र बिन्द

3-श्री त्रिभुवन दत्त

4-श्री संजीव दरियावादी

इनमें से 03 मा0 विधायकों को पदेन सुरक्षा के अतिरिक्त उपलब्ध कराये गये निःशुल्क सुरक्षाकर्मी भाव में 10 प्रतिशत निजी व्यय पर उपलब्ध कराने के शासनादेश निर्गत किये गये। मा0 विधायक श्री अजय राय को प्रदत्त कराई गई निःशुल्क सुरक्षा मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में दी गई है, जो यथावत् है।

वर्ष 2009 में कुल 25 मा0 सासंदों/विधायकों द्वारा अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की गई, जिन्हें विशिष्ट जीवनभय न पाये जाने के कारण अतिरिक्त सुरक्षा प्रदत्त नहीं कराई गई। सूची संलग्न है।

उक्त महानुभावों को जीवनभय का औचित्य न पाये जाने के कारण सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई गई।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 192 पर)

**प्रदेश के शस्त्र लाइसेंस के आवेदन-पत्रों के निस्तारण की समय सीमा**

*14-श्री चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शस्त्र लाइसेन्स हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों के निस्तारण की कोई समय सीमा निर्धारित करने की रूपरेखा बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

यद्यपि आयुध अधिनियम 1959/आयुध नियम 1962 में शस्त्र आवेदन पत्रों की निस्तारण की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, फिर भी शस्त्र आवेदन-पत्रों के निस्तारण की कार्यवाही सरल, गतिविधि एवं पारदर्शी बनाने के लिये समय-समय पर शासन द्वारा शस्त्र आवेदन-पत्रों को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा यथासम्भव तीन माह में निस्तारित करने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद गाजियाबाद के बृजघाट-गढ़मुक्तेश्वर में पर्यटन विकास की कार्यान्वित योजनायें**

*15-श्री मदन चौहान-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद-गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर में गंगा नदी पर स्थित बृजघाट को हरिद्वार की भांति धार्मिक पर्यटक स्थल विकसित करने की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री विनोद सिंह)-

किसी स्थल को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने की पर्यटन विभाग की नीति नहीं है। बृजघाट-गढ़मुक्तेश्वर के पर्यटन विकास की योजनायें कार्यान्वित की जा रही है।

राज्य योजना के अन्तर्गत बृजघाट-गढ़मुक्तेश्वर के विकास हेतु रु0 10047 लाख की योजना कार्यान्वित की गई है, जिसमें घाट का सौन्दर्यीकरण एवं विस्तारीकरण तीन महिला वस्त्र परिवर्तन कक्ष का निर्माण घंटाघर का निर्माण, पार्किंग स्थल का विकास सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया गया है।

जिला योजना के अन्तर्गत वर्ष 2003-04 में रु0 39.46 लाख एवं वर्ष 2004-05 में रु0 1.32 लाख के पर्यटन विकास सम्बन्धी कार्य कराये गये हैं। इसमें गढ़ चौपला स्थित शहीद पार्क का सौन्दर्यीकरण, राही पर्यटक आवास गृह गढ़मुक्तेश्वर का उद्यानीकरण, नेशनल हाईवे-24 से गढ़ चोपला पर जाने वाली सड़क/तिराहा स्थित पार्क का सौन्दर्यीकरण, गढ़मुक्तेश्वर स्थित नक्का कुआं पर यात्री छादक का निर्माण, गढ़मुक्तेश्वर स्थित नक्का कुआं का सौन्दर्यीकरण तथा गढ़मुक्तेश्वर स्थित सुभाष पार्क का सौन्दर्यीकरण सम्मिलित है।

केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत बृजघाट-गढ़मुक्तेश्वर के पर्यटन विकास की रु0 457.00 लाख की लागत से वर्ष 2005-06 में स्वीकृत योजना कार्यान्वित की जा रही है जिसमें परिक्रमा पथ, घाट, जेटटी सुलभ शौचालय, महिला चेन्जरूम, यूरिनल्स का निर्माण एवं श्मशान घाट तथा लैण्डस्केपिंग के विकास कार्य कराये जा रहे हैं।

गढ़मुक्तेश्वर-बृजघाट में कार्यान्वित की गई एवं कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

*16-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव

[एक से अधिक विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

**यमुना नदी के प्रदूषण मुक्त किये जाने हेतु कार्य योजना**

*17-डा0 अजय तोमर-

क्या पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि यमुना नदी का जल प्रदूषित हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे प्रदूषण मुक्त किये जाने हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश के सरकारी और गैर सरकारी मेडिकल कालेजों में चिकित्सक छात्रों को सिर्फ सरकारी सेवा करने की नीति का निर्धारण**

*18-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में चिकित्सकों की भारी कमी को देखते हुए क्या सरकार द्वारा प्रदेश के सरकारी और गैर सरकारी

मेडिकल कालेजों में सिर्फ सरकारी सेवा हेतु चिकित्सक तैयार करने की दृष्टि से कोई नीति निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

जी नही।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के समस्त राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों/मेडिकल इस्टीट्यूट/मेडिकल विश्वविद्यालय से अण्डर ग्रेजुएट/पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त करने के उपरान्त चिकित्सक छात्रों को प्रदेश के सरकारी और गैर सरकारी मेडिकल कालेजों में सिर्फ सरकारी सेवा करने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता है।

## अतारांकित प्रश्न

1-डा0 अनिल चौधरी-

(प्रथम बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-22 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

**उदयगंज रोड, लखनऊ पर स्थित कूड़ा पड़ाव से सुअरों को स्थाई रूप से हटाये जाने की मांग**

2-श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि स्वाइन फ्लू नामक गम्भीर बीमारी के वायरस का वाहक मुख्य रूप से सुअर होता है ? यदि हां, तो इस भयानक बीमारी से बचाव के दृष्टिगत लखनऊ महानगर विशेषकर उदयगंज रोड पर स्थित कूड़ा पड़ाव से सुअरों को स्थायी रूप से हटा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

जी हां। लखनऊ महानगर के विभिन्न क्षेत्रों में दिनांक 12-08-09 से विशेष अभियान चलाकर 342 सुअर पकड़े गये तथा उन्हें शहर से बाहर ले जाने हेतु नीलाम कराया गया, साथ ही उदयगंज रोड पर कूड़ा पड़ाव से पिग कैचिंग के विशेष अभियान के अन्तर्गत सुअर पकड़वा कर कांजी हाउस में बन्द कराते हुए सुअर पालकों के विरुद्ध नगर निगम अधिनियम-1959 की धारा-550 के अन्तर्गत चालान की कार्यवाही की गई। उपरोक्त के अतिरिक्त सुअरों को पकड़वाने की कार्यवाही आगे भी निरन्तर जारी रहेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

**इन्दिरानगर भूतनाथ मंदिर से ए0बी0सी0 ब्लाक तक सुअरों को पकड़वाने की मांग**

3-श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ शहर के इन्दिरा नगर "ए" ब्लाक 1103 से 1103/16 के सामने बने पार्क में सुअर पालकों द्वारा प्रतिबन्ध के बावजूद सुअरों को खुला छोड़ देने के कारण सुअरों ने अपने बाड़े बना रखे हैं, जिससे संक्रामक रोग फैलने का खतरा बना रहता है ? क्या सरकार उपरोक्त पार्क को सुअरों से मुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

जी हां।

इन्दिरानगर भूतनाथ मन्दिर से ए0बी0सी0 ब्लाक तक अभियान चलाकर कुल 17 सुअरों को पकड़कर उनकी नीलामी शहर से बाहर ले जाने वाले ठेकेदारों को की गई। सुअरों को पकड़वाने की कार्यवाही आगे भी निरन्तर जारी है।

प्रश्न नहीं उठता।

**ओमनगर, आलमबाग, लखनऊ के श्री भाल चन्द्र तिवारी के मकान नं0 557/14 ब के ठीक सामने जल निकासी की व्यवस्था की जानकारी**

4-श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल-

द्वितीय सत्र, 2008 के पहले सोमवार के अता0प्र0सं0-5 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त जल निकासी हेतु आगणन की धनराशि की व्यवस्था कर ली गई है ? यदि हां, तो प्रश्नगत कार्य कब तक सम्पन्न करा लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद लखनऊ के बालागंज स्थित मेहता विहार एवं बंशी बिहार कालोनी में सिवई बनाने की फैक्ट्रियों से उत्पन्न होने वाले धुएं एवं गन्दगी हटाने के संबंध में पत्र पर कृत कार्यवाही**

5-श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल-

क्या पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि जनपद-लखनऊ स्थित बंशी बिहार एवं मेहता बिहार कालोनी, कैम्पवेल रोड, बालागंज की दोनों रिहाइशी कालोनियों में सिंवई की पांच, छः फैक्ट्रियां कार्यरत हैं ? क्या यह भी सही है कि उक्त फैक्ट्रियों से उत्पन्न होने वाले धुएं एवं गन्दगी से कालोनी निवासी निरन्तर बीमार हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि सिंवई की फैक्ट्रियों को तत्काल बन्द कराने सम्बन्धी प्रभावित क्षेत्र के निवासियों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र, दिनांक 21 जुलाई, 2008 प्रमुख सचिव, पर्यावरण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जनपद लखनऊ के बालागंज स्थित मेहता बिहार एवं बंशी बिहार में 04 सेवई बनाने की लघु श्रेणी की इकाइयां चिन्हित हैं।

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में स्वीकृत पेयजल योजनायें**

6-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के स्वीकृत ग्राम समूह पेयजल योजना एवं एकल पेयजल योजना, जिनके पम्प हाउस पाइप लाइन को बिछा दिया गया है उसमें कौन-कौन सी योजना किन-किन ग्रामों को पेयजल उपलब्ध करा रही हैं तथा प्रत्येक पम्प हाउस को दिनांक 1-4-07 से अब तक प्रत्येक माह में कुल कितने घण्टे चलाया गया है तथा भरी गयी लाग बुक का विवरण क्या है ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-क-4/036930 दिनांक 3-1-08 प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा पट्टी में कुल 08 ग्राम समूह पेयजल योजनायें स्वीकृत हैं, इन योजनाओं में पम्प हाउस बनाकर पाइप लाइन बिछा दी गई हैं।

इस विधान सभा क्षेत्र में 36 एकल ग्राम पेयजल योजनायें स्वीकृत हैं, जिसमें से 15 योजनाओं में पम्प हाउस बनाकर पाइप लाइन बिछा दी गई है।

प्रत्येक योजना द्वारा जिन जिन ग्रामों में पेयजल आपूर्ति की जा रही है तथा पम्प हाउस के पम्प को दिनांक 01-04-07 से 31-12-09 तक चलाये जाने की अवधि के लागबुक का विवरण मा0 सदन के पटल पर रख दिया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

7-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[अस्पष्टता एवं विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

**जनपद आगरा के कान्सटेबिल स्व0 अवधेश कुमार की आश्रित पत्नी को पेंशन एवं ग्रेच्युटी के भुगतान की मांग**

8-श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 सदस्य विधान सभा, उ0 प्र0 डा0 आर0 ए0 उस्मानी से सम्बद्ध पुलिस कर्मी के मृत्यु के पश्चात् उनके आश्रित को असाधारण पेंशन दिये जाने विषयक-पत्र दिनांक 17-12-08 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

जनपद आगरा के स्व0 कान्स0 अवधेश कुमार की आश्रित पत्नी श्रीमती कुसुमा देवी के पक्ष में दिनांक 19-6-2003 से देय रु0 6123/- (रु0 छः हजार एक सौ तेइस मात्र) प्रतिमाह असाधारण पेंशन एवं ग्रेच्युटी रु0 48,984/- (रु0 अड़तालिस हजार नौ सौ चौरासी मात्र) एक

मुश्त धनराशि के आदेश संख्या 3200 पी/छः-पु-6-09-1000(115)/2004 दिनांक 23-12-2009 द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

**लखनऊ विकास प्राधिकरण की अलीगंज कालोनी ई-6, एन-2 के आवास संख्या-1 के 29 के सामने पार्क में मंदिर के पीछे अवैध निर्माण को हटाये जाने की मांग**

9-श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की अलीगंज कालोनी ई-6, एन-2 के आवास सं0-1 से 29 के सामने बने पार्क में मन्दिर के पीछे किये जा रहे अवैध कब्जे को हटाने विषयक स्थानीय निवासियों का हस्ताक्षरयुक्त प्रार्थना-पत्र दिनांक 6 अप्रैल, 2009 जिलाधिकारी, लखनऊ को एवं पत्र दिनांक 2 अप्रैल 2009 व दिनांक 25-5-09 नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या अवैध निर्माण हटाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां। नगर आयुक्त नगर निगम, लखनऊ को सम्बोधित स्थानीय निवासियों का हस्ताक्षरयुक्त पत्र दि0 04-04-2009 प्राप्त हुआ है। प्रश्नगत मंदिर के पीछे किये गये अवैध निर्माण को ध्वस्त कर हटवा दिया गया है।

**सचिवालय में कार्यरत टेलीफोन आपरेटर्स को सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर संविलीनीकरण/समायोजन की मांग**

10-श्री सुधीर कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 सचिवालय प्रशासन में टेलीफोन एक्सचेंज इं0पी0ए0बी0एक्स0 सिस्टम (मानव रहित टेलीफोन एक्सचेंज) बना दिये जाने के कारण उसमें कार्यरत टेलीफोन आपरेटर्स कार्य विहीन हो गये हैं ? क्या यह भी सही है कि पूर्व में कार्यरत टेलेक्स/टेलीप्रिन्टर आपरेटर्स को सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर संविलीन/समायोजन कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार कार्यरत टेलीफोन आपरेटर्स को भी सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों पर संविलीन/समायोजित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मियों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण हेतु गठित वेतन समिति (2008) के आठवें प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों के आलोक में सचिवालय प्रशासन विभाग के शासनादेश संख्या-2865/बीस-1-ई-09-यू0ओ0-43/09, दिनांक 27 नवम्बर, 2009 द्वारा टंकक, टेलीफोन आपरेटर, फेसिट कैलकुलेटर/फेसिटकैल कुलेटर-कम-टंकक

तथा ब्राइडा मशीन सहायक के पदों को संविलीन करते हुए पदनाम कम्प्यूटर सहायक रख दिया गया है जिसकी सेवानियमावली बनाई जा रही है।

**इलाहाबाद शहर के पुराना बैरहना में बर्फ खाने वाली गली में सीवर लाइन की क्षमता**

11-श्री चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद शहर के पुराना बैरहना के न्यू लश्कर लाइन में बर्फ खाने वाली गली में डाली गयी सीवर लाइन की क्षमता कम होने के कारण जल निकासी समुचित रूप से नहीं हो पाती है ? यदि हां, तो क्या उक्त स्थान पर क्षमता के अनुसार सीवर लाइन डाली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

**ग्रामीण क्षेत्रों में लगाये लाने वाले इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प का उद्देश्य**

12-श्री सुखलाल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगाये जाने वाले इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प के उद्देश्य क्या हैं ? क्या ग्राम इन्देमऊ विकास खण्ड बीघापुर, जनपद उन्नाव में श्री नरेन्द्र सिंह के आवासीय परिसर में लगा इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प शत-प्रतिशत ऐसे उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त हैण्डपम्प को शत-प्रतिशत उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कहीं अन्यत्र लगवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

ग्रामीण क्षेत्रों में लगाये जाने वाले इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प का उद्देश्य जनता को स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है।

ग्राम-इन्देमऊ, विकास खण्ड-बीघापुर में श्री नरेन्द्र सिंह के आवासीय परिसर में जल निगम द्वारा कोई इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**नगर निगम लखनऊ अन्तर्गत वार्ड सं0-86 दौलतगंज के मोहल्ला सज्जादगंज में सीवर डालने के बाद सड़क की मरम्मत का कार्य**

13-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम, लखनऊ अन्तर्गत वार्ड सं0-86 (दौलतगंज) के मोहल्ला सज्जादगंज के म0नं0-455/19 के सामने से पक्की सड़क खोदकर ठेकेदार द्वारा सीवर डालने का कार्य किया गया है ? यदि हां, तो क्या सीवर डालने के बाद उक्त सड़क की मरम्मत ठेकेदार द्वारा न कराये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त सड़क का मरम्मत कार्य कराये जाने का निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां, जल निगम द्वारा जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत सीवर लाइन डाली गई है।

मरम्मत कार्य हेतु निविदा स्वीकृति की प्रक्रिया में है।

मरम्मत के संबंध में कार्यवाही उक्तानुसार प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद गोण्डा के थानों में पंजीकृत अभियोग**

14-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के थानों में वर्ष 2007-08, 2008-09 तथा मई, 2009 तक कुल कितने अभियोग पंजीकृत किये गये ? यह अभियोग पिछले वर्ष से अधिक हैं अथवा कम ? क्या सरकार बढ़ रहे अपराध को रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जनपद गोण्डा के थानों में वर्ष 2007 में 1215, वर्ष 2008 में 1457 एवं वर्ष 2009 में 1270 अभियोग पंजीकृत किये गये।

यह अभियोग विगत वर्ष से कम है।

अपराधों पर नियंत्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

**मा0 श्री कांशीराम शहरी आवास योजना के अन्तर्गत आवास बनाये जाने का लक्ष्य**

15-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष में कांशीराम शहरी आवास योजना के तहत किन-किन जनपदों में कुल कितने आवास बनाये जाने का लक्ष्य रखा गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि लक्ष्य के सापेक्ष कुल कितना धन व्यय हो चुका है तथा कितना शेष है ?

श्री नकुल दुबे-

मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना वर्ष 2008-09 में प्रारम्भ की गई है। योजनान्तर्गत प्रथम चरण में प्रदेश के 71 जनपदों में कुल 101000 आवासों को बनाये जाने का लक्ष्य रखा गया गया है। द्वितीय चरण (2009-10) में लाभार्थियों की मांग एवं उपर्युक्त भूमि की उपलब्धता के आधार पर आवास निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। अब तक 56220 आवासों की मांग-पत्र प्राप्त हो चुका है।

वर्ष 2008-2009 में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष अब तक लगभग रु0 1658.37 करोड़ की धनराशि व्यय की जा रही है तथा रु0 109.13 करोड़ की धनराशि अवशेष है। द्वितीय चरण में अभी तक कोई धनराशि व्यय नहीं हुई है।

**तहबाजारी वसूली सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही**

16-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21-5-2009 जो नगरपालिका परिषद् क्षेत्र एवं नगर पंचायत क्षेत्र में राष्ट्रीय मार्गों से प्रवेश करने वाले वाहनों से रोक होने के बावजूद तहबाजारी वसूली सम्बन्धी है, आयुक्त चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

अपर आयुक्त (प्रशासन) चित्रकूट धाम मण्डल, बांदा के पत्र दिनांक 22-5-2009 द्वारा मण्डल के जिलाधिकारियों को इस संबंध में अपने अधीन नागर निकायों के अधिशासी अधिकारियों को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/शहीद नज्जू खां व बुलन्द खां के मकबरे का जीर्णोद्धार/सौन्दर्यीकरण**

17-श्री सुल्तान बेग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बरेली की तहसील मीरगंज के कस्बा/नगर पंचायत फतेहगंज पश्चिमी में स्वतंत्रता सेनानी/शहीद नज्जू खां व बुलन्द खां के मकबरे का वर्ष 2004 में जीर्णोद्धार/सौंदर्यीकरण किये जाने में 80 लाख रुपये खर्च हुआ है ? क्या सरकार इस मकबरे के निर्माणाधीन शेष कार्य (चाहर दीवारी के दो दरवाजे, सड़क, नाली तथा विद्युत व्यवस्था) को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां। शासनादेश सं0-1315/नौ-9-2005-91ज/04 टी0सी0-6, दिनांक 30-3-05 के द्वारा रुपये 80.00 लाख की धनराशि रिवाल्विंग फण्ड से स्वीकृत की गई थी, जिसके सापेक्ष मकबरे का सौन्दर्यीकरण एवं विकास पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था, प्रवेश द्वार, बाउण्ड्री वाल, पुलिया का निर्माण एवं ब्लाक की तरफ से मकबरे तक सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है।

विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**मुकदमा अपराध संख्या-998/08, थाना मीरगंज, जनपद बरेली के संबंध में पत्र पर कृत कार्यवाही**

18-श्री सुल्तान बेग-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-सी0एम0/वि0को0/एम-194113/2009, दिनांक 22-1-09 जो मुकदमा अपराध संख्या-998/08 थाना मीरगंज जनपद-बरेली को धारा 302/201/427/आई0पी0सी0 में तामीम करने विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

प्रकरण की जांच पुलिस उपमहानिरीक्षक, जनपद बरेली के माध्यम से कराई गई। पुलिस उपमहानिरीक्षक बरेली से प्राप्त आख्यानुसार मु0अ0सं0-998/08 थाना मीरगंज, बरेली की विवेचना से मृतक की मृत्यु दुर्घटना से होना पाया गया, परन्तु अज्ञात वाहन एवं चालक के बारे में पता नहीं चल पाने के कारण तलाश जारी रखते हुए अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गई है। प्रकरण में मुख्यालय पुलिस महानिदेशक द्वारा मा0 विधायक को कृत कार्यवाही से अवगत कराया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में भिटौरा-बहेड़ी मार्ग के निर्माण कार्य में गुणवत्ता की जांच**

19-श्री सुल्तान बेग-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बरेली की तहसील मीरगंज में भिटौरा-बहेड़ी मार्ग पर भिटौरा से शेरगढ़ तक प्रधान मंत्री ग्राम्य सड़क योजना के अन्तर्गत सड़क का निर्माण कार्य क्या मानक के अनुरूप नहीं हो रहा है ? क्या यह सही है कि सड़क बनने के तुरन्त बाद ही टूट गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में भिटौरा-बहेड़ी मार्ग का निर्माण/उच्चीकरण प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के संबंध में निर्धारित मानकों के अनुरूप ही कराया गया है। उक्त मार्ग योजनान्तर्गत फेज-6 में उच्चीकरण हेतु स्वीकृत है। जिसकी कुल लम्बाई 21.25 कि0मी0 है। मार्ग पर प्रिमिक्स लेपन स्तर का कार्य अक्टूबर, 2009 में पूर्ण कराया जा चुका है तथा भारतीय रोड कांग्रेस के मानकों का पूर्ण अनुपालन किया गया है।

जी नहीं। वस्तुतः मार्ग निर्माण के दौरान वर्षा ऋतु में लेपित सतह पर प्राकृतिक कारणों से कुछ पैच हो गये थे, जिन्हें तत्काल ही ठेकेदार द्वारा ठीक करा दिया गया है। मार्ग में गुणवत्ता संबंधी अन्य कोई कमी नहीं पाई गई है। मार्ग की गुणवत्ता की जांच स्टेट क्वालिटी मानीटर द्वारा सितम्बर 2008, नवम्बर 2008 तथा अगस्त 2009 में की जा चुकी है, जिसमें मार्गों की गुणवत्ता संतोषजनक बताई गई है।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर कृत कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

**कैसरबाग, लखनऊ क्षेत्र के निवासियों की सीवर लाइन को कैण्ट रोड की मेन रोड से जोड़े जाने की मांग**

20-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर में स्थित कार्यालय महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र-8 कैण्ट रोड कैसरबाग, लखनऊ क्षेत्र के निवासियों की सीवर लाइन को कैण्ट रोड की मेन लाइन से जोड़ा जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

इस क्षेत्र की सीवर योजना अभी विचाराधीन है। भारत सरकार द्वारा इस कार्य की डी0पी0आर0 स्वीकृति के उपरान्त एवं धनराशि आवंटित होने पर कार्य प्रारम्भ कराया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

**हिण्डन नदी व कृष्णा नदी के जल प्रदूषण को समाप्त करने हेतु कार्य योजना**

21-श्री इमरान मसूद-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार हिण्डन नदी व कृष्णा नदी के जल प्रदूषण को समाप्त करने हेतु कार्य योजना बनाकर कोई ठोस प्रयास करेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

यमुना कार्य योजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत हिन्डन नदी के जल प्रदूषण को समाप्त करने हेतु सहारनपुर मुजफ्फरनगर एवं गाजियाबाद में योजनायें विरचित की गई हैं, जिनकी अनुमानित लागत क्रमशः रु0 54934.68 लाख रु0 39512.44 लाख एवं रु0 175185.00 लाख है। उक्त योजनाओं की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो जाने तथा योजनाओं के क्रियान्वयन होने के उपरान्त हिण्डन नदी में घरेलू जलमल से प्रदूषण की समस्या का समाधान सम्भावित है।

प्रदेश के हिण्डन नदी में सीधे उत्प्रवाह निस्तारित करने वाली कुल 28 इकाइयां काली नदी (पश्चिम) के माध्यम से कुल 37 तथा कृष्णा नदी के कैचमेंट क्षेत्र में कुल 10 औद्योगिक इकाइयां अति प्रदूषणकारी उद्योगों की श्रेणी में चिन्हित है। इन समस्त इकाइयों में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है, जिसके संतोषजनक संचालन हेतु नियमित अनुश्रवण किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

**नगरीय क्षेत्रों में सुअर पालन पर प्रतिबन्ध**

22-श्री इमरान मसूद-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 नगरीय स्थानीय निकाय (अपदूषण कारक पशुओं के विनियमन और नियंत्रण) नियमावली, 2004 के द्वारा नगरीय क्षेत्रों में सुअर पालन प्रतिबन्धित किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि सहारनपुर नगर में सुअरों के खुलेआम घूमने के उपरान्त उन्हें पकड़ा नहीं जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार नगर सहारनपुर से सुअरों के आश्रय स्थल समाप्त करने तथा सुअर पालकों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां। नगर निकाय/नगर निगम द्वारा प्रतिबन्धित क्षेत्र में अपदूषण कारक पशुओं का पालन प्रतिबन्धित किया गया है।

नगर क्षेत्र सहारनपुर में सुअर पालन का कार्य बाल्मीकि समाज के लोग अपने मकानों के पास बाड़े बनाकर करते हैं। बाल्मीकि समाज के व्यक्तियों को सुअर आश्रय स्थल (बाड़ों) को शहर

से बाहर रखने की हिदायतें दी गई परन्तु इनके समाज द्वारा नगर क्षेत्र से बाहर वाड़ों के लिये स्थल उपलब्ध कराने की मांग की जाती है। समस्त धार्मिक त्योहारों के अवसर पर समय-समय पर निगम कर्मियों व पुलिस सहायता से सुअरों के खुले घूमने पर पूर्ण नियंत्रण रखा जाता है।

**नगरों में पटरी दुकानदारों के जीविकोपार्जन हेतु कार्य योजना**

23-श्री इमरान मसूद-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नगरों में पटरी दुकानदारों के कल्याण के लिये क्या कोई कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो वह कार्य योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

जनहित को दृष्टिगत रखते हुए स्ट्रीट फेरी वालों/पटरी दुकानदारों के जीविकोपार्जन के लिये उचित माहौल बनाने एवं बार-बार विनियमित करने के लिये अधिसूचना दिनांक 4 अगस्त, 2007 द्वारा उ0प्र0 नगरीय फेरी तथा सड़क पटरियों पर कारवार (विनियमन तथा प्रबन्धन) नियमावली, 2007 जारी की गई है। इसे नगर निगमों में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है तथा नगरपालिका परिषद् एवं नगर पंचायतों में उपविधि बनाकर इसे लागू करने हेतु निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

**सहारनपुर में ऐतिहासिक पांव धोई नदी के घाटों पर अवैध रूप से अतिक्रमण**

24-श्री इमरान मसूद-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि सहारनपुर नगर के मध्य से निकलने वाली ऐतिहासिक पांव धोई नदी ने वर्तमान में नाले का स्वरूप ग्रहण कर लिया है तथा इसके घाटों पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार नदी को प्रदूषण मुक्त कर उसके वास्तविक स्वरूप में लौटाने हेतु किसी कार्य योजना पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

सहारनपुर नगर के मध्य से निकलने वाली ऐतिहासिक पांव धोई नदी पर कहीं भी कोई अतिक्रमण नहीं है। नदी अपने वास्तविक स्वरूप में बह रही है। नदी के अधिकांश भाग पर सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा साइडों में पत्थर आदि लगाकर बाउण्ड्रीवाल के साथ ऊंचे-ऊंचे लोहे के जाल लगा रखे गये हैं ताकि नदी में कूड़ा आदि न डाला जा सके और नदी प्रदूषण मुक्त रह सके। समय-समय पर आवश्यकतानुसार नदी की सफाई कराई जाती रहती है।

प्रश्न नहीं उठता।

**कानपुर नगर में तेजाब मिल कालोनी कैम्पस, जी0टी0 रोड में पेयजल आपूर्ति**

25-श्री संजीव दरियाबादी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर में तेजाब मिल कालोनी कैम्पस जी0टी0 रोड में पानी की समस्या के निराकरण हेतु डीप बोरिंग ओवर हैड टैंक बनाये जाने

का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त ओवर हैड टैंक का निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

इस क्षेत्र को गंगा बैराज से फजलगंज के जलाशय से जलापूर्ति की जानी प्रस्तावित है। योजना में ओवरहेड टैंक के स्थान पर सी0डब्लू0आर0 फजलगंज क्षेत्र में प्रस्तावित है। जिससे तेजाब मिल कैम्पस जी0टी0 रोड वार्ड को पेयजल आपूर्ति किया जाता है। इसके निर्माण हेतु निविदायें स्वीकृत हो चुकी हैं। कार्य शीघ्र प्रारम्भ होना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जे0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत ओवर हेड टैंक का निर्माण कार्य**

26-श्री संजीव दरियाबादी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-कानपुर में वित्तीय वर्ष 2008-09 में जे0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत कितनी संख्या में डीप बोरिंग ओवर हैड टैंक का निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव है तथा उन्हें किन-किन स्थानों पर निर्मित किया जाना है ? उनका निर्माण कार्य कितनी समय सीमा में करा दिया जायेगा ? योजना की कुल लागत क्या है ?

श्री नकुल दुबे-

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 में प्रथम चरण में डीप बोरिंग का कार्य प्रस्तावित नहीं है। 14 नग ओवर हेड टैंक का निर्माण कार्य प्रस्तावित है।

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के कार्यक्रम के अन्तर्गत द्वितीय चरण में 14 नग डीप बोरिंग एवं 30 नगर ओवर हेड टैंक प्रस्तावित है। प्रथम चरण की योजना में प्रस्तावित ओवर हेड टैंकों की संख्या एवं स्थलों का विवरण निम्नलिखित है :-

| | |
|---|---|
| 1-डी0पी0एस0 कालेज आजाद नगर | 01 |
| 2-एन0 ब्लाक किदवईनगर | 02 |
| 3-गोविन्द नगर जोनल पम्पिंग स्टेशन | 01 |
| 4-सेन्ट्रल पार्क गीतानगर | 01 |
| 5-शास्त्री पार्क जूही | 01 |
| 6-नेहरू पार्क अजीतगंज | 01 |
| 7-ऊंचा पार्क शास्त्रीनगर | 01 |
| 8-पानी की टंकी दर्शनपुरवा | 01 |
| 9-गीता पार्क ब्रहमनगर | 01 |
| 10-गणेश उद्यान फूलबाग | 01 |
| 11-जवाहर पार्क पाण्डुनगर | 01 |
| 12-अछूतानन्द पार्क चमनगंज | 01 |
| 13-तकिया पार्क प्रेमनगर | 01 |

द्वितीय चरण योजना में प्रस्तावित ओवर हेड टैंकों के स्थलों की सूची निम्नलिखित है :-

| | |
|---|---|
| 1-चकेरी | 01 |
| 2-सानिगवा | 02 |
| 3-कृष्णा नगर | 01 |
| 4-सफीपुर | 02 |
| 5-नौबस्ता ईस्ट | 01 |
| 6-हंसपुरम् | 01 |
| 7-पशुपति नगर | 01 |
| 8-देहली सुजानपुर केडीए कालोनी | 02 |
| 9-यशोदा नगर ईस्ट | 01 |
| 10-जाजमऊ नार्थ | 01 |
| 11-श्यामनगर सुजातगंज | 01 |
| 12-यशोदानगर वेस्ट | 01 |
| 13-बन्दारी | 01 |
| 14-सरायमीता | 01 |
| 15-उसमानपुर | 01 |
| 16-बिनगवा | 01 |
| 17-दबौली | 01 |
| 18-किदवई नगर साउथ | 01 |
| 19-रतनलाल नगर | 01 |
| 20-बसंत बिहार | 01 |
| 21-छेदी सिंह का पुरवा | 01 |
| 22-गुजेनी कालोनी | 01 |
| 23-बर्रा वेस्ट | 01 |
| 24-बर्रा ईस्ट | 02 |
| 25-नौबस्ता वेस्ट | 01 |
| 26-करहई | 01 |

प्रथम चरण के कार्यों को पूर्ण करने की तिथि दिसम्बर, 2010 तथा द्वितीय चरण के कार्यों को पूर्ण करने की तिथि 2012 है।

प्रथम चरण के कार्यों की लागत रु0 270.95 करोड़ तथा द्वितीय चरण के कार्यों की लागत रु0 377.79 करोड़ है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

**कानपुर के कोतवाली चौराहा मेस्टन रोड से लेकर पटेल प्रतिमा मूलगंज तक अवैध पार्किंग को हटाने की मांग**

27-श्री संजीव दरियाबादी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर के कोतवाली चौराहा मेस्टन रोड से लेकर पटेल प्रतिमा मूलगंज तक बीच सड़क में बिना कानपुर नगर निगम की स्वीकृति के छोटे बड़े वाहनों की पार्किंग होने से यातायात दिन भर अवरुद्ध रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार जिला प्रशासन, कानपुर को अवैध पार्किंग को हटाने का आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद कानपुर नगर में हैण्डपम्पों के लिये आवंटित धनराशि**

28-श्री संजीव दरियाबादी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर में वित्तीय वर्ष 2008-09 में लगवाये जाने वाले हैण्ड पम्पों एवं रि-बोर कराये जाने वाले हैण्डपम्पों के लिए कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गयी ? क्या सरकार बतायेगी कि आवंटित धनराशि में से कितनी धनराशि अब तक इन कार्यों हेतु अवमुक्त की जा चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

वित्तीय वर्ष 2008-09 में जनपद कानपुर नगर के अन्तर्गत आने वाले नगरीय क्षेत्रों में पेयजल योजना के कार्यों हेतु जिला योजना (नगरीय क्षेत्र) के अन्तर्गत रु0 931.54 लाख अनुमोदित है। अद्यतन रु0 532.32 लाख की धनराशि कार्यदायी संस्था जल निगम को अवमुक्त है जिसमें से 566 नये हैण्डपम्प तथा 843 रिबोर योग्य हैण्डपम्प हेतु अवमुक्त धनराशि रु0 448.23 लाख है। शेष धनराशि रु0 84.09 लाख 02 नलकूपों की रिबोरिंग हेतु अवमुक्त है।

प्रश्न नहीं उठता।

**कानपुर जल संस्थान में सहायक अभियंता व अवर अभियंता के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग**

29-श्री संजीव दरियाबादी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जल संस्थान में सहायक अभियन्ता व अवर अभियन्ता के कितने पद रिक्त हैं ? उक्त रिक्त पदों पर कब तक नियुक्ति कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जल संस्थान कानपुर में सहायक अभियन्ता के 10 पद एवं अवर अभियन्ता के 16 पद रिक्त हैं।

सहायक अभियंता व अवर अभियंता का पद लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत होने के कारण इन पदों पर नियमित चयन लोक सेवा आयोग द्वारा कराया जाता है। लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुति प्राप्त होने पर नियुक्ति की जाती है। रिक्त पदों पर नियमित चयन हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को दिनांक 15-12-08 को प्रेषित किया गया है। चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुति लोक सेवा आयोग से अद्यतन अप्राप्त है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के कतिपय ग्रामों को मिलाकर नगर पंचायत का दर्जा देने की मांग**

30-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के ग्राम कन्धईपुर मदुरारीगंज, बासूपुर, मावापुर, उसका को मिलाकर नगर पंचायत का दर्जा देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन अनुभाग की अधिसूचना संख्या-जी0आई0-165/तीन-09-15 (1)/2009, दिनांक 22-12-2009 द्वारा नगरपालिकाओं, राजस्व ग्रामों, तहसीलों, पुलिस थानों, विकास खण्डों, परगनों और जिलों आदि की प्रशासनिक सीमाओं में दिनांक 01 जनवरी, 2010 से 31 मार्च, 2011 तक की अवधि के दौरान कोई परिवर्तन किये जाने पर रोक लगायी गई है।

**विधायकों को एक गनर के अतिरिक्त श्रेणी की अतिरिक्त सुरक्षा की नीति**

31-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के मा0 सदस्यों को अनुमन्य एक गनर के अतिरिक्त, किन-किन मा0 विधायकों को अतिरिक्त श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है और उसका आधार क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इनमें से कितने-कितने सदस्य बी0एस0पी0, बी0जे0पी0, स0पा0, कांग्रेस, आर0एल0डी0 व अन्य पार्टी के हैं ? क्या सभी मा0 विधायकों को समान सुरक्षा प्रदान किये जाने की नीति सरकार बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

विधान सभा के मा0 सदस्यों को अनुमन्य एक गनर के अतिरिक्त कुल 123 मा0 विधायकों को अतिरिक्त/श्रेणीबद्ध सुरक्षा प्रदत्त है।

मा0 विधायकगण को अतिरिक्त सुरक्षा/श्रेणी की सुरक्षा व्याप्त जीवनमय बोध/मा0 न्यायालय के आदेशों के आधार पर प्रदत्त है।

बी0एस0पी0 के 111, बी0जे0पी0 के 01, स0पा0 के 04, कांग्रेस के 03, आर0एल0डी0 के 03 व अन्य पार्टी के 01 मा0 विधायकों को अतिरिक्त/श्रेणीबद्ध सुरक्षा प्रदत्त है।

मा0 विधायकगण को राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान किये जाने के बारे में नीति पूर्व से ही निर्धारित है। नीति में सभी मा0 विधायकगण को पदेन शासकीय व्यय पर सुरक्षाकर्मी उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है। मा0 विधायकगण द्वारा पदेन सुरक्षा के अतिरिक्त सुरक्षा की मांग करने पर उनके जीवन भय के बारे में जनपदीय सुरक्षा समिति से आख्या मंगाई जाती है। राज्य स्तर पर गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्राप्त आख्या पर सम्यक् परीक्षणोपरान्त अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान कराये जाने के बारे में निर्णय लिया जाता है। जिन मा0 विधायकगण को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान कराये जाने का औचित्य पाया जाता है उन्हें 10 प्रतिशत निजी व्यय पर पदेन सुरक्षा के अतिरिक्त सुरक्षा प्रदत्त कराई जाती है।

**जनपद प्रतापगढ़ के कतिपय ब्लाकों में पेयजल हेतु इण्डिया-मार्क-2 हैण्ड पम्प स्वीकृत किये जाने हेतु पत्र पर कृत कार्यवाही**

32-श्री राजेन्द्र प्रताप सिह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के ब्लाक आसपुर देवसरा, मंगरौरा, बाबा बेलखरनाथ धाम, पट्टी में पेयजल हेतु 100-100 इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्प स्वीकृत करने हेतु प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास को मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र संख्या सी0एम0/ वि0को0/एम/191556/05, दिनांक 14-11-07 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

मुख्यमंत्री कार्यालय के पत्र संख्या - सी0एम0/ वि0को0 /एम / 191556/ 05 दिनांक 14-11-2007 प्राप्त नही हुआ है किन्तु इस विषय पर मुख्यमंत्री कार्यालय का पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम/191556/08 दिनांक 14-11-2008 प्राप्त हुआ है।

उक्त प्रकरण में शासन के पत्र संख्या- सी0एम0-518/38-5-08 दिनांक 22 दिसम्बर, 2008 द्वारा पेयजल नीति 2008-09 के परिप्रेक्ष्य मे विचार करने हेतु जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को निर्देशित किया गया था।

पेयजल नीति 2008-09 के अन्तर्गत प्रश्नगत विकास खण्ड में हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराये गये।

प्रश्न नही उठता।

**विधान सभा क्षेत्र पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ में स्थित तालाबों व कुओं के पुनर्निर्माण की योजना**

33-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में स्थित तालाबों व कुओं के पुनर्निर्माण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत तालाब व कुओं का पुनर्निर्माण/जीर्णोद्धार कराये जाने का प्राविधान है।

विधान सभा क्षेत्र पट्टी में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत 248 तालाबों एवं 57 कूपो का पुनर्निर्माण/जीर्णोद्धार कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद- प्रतापगढ के नगर पंचायत क्षेत्र पट्टी में सीवर लाइन डालने की योजना**

34-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के नगर पंचायत क्षेत्र पट्टी में सीवर लाइन डालने की कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक शुरू किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर पंचायत क्षेत्र पट्टी में वर्तमान पेयजल आपूर्ति की दर सीवरेज योजना के मानक के अनुरूप नहीं है। उक्त के अतिरिक्त प्राथमिकता के आधार पर सम्प्रति जिला मुख्यालयों को सीवरेज योजना से आच्छादित किया जा रहा है।

**प्रदेश के पटरी और ठेला दुकानदारों के कल्याण हेतु योजना**

35-श्री अनूप सण्डा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 के पटरी और ठेला दुकानदारों के कल्याण हेतु सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार पटरी एवं ठेला दुकानदारों का निःशुल्क बीमा भी कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जनहित के दृष्टिगत स्ट्रीट फेरी वालों/पटरी दुकानदारों के जीविकोपार्जन के लिए उचित माहौल बनाने तथा कारबार को विनियमित करने के लिए अधिसूचना दिनांक 4 अगस्त, 2007 द्वारा उत्तर प्रदेश नगरीय फेरी तथा सड़क पटरियो पर कारबार (विनियमन तथा प्रबन्धन) नियमावली, 2007 जारी की गयी है। इसे तत्काल प्रभाव से सभी नगर निगमों में लागू किया गया है तथा नगर पालिका परिषद् एवं नगर पंचायतों में उप विधि बनाकर इसे लागू करने हेतु निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त संदर्भित अधिसूचना दिनांक 4 अगस्त, 2007 द्वारा पंजीकृत फेरीकर्ताओं के लिए सामूहिक बीमा योजना लागू करने की व्यवस्था है। निःशुल्क बीमा कराने की वर्तमान में कोई व्यवस्था विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश के रिक्शा चालकों को मुफ्त बीमा करवाने की योजना**

36-श्री अनूप सण्डा-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के रिक्शा चालकों का मुफ्त बीमा करवाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक इस योजना को लागू किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 यशवन्त सिंह-

बहरहाल केवल रिक्शा चालकों का मुफ्त बीमा करवाने की कोई योजना प्रचलित नहीं है, किन्तु असंगठित क्षेत्र के श्रमिको हेतु प्रचलित राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना अन्तर्गत रिक्शा चालक भी आच्छादित हैं।

**जनपद गोण्डा के थाना खोड़ारे के ग्राम गाजीपुर के पुलिस विभाग का कार्य किये जाने की मांग**

37-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा की तह0 मनकापुर के ग्राम गाजीपुर के पुलिस विभाग का कार्य थाना-सादुल्ला नगर, जनपद-बलरामपुर से हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम गाजीपुर को जनपद-गोण्डा के थाना खोड़ारे से पुलिस का कार्य किये जाने का आदेश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र संख्या 9/66/09 सी0 डी0 (सी0ई0 एन0) दिनांक 22 सितम्बर, 2009 के निर्देशानुक्रम में जारी सामान्य प्रशासन अनुभाग की अधिसूचना संख्या जी0आई0 165/ तीन-09-15 (1) /09 दिनांक 22 दिसम्बर,2009 जिसके द्वारा वर्तमान में प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों की सीमा में सभी प्रकार के परिवर्तन पर रोक लगायी गयी है। अतः इस बारे में उक्त रोक के कारण कार्यवाही स्थगित है।

**प्रदेश के भ्रष्टाचार निवारण संगठन में निर्धारित कोटा**

38-श्री सुखलाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में भ्रष्टाचार निवारण संगठन में अनुसूचित जाति/जन जाति/पिछड़ी जाति का निर्धारित कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 पुलिस विभाग के अधीन एक इकाई है, जिसके लिए स्वीकृत पदों पर अलग से कोई कोटा निर्धारित नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

39-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

[प्रथम बुधवार के अतारांकित प्रश्न सं0-163 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**जनपद बलरामपुर में गैड़ास बुजुर्ग से सादुल्लानगर तक सड़क का निमार्ण कार्य**

40-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बलरामपुर में गैड़ास बुजुर्ग से सादुल्लानगर तक का मार्ग प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि उक्त कार्य बाधित होने से जनता को आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार सड़क का निर्माण मानक के अनुसार पूर्ण करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

जनपद बलरामपुर में मधुपुर गैड़ास बुजुर्ग से सादुल्लानगर का मार्ग जिसकी कुल लम्बाई 26 कि0मी0 है, में से 21 कि0मी0 के उच्चीकरण का कार्य फेज -5 (वर्ष 2005-06) में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत था तथा शेष 5 कि0मी0 के उच्चीकरण का कार्य फेज-8 (वर्ष 2009-10) के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया है।

उक्त मार्ग के स्वीकृत भाग (21कि0मी0) के उच्चीकरण का कार्य जुलाई 2009 में पूर्ण हो चुका है तथा आवागमन सुचारू रूप से संचालित है।

प्रश्नगत मार्ग के स्वीकृत भाग (21कि0मी0) के उच्चीकरण पूर्ण हो चुका है जिसका निरीक्षण भी नेशनल. क्वालिटी मानीटर्स तथा स्टेट क्वालिटी मानीटर्स द्वारा समय समय पर किया जा चुका है। स्टेट क्वालिटी मानीटर द्वारा प्रश्नगत मार्ग का दिनांक 20 एवं 21 अगस्त 2009 को किये गये निरीक्षण में कार्य को पूर्ण व संतोषजनक बताया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद बलरामपुर में गैड़ास बुजुर्ग से सादुल्लानगर तक सड़क का निमार्ण कार्य के गुणवत्ता की जांच**

41-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बलरामपुर में गैड़ास बुजुर्ग से सादुल्लानगर तक 15 किमी0 एवं उज्जैनी कला बढ़या परौतीलाल से रेहरा बाजार तक 6 किमी0 मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त मार्ग मानक के विपरीत बनाकर धन का दुरुपयोग किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार टी0ए0सी0 से जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

जी नहीं।

कार्य के गुणवत्ता की जांच स्टेट क्वालिटी मानीटर एवं नेशनल क्वालिटी मानीटर द्वारा नियमित रूप से की गई है एवं कार्य मानक के अनुरूप है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

**जनपद लखीमपुर खीरी के विभिन्न थानों/पुलिस चौकियों में सब-इन्सपेक्टर्स की तैनाती**

42-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी में विगत 3 वर्षों से भी अधिक समय से कितने सब-इन्सपेक्टर्स विभिन्न थानों/पुलिस चौकियों में तैनात हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि ऐसे सब-इन्सपेक्टर्स को स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत जनपद से बाहर कब तक स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जनपद लखीमपुर खीरी में 05 उप निरीक्षक 03 वर्ष से अधिक समय से विभिन्न थानों/पुलिस चौकियों में तैनात हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अनुसार निरीक्षकों/उप निरीक्षकों को किसी एक जिले में 06 वर्ष तथा किसी एक थाने पर 03 वर्ष से अधिक न रहने दिये जाने का प्राविधान है। पुलिस रेगुलेशन की उक्त व्यवस्था के अनुसार पुलिस कर्मियों के स्थानान्तरण की व्यवस्था है। नियमों से आच्छादित न होने के कारण स्थानान्तरण किये जाने पर विचार किया जाना संभव नहीं है।

**जे0एन0यू0आर0एम0 योजना का नाम परिवर्तन के सम्बन्ध में जानकारी**

43-श्री संजीव दरियाबादी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार की जे0 एन0 यू0 आर0 एम0 योजना का नाम परिवर्तित करके मान्यवर कांशीराम शहरी समग्र विकास योजना कर दिया गया है ? क्या जे0एन0यू0आर0एम0 योजना के तहत आवंटित धनराशि मान्यवर कांशीराम शहरी समग्र विकास योजना के अन्तर्गत खर्च की जा रही है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

**माननीय विधायकों की संस्तुति पर इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प लगवाने पर विचार**

44-श्री इमरान मसूद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार गत वर्षों की भांति माननीय विधायकों की संस्तुति पर उनके क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या के निराकरण हेतु इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प लगवाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

वर्ष 2009-10 की ग्रामीण पेयजल नीति के अन्तर्गत 75 मीटर की अनिवार्य दूरी पर हैण्डपम्प का अधिष्ठापन किया जा रहा है। हैण्डपम्प के अधिष्ठापन हेतु स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार जिलाधिकारी तथा मुख्य विकास अधिकारी द्वारा स्थल का चयन कर सूची को अन्तिम रूप दिया जाता है।

**जनपद सहारनपुर में तीर्थस्थल शाकम्भरी देवी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग**

45-श्री इमरान मसूद-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद-सहारनपुर में शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल शाकम्भरी देवी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद सिंह-

शाकम्भरी देवी स्थल के आस-पास वन विभाग की भूमि व उक्त स्थल का मंदिर समिति के नियंत्रण में होने के कारण यहां पर पर्यटन विकास सम्बन्धी कार्य कराया जाना संभव नहीं है।

उक्त स्थल पर बरसात में पानी आने के कारण भी किसी प्रकार का विकास कार्य कराया जाना संभव नहीं है।

**कानपुर नगर में क्षेत्र विकास निधि से अधिष्ठापित सबमर्सिबल पम्प**

46-श्री संजीव दरियाबादी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर में क्षेत्र विकास निधि (विधायक निधि) से वर्ष 2002 से लेकर जनवरी, 2008 तक कितने सबमर्सिबल पम्प लगाये गये ? उनमें से कितने चालू हालत में हैं तथा कितने बन्द हैं ? बन्द सबमर्सिबल पम्पों को कब तक चालू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद-कानपुर नगर में विधायक निधि योजनान्तर्गत वर्ष 2002 से जनवरी, 2008 तक विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कुल 336 नग सबमर्सिबल पम्पों का अधिष्ठापन कराया गया है।

अधिष्ठापित कुल 336 नग सबमर्सिबल पम्पों में से 246 सबमर्सिबल पम्प चालू हालत में हैं तथा 90 सबमर्सिबल पम्प खराब हैं।

विधायक निधि योजनान्तर्गत सबमर्सिबल पम्पों के रख-रखाव का कोई प्राविधान नहीं है। जिन क्षेत्रों में सबमर्सिबल पम्पों का अधिष्ठापन कराया गया है, वहां मा0 जनप्रतिनिधियों द्वारा वाटर यूजर्स कमेटियों का गठन किया गया है और उन्हीं के द्वारा सबमर्सिबल पम्पों का रख-रखाव किया जाता है तथा ठीक कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

**नगर निगम, कानपुर में मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र**

47-श्री संजीव दरियाबादी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम, कानपुर में वर्ष 2006 तक मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति हेतु कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि कितने मृतक आश्रितों को नौकरी दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

नगर निगम कानपुर के अधीन कार्यरत कर्मचारियों की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप 2006 से 2008 तक कुल 188 मृतक आश्रितों के आवेदन-पत्र प्राप्त हुए।

नगर निगम द्वारा 176 मृतक आश्रितों को नौकरी दे दी गयी है। शेष 12 मृतक आश्रितों की नियुक्ति प्रकरण प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण गतिमान है।

**कानपुर के हरिहर नाथ शास्त्री पार्क, जूही से रेलवे साइड होते हुये पापुलर धर्मकांटा जूही की जर्जर सड़क के निर्माण की मांग**

48-श्री संजीव दरियाबादी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर के हरिहर नाथ शास्त्री पार्क, जूही से रेलवे साइड होते हुए पापुलर धर्मकांटा जूही की जर्जर सड़क के निर्माण का आगणन नगर निगम, कानपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-08 में बनाया गया है ? यदि हां, तो आगणन की प्रस्तावित धनराशि क्या है तथा उक्त सड़क निर्माण का कार्य कब से प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

नगर निगम द्वारा उक्त सड़क के निर्माण हेतु रु0 1,03,70,827/-का आगणन बनाया गया परन्तु धनाभाव के कारण कार्य नहीं हो पा रहा है। धन उपलब्ध होने पर कार्य कराया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

**गृहकर निर्धारण की नीति**

49-श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा गृहकर निर्धारण की एक नई नीति आई0 एस0 सर्वे आधारित प्रणाली लागू की गयी है जिसके लागू होने से मध्यम वर्ग की जनता पर कर का बोझ और अधिक बढ़ गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार गृहकर निर्धारण की इस प्रणाली को समाप्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

नागर निकायों में समस्त सम्पत्तियों को सम्पत्ति कर के दायरे में लाने के उद्देश्य से जी0आई0एस0 पर आधारित व्यवस्था लागू की गयी है इस व्यवस्था के आधार पर सम्पत्तियों का चिन्हित कर निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर कर का निर्धारण किया जाता है जिससे किसी वर्ग विशेष पर कर का और अधिक बोझ पड़ने का प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद वाराणसी के कैन्ट विधान सभा क्षेत्र में नई सीवर लाइन बिछाने की योजना**

50-श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-वाराणसी के कैण्ट विधान सभा क्षेत्र में बढ़ती हुई जनसंख्या एवं बहुमंजिली बिल्डिंगों को देखते हुए पुराने एवं जर्जर सीवर लाइन

को बदलवाने अथवा उसकी क्षमता बढ़ाये जाने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

जनपद वाराणसी के कैन्ट विधान सभा क्षेत्र की नई सीवर लाइन बिछाने की योजना भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय के गंगा एक्शन प्लान के अन्तर्गत तैयार की जा रही है। विस्तृत प्राक्कलन माह मार्च, 2010 के अन्त तक राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा। योजना की स्वीकृति एवं धनावंटन प्राप्त होने पर कार्य कराया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

**विधान सभा कैन्ट, लखनऊ में खराब ट्यूबवेलों को ठीक कराने की मांग**

51-श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र कैंट, लखनऊ में अनेक ट्यूबवेल वर्षों से खराब पड़े हैं जिसके कारण पीने के पानी की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन खराब ट्यूबवेलों को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

विधान सभा क्षेत्र कैन्ट, लखनऊ के नगर निगम के अधीन क्षेत्रों में आलमबाग का क्षेत्र आता है जिसमें गोपालनगर में एक नलकूप खराब है किन्तु पेयजल की कोई समस्या नहीं है।

जी हां। गोपालनगर का नलकूप पुनर्विकास योग्य होने के कारण बन्द था, नलकूप का बोर खाली था, उसको पी-ग्रेवेल से भरकर एवं पम्पिंग प्लान्ट निकाल कर उ0 प्र0 जल निगम द्वारा प्रारम्भ कर दिया गया है। कार्य पूर्ण होने पर उक्त नलकूप से जलापूर्ति होने लगेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

**विधान सभा क्षेत्र कैन्ट, लखनऊ की मलिन बस्तियों में जल निकासी की व्यवस्था**

52-श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र कैंट, लखनऊ की मलिन बस्ती हसनापुर जय प्रकाश नगर (नई बस्ती), अम्बेडकर नगर बड़ा बरहा, पकरी, आजादनगर की गलियों की जल निकासी की व्यवस्था सुचारु रूप से न होने के कारण यहां के निवासियों को अनेक कठिनाइयों का समाना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन बस्तियों के समुचित विकास हेतु निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 यशवन्त सिंह-

जी हां। प्रश्नगत मलिन बस्तियों की गलियों में जल निकासी की व्यवस्था का कार्य लखनऊ नगर निगम के अनिवार्य दायित्वों की श्रेणी में नगर निगम अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत आते हैं।

नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-114 के अन्तर्गत प्रश्नगत कार्य नगर निगम के अनिवार्य दायित्वों में पहले से ही है।

53-श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

[द्वितीय सोमवार के अतारांकित प्रश्न सं0-171 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**पलायन को रोकने की नीति की जानकारी**

54-श्री सुखलाल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी के कारण ग्रामीण आबादी से पलायन जारी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनके पलायन को रोकने के लिये कोई नीति बना रही है ? यदि हां, तो वह नीति क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम परक रोजगार उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, उ0 प्र0 संचालित की गयी है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत अकुशल श्रम के इच्छुक जॉब कार्ड धारक वयस्क व्यक्तियों को उनकी मांग के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना में बी0पी0एल0 परिवारों को विभिन्न रोजगारपरक विधाओं में प्रशिक्षण देकर एकल लाभार्थी तथा समूह में बैंक से ऋण दिलाकर रोजगार मुहैया कराया जाता है। इसी प्रकार अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना में भी रोजगारपरक योजनाओं को वित्तपोषित कर रोजगार का अवसर प्रदान किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

55-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

**आपरेशन निर्मल गंगा योजना में व्यय की गई धनराशि**

56-श्री इमरान मसूद-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आपरेशन निर्मल गंगा में दिनांक 30-6-09 तक कुल कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि किन-किन जनपदों को उक्त योजना में शामिल किया गया है एवं उन्हें व्यय हेतु आवंटित की गयी धनराशि का विवरण क्या है ? क्या उक्त जनपदों में गंगा नदी में प्रदूषण समाप्त हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

पूर्व में "आपरेशन निर्मल गंगा" नामक एक योजना की परिकल्पना की गयी थी जिसे मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। फलस्वरूप इस योजनान्तर्गत कोई धनराशि स्वीकृत न होने के कारण व्यय का प्रश्न नहीं उठता हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश में स्थित राजकीय यूनानी कालेजों में पढ़ाये जाने वाला विषय मुनाफियूल आज़ा (फिजियोलाजी) एवं तशरीह एनाटोमी के चयनित प्रवक्ताओं की प्रोन्नति की जानकारी**

57-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थित राजकीय यूनानी कालेजों में पढ़ाये जाने वाला विषय मुनाफियूल आज़ा (फिजियोलाजी) एवं तशरीह (एनाटोमी) एक ही विषय के रूप में हैं अथवा दो अलग-अलग विषय हैं ? क्या एक विषय में अर्ह व्यक्ति को सीधी भर्ती द्वारा उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा चयन करते समय दूसरे विषय में नियुक्ति दी जा सकती है, जिसके लिये वह अर्ह नहीं है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि पिछले दो वर्षों में ऐसे कितने मुनाफियूल आज़ा विषय के चयनित प्रवक्ताओं में से विभागीय प्रोन्नति द्वारा रीडर पद पर प्रोन्नति करते समय उस व्यक्ति को तशरीह पद पर प्रोन्नतियां दी गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

मुनाफियूल आज़ा (फिजियोलाजी) एवं तशरीह (एनाटोमी) दो अलग-अलग विषय हैं।

जी नहीं।

जी नहीं। किसी एक विषय के चिकित्सा शिक्षक की प्रोन्नति दूसरे विषय के अन्तर्गत रिक्त पद पर नहीं की जा सकती है।

**मैनपुरी कस्बा में अधूरे सीवर लाइन को पूर्ण कराने की मांग**

58-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि मैनपुरी कस्बा में वर्तमान में सीवर लाइन का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है ? क्या सरकार उक्त कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं। नगर में प्रस्तावित 135 कि0मी0 सीवर लाइन में से 65.29 कि0मी0 तथा 2 नग सीवेज पम्पिंग स्टेशन का कार्य 90 प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है।

योजना भारत सरकार से वित्त पोषित होने के कारण पूर्ण धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त कार्य पूर्ण किया जा सकेगा। योजना को पूर्ण करने का लक्ष्य 31 मार्च, 2011 निर्धारित है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद मैनपुरी में पेयजल आपूर्ति**

59-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में जनपद मैनपुरी के ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की अधिक परेशानी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके निराकरण हेतु इण्डिया मार्का-टू हैण्डपम्प लगवाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी नहीं।

जनपद-मैनपुरी में 41 की जनसंख्या पर एक हैण्डपम्प उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2009-10 में पेयजल की सुविधा हेतु 528 हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद मैनपुरी में इन्दिरा आवास एवं स्वर्ण ज़यन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना में अल्पसंख्यकों को आरक्षण का लाभ दिये जाने की मांग**

66-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी में वर्तमान में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इन्द्रा आवास योजना में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना में अल्पसंख्यक लाभार्थियों के लिये 15 प्रतिशत का आरक्षण किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार लक्ष्य के अनुसार अल्पसंख्यकों को आरक्षण का लाभ देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां, जनपद मैनपुरी में भारत सरकार/राज्य सरकार के निर्देशानुसार इन्दिरा आवास एवं स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना में अल्पसंख्यकों हेतु 15 प्रतिशत का आरक्षण किया गया है। सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना समाप्त हो गयी है और वर्तमान में लागू नहीं है।

जी हां, लाभान्वित किया जा रहा है।

लाभ दिया जा रहा है।

61-श्री आलोक कुमार शाक्य-

[ प्रथम बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-46 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ]

**कु0 पिंकी देवी मौर्या, छात्रा, निवासी ग्राम सरैया, जनपद सीतापुर की हत्या**

62-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कु0 पिंकी देवी मौर्या नाबालिग छात्रा, निवासी-ग्राम सरैंया ककरामऊ तहसील लहरपुर, जनपद सीतापुर की हत्या दिनांक 21-8-09 को गैंगरेप के दौरान कर दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार को विवेकाधीन कोष से सहायता राशि दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

शासनादेश दिनांक 24-12-09 द्वारा रु0 50,000/-(रु0 पचास हजार) की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

**सीतापुर जनपद की नगर पालिका व टाउन एरिया में विकास हेतु स्वीकृत धनराशि**

63-श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2009-10 में जिला योजना सीतापुर के द्वारा जनपद की नगर पालिका व टाउन एरिया में विकास हेतु स्वीकृत धनराशि

नियोजन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 1-10-2009 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ददूदू प्रसाद-

जी हां।

जिला योजना से नगरपालिका परिषदों/नगर पंचायतों के क्षेत्र में पेयजल के अन्तर्गत धनराशि स्वीकृत की जाती है। वर्ष 2009-10 में जिला योजना में रु0 20.23 लाख की धनराशि जनपद सीतापुर को स्वीकृत की गयी है।

**मा0 श्री कांशीराम समग्र शहरी विकास योजना के अन्तर्गत कानपुर नगर के वार्डों का चयन**

64-श्री संजीव दरियाबादी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के लक्ष्मीपुरवा वार्ड, कलक्टरगंज वार्ड, चकेरी वार्ड, चन्दारी वार्ड को मान्यवर कांशीराम समग्र शहरी विकास योजना के अन्तर्गत चयनित किया गया है ? यदि हां, तो इन सभी वार्डों को उक्त योजना के अन्तर्गत चयनित करने का आधार क्या है ? क्या सरकार कानपुर के फजलगंज,विजय नगर, सरोजनी नगर, जूही वार्डों को भी उक्त योजना के अन्तर्गत चयनित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

उक्त वार्डों का चयन शासन द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया, परन्तु मा0 कांशीराम समग्र शहरी विकास योजना का स्वरूप बदलकर उसके स्थान पर अब मा0 श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना संचालित की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

**कानपुर नगर निगम में अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता की रिक्त पदों पर तैनाती**

65-श्री संजीव दरियाबादी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर निगम में कितने अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता के पद स्वीकृत हैं ? जनवरी, 2008 से दिसम्बर, 2008 तक कानपुर नगर निगम में अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता के कितने पद रिक्त हैं ? उन्हें कब तक भर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

नगर निगम कानपुर में अधिशासी अभियन्ता के 07 पद (सिविल-05, ट्रैफिक-01, विद्युत यांत्रिक-01), सहायक अभियन्ता के 15 पद (सिविल-11, ट्रैफिक-01, विद्युत यांत्रिक-03) तथा अवर अभियन्ता के 59 पद (सिविल-58, ट्रैफिक-01) स्वीकृत हैं।

जनवरी, 2008 से दिसम्बर, 2008 तक कानपुर नगर निगम में अधिशासी अभियन्ता के 02 पद (सिविल-01, ट्रैफिक-01) अवर अभियन्ता के 29 पद (सिविल-28, ट्रैफिक-01) रिक्त थे।

वर्तमान में अधिशासी अभियन्ता के 03 पद (सिविल-02, ट्रैफिक-01) अवर अभियन्ता के 29 पद (सिविल-28, ट्रैफिक-01) रिक्त हैं।

उक्त पदों पर अभियन्ताओं की उपलब्धता के उपरान्त तैनाती की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद प्रतापगढ़ के नगर पंचायत पट्टी में मलिन बस्तियों में रह रहे भूमिहीन गरीबों को आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराने की योजना**

66-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के नगर पंचायत पट्टी में मलिन बस्तियों में रह रहे भूमिहीन गरीबों को आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराने की शासन की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 यशवन्त सिंह-

मलिन बस्तियों में रह रहे शहरी गरीबों (जिसमें भूमिहीन गरीब भी सम्मिलित है) को आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आई0एच0एस0डी0पी0) योजना, जिसके अन्तर्गत शहरी गरीबों को मूलभूत शहरी अवस्थापना सुविधा सहित आवास उपलब्ध कराने की परियोजनायें भारत सरकार से स्वीकृत कराकर क्रियान्वित की जाती हैं, से जनपद-प्रतापगढ़ की नगर पंचायत-पट्टी भी आच्छादित है।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश में जल पुलिस का गठन**

67-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 में जल पुलिस का गठन किया गया है ? यदि हां, तो किन-किन जिलों में इनका कार्यालय है ? क्या उसमें स्थायी तौर पर गोताखोरों की नियुक्ति का भी प्राविधान है ? यदि हां, तो कहां-कहां पर गोताखोरों की नियुक्ति की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

**जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के अन्तर्गत महानगरों/नगरों में पेयजल आपूर्ति योजना**

68-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 में जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के अन्तर्गत किन-किन महानगरों/नगरों में पेयजल पूर्ति योजना चल रही है ? क्या यह योजना पूर्ण करने की क्या कोई समयावधि निर्धारित की गई है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त योजना के अन्तर्गत इलाहाबाद महानगर में कितने नलकूप किन-किन स्थानों पर लगाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

उत्तर प्रदेश में जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के यू0आई0जी0 घटक के अन्तर्गत 06 महानगरों की पेयजलापूर्ति योजनायें चल रही हैं एवं यू0आई0डी0एस0ए0एस0एम0टी0 घटक के अन्तर्गत 36 नगरों की पेयजलापूर्ति योजनायें चल रही हैं।

जी हां। मार्च, 2012 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त योजना के अन्तर्गत इलाहाबाद महानगर में वर्तमान तक कुल 32 नये नलकूप लगाये गये हैं जिनमें से 14 नलकूप चालू कर दिये गये हैं तथा 18 नलकूपों का कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

**बरेली जनपद की बहेड़ी विधान सभा क्षेत्र में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कतिपय मार्गों के निर्माण कार्य की उच्च स्तरीय जांच**

69-श्री छत्रपाल सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली जनपद की बहेड़ी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित बरा-बरोरमार्ग, बहेड़ी-कताई मिल मार्ग, बहेड़ी-मुडिया नवीबक्श मार्ग, रिच्छा-जहानाबाद मार्ग एक वर्ष में ही क्षतिग्रस्त हो गये ? क्या बहेड़ी शीशगढ़ मार्ग, बहेड़ी शेरगढ़ मार्ग,बहेड़ी बजरिया मार्ग में चल रहा निर्माण कार्य मानकों के अनुरूप नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की उच्चस्तरीय जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी नहीं। जनपद बरेली की बहेड़ी विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत बरा-बरोर मार्ग, बहेड़ी कताई मिल मार्ग तथा बहेड़ी-मुड़िया नवीबक्श मार्ग वर्तमान में निर्माणाधीन है। रिच्छा जहानाबाद मार्ग का निर्माण (बरेली जनपद की सीमा से रिच्छा की ओर 7.00 कि0मी0 लम्बाई में) माह जून, 2009 में पूर्ण हुआ है। उक्त मार्ग की गुणवत्ता का परीक्षण स्टेट क्वालिटी मानीटर द्वारा अक्टूबर, 2008 तथा जून, 2009 में किया जा चुका है तथा कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक बतायी गयी है। ठेकेदार द्वारा मार्ग का नियमित अनुरक्षण किया जा रहा है। शेष तीन मार्गों बरा-बरोर मार्ग, बहेड़ी कताई मिल मार्ग तथा बहेड़ी-मुड़िया नवीबक्श मार्ग पर निर्माण फरवरी, 2009 से प्रारम्भ हुआ है तथा कार्य प्रगति में है। उक्त तीनों मार्गों की भी गुणवत्ता का परीक्षण स्टेट क्वालिटी मानीटर्स द्वारा जुलाई, 2009 में किया जा चुका है तथा कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक पायी गयी है।

जी नहीं। प्रश्नगत तीनों मार्गों की गुणवत्ता का परीक्षण स्टेट क्वालिटी मानीटर्स द्वारा जुलाई, 2009 में किया जा चुका है तथा कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक बतायी गयी है।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये पूर्व से ही त्रि-स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली लागू है। उक्त के क्रम में ही स्टेट क्वालिटी मानीटर्स तथा नेशनल क्वालिटी मानीटर्स द्वारा समय-समय पर कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया जाता है। उक्त समस्त सातों मार्गों पर स्टेट क्वालिटी मानीटर्स द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर गुणवत्ता का

परीक्षण किया जा चुका है और कार्यों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गयी है, अतः प्रश्नगत मार्गों की अन्य स्तर से जांच कराये जाने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

**नगला हवेली दयालबाग, आगरा में श्रीमती शान्ति सत्संगी के मकान से बीरी सिंह डागोर के मकान तक के मार्ग को ठीक कराने की मांग**

70-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगला हवेली दयालबाग, आगरा में श्रीमती शान्ति सत्संगी के मकान से बीरी सिंह डागोर के मकान तक का मार्ग जर्जर व गड्ढा युक्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसे ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत सीवर लाइन डालने के पश्चात् रोड मरम्मत का कार्य करा दिया गया है।

**जनपद आगरा स्थित बसन्त विहार एक्सटेंशन (नन्दपुरी) कालोनी तथा कमला कुंज, कमला नगर की सड़क की मरम्मत की मांग**

71-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा स्थित बसन्त बिहार एक्सटेंशन (नन्दपुरी) कालोनी तथा कमला कुंज, कमला नगर की सड़क विगत सात वर्षों से गड्ढा युक्त एवं जर्जर है तथा गड्ढे होने के कारण सड़क पर पानी भरा रहता है और आये दिन दुर्घटनाएं होती हैं ? क्या सरकार इस सड़क की मरम्मत करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

जी नहीं।

जनपद आगरा बसन्त विहार एक्सटेंशन (नन्दपुरी) कालोनी तथा कमलाकुंज, कमला नगर, आगरा नगर निगम को हस्तान्तरित नहीं है।

**आगरा स्थित रावतपाड़ा चौराहा, पृथ्वीनाथ साइकिल स्टोर से मारवाड़ी होटल तक की सड़क की मरम्मत की मांग**

72-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा स्थित रावतपाड़ा चौराहा, पृथ्वीनाथ साइकिल स्टोर से मारवाड़ी होटल तक की सड़क विगत पांच वर्षों से गड्ढा युक्त एवं जर्जर है ? क्या सरकार इस सड़क की मरम्मत करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

आगरा स्थित रावतपाड़ा चौराहा, पृथ्वीनाथ साइकिल स्टोर से मारवाड़ी होटल तक की सड़क का स्थल निरीक्षण कराकर आगणन तैयार कर दिया गया है। नगर निगम की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होने पर उक्त कार्य कराया जाना संभव हो सकेगा।

**मोतीगंज आगरा में कन्हैया राम बाबू राम हायर सेकेन्डरी स्कूल के सामने की जर्जर सड़क को ठीक कराने की मांग**

73-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोतीगंज आगरा में कन्हैया राम बाबू राम हायर सेकेन्ड्री स्कूल के सामने की सड़क अत्यन्त जर्जर व गड्ढा युक्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसे ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

मोतीगंज आगरा में कन्हैया राम बाबू राम हायर सेकेण्डरी स्कूल के सामने की सड़क का स्थल निरीक्षण कराकर व्ययानुमान नगर निगम द्वारा तैयार कर लिया गया है। नगर निगम की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होने पर उक्त कार्य कराया जाना संभव हो सकेगा।

**थाना रौनाही, जनपद फैजाबाद में हरे वृक्षों को काटे जाने विषयक दर्ज एफ0आई0आर0 की जांच**

74-श्री सुख लाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 31 जुलाई, 2008 को थाना रौनाही, जनपद फैजाबाद मे हरे वृक्षों के काटे जाने विषयक एफ0आई0आर0 वन संरक्षक मुबारकगंज बीट फैजाबाद द्वारा दिनांक 1 अगस्त, 2008 को दर्ज करायी थी ? यदि हां, तो कुल कितने हरे वृक्ष काटे ग तथा इसमें कितने लोगों को नामजद कराया गया था और उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सत्य है कि स्थानीय पुलिस प्रशासन ने दिनांक 5 अगस्त, 2008 को दर्ज उक्त एफ0आई0आर0 पर अपनी फाइनल रिपोर्ट लगाते हुए प्रकरण को समाप्त कर दिया गया था ? यदि हां, तो फाइनल रिपोर्ट लगाये जाने का आधार क्या था, तथा क्या प्राथमिकी सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा गलत ढंग से पंजीकृत करायी गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषी स्थानीय पुलिस प्रशासन अथवा वन संरक्षक मुबारकगंज वीट, फैजाबाद के विरुद्ध विभागीय दण्डात्मक कार्यवाही करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

कुछ छोटे-छोटे पौधे उगे थे जिन्हें साफ किया गया। प्रकरण से सम्बन्धित मु0अ0सं0-683/08 धारा 4/10 वन संरक्षण अधिनियम की विवेचना उप निरीक्षक द्वारा सम्पादित की गयी। उस जमीन जिस पर छोटे-छोटे पौधे उगे थे, राजस्व विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों को आवंटित की गयी थी। उक्त पौधे जो काफी छोटे-छोटे थे, जिन्हें भूमिहीन पट्टाधारकों द्वारा झाड़-झंखाड़ के साथ मकान बनाये जाने हेतु हटाया गया है। मौके पर कोई पेड़ काटा जाना परिलक्षित नहीं होता है।

जी हां।

साक्ष्य के अभाव में अन्तिम रिपोर्ट दिनांक 05-08-08 को न्यायालय प्रेषित की गयी थी।

चूंकि अभियोग का निस्तारण साक्ष्य के अभाव में अन्तिम रिपोर्ट किया गया है। ऐसे में वादी मुकदमा के विरुद्ध कोई कार्यवाही किया जाना न्यायसंगत न पाते हुए वादी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

उपर्युक्त से स्पष्ट है।

**एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ में भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में जांच**

75-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ के चिकित्सा अधीक्षक, डा0 ए0 के0 भट्ट, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्री जय शंकर प्रसाद एवं उनके सहयोगियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितायें एवं प्रशासनिक अनियमितताओं के सम्बन्ध में अपर निदेशक श्री राकेश कुमार गोयल ने अपने पत्रांक 05/पी0जी0आई0/अ0नि0 कैम्प/2008 के द्वारा दिनांक 7-11-2008 को प्रारम्भिक जांच आख्या सचिव/प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 को प्रेषित की है ? यदि हां, तो उक्त जांच में कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये ? क्या सरकार उन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

जी हां।

प्रश्नगत प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण की विस्तृत जांच किये जाने हेतु डा0 ललित वर्मा, तत्कालीन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सम्प्रति सचिव, खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग, उ0 प्र0 शासन को जांच अधिकारी नामित किया गया है।

जांच आख्या अभी प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

**थाना नौहझील, मथुरा में पंजीकृत मुकदमा 557/08 की मजिस्ट्रेट जांच**

76-डा0 अनिल चौधरी-

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2009 के पहले सोमवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 18 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना-नौहझील, मथुरा के पंजीकृत मु0अ0सं0 557/08, दिनांक 24-10-08 में जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा पुनः कराई जा रही मजिस्ट्रेट जांच के परिणाम प्राप्त हो गये हैं ? यदि हां, तो जांच के परिणाम क्या हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

प्रकरण में जिलाधिकारी द्वारा पुनः मजिस्टीरियल जांच के आदेश उप जिला मजिस्ट्रेट मांट को दिये गये हैं। जांच प्रचलित है।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद शाहजहांपुर के ग्राम पंचायत-पैना खुर्द तथा ग्राम मऊ गोटिया में खड़न्जा व नाली का कार्य**

77-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के ग्राम पैना खुर्द (सुन्दर नगर) में मुन्ना के मकान से शेर बहादुर के मकान तक खड़न्जा व नाली कार्य लगभग 40 मी0 एवं ग्राम मऊ गौटिया में कैंट रोड से राम भजन के मकान तक खड़न्जा व नाली लगभग 25 मी0 बनाये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के अनुरोध पर जिला विकास अधिकारी, शाहजहांपुर का निर्देश दिनांक 16-12-08 खण्ड विकास अधिकारी, भावलखेड़ा, शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या अपेक्षित कार्य पूर्ण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

ग्राम पंचायत-पैना खुर्द (सुन्दर नगर) तथा ग्राम-मऊ गोटिया में कैन्ट रोड में प्रश्नगत खड़न्जा व नाली का कार्य, कार्य योजना में सम्मिलित कर प्रारम्भ करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

78-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

[प्रथम बुधवार के अतारांकित प्रश्न सं0-162 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**नगर निगम सीमा के भीतर अवैध रूप से संचालित डेरियों को हटाने की मांग**

79-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम सीमा के भीतर सुअर/भैंस पालन डेरी का संचालन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित है ? यदि हां, तो क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद लखनऊ की नगर सीमान्तर्गत ग्राम बरी कलां, हयात नगर, छन्दोइया, बरावन कला में कितनी डेरी अवैध रूप से संचालित हैं ? क्या सरकार अवैध रूप से संचालित डेरियों को नगर निगम की सीमा से हटायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

प्रश्नगत गांव सीमा विस्तार के उपरान्त नगर निगम सीमा में सम्मिलित हुये हैं, जहां पर नगर निगम द्वारा अभी कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं करायी गयी हैं और इन गांवों में अधिकांश किसान ही निवास करते हैं, जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि है तथा इनके द्वारा सीमा विस्तार के पूर्व से ही पशुओं को रखकर कृषि आदि का कार्य किया जाता है। प्रश्नगत गांव के निरीक्षण के उपरान्त कुल 49 डेरियां संचालित पायी गयीं जिसके विरुद्ध नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-550 के अन्तर्गत चालान की कार्यवाही की गयी है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद गाजियाबाद के लोनी कस्बे की भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग**

80-श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के लोनी कस्बे की भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने सम्बन्धी उपजिलाधिकारी, गाजियाबाद के आदेश संख्या-3443, दिनांक 27-4-2006 का अनुपालन जिला पुलिस द्वारा सुनिश्चित कर अवैध अतिक्रमण हटा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं। उप जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा अपने आदेश संख्या-3443 दिनांक 27-4-2006 में पुलिस विभाग को अवैध अतिक्रमण हटाने का कोई आदेश नहीं दिया गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

81-श्री अनिल कुमार सिंह यादव-

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

**उ0 प्र0 राज्य सतर्कता अधिष्ठान की अन्वेषण जांच संख्या-70/2002 की सी0बी0आई0 जांच विषयक-पत्र पर कृत कार्यवाही**

82-श्री अनिल कुमार सिंह यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 राज्य सतर्कता अधिष्ठान की अन्वेषण जांच संख्या 70/2002 की सी0बी0आई0 जांच विषयक मा0 भानु प्रताप सिंह वर्मा, पूर्व सांसद का पत्र दिनांक 25-5-08 जो मुख्य मंत्री/मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में उठायें गये बिन्दुओं पर क्या आख्या प्रस्तुत की गई ? क्या सरकार यह बतायेगी कि इस घोटाले की जांच में कब-कब जांच अधिकारी बदले गये ? क्या जांच अधिकारियों के नाम पदनाम एवं तैनाती स्थान बतायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

उक्त पत्र में सी0बी0आई जांच कराये जाने का बिन्दु निहित होने के कारण मा0 सांसद के पत्र दिनांक 25-5-2008 को ऊर्जा विभाग को दिनांक 22-7-2009 को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।

प्रश्नगत अन्वेषण जांच सं0-70/2002, श्री अनिरुद्ध राय, तत्कालीन निरीक्षक, उ0 प्र0 सतर्कता अधिष्ठान, वाराणसी सेक्टर द्वारा पूर्ण की गयी। विवेचना प्रारम्भ करने से लेकर विवेचना पूर्ण होने तक श्री राय ही विवेचक/जांच अधिकारी रहे। विवेचना के दौरान विवेचक नहीं बदले गये।

श्री अनिरुद्ध राय, तत्कालीन निरीक्षक दिनांक 30-9-2006 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

**पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को लखनऊ स्थानान्तरित किये जाने पर विचार**

83-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 पु0 मुख्यालय, इलाहाबाद को इलाहाबाद से लखनऊ में स्थानान्तरित किये जाने हेतु भवन निर्माण की परियोजना भूमि आदि निर्धारित कर ली गई है ? यदि हां, तो स्थानान्तरण के कारण क्या हैं ? उक्त प्रस्तावित भवन कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद की लखनऊ स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

**जनपद मऊ के विकास खण्ड फतहपुर मण्डाव अन्तर्गत ग्राम सभा स्तर से कराये गये कार्यों का निरीक्षण**

84-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद-मऊ के विकास खण्ड फतहपुर मण्डाव अन्तर्गत ग्राम सभा (लउआसाथ) में वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 व 2008-09 में ग्राम सभा स्तर से कराये गये कार्य घटिया किस्म के हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर सरकारी धन के दुरुपयोग के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बदलू प्रसाद-

जी नहीं।

उक्त वर्षों में कराये गये समस्त कार्यों का निरीक्षण कराया गया। सभी कार्य संतोषजनक पाये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**थाना दिवस में आये प्रकरणों को निपटाये जाने की समय सीमा**

85-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान समय में प्रदेश में गृह विभाग द्वारा आयोजित थाना दिवस् में आये प्रकरणों को निपटाये जाने की कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

गृह विभाग के शासनादेश दिनांक 16-6-2008 में स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि थाना दिवस पर प्राप्त होने वाली सभी शिकायतों का यथा संभव स्थायी निदान उसी दिन मौके पर संयुक्त टीमें भेजकर सुनिश्चित कराया जाय। इस सम्बन्ध में यह भी व्यवस्था है कि थाना दिवस के अवसर पर यदि कोई नागरिक ऐसी समस्या लेकर आता है कि जिसका समाधान थाना दिवस पर थाने स्तर पर होना संभव नहीं है तो थानाध्यक्ष उस नागरिक कों समस्या की प्रकृति को देखते हुए 2 से 3 सप्ताह के बाद पुनः थाना दिवस पर आने के लिए कहेंगे तथा उसके प्रार्थना-पत्र को अगले तहसील दिवस पर निस्तारण के लिए स्वयं प्रस्तुत करेंगे। तहसील स्तर पर समस्या का समाधान होने पर अगले थाना दिवस पर थानाध्यक्ष सम्बन्धित व्यक्ति को समस्या के समाधान से अवगत भी करायेंगे।

उपरोक्तानुसार।

**प्रदेश के आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सरप्लस कर्मचारी**

86-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की आयुर्वेद यूनानी विभाग में कितने तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी सरप्लस हैं ? क्या सरप्लस कर्मियों का समायोजन पहले करने के बाद नई नियुक्ति करने की सरकार की कोई नीति है ? यदि हां, तो वह नीति क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कोई भी कार्मिक सरप्लस नहीं है।

जी हां।

कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-20/1/91/का/2-2008, दिनांक 22-9-08 एवं दिनांक 09 जून, 2009 में सरप्लस कर्मियों को पहले समायोजित करने के बाद नई नियुक्ति पर कार्यवाही किये जाने की नीति है।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश में संचालित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय**

87-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान समय में आयुर्वेद विभाग द्वारा कितने अस्पताल/ डिस्पेंसरियां संचालित की जा रही हैं ? क्या कम मात्रा में दवायें उपलब्ध होने के कारण जनता को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार पर्याप्त मात्रा में आयुर्वेद यूनानी दवायें उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

प्रदेश में 2108 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय संचालित किये जा रहे हैं तथा इसके अतिरिक्त 08 आयुर्वेदिक मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध अस्पताल भी संचालित है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

88-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

[द्वितीय बुधवार के अतारांकित प्रश्न सं0-163 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

**जनपद बांदा में अधिष्ठापित किये गये हैण्ड पम्प**

89-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में पेयजल समस्या दूर करने हेतु जल निगम, यांत्रिक शाखा, चित्रकूट द्वारा जनपद-बांदा में वर्ष 2007-08 से अब तक कितने हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन कराया गया, कितने रि-बोर के अन्तर्गत हैं तथा कितने विधायक कोटे के अन्तर्गत लगाये गये हैं ? क्या ब्लाक, जसपुरा, तिन्दवारी व बडोखर खुर्द में मशीन द्वारा यांत्रिक शाखा, जल निगम, बांदा द्वारा हैण्डपम्प लगाये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त अवधि में कुल कितने स्वीकृत हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन कराया गया ? क्या उसका विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद-बांदा में वर्ष 2007-08 से अब तक 1596 हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये गये हैं। इनमें से 543 रि-बोर तथा 722 विधायक कोटे के सम्मिलित हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त अवधि में कुल 1596 हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये गये हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**चित्रकूट मण्डल में अधिष्ठापित हैण्ड पम्पों की संख्या**

90-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चित्रकूट मण्डल में जनपदवार कुल कितने हैण्डपम्प लगाये गये हैं तथा उनमें से कितने चालू हैं तथा कितने बन्द हैं ? खराब हैण्डपंम्पों को कब तक ठीक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

दिसम्बर, 2009 तक जनपद बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर तथा महोबा में क्रमशः 23814, 13658, 15800 तथा 11110 कुल 64382 हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं, जो सभी चालू हालत में है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

**आगरा नगर निगम की शरणार्थी कृष्णा कालोनी जीवन मण्डी में जर्जर एवं गड्ढा मुक्त सड़कों की मरम्मत की मांग**

91-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर की शरणार्थी कृष्णा कालोनी जीवन मण्डी की सड़कें विगत 10 वर्षों से जर्जर एवं गड्ढा युक्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन जर्जर एवं गड्ढा युक्त सड़कों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

आगरा नगर निगम शरणार्थी कृष्णा कालोनी जीवनी मण्डी की सड़कों का स्थलीय निरीक्षण कराकर नगर निगम द्वारा आगणन तैयार कर लिया गया है। नगर निगम की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होने पर उक्त कार्य कराया जाना संभव हो सकेगा।

**आगरा के तोता का ताल कालोनी की सड़कों के जीर्णोद्धार की कार्य योजना**

92-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा की तोता का ताल, आगरा विकास प्राधिकरण की कालोनी की विगत 10 वर्षों से जर्जर एवं गड्ढा युक्त सड़कों को क्या सरकार ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

आगरा के तोता का ताल कालोनी की सड़कों के जीर्णोद्धार की कार्य योजना नगर निगम द्वारा तैयार कर ली गयी हैं। नगर निगम की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होने पर उक्त कार्य कराया जाना संभव हो सकेगा।

**आगरा के रघुनाथ सिनेमा से चित्रा सिनेमा तक की जर्जर हुयी सड़क का निर्माण**

93-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा के रघुनाथ सिनेमा से चित्रा सिनेमा तक की जर्जर एवं गड्ढा युक्त सड़क की सरकार मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

रघुनाथ सिनेमा से चित्रा सिनेमा तक की जर्जर हुई सड़क का निर्माण आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा करा दिया गया है।

**आगरा महानगर में नये शुलभ शौचालय आदि बनवाने की मांग**

94-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा महानगर की जनसंख्या व मलिन बस्तियों की अधिक संख्या को देखते हुए क्या सरकार शहर में नये शुलभ शौचालय आदि बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 यशवन्त सिंह-

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के अन्तर्गत संचालित आई0एल0सी0एस0 योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों के लिये शुष्क शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तन किये जाने तक ही बहरहाल सीमित हैं तथा आगरा महानगर में इसी कार्यक्रम के अन्तर्गत 1723 शुष्क शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तित करने की कार्यवाही प्रगति पर है। नगर निगम अधिनियम की धारा-114 के अन्तर्गत सामुदायिक शौचालय आदि जन सुविधाएं बनाये जाने/उपलब्ध कराये जाने का अनिवार्य दायित्व नगर निगम का है, जो एक स्वायत्तशासी सांविधिक निर्वाचित संस्था है।

**ग्राम खदौली, विकास खण्ड खन्दौली जनपद आगरा में राष्ट्रीय राजमार्ग-93 के किनारे तालाब की सफाई तथा गहरा किये जाने की मांग**

95-डा0 अनिल चौधरी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम खदौली विकास खण्ड खन्दौली, जनपद आगरा की आबादी भाग का राष्ट्रीय राजमार्ग 93 के किनारे का तालाब मिट्टी से भर जाने के कारण आस-पास के घरों में रहने वालों को असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस तालाब की सफाई तथा उसे और गहरा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

जी हां।

तालाब के किनारों की मिट्टी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के श्रमांश मद से तथा दलदली क्षेत्र की मिट्टी मशीन के माध्यम से बारहवें वित्त आयोग से उपलब्ध धनराशि से कराने हेतु कार्य योजना में सम्मिलित कर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

**स्थानीय निकाय में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान का भुगतान**

96-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थानीय निकाय में दि0 31-12-95 तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान में नोशनल वेतन निर्धारण का लाभ देने के साथ न्यूनतम पेंशन की धनराशि नियत कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 20-8-2009 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

उक्त पत्र दिनांक 20-8-09 को संलग्नक सहित निदेशक, स्थानीय निकाय उत्तर प्रदेश को भेजकर तथ्यपरक आख्या सहित प्रस्ताव संस्तुति उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश में जनपदों में खण्ड विकास अधिकारियों के रिक्त पद**

97-श्री लाल जी यादव-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किन-किन जनपदों में खण्ड विकास अधिकारियों के पद रिक्त हैं ? क्या सरकार खण्ड विकास अधिकारियों के रिक्त पदों पर शीघ्र तैनाती करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

प्रदेश में 820 विकास खण्डों के सापेक्ष 536 खण्ड विकास अधिकारी कार्यरत हैं तथा 284 विकास खण्डों में खण्ड विकास अधिकारी के पद रिक्त हैं। जनपद चित्रकूट एवं महोबा को छोड़कर अन्य सभी जनपदों में खण्ड विकास अधिकारी के पद रिक्त हैं।

जी हां।

खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में निम्न कार्यवाही प्रचलित है :-

1-खण्ड विकास अधिकारी के सीधी भर्ती के 29 पदों हेतु अधियाचन दिनांक 30-12-2009 को लोक सेवा आयोग उ0प्र0, इलाहाबाद को प्रेषित।

2-खण्ड विकास अधिकारी के प्रोन्नति कोटे के 151 पदों हेतु अधियाचन दिनांक 13-7-2009 एवं 23-12-2009 को लोक सेवा आयोग उ0प्र0, इलाहाबाद को प्रेषित।

3-इसके अतिरिक्त सेवा स्थानान्तरण पर भी खण्ड विकास अधिकारियों को लिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

लोक सेवा आयोग उ0प्र0 इलाहाबाद से चयन/पदोन्नति के परिणाम प्राप्त होने पर नियुक्ति/तैनाती की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद सिद्धार्थनगर में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति**

98-श्री लाल जी यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में वर्ष 2008 में कुल कितने सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है ? क्या सफाई कर्मचारियों द्वारा किये जा रहे कार्यों का निरीक्षण जनपद के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जनपद-सिद्धार्थनगर के राजस्व ग्रामों हेतु वर्ष 2008 में कुल 2115 सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक मंगरौरा में नियमित खण्ड विकास अधिकारी की तैनाती**

99-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक मंगरौरा में नियमित खण्ड विकास अधिकारी की तैनाती की गई है ? यदि नहीं, तो उक्त ब्लाक में खण्ड विकास अधिकारी की नियमित तैनाती कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद प्रतापगढ़ में 17 विकास खण्डों के सापेक्ष 12 खण्ड विकास अधिकारी तथा 02 संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी कार्यरत हैं। प्रदेश के खण्ड विकास अधिकारियों की कमी के दृष्टिगत शासनादेश सं0-2339/38-1-2006-3 पदोन्नति/06, दिनांक 23-06-06 के द्वारा संयुक्त खण्ड विकास अधिकारियों को खण्ड विकास अधिकारी के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार दिये गये हैं एवं जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मंगरौरा में श्री जय सिंह, संयुक्त खण्ड विकास अधिकारी को आदेश सं0-1937/स्था0-1/तैनानी/खं0वि0अ0/09-10, दिनांक 20-8-09 द्वारा खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पद पर तैनात किया गया है, जो वहां पर कार्यरत हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में मजारों का स्थल विकास एवं सौन्दर्यीकरण की मांग**

100-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में कितनी और कौन-कौन सी मजारें हैं ? क्या पर्यटन विभाग द्वारा इन मजारों का स्थल विकास एवं सौन्दर्यीकरण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद सिंह-

पर्यटन विभाग द्वारा मजारों का पंजीकरण अथवा सूचीकरण का कार्य नहीं किया जाता है।

यदि किसी मजार विशेष पर आवश्यकतानुसार अवस्थापना सुविधाओं के सृजन का प्रस्ताव प्राप्त हो व जिला नियोजन पूर्व अनुश्रवण समिति से अनुमोदित होने तथा गजट की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए अवस्थापना सुविधाओं सम्बन्धी कार्य किया जाता है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

**विधायक कोटे के अन्तर्गत अधिष्ठापित हैण्डपम्प पर विधायक के नाम की पट्टिका लगाये जाने की जानकारी**

101-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक कोटे के अन्तर्गत लगाये जाने वाले इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जाने के बाद क्या उस पर जनप्रतिनिधि की नाम वाली पट्टिका/पत्थर लगाये जाने का प्राविधान है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसा प्राविधान लागू करने पर विचार करेगी ?

श्री दद्दू प्रसाद-

विधायक कोटे के अन्तर्गत अधिष्ठापित हैण्डपम्प पर नगर विकास विभाग के आदेश दिनांक 21-4-2008 द्वारा मा0 विधायक के नाम की पट्टिका लगाये जाने की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

**तहसील पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ की कतिपय ग्राम सभाओं को मिलाकर नगर पंचायत का दर्जा देने पर विचार**

102-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि तहसील पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ की अतरसण्ड, सरौली साल्हीपुर कंजास ग्राम सभा भौगोलिक रूप से एक इकाई बनकर लगभग 10 हजार आबादी के कस्बे का रूप ले चुकी है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त ग्राम सभाओं को मिलाकर नगर पंचायत का दर्जा देने पर शासन विचार करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार उक्त ग्राम सम्मिलित रूप से नगर पंचायत बनाये जाने हेतु निर्धारित मानक पूर्ण नहीं करते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

**विधान सभा क्षेत्र पट्टी, प्रतापगढ़ के आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक अस्पतालों के भवन निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति**

103-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या विधान सभा क्षेत्र पट्टी, प्रतापगढ़ के आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक अस्पतालों के भवन निर्माण हेतु समयबद्ध वित्तीय स्वीकृति देने की व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

जी नहीं।

प्रदेश में राजकीय आयुर्वेदिक यूनानी एवं होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना एवं भवन निर्माण जिला योजनान्तर्गत किया जाता है। आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक अस्पतालों के भवन निर्माण हेतु जिला नियोजन समिति से संस्तुतियां प्राप्त होने पर वित्तीय व्यवस्था के आधार पर स्वीकृति प्रदान करने की कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

**सचिवालय कर्मियों की भांति अन्य सचिवालय के कर्मियों को भी सी0यू0जी0 नम्बर उपलब्ध कराने की मांग**

104-श्री लाल जी यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय के कर्मचारियों को सी0यू0जी0 नम्बर उपलब्ध कराया गया है ? यदि हां, तो सचिवालय कर्मियों की भांति अन्य सचिवालय के कर्मियों को भी सी0यू0जी0 नम्बर उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

कार्यालय ज्ञाप संख्या-2630/बीस-8-वि-2008-टी-26 (79)/2008, दिनांक 26-8-2008 में उ0प्र0 सचिवालय में तैनात विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अनु सचिव, अनुभाग अधिकारी, समीक्षा अधिकारी, निजी सचिव, अपर निजी सचिव, मुख्य व्यवस्थाधिकारी, प्रभारी सचिवालय सुरक्षा, अपर पुलिस अधीक्षक (विधान सभा), मुख्य सुरक्षा अधिकारी, व्यवस्थाधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, समस्त विशेष कार्याधिकारी, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं स्टोर अधीक्षकगण को भारत संचार निगम लि0 की सी0यू0जी0 मोबाइल सिम योजना के अन्तर्गत केवल सिम की सुविधा अनुमन्य कराये जाने का आदेश निर्गत किया गया है।

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उल्लिखित आदेश दिनांक 26 अगस्त, 2008 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सचिवालय के अतिरिक्त अन्य किसी संगठन अथवा ऐसे संगठन के कर्मचारियों को प्रश्नगत सुविधा अनुमन्य नहीं कराई गई है।

**जनपद मऊ के ग्राम लउवासाथ में नरेगा योजना से कराये गये कार्य**

105-श्री लाल जी यादव-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के विकास खण्ड फतेहपुर मण्डांव के अन्तर्गत ग्राम लउवासाथ में वर्ष 2005 से वर्ष 2009 तक कितने कार्य नरेगा के अन्तर्गत वर्षवार कराये गये हैं ? क्या यह भी सही है कि उक्त ग्राम में खोदे गये पोखरे मानकों के अनुसार नहीं हैं ? यदि हां, तो वर्षवार कार्यों की उच्चस्तरीय जांच कराकर, जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

सूच्य है कि नरेगा योजना, जनपद-मऊ में वर्ष 2007-08 से लागू हुई है, जिसके अन्तर्गत ग्राम लउवासाथ में नरेगा येाजना से निम्न कार्य कराये गये हैं :-

**वर्ष 2007-**

1-लल्लन के चक से हाना नाला के किनारे तक कच्चा नाला निर्माण 450 मी0।

2-मेन सड़क से राम प्रसाद के चक तक सम्पर्क मार्ग 725 मी0।

3-लउवासाथ में ग्राम सभा की भूमि पर वृक्षारोपण कार्य 0.57 हे0।

**वर्ष 2008-**

4-महगी साहनी के घर के उत्तर तरफ पोखरी खुदाई कार्य (1)-60 X 21 मी0।

5-महगी साहनी के घर के सामने से अनिरुद्ध साहनी के छप्पर तक पोखरी खुदाई कार्य (2)-60X12 मी0।

**वर्ष-2009-**

6-ज्ञानशंकर के घर के कोने से पी0डब्लू0डी0 रोड तक सम्पर्क मार्ग मि0 कार्य-150 मी0।

7-देवचन्द्र राजभर के घर के कोने से डीह स्थान तक मिट्टी कार्य-630 मी0।

8-उदयभान यादव के चक से परमा यादव के चक तक मि0 एवं सोलिंग कार्य-430 मी0।

9-खीचड़ी राजभर के घर से पूरब से घूरा के घर तक सम्पर्क मार्ग मिट्टी कार्य 395 मी0।

10-कल्यानपुर भग्गन यादव के चक से सटे पोखरे खुदाई कार्य 60X28 मी0।

11-राम प्रसाद के इन्दिरा आवास से हरिजन बस्ती के दक्षिण होते हुए सुखारी के चक तक सम्पर्क मार्ग मिट्टी कार्य-395 मी0।

12-सिपन्दार साहनी के चक से भग्गन यादव के चक पिपरोड तक सम्पर्क मार्ग मिट्टी कार्य-370 मी0।

13-राम प्रसाद के खेत से हाहा नाला तक मिट्टी कार्य 715 मी0।

14-मेन सड़क से प्राथमिक विद्यालय लउवासाथ 448 नं0 दक्षिण सिरे से होते हुए रामदेव साहनी की भण्डई तक सम्पर्क मार्ग मिट्टी कार्य-680 मी0।

उक्त ग्राम में खोदे गये पोखरे मानक के अनुसार हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम सभा सनई, लगड़ी सोनवल कटया में बन्द/खराब पड़े हैण्डपम्पों के चालू कराने की मांग**

106-श्री लाल जी यादव-

क्या ग्रा.म्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर विधान सभा क्षेत्र नौगढ़ के अन्तर्गत ग्राम सभा सनई, लगडी, सोनवल, कटया में इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प वर्तमान समय में कितने खराब हैं और कितने चालू हालत में हैं ? क्या सरकार बन्द/खराब पड़े इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प को चालू करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

ग्राम सभा सनई लगड़ी में 03, ग्राम सोनवल में 11 तथा ग्राम कटया में 11 हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं जो सभी क्रियाशील हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**राम गंगा कमाण्ड परियोजना तथा शारदा सहायक कमाण्ड परियोजना में समूह 'ग' व अन्य कर्मचारियों की सेवा नियमावली**

107-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या भूमि विकास एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या राम गंगा कमाण्ड परियोजना शारदा सहायक कमाण्ड परियोजना में समूह ''ग'' व अन्य कर्मचारियों की सेवा नियमावली बना ली गई है ? यदि हां, तो कब तक उसे लागू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

भूमि विकास एवं जन संसाधन मंत्री (श्री अशोक कुमार दोहरे)-

भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग द्वारा समूह 'ग' व अन्य कर्मचारियों की सेवा नियमावलियां अभी बनी नहीं हैं।

समूह 'ग' एवं अन्य कर्मचारियों की सेवा नियमावलियों का विरचन प्रक्रियाधीन है। कार्यवाही पूर्ण हो जाने पर इन्हें लागू कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

**इलाहाबाद नगर में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लगाये गये हैण्डपम्प**

108-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद नगर में वर्ष 2007-08, 2008-09 तथा 30 सितम्बर, 2009 तक कितने हैण्डपम्प किन-किन योजनाओं के अन्तर्गत कहां-कहां लगाये गये हैं तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक हैण्डपम्प की अवस्थापना में कितनी लागत आयी है ?

श्री नकुल दुबे-

इलाहाबाद नगर में वर्ष 2007-08 में जिला योजना के अन्तर्गत 96 नग एवं विधायक निधि के अन्तर्गत 18 नग हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये गये हैं। एक हैण्डपम्प की औसत लागत रु0 25,200 प्रति नग थी।

वर्ष 2008-09 में जिला योजना के अन्तर्गत 91 नग नये हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये गये हैं। एक हैण्डपम्प की औसत लागत रु0 32,750/- प्रति नग थी।

वर्ष 2009-10 में 30 सितम्बर, 2009 तक 25 नग नये हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये गये हैं। एक हैण्डपम्प की औसत लागत 32,750/- प्रति नग थी।

**स्व0 डा0 उमेश चन्द्र, नजियापुर प्रतापगढ़, प्रभारी चिकित्साधिकारी के आश्रित को नियुक्ति के सम्बन्ध में पत्र**

109-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 उमेश चन्द्र, नजियापुर प्रतापगढ़ प्रभारी चिकित्साधिकारी की मृत्यु दिनांक 13-2-09 को सेवाकाल में हो गई थी ? यदि हां, तो क्या अंकुर कुमार पुत्र स्व0 डा0 उमेश चन्द्र निवासी 126/95 नयापुरा स्टैनली रोड, इलाहाबाद का निदेशक, होम्योपैथी, उ0प्र0 लखनऊ को सम्बोधित पत्र मार्च, 2009 जो मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

जी हां।

जी हां।

श्री अंकुर कुमार पुत्र स्व0 डा0 उमेश चन्द्र को मृतक आश्रित के रूप में निदेशक, होम्योपैथिक के आदेश संख्या-नि0हो0/366/95 टी0सी0/14309 दिनांक 20-10-2009 द्वारा राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय महरुडीह इलाहाबाद में फार्मेसिस्ट के पद पर नियुक्ति प्रदान कर दी गई है।

**उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी, गोमतीनगर, लखनऊ में कार्यरत संविदा कर्मी**

110-श्री चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

क्या संस्कृति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी, गोमतीनगर, लखनऊ में किन-किन पदों पर कब से कितने संविदा कर्मी कार्यरत हैं ? क्या उनको मानदेय का भुगतान किया जा रहा है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उन्हें सरकार द्वारा घोषित मंहगाई भत्ते एवं अन्य भत्ते तथा अवकाश अनुमन्य है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उन्हें उक्त सुविधायें मुहैया करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संस्कृति मंत्री (श्री सुभाष पाण्डेय)-

12 कर्मी कार्यरत हैं, जिनका विवरण संलग्न है।

जी हां।

संविदा कर्मियों को मंहगाई भत्ते एवं अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

इस समय में कोई प्राविधान नहीं है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 193 पर)

**प्रदेश में आयुर्वेदिक यूनानी की संचालित राजकीय फार्मेसियां**

111-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद यूनानी विभाग की स्टेट फार्मेसी कहां-कहां पर संचालित हैं ? क्या इन फार्मेसियों को दवा उत्पादन हेतु दिये जाने वाला बजट कम होने के कारण दवाओं का उत्पादन कम हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार सरकारी अस्पतालों में सुचारु रूप से दवायें उपलब्ध कराये जाने हेतु बजट बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

प्रदेश में 02 राजकीय फार्मेसियां निम्नवत् संचालित हैं :-

(1) राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला, लखनऊ।

(2) राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला, पीलीभीत।

जी नहीं। औषधियों हेतु पर्याप्त बजट उपलब्ध है। आवश्यकता के अनुरूप औषधियों का निर्माण किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद बलिया के विभिन्न थानों व पुलिस चौकियों पर एक वर्ष से अधिक समय से तैनात पुलिस कर्मी**

112-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विभिन्न थानों व पुलिस चौकियों पर ऐसे कितने पुलिस कर्मी हैं जो एक वर्ष से अधिक समय से तैनात हैं ? क्या सरकार

ऐसे पुलिस कर्मियों को अन्यत्र थानों पर स्थानान्तरित किये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जनपद बलिया के विभिन्न थानों एवं पुलिस चौकियों में एक वर्ष से अधिक समय से कुल 697 पुलिस कर्मी तैनात हैं।

उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अनुसार निरीक्षकों/उप निरीक्षकों का किसी एक जिले हमें 06 वर्ष तथा किसी एक थाने पर 08 वर्ष, मुख्य आरक्षी को किसी एक जिले में 10 वर्ष व किसी एक थाने पर 05 वर्ष एवं आरक्षी को किसी एक थाने में 05 वर्ष से अधिक न रहने दिये जाने का प्राविधान है। पुलिस रेगुलेशन की उक्त व्यवस्था के अनुसार पुलिस कर्मियों के स्थानान्तरण की व्यवस्था है। नियमों से आच्छादित न होने के कारण स्थानान्तरण किये जाने पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है।

**नगर निगम लखनऊ के अन्तर्गत खराब हैण्डपम्पों को ठीक कराने की मांग**

113-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम लखनऊ के अन्तर्गत पेयजल की समस्या को देखते हुए सरकार वार्ड सं0 86 में वर्तमान समय में खराब इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों को ठीक कराने के निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

वार्ड संख्या-86 में 62 इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं जिनमें 13 हैण्डपम्प स्थाई रूप से खराब/रि-बोर योग्य हैं जिन्हें वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने एवं वरीयता निर्धारण के उपरान्त रि-बोर कराया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

**नगर निगम लखनऊ के अन्तर्गत लाल कुआं वार्ड में स्थित हैण्डपम्प को ठीक कराने की मांग**

114-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर निगम, लखनऊ के अन्तर्गत लालकुंआ वार्ड में स्थित कुन्दन लाल का हाता सं0 69/35 लालकुंआ भेड़ी मण्डी, लखनऊ में लगा इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प एक वर्ष से खराब है ? यदि हां, तो क्या सरकार खराब हैण्ड पम्प को ठीक कराने का निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

उक्त हैण्डपम्प खराब था जिसे विशेष मरम्मत कराकर चालू करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

**लखनऊ नगर निगम के अन्तर्गत लालकुआं स्थित कुंदन लाल का हाता में जुआ खेलने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग**

115-श्री आरिफ़ अनवर हाशमी-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ नगर निगम के अन्तर्गत लालकुआं स्थित कुन्दन लाल का हाता में शाम होते ही बड़े पैमाने पर जुआ खेलने का कार्य खुले आम चलता है ?

यदि हां, तो क्या सरकार गलत कार्य करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

नगर निगम के अन्तर्गत लालकुआं स्थित कुंदन लाल का हाता में जुआ खेलने की बात प्रकाश में नहीं आई है। फिर भी इस पर सतर्क दृष्टि रखे जाने हेतु क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षक, कैसरबाग को निर्देशित कर दिया गया है। यदि ऐसी कोई बात प्रकाश में आयेगी तो निश्चित रूप से नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जायेगी।

उपर्युक्त से स्पष्ट है।

**जनपद बांदा के ग्राम चटगन-स्योहारा मरौली में शुद्ध पेयजल योजना उपलब्ध कराने की मांग**

116-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के ग्राम चटगन-स्योहरा मरौली में पानी खारा होने के कारण लोगों को केन नदी का प्रदूषित पानी पीना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी नहीं।

ग्राम चटगन में 11, तथा ग्राम क्वेटरा मरौली में 28 हैण्डपम्प अधिष्ठापित है, जिसमें क्रमशः 1 तथा 3 हैण्डपम्प का जल रासायनिक परीक्षण में असंतोषजनक पाये जाने पर प्रश्नगत हैण्डपम्प को बन्द कर दिया गया है।

इस प्रकार ग्राम चटगन में 10 तथा क्योटरा मरौली में 25 हैण्डपम्प से ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो रहा है। उक्त के अतिरिक्त शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पाइप पेयजल योजना स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

**जनपद बांदा के थाना पैलानी में ग्राम प्रधान अलोना सहित पांच लोगों के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग**

117-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के थाना पैलानी में मु0अ0सं0 100/07 धारा 409/420/ 467/468/471/161, आई0पी0सी0 के तहत ग्राम प्रधान, अलोना सहित पांच लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितने लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है ? क्या सरकार को यह जानकारी है कि 90 दिन बीतने के बाद भी जांच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल नहीं की गई है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या शासन स्तर से जांच कराकर कार्यवाही करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

विवेचना से अभियुक्तगण के विरुद्ध गिरफ्तारी करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य न पाये जाने के कारण गिरफ्तार नहीं किये गये।

विवेचना से नामित अभियुक्तगण के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य न पाये जाने पर अभियोग में दिनांक 18-08-08 को अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गई।

उपरोक्त से स्पष्ट है।

चूंकि विवेचनोपरान्त अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट मा0 न्यायालय में दिनांक 14-10-08 को दाखिल की जा चुकी है। अतः शासन स्तर से जांच कराने की आवश्यकता नहीं है।

**जनपद बांदा में विधायक कोटे के अन्तर्गत स्वीकृत हैण्डपम्प**

118-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में विधायक कोटे के अन्तर्गत कुल कितने हैण्डपम्प वर्ष 2007-08 व 08-09 में स्वीकृत हुए हैं और कितने कितने हैण्डपम्प लगाये गये हैं तथा कितने लगाये जाने शेष हैं ? शेष हैण्ड पम्पों को कब तक लगा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

वर्ष 2007-08 में विधायक कोटे के अन्तर्गत स्वीकृत 3046 हैण्डपम्प के सापेक्ष 2836 हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये गये हैं। शेष 210 हैण्डपम्प में से 123 की ही सूची मा0 सदस्यगण से प्राप्त हुई थी।

वर्ष 2008-09 में विधायक कोटे के अन्तर्गत हैण्डपम्प अधिष्ठापित की व्यवस्था नहीं थी।

उक्त 123 हैण्डपम्प में से 46 स्थल विवाद, 69 स्थल पर मशीन न पहुंच पाने, 07 स्थल पर पानी न मिलने तथा 01 स्थल पर पूर्व में ही हैण्डपम्प लगा होने के कारण इनका अधिष्ठापन नहीं किया जा सका।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद बांदा के थाना कोतवाली नगर में एस0सी0एस0टी0 ऐक्ट के अन्तर्गत श्री अवधेश सिंह, श्री अजीत सिंह व श्री धर्मेन्द सिंह आदि मुल्जिमों के विरुद्ध आरोप-पत्र**

119-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 सी 19/2004, धारा 147/332/504/506/509/427/3(1) 3 व 3(1) 10 एस0सी0एस0टी0 ऐक्ट के अन्तर्गत अवधेश सिंह, अजीत सिंह व धर्मेन्द्र सिंह आदि मुल्जिमों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में वर्ष 2007 में दाखिल किया गया है तथा न्यायालय द्वारा गैर जमानती वारन्ट जारी किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार मुल्जिमानों की गिरफ्तारी करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

प्रश्नगत प्रकरण में मु0अ0सं0-सी 19/04 धारा-447/332/504/506/509/427 भा0दं0वि0 व 3 (1)10 एवं 3 (1) 3 एससी/एस0टी0 ऐक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा में

अभियुक्तगण अवधेश सिंह, अजीत सिंह, धर्मेन्द्र सिंह व अन्य के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 25-2-06 की बिना गिरफ्तारी के प्रेषित किया गया। अभियुक्तगण अवधेश सिंह, कु0 रेखा, कु0 गीता, अजीत सिंह, धर्मेन्द्र सिंह के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 12-01-2010 को गिरफ्तारी अधिपत्य एवं आदेश 82 जा0फौ0 जारी किया गया। प्रश्नगत अभियुक्तगण फरार हैं।

**जनपद जालौन, बांदा, हमीरपुर, फतेहपुर, चित्रकूट में हत्या, लूट, अपहरण, डकैती की घटनायें**

120-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद- जालौन, बांदा, हमीरपुर, फतेहपुर, चित्रकूट में वर्ष 2007-08 से अब तक कुल कितनी हत्या, लूट, अपहरण, डकैती की घटनायें घटी हैं ? क्या सरकार द्वारा बढ़ रही घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु कोई कार्य योजना तैयार की गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जनपद जालौन, बांदा, हमीरपुर, फतेहपुर, चित्रकूट में वर्ष 2007-08 से अब तक हत्या, लूट, अपहरण, डकैती की घटित कुल घटनाओं की स्थिति निम्नवत् है :-

| क्र0 सं0 | जनपद | डकैती | | | लूट | | | हत्या | | | फिरौती हेतु अपहरण | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 09 | 08 | 07 | 09 | 08 | 07 | 09 | 08 | 07 | 09 | 08 | 07 |
| 1 | जालौन | 2 | 1 | 5 | 6 | 15 | 13 | 33 | 41 | 47 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | फतेहपुर | 2 | 1 | 2 | 16 | 10 | 9 | 66 | 56 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | बांदा | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 18 | 21 | 35 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | हमीरपुर | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 30 | 33 | 23 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | चित्रकूट | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 17 | 27 | 21 | 0 | 3 | 0 |

अपराधों की रोकथाम हेतु समय-समय पर शासन द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अन्तर्गत पुलिस द्वारा सुनियोजित ढंग से कार्यवाही की जाती हैं प्रदेश में अन्याय मुक्त एवं भयमुक्त वातावरण बनाने तथा कानून का राज स्थापित करने के लिये प्रदेश पुलिस को पूरी निष्पक्षता से शातिर, कुख्यात एवं पेशेवर अपराधियों तथा माफियाओं को सही चिन्हांकन कर उनके विरुद्ध कड़ी विधि सम्मत कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। अपराध व कानून व्यवस्था की स्थिति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है एवं उचित निर्देश दिये जाते हैं। प्रभावी गश्त और सतर्कता रखते हुए अपराधों को नियंत्रित किया जाता है। घटित अपराधों की निष्पक्षता से सही विवेचना कर अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त जनपदों की एस0ओ0जी0 टीम तथा एस0आई0एस0 टीम को सक्रिय किया गया है। संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण प्रकरणों में एस0टी0एफ0 की भी मदद ली जाती है।

**इलाहाबाद नगर में पेयजलापूर्ति हेतु लगाये गये नलकूप**

121-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद नगर क्षेत्र में वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 तथा 30 सितम्बर, 09 तक कहां-कहां पर पेयजलापूर्ति हेतु नलकूप लगाये गये हैं ? यह नलकूप किन-किन योजनाओं में लगाये गये हैं ?

श्री नकुल दुबे-

इलाहाबाद नगर में वर्ष 2006-07 में पेयजलापूर्ति हेतु 6 नलकूप लगाये गये हैं। वर्ष 2007-08 में कोई नलकूप नहीं लगाया गया है। वर्ष 2008-09 में एक नलकूप लगाया गया है तथा वर्ष 2009-10 में 30 सितम्बर, 2009 तक 14 नलकूप लगाये गये हैं।

वर्ष 2006-07 में लगाये गये 6 नलकूपों में से 5 नलकूप अर्धकुम्भ मेला अनुदान से तथा एक नलकूप जल संस्थान निधि से लगाया गया है। वर्ष 2008-09 में अधिष्ठापित एक नलकूप जल संस्थान निधि से लगाया गया है। वर्ष 2009-10 में 30 सितम्बर, 2009 तक जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत 32 नलकूप लगाये गये हैं जिनमें से 14 चालू हैं तथा 18 नलकूपों का कार्य प्रगति पर है।

**कमला नगर चौकी आगरा में पुलिस कर्मियों की तैनाती**

122-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में बड़े क्षेत्रफल वाली कमला नगर चौकी पर कितने पुलिस कर्मियों की तैनाती है तथा वर्तमान में कितने पुलिस कर्मी वहां कार्यरत हैं ? क्या वर्तमान में पुलिस कर्मियों की संख्या मानक से कम है ? यदि कम है तो शेष पुलिस कर्मियों की तैनाती की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जनपद आगरा के थाना न्यू आगरा क्षेत्रान्तर्गत चौकी कमलानगर जनपद स्तर पर स्वीकृत पुलिस चौकी है। इस पुलिस चौकी में 02 उप निरीक्षक व 30 आरक्षी नियुक्त हैं। चूंकि उक्त पुलिस चौकी अस्थाई है, अतः इस पर तैनात किये जाने वाले पुलिस कर्मियों का कोई मानक निर्धारित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद आगरा में बैनारा फैक्ट्री, सिकन्दरा के पीछे और सामने नाले की सफाई**

123-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में बैनारा फैक्ट्री, सिकन्दरा के पीछे और सामने 10 फुट चौड़ाई, 10 फुट गहराई और 5 किमी लम्बा नाला सिल्ट से भरा पड़ा है, जिससे कभी दुर्घटना हो सकती है ? यदि हां, तो क्या सरकार मशीन द्वारा इसकी सफाई करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

बेनारा फैक्ट्री सिकन्दरा के पीछे और सामने वाले नाले की सफाई कराई जा चुकी है, सफाई के द्वौरान लगभग 300 ट्रैक्टर सिल्ट निकाली तथा उठवाई गई।

**जनपद आगरा के शान्ति नगर कालोनी में सड़क व नाली की मरम्मत की मांग**

124-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के शान्ति नगर (श्रीनाथ पुरम) कालोनी कमला नगर में सड़क व नाली जर्जर एवं गड्ढ़ा युक्त है जिससे वहां सड़कों पर जल भराव रहता है जिसके कारण आये दिन दुर्घटनाएं होती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों व नालियों की मरम्मत करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

जी नहीं।

शान्तिनगर (श्री नाथपुरम्) कालोनी कमलानगर, आगरा नगर निगम को हस्तान्तरित नहीं है।

**आगरा के कमला नगर क्षेत्र में नये थाने की मांग**

125-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या आगरा के कमला नगर क्षेत्र में जनसंख्या बहुत बढ़ जाने के कारण अपराध भी बढ़ गये हैं ? क्या यह भी सही है कि अपराधों को रोकने के लिये विगत 10 वर्षों से एक नये थाने की मांग क्षेत्रीय जनता द्वारा की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में नये थाने बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी नहीं।

जी नहीं।

गृह मंत्रालय भारत सरकार के परिपत्र संख्या-9/66/09, सी0डी0 (सी0ई0एन0) दिनांक 22 सितम्बर, 2009 के निर्देशानुक्रम में जारी सामान्य प्रशासन अनुभाग की अधिसूचना संख्या जी0आई0-165/तीन-09-15(1)/09 दिनांक 22 दिसम्बर, 2009 द्वारा वर्तमान में प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों की सीमा में सभी प्रकार के परिवर्तन पर रोक लगाई गई है। अतः इस संबंध में फिलहाल कार्यवाही सम्भव नहीं है।

**जनपद मथुरा में तहसील माट में यमुना किनारे अवस्थित "आक्षावरी माला" के टीले से प्राप्त मूर्तियों का विवरण**

126-डा0 अनिल चौधरी-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मादौर, तहसील महावन, जनपद-मथुरा में यमुना किनारे अवस्थित "आक्षावरी माता" के नाम से विख्यात टीले से प्राप्त मूर्तियों का विवरण व इतिहास राजकीय पुरातत्व संग्रहालय मथुरा में मौजूद है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस टीले के इतिहास की जानकारी हेतु उक्त स्थल पर सूचना पट लगवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद सिंह-

जनपद मथुरा के तहसील माट में अवस्थित इकोटरी टीले के उत्खनन में निकली कुषाण वंश की मूर्तियों का विवरण व इतिहास राजकीय संग्रहालय मथुरा में उपलब्ध है।

नहीं।

प्रश्नगत स्थल भारतीय पुरातत्व विभाग, भारत सरकार द्वारा संरक्षित होने के कारण इसके इतिहास की जानकारी हेतु सूचना पट लगाने का दायित्व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का है।

**जनपद महामायानगर की तहसील सादाबाद में अवस्थित "जवाहर गढ़" के इतिहास की जानकारी**

127-डा0 अनिल चौधरी-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महामायानगर की तहसील सादाबाद के मौजा कुकटई में राष्ट्रीय राजमार्ग-93 पर अवस्थित "जवाहर गढ़" के इतिहास की जानकारी हेतु क्या सरकार उक्त स्थल पर सूचना पट लगवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद सिंह-

जी नहीं।

यह कार्य पर्यटन विभाग से संबंधित नहीं है।

**जनपद महामायानगर के डार्क घोषित कतिपय विकास खण्डों में भूगर्भ जलस्तर की उपलब्धता जानने हेतु रिमोट सेन्सिंग सर्वे कराने की मांग**

128-डा0 अनिल चौधरी-

क्या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महामायानगर के डार्क घोषित सादाबाद, सहपऊ व हाथरस विकास खण्डों में भूगर्भ जलस्तर की उपलब्धता जानने हेतु रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर, उ0प्र0 लखनऊ के जल संसाधन प्रभाग-2 द्वारा क्या "रिमोट सेन्सिंग सर्वे" कराया गया है ? यदि नहीं तो क्या उक्त सर्वे कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अब्दुल मन्नान)-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

**रामगंगा एवं शारदा सहायक कमाण्ड परियोजना में कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवा नियमावली**

129-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या भूमि विकास एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या राम गंगा कमांड परियोजना शारदा सहायक कमांड परियोजना में समूह "ग" व अन्य कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवा नियमावली बना ली गई है ? यदि हां, तो कब ? क्या उक्त सेवा नियमावली को लागू भी कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक कुमार दोहरे-

उत्तर प्रदेश भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग के समूह ''क'' एवं समूह ''ख'' के अधिकारियों को क्रमशः उत्तर प्रदेश भूमि विकास और जल संसाधन विभाग (समूह क) सेवा नियमावली 2003 तथा उत्तर प्रदेश समादेश क्षेत्र परियोजना भूमि संरक्षण अधिकारी और प्राविधिक अधिकारी सेवानियमावली, 2008 बना ली गई है तथा समूह ''ग'' एवं अन्य कर्मचारियों की सेवा नियमावलियों का विरचन प्रक्रियाधीन है।

उक्त इंगित समूह ''क'' एवं समूह ''ख'' की सेवा नियमावलियां क्रमशः दिनांक 4 जुलाई, 2003 तथा दिनांक 2 सितम्बर, 2008 से लागू कर दी गई है। समूह ''ग'' एवं अन्य कर्मियों की सेवा नियमावलियों यथाशीघ्र बनाकर लागू कर दी जायेगी।

**जनपद आगरा में सुशील नगर जमुना ब्रिज में सड़कों की नालियों का निर्माण**

130-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के सुशील नगर जमुना ब्रिज में सड़कें तो बन चुकी हैं, लेकिन नालियां न बनने के कारण पानी सड़क पर बह रहा है जिससे सड़कें कट रही हैं ? क्या सरकार उक्त सड़कों की नालियों का निर्माण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

कार्य भीमनगरी आयोजन, 2010 के अन्तर्गत डूडा, आगरा द्वारा इस क्षेत्र के विकास कार्यों को कराने हेतु अपनी कार्य योजना में शामिल कर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

**आगरा में ताजमहल के पीछे जमुना नदी से गन्दगी साफ कराने की मांग**

131-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में ताजमहल के पीछे यमुना नदी में गन्दगी के कारण देश-विदेश के पर्यटकों में आगरा की छवि विदेशों में खराब हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार ताजमहल के पीछे यमुना नदी से गन्दगी साफ करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

यमुना नदी में फ्लोटिंग मैटेरियल से होने वाले गन्दगी की नगर निगम, आगरा द्वारा अपने संसाधनों से सफाई कराई जा चुकी है तथा भविष्य में होने वाले गन्दगी को भी समय-समय पर साफ कराया जायेगा।

यमुना नदी की सफाई हेतु कार्य योजना तैयार करके कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद आगरा में नगला कतरी नवलगंज कटरा वजीर खां क्षेत्र के जर्जर शौचालयों की मरम्मत की मांग**

132-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-आगरा के अन्तर्गत नगला फतरी नवलगंज कटरा वजीर खां क्षेत्र के शौचालय बहुत ही जर्जर एवं गिरने की स्थिति में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त शौचालयों की मरम्मत करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 यशवन्त सिंह-

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के अन्तर्गत संचालित आई0एल0सी0 एस0 योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों के लिये शुष्क शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तन किये जाने तक ही बहरहाल सीमित है। नगर निगम अधिनियम की धारा-114 के अन्तर्गत सामुदायिक शौचालय आदि जन सुविधायें उपलब्ध कराने व उनके रख रखाव का अनिवार्य दायित्व नगर निगम का है, जो एक स्वायत्तशासी सांविधिक निर्वाचित संस्था है।

**नगर निगम आगरा के अन्तर्गत जर्जर शौचालयों को ठीक कराने की मांग**

133-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाटर वर्क्स के सामने, लगड़े की चौकी रोड गली में तथा शास्त्री नगर में नगर निगम के शौचालय एवं बाल्मीकि बस्ती शिवपुरी बल्केश्वर आगरा के शौचालय जर्जर एवं गिरने की स्थिति मे है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त शौचालयों की मरम्मत करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 यशवन्त सिंह-

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के अन्तर्गत संचालित आई0एल0सी0 एस0 योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों के लिये शुष्क शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तन किये जाने तक ही बहरहाल सीमित है। नगर निगम अधिनियम की धारा-114 के अन्तर्गत सामुदायिक शौचालय आदि जन सुविधायें उपलब्ध कराने व उनके रख रखाव का अनिवार्य दायित्व नगर निगम का है, जो एक सांविधिक स्वायत्तशासी निर्वाचित संस्था है।

**जनपद सीतापुर के चुनाव ड्यूटी में लगाई गई बस के भाड़े का भुगतान**

134-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या निर्वाचन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में वर्ष 2007 के विधान सभा चुनाव में चुनाव ड्यूटी में लगाई गई बस सं0 यू0पी0 75-8927 के भाड़े का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

निर्वाचन उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप मंत्री (श्री रामहेत भारती)-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

**जल संस्थान, चित्रकूटधाम मण्डल बांदा के पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित धनराशि**

135-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जल संस्थान चित्रकूट धाम, मण्डल बांदा को वित्तीय वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 में किन-किन मदों में कार्य करने हेतु कितनी-कितनी धनराशि शासन द्वारा प्रदान की गयी है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त वर्षों में कितने कुओं पर पम्पिंग प्लान्ट अधिष्ठापित कर चालू कराये गये थे ? उक्त में से वर्तमान में कितने बन्द हैं तथा कितने चालू हैं ? क्या सरकार बन्द पम्पिंग प्लान्ट को चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जल संस्थान, चित्रकूटधाम मण्डल बांदा को वर्ष 2006-07 में रु0 947.39 लाख वर्ष 2007-08 में रु0 1005.45 लाख एवं वर्ष 2008-09 में 1151.925 लाख रु0 पेयजल योजनाओं के अनुरक्षण रख-रखाव एवं संचालन मद में बजटीय आवंटन के तहत तथा वर्ष 2007-08 में रु0 614.682 लाख एवं वर्ष 2008-09 में रु0 237.593 लाख सूखा राहत मद में शासन द्वारा स्वीकृत की गई है।

वर्ष 2006-07 में 03 कुओं पर तथा वर्ष 2007-08 में 02 कुओं पर पम्पिंग प्लान्ट अधिष्ठापित कर चालू कराये गये।

05 कुओं में से कालीजर स्थित लंकापुरी मोहल्ले के कुएं पर अधिष्ठापित पम्प बन्द हैं क्योंकि उक्त कुएं में पानी का स्रोत सूख गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद बांदा में अग्निशमन केन्द्र**

136-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बांदा में कुल कितने अग्निशमन केन्द्र हैं ? क्या सरकार ब्लाक जसपुरा तथा कमासिन में एक-एक अग्निशमन उपकेन्द्र खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जनपद बांदा में मात्र एक अग्निशमन केन्द्र स्वीकृत है तथा वर्तमान में क्रियाशील है

ब्लाक जसपुरा व कमासिन में अग्निशमन उपकेन्द्र खोलने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत।

**प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे बंगलादेशियों के चिन्हीकरण, गिरफ्तारी हेतु कृत कार्यवाही**

137-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बंगलादेशियों की घुसपैठ को रोकने एवं प्रदेश में घुसे घुसपैठियों को चिन्हित करने की दिशा में विगत 6 माह में क्या कार्यवाही की

गयी ? क्या सरकार उक्त गम्भीर समस्या को रोकने हेतु कोई रूपरेखा तैयार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे बंगलादेशियों के चिन्हींकरण/गिरफ्तारी/उद्वासन हेतु सामान्य प्रक्रिया के अतिरिक्त समय-समय पर प्रदेश सरकार एवं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार जनपदीय पुलिस प्रभारी के पर्यवेक्षण में अभियान चलाये जाते हैं।

विगत 6 माह में 26 बंगलादेशी राष्ट्रिक (गाजियाबाद-5, गौतमबुद्ध नगर-2, सहारनपुर-13, फैजाबाद-1, मुरादाबाद-1, काशीराम नगर-2, मेरठ-1 एवं मुजफ्फरनगर-1) गिरफ्तार एवं 23 बंगलादेशी राष्ट्रिक (गौतमबुद्धनगर-2, आगरा-2, सहारनपुर-18 एवं फिरोजाबाद-1) उद्वासित किय गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद फतेहपुर में कतिपय खराब मार्गों के मरम्मत की मांग**

138-श्री राधेश्याम गुप्त-

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत लोधीगंज फतेहपुर से रमवा मार्ग 1 कि0मी0 अहेवा से कठेरवा मार्ग विकास खण्ड भिटौरा, पंचमिटा से शिवपुर मार्ग विकास खण्ड तेलियानी तथा गयासपुर से रहिमापुर मार्ग खराब है ? यदि हां, तो उक्त मार्गों की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात मंत्री (ठाकुर जयवीर सिंह)-

प्रश्न में उल्लिखित मार्गों के सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् है :-

1-लौधीगंज फतेहपुर में रमवां 1.00 से 5.00 कि0मी0 तक मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया है। 5.00 कि0मी0 से आगे 560 मीटर में डब्लू0वी0एम0 स्तर तक का निर्माण कार्य पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश) से ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, प्रखण्ड फतेहपुर द्वारा कराया गया है। उक्त भाग का लेपन कार्य वित्तीय किस्त प्राप्त न होने के कारण पूर्ण नहीं हो सका है।

2-अहेवा से कठेरुआ मार्ग के भाग चितिसापुर से कठेरुवा जिसकी लम्बाई 1.00 कि0मी0 है, का निर्माण पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश) से ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, प्रखण्ड फतेहपुर द्वारा वर्ष 2004-05 में कराया गया था। वर्तमान में अहेवा से कडेरुवा मार्ग के मरम्मत का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा करा दिया गया है।

3-अदमापुर पंचभिटा से दावतपुर तक कुल दूरी 2.6 कि0मी0 में से 0.925 कि0मी0 लेपन स्तर तक तथा 0.875 कि0मी0 टापकोट स्तर तक का निर्माण कार्य पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश) से कराया गया है। शेष 0.800 कि0मी0 लम्बाई अधूरी है। उक्त मार्ग पर शिवपुर नहीं आता है।

4-कयासपुर से रहिमापुर मार्ग कुल लम्बाई 0.850 कि0मी0 के निर्मित 0.640 कि0मी0 का अन्तिम 0.200 कि0मी0 भाग क्षतिग्रस्त है। द्वितीय किश्त की धनराशि प्राप्त न होने के कारण शेष 0.210 कि0मी0 में कार्य नहीं हुआ है।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग में मरम्मत मद के अन्तर्गत विभागीय बजट का प्राविधान नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

**इलाहाबाद महानगर में जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन के अन्तर्गत सीवर संबंधी योजना**

139-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद महानगर में जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन के अन्तर्गत सीवर बिछाने, सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट बनाने की कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? कितने किलोमीटर सीवर बिछायी जायेगी तथा इस योजना के पूर्ण होने की क्या कोई समयावधि निश्चित है ? यदि हां, तो वह समय सीमा क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सीवर की खुदाई से उत्पन्न यातायात समस्या से निपटने हेतु समयबद्ध योजना बनायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन के अन्तर्गत सीवेज डिस्ट्रिक्ट-डी फेज-1 अनुमानित लागत रु0 355.98 करोड़ भारत सरकार द्वारा मार्च, 2009 में अनुमोदित की गई।

योजना के अन्तर्गत 232.2 कि0मी0 सीवर लाइन बिछाई जायेगी तथा 60 एम0एल0डी0 क्षमता का एक सीवर ट्रीटमेंट प्लान्ट तथा तत्संबंधी अन्य कार्य कराये जायेंगे। समयावधि निश्चित हैं

योजना की समयावधि 3 वर्ष है। योजना के कार्य अक्टूबर, 2012 तक पूर्ण कराये जायेंगे।

सीवर लाइन मार्च, 2012 तक डाली जायेगी। सीवर लाइन डालते समय यातायात पुलिस तथा अन्य संस्थाओं से समन्वय कर कार्य कराया जायेगा सीवर लाइन डालने के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत यथाशीघ्र कराई जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद लखनऊ के थाना हुसैनगंज में श्री संजीव अग्रवाल एवं श्री राकेश जैन के विरुद्ध पंजीकृत मुकदमा**

140-श्री चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखनऊ के थाना-हुसैनगंज में मेसर्स प्रस्तुति आटोमोबाइल्स, प्रतिभा काम्पलेक्स, 38 दरबारी लाल शर्मा मार्ग के खिलाफ अपराध सं0-32/2004 धारा 420, 468, 471 पंजीकृत हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त अपराध की विवेचना

पूरी कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है ? कब तक आरोप पत्र दाखिल करा दिया जायेगा ?

सुश्री मायावती-

वादी श्री जगदीश प्रसाद राठौर पुत्र श्री शिवराम, थाना मड़ियांव के प्रार्थना-पत्र पर श्री संजीव अग्रवाल एवं श्री राकेश जैन के विरुद्ध मु0अ0सं0-32/04, अन्तर्गत धारा 420/468/471 भादंवि दिनांक 03-03-04 को थाना हुसैनगंज, जनपद लखनऊ पर पंजीकृत हुआ है।

प्रश्नगत अभिलेखों की विवेचना पूर्ण कर अंतिम रिपोर्ट दिनांक 22-5-06 मा0 न्यायालय में प्रेषित की गई है।

उपरोक्तानुसार स्थिति स्पष्ट है।

**चारबाग रवीन्द्रालय, लखनऊ के पास आटो रिक्शा स्टैण्ड पर आटो रिक्शा चालकों से अवैध वसूली का प्रकरण**

141-श्री चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ सेवायोजन कार्यालय के सामने चारबाग रवीन्द्रालय के पास नत्था चौराहा, फैजाबाद रोड, मुंशी पुलिया, इन्दिरा नगर, कैसरबाग, पी0 जी0 आई0 हेतु जाने वाली आटो रिक्शा स्टैण्ड पर आटो रिक्शा से अवैध रूप से वसूली की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर इस पर रोक लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

चारबाग, रवीन्द्रालय के पास नत्था चौराहा, फैजाबाद रोड, मुंशी पुलिया, इन्दिरानगर कैसरबाग, पी0जी0आई0 हेतु जाने वाली आटो रिक्शा स्टैण्ड पर अवैध रूप से वसूली किये जाने की बात प्रकाश में नहीं आयी है। फिर भी समस्त थाना प्रभारियों को इस पर कड़ी दृष्टि रखने हेतु निर्देशित कर दिया गया है। यदि अवैध वसूली किये जाने की कोई घटना प्रकाश में आयेगी तो निश्चित रूप से सम्बन्धित के खिलाफ नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।

उपर्युक्त से स्पष्ट है।

**सेक्टर-13 राजाजीपुरम् लखनऊ के सेठी नर्सिंग होम चौराहे के पास प्रकाश व्यवस्था की मांग**

142-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर निगम अन्तर्गत सेक्टर-13 राजाजीपुरम् के सेठी नर्सिंग होम चौराहे के आसपास मार्ग प्रकाश व्यवस्था सुचारु रूप से न होने के कारण आये दिन चोरियां हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार मार्ग प्रकाश व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

सेक्टर-13 राजाजीपुरम् के सेठी नर्सिंग होम चौराहे के आस-पास मार्ग प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था है एवं सभी प्रकाश बिन्दु प्रज्जवलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद् द्वारा किये गये भ्रष्टाचार विषयक-पत्र पर कृत कार्यवाही**

143-श्री अनिल कुमार सिंह यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21-8-09 जो कि कैबिनेट सचिव (मुख्य मंत्री) उ0 प्र0 एवं आयुक्त, गोरखपुर मण्डल गोरखपुर को भेजा गया है तथा जो अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद् द्वारा किये गये भ्रष्टाचार विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद गाजियाबाद में सिम्भावली शुगर मिल/डिस्टलरी द्वारा प्रदूषित गन्दा पानी को गंगा नदी में डाले जाने के विरुद्ध कार्यवाही**

144-श्री मदन चौहान-

क्या पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि जनपद-गाजियाबाद में सिम्भावली शुगर मिल/डिस्टलरी के द्वारा रासायनिक/प्रदूषित गन्दा पानी फुलडहरा (सिंचाई विभाग) ड्रेन के द्वारा गंगा नदी में डाला जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पर रोक लगाते हुये दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

145-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

**चित्रकूट मण्डल के जनपद बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा में हत्या अपहरण लूट एवं दहेज की घटनायें**

146-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चित्रकूट मण्डल के जनपद-बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट महोबा में वर्ष 2007-08 से दिनांक 30-4-09 तक हत्या, अपहरण, लूट, दहेज, डकैती व चोरी की कितनी-कितनी घटनायें घटी हैं ? सरकार द्वारा उक्त अपराधों को रोकने हेतु क्या-क्या कदम उठाये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जनपद बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा में वर्ष 2007-08 से दिनांक 30-4-09 तक की अवधि में हत्या, अपहरण, लूट, दहेज, डकैती व चोरी की घटित घटनाओं की स्थिति निम्नवत् है :-

| अपराध शीर्षक | बांदा | हमीरपुर | चित्रकूट | महोबा |
|---|---|---|---|---|
| हत्या | 87 | 75 | 50 | 58 |
| अपहरण | 61 | 49 | 25 | 03 |
| लूट | 22 | 04 | 05 | 27 |
| दहेज | 139 | 84 | 60 | 88 |
| डकैती | -- | 02 | 05 | 04 |
| चोरी | 201 | 49 | 80 | 101 |
| कुल | 510 | 263 | 225 | 281 |

अपराधों की रोकथाम हेतु प्रार्थना-पत्रों एवं एनसीआर की त्वरित जांच की जा रही है। विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत प्रभावी आवश्यक निरोधात्मक कार्यवाही की जा रही है। अभ्यस्त एवं क्रियाशील अपराधियों पर नियमित निगरानी रखी जा रही है। हस्तक्षेपीय अपराधों में त्वरित विवेचना कर अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। पुलिस गश्त/पिकेट की व्यवस्था की गई है।

उपरोक्त से स्पष्ट है।

**श्री आनन्द कुमार सिंह, सहायक लेखाकार, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ के नियमितीकरण का प्रकरण**

147-श्री सुल्तान बेग-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री आनन्द कुमार सिंह सहायक लेखाकार, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बी0 के0 टी0 लखनऊ के नियमितीकरण हेतु याचिका संख्या-4948/एस/एस/06 में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्ड पीठ, लखनऊ द्वारा दिनांक 26-05-2006 को आदेश प्रदान किये गये थे ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में श्रीमती सुनीता सिंह पत्नी श्री आनन्द कुमार सिंह के पत्र पर ग्राम्य विकास मंत्री, उ0 प्र0 सरकार ने मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु पत्रांक-925/वी0आई0पी0/मंत्री/ग्रा0 वि0/09, दिनांक 25-09-09 द्वारा आदेश प्रदान किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या न्यायालय के आदेशों का अनुपालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

जी हां।

जी नहीं। इस संबंध में श्री आनन्द कुमार सिंह द्वारा रिट याचिका संख्या-4948 (एस/एस)/2006 मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ में योजित की गई, जिसमें मा0

न्यायालय द्वारा दिनांक 26-5-2006 को श्री सिंह को विनियमित करने के संबंध में आदेश पारित किये गये।

चूंकि श्री आनन्द कुमार सिंह, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान बख्शी का तालाब, लखनऊ में नियंत्रणाधीन सेंटर फार डेवलपमेंट एक्शन (सी0डी0ए0) में मानदेय के आधार पर संविदा पर कार्यरत थे, जिनसे 31 मई, 2006 को संविदा अवधि समाप्त होने के बाद कार्य नहीं लिया गया। उक्त संस्था एक गैर शासकीय रजिस्टर्ड सोसाइटी है, जिसके कारण मा0 न्यायालय के उच्च आदेश का अनुपालन किया जाना सम्भव नहीं हो सका।

उक्त पारित मा0 न्यायालय के आदेश दि0 26-5-2006 के विरुद्ध विशेष अपील संख्या-472/2008, महानिदेशक, दीन दयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ बनाम आनन्द कुमार सिह योजित की गई, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 25-8-2008 को पारित अपने आदेश में निर्देश दिये गये कि एकल पीठ इस मामले की सुनवाई करे और इसे समाप्त करे। इस प्रकार प्रकरण मा0 न्यायालय में अभी विचाराधीन है।

**अध्यक्ष, नगर पंचायत डासना, जनपद गाजियाबाद को शासन द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस का उत्तर भेजे जाने पर अन्तिम निर्णय**

148-श्री लाल जी यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अध्यक्ष नगर पंचायत डासना, जनपद गाजियाबाद को नगर विकास अनुभाग-1 उ0 प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0 5585(1)/9-2008-53 च/2007, दिनांक 26-12-2008 द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर अध्यक्ष नगर पंचायत डासना द्वारा भेज दिया गया है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त उत्तर के संदर्भ में जिला अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा अपने पत्र सं0-140/टी एफ0 सी0-21/2008-09, दिनांक 18-2-09 द्वारा अध्यक्ष को दोषी मानते हुये आख्या प्रेषित की गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रकरण में शासन द्वारा अंतिम निर्णय ले लिया गया है ? यदि नहीं, तो निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

जी हां।

जी नहीं।

अध्यक्ष, नगर पंचायत डासना, जनपद गाजियाबाद को शासन द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 24-10-2008 के विरुद्ध अध्यक्ष द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष योजित रिट याचिका संख्या-62427/2008 हाफिज अताउल्ला अंसारी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19-12-2009 में शासन द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 24-10-2008 के प्रस्तर-3 में इंगित वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों के प्रविरत किये जाने संबंधी अंश को स्थगित कर दिया गया है। मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेशों के अनुपालन में शासन के कार्यालय आदेश दिनांक 02-03-2009 द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस दिनांक 24-10-2008 के प्रस्तर-3 की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन है।

**इलाहाबाद नगर निगम में स्थायी दैनिक वेतन भोगी तथा संविदा पर कार्यरत सफाई कर्मी**

149-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद नगर निगम में वर्तमान समय में कितने स्थायी दैनिक वेतन भोगी तथा संविदा पर सफाई कर्मी कार्यरत हैं ? क्या उ0 प्र0 हेल्थ मैनुअल के अनुसार इनकी संख्या पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो क्या शेष कर्मचारियों की भर्ती की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

इलाहाबाद नगर निगम में वर्तमान समय में 13 स्थायी दैनिक वेतन भोगी तथा 470 संविदा सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं।

जी नहीं।

शासनादेश संख्या-4246/9-7-9-41ज/09, दिनांक 26 नवम्बर, 2009 द्वारा संविदा पर नियुक्ति पर प्रतिबंध लगा दिये जाने के कारण भर्ती सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश में ग्रामीण अंचलों में पेयजल की समस्या**

150-श्री जोखू लाल यादव-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में पेयजल की समस्या को देखते हुये इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प लगाये जाने की क्या नीति है ? क्या सरकार गांवों की आबादी के सापेक्ष इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प लगाये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में 75 मीटर की न्यूनतम दूरी पर हैण्डपम्प के अधिष्ठापन की नीति है।

वर्तमान में प्रदेश में औसतन 70 की आबादी पर एक हैण्डपम्प अधिष्ठापित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**विधान सभा क्षेत्र, प्रतापपुर के अन्तर्गत जंघई बाजार क्षेत्र को नगरपालिका घोषित किये जाने पर विचार**

151-श्री जोखू लाल यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र, प्रतापपुर के अन्तर्गत जंघई बाजार क्षेत्र को नगरपालिका घोषित किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

जंघई बाजार क्षेत्र वर्तमान में एक ग्राम सभा है जिसकी जनसंख्या 5772 है। नगर विकास विभाग के शासनादेश संख्या-यू0 ओ0 123/11-6-86, दिनांक 06-12-1986 में की गयी व्यवस्थानुसार नगरपालिका बनाये जाने हेतु किसी नागर निकाय की जनसंख्या कम से कम 40 हजार होना आवश्यक है। वर्तमान में इस ग्राम सभा की जनसंख्या 40 हजार से काफी कम है, इसलिये इसे नगरपालिका बनाया जाना सम्भव नहीं है।

**जनपद इलाहाबाद में पुलिस स्टेशन व पुलिस चौकियां**

152-श्री जोखू लाल यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-इलाहाबाद में कुल कितने पुलिस स्टेशन (थाना) एवं कितनी पुलिस चौकियां हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि थानाध्यक्ष/थाना प्रभारी एवं चौकी इंचार्ज का पदभार दिये जाने के मानक क्या हैं ? क्या सरकार की कोई आरक्षण नीति है ? यदि हां, तो वह नीति क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जनपद इलाहाबाद में कुल 39 थाना एवं कुल 101 पुलिस चौकियां स्थापित हैं जिनमें से 10 पुलिस चौकियां शासन द्वारा स्वीकृत हैं, शेष 91 स्थानीय स्तर पर स्थापित की गयी हैं।

थानाध्यक्ष का प्रभार दिये जाने हेतु जो मानक निर्धारित हैं उसके अनुसार उसकी उम्र 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये, पिछले 5 वर्ष में सत्यनिष्ठा न रुकी हो, 3 वर्ष में परिनिन्दा लेख न मिला हो तथा 1 वर्ष के अन्दर प्रतिकूल मन्तव्य अंकित न हो। चौकी इन्चार्ज का पदभार दिये जाने हेतु कोई मानक निर्धारित नहीं है।

जी हां। थानाध्यक्ष/थाना प्रभारी हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये 23 प्रतिशत, पिछड़े वर्ग के लिये 27 प्रतिशत (इसमें मुस्लिम समुदाय के पिछड़े वर्ग सम्मिलित हैं) एवं सामान्य वर्ग के लिये 50 प्रतिशत आरक्षण है।

उपरोक्तानुसार।

**लखनऊ नगर निगम द्वारा घरेलू कूड़ा निस्तारण हेतु नगर के बाहर कूड़ा डालने की योजना**

153-श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर निगम के द्वारा प्रतिदिन सैकड़ों टन घरेलू कूड़ा गोमती नदी के किनारे डाला जाता है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन अधिनियम, 2000 के अनुसार घरेलू कूड़ा निस्तारण के लिये लखनऊ नगर के बाहर अलग से डम्पिंग ग्राउण्ड बनाये गये हैं ? यदि हां, तो कितने और कहां पर ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के अन्तर्गत लखनऊ नगर को सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट को रु0 42.92 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की गयी है जिसके अन्तर्गत हरदोई रोड पर स्थित ग्राम दशहरी सलेमपुर पतौरा, सिकरौरी व रायपुर की 95.405 हेक्टेयर भूमि सिनेटरी लैण्डफिल के विकास हेतु अधिग्रहीत की गयी है जिसकी उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा पर्यावर्णीय क्लीयरेन्स हेतु जनसुनवाई दि0 30-12-2009 को की गयी। उक्त क्लीयरेन्स के पश्चात! सिनेटरी लैण्डफिल के निर्माण की कार्यवाही की जायेगी।

**उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी में कार्यरत संविदा कर्मियों के विनियमितीकरण की कार्यवाही**

154-श्री चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

क्या संस्कृति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 संगीत नाटक अकादमी में कार्यरत संविदा कर्मियों के विनियमितीकरण हेतु शासन द्वारा कोई नीति निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त संविदा कर्मियों के विनियमितीकरण की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुभाष पाण्डेय-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद मुजफ्फरनगर की मोरना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय विकास खण्डों में खराब हैण्डपम्पों को रि-बोर कराने की मांग**

155-श्रीमती मिथलेश पाल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर की मोरना विधान सभा के अन्तर्गत पुरकाजी मोरना, जानसठ एवं खतौली विकास खण्डों में कितने-कितने राजकीय हैण्डपम्प लगे हैं ? इनमें से कितने हैण्डपम्प खराब हैं एवं कितने खराब हैण्डपम्पों को रिबोर कर दिया गया है ? शेष हैण्डपम्प कब तक रिबोर कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

विकास खण्ड-पुरकाजी, मोरना, जानसठ तथा खतौली में क्रमशः 1551, 2741, 2325 तथा 2434 हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं। इनमें से दिनांक 30-12-2009 तक खराब पाये गये (रि-बोर योग्य) क्रमशः 201, 190, 180 तथा 249 हैण्डपम्प को रि-बोर करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद आगरा की नगला देवजीत जमुना ब्रिज में सार्वजनिक शौचालय की मांग**

156-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री को जानकारी है कि जनपद-आगरा की नगला देवजीत जमुना ब्रिज में जनता के लिये सार्वजनिक शौचालय नहीं है ? क्या सरकार उक्त स्थान पर सार्वजनिक शौचालय बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 यशवन्त सिंह-

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के अन्तर्गत संचालित आई0 एल0 सी0 एस0 योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों के लिये शुष्क शौचालयों को जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तन किये जाने तक ही बहरहाल सीमित है। नगर निगम अधिनियम की धारा-114 के अन्तर्गत सामुदायिक शौचालय आदि जन सुविधायें उपलब्ध कराये जाने का अनिवार्य दायित्व नगर निगम का है, जो एक स्वायत्तशासी सांविधिक निर्वाचित संस्था है।

**मानसरोवर कालोनी, न्यू आगरा की जर्जर व गड्ढा युक्त सड़कों को ठीक कराने की मांग**

157-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में मानसरोवर कालोनी न्यू आगरा की सड़क विगत 5 वर्षों से जर्जर व गड्ढा युक्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सड़क को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

जी नहीं।

मानसरोवर कालोनी, न्यू आगरा, नगर निगम,आगरा को हस्तान्तरित नहीं है।

**लाजपत कुन्ज, खन्दारी आगरा की क्षतिग्रस्त सड़कें व नालियों की मरम्मत की मांग**

158-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लाजपत कुंज, खन्दारी आगरा की सड़कें व नालियां विगत 5 वर्षों से जर्जर व क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके कारण आवागमन बुरी तरह से बाधित हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों व नालियों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

लाजपत कुंज की सड़कें जो काफी क्षतिग्रस्त थीं उसका निर्माण आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा करा दिया गया है। शेष सड़कों पर पैच मरम्मत व नाली मरम्मत का कार्य नगर निगम, आगरा द्वारा करा दिया गया है तथा समय-समय पर आवश्यकतानुसार सड़कों पर पैच मरम्मत तथा नाली मरम्मत का कार्य कराया जाता रहता है।

**आगरा के मोतीगंज में सड़कें व नालियों की मरम्मत की कार्यवाही**

159-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा के मोती गंज में सड़कें व नालियां विगत 10 वर्षों से जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उनकी मरम्मत करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

आगरा के मोतीगंज की सड़कों व नालियों का स्थलीय निरीक्षण कराकर नगर निगम द्वारा आगणन तैयार कर लिया गया है। नगर निगम की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होने पर उक्त कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

**अध्यक्ष, नगर पंचायत सासनी (महामायानगर) द्वारा किये गये भ्रष्टाचार व अभिलेखीय हेराफेरी की जांच**

160-डा0 अनिल चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का आपको सम्बोधित पत्र सं0 33/रालोद/विमदल/ विस/2009 दिनांक 31-7-09 प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या अध्यक्ष, नगर पंचायत सासनी (महामायानगर) द्वारा किये गये भ्रष्टाचार व अभिलेखीय हेराफेरी की जांच के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 33/रालोद/विमदल/ वि0स0/2009 दि0 31-7-09 पर जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच के परिणाम एवं कृत कार्यवाही का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां। उक्त पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच कराकर संस्तुति सहित जांच आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु जिलाधिकारी, महामायानगर को निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश कि विभिन्न चिकित्सा विश्वविद्यालयों व नर्सिंग होमों से निकले कचरे को नष्ट करने हेतु शासन की योजना**

161-श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विभिन्न चिकित्सा विश्वविद्यालयों, मेडिकल कालेजों, सरकारी अस्पतालों, नर्सिंग होमों व प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे डाक्टरों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सुइयों, काटन पट्टी व अन्य कचरा आदि को नष्ट करने हेतु शासन द्वारा कोई दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

जी हां।

चिकित्सा विश्वविद्यालय/मेडिकल कालेजों सरकारी अस्पतालों, नर्सिंग होमों, प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे डाक्टरों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सुइयों, काटन पट्टी व अन्य कचरा जो बायो मेडिकल वेस्ट के नाम से परिभाषित है, को निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट (मैनेजमेंट हैड हैडलिंग) रूल 1998 दिनांक 20 जुलाई 1998 जारी किया गया है, जिसके अन्तर्गत बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त राजकीय मेडिकल कालेजों एवं चिकित्सा विश्वविद्यालय/संस्थाओं को शासनादेश दिनांक 22 अक्टूबर, 2009 एवं 20 जनवरी, 2010 द्वारा बायोमेडिकल वेस्ट (मैनेजमेंट हैड हैडलिंग) रूल 1998 दिनांक 20 जुलाई, 1998 एवं यथासंशोधित का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के

नियंत्रणाधीन सरकारी अस्पतालों के बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण हेतु परियोजना निदेशक यू0पी0एच0एस0डी0पी0 के पत्र दिनांक 07-9-2006 तथा महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के पत्र दिनांक 05-6-2009 द्वारा निर्देश जारी किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद महामायानगर के ग्राम भूत नगरिया सम्पर्क मार्ग पर दुर्घटना से बचाव हेतु रिटेनिंग वाल का निर्माण**

162-डा0 अनिल चौधरी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड सहपऊ जनपद-महामायानगर के सहपऊ-चौबारा भूत नगरिया सम्पर्क मार्ग पर ग्राम चौबारा आबादी भाग में पोखर सड़क किनारे होने से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थल पर (श्री शिवचरन लाल पुत्र श्री मनीराम के घर के पास) रिटेनिंग वाल का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

ग्राम भूत नगरिया सम्पर्क मार्ग पर चौबारा आबादी भाग में सड़क किनारे/तालाब के किनारे दुर्घटना से बचाव हेतु रिटेनिंग वाल का निर्माण नवम्बर, 2009 में कराया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

**बी0 पी0 एल0 सूचियों में संशोधन हेतु योजना**

163-श्री मदन चौहान-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा मानक के अनुसार बी0 पी0 एल0 सूचियों में संशोधन हेतु कोई योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप बी0 पी0 एल0 सूची वर्ष 2002 में बनाई गयी है। बी0 पी0 एल0 सूची से अपात्र परिवारों को हटाकर पात्र परिवारों को जोड़ने हेतु शासनादेश सं0-1796(अ)/38-6-07-129 एलसी/2001, दिनांक 4-10-08 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

**छठे वेतनमान में केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति राज्य कर्मचारियों को वेतनमान में "ग्रेड पे" में संशोधन किये जाने की मांग**

164-श्री सुधीर कुमार एवं चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि केन्द्र सरकार द्वारा छठे वेतनमान में अपने केन्द्रीय कर्मचारियों को जो वेतनमान में रु0 5000/-, 5500/- एवं 6500/- में कार्यरत थे, को रु0 4200/- का "ग्रेड पे" दि0 01-01-2006 से दिया था, अब उसे दि0 01-01-2006 से पुनः संशोधित करते हुये "ग्रेड पे" रु0 4600/- कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या प्रदेश

सरकार भी केन्द्र सरकार की भांति उक्त वेतनमान पर कार्यरत अपने कर्मचारियों का "ग्रेड पे" दि0 01-01-2006 से रु0 4600/- करते हुये उक्त दि0 से ही "ग्रेड पे" के एरियर का भुगतान किये जाने के आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

केन्द्र सरकार के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 13-11-09 द्वारा मात्र वेतनमान रु0 6500-10500 में कार्यरत कार्मिकों को जिन्हें दिनांक 01-1-2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में रु0 4200/- का ग्रेड पे अनुमन्य कराया गया था, उसे संशोधित करके रु0 4600/- किया गया है।

इस सम्बन्ध में वेतन समिति की संस्तुतियां प्राप्त हो चुकी हैं जिस पर शासन द्वारा निर्णय लिये जाने की कार्यवाही विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद बरेली के ग्राम पंचायत गहलुइया के ग्राम प्रधान द्वारा किये गये गबन व धांधली की जांच**

165-श्री सुल्तान बेग-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बरेली की तहसील बहेड़ी ब्लाक शेरगढ़ में ग्राम पंचायत गहलुइया के ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत का लाखों रुपया गबन करने तथा निर्माण कार्यों में धांधली सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र सं0-सी0एम0/वि0को0/एम-207788/09, दिनांक 4-9-2009 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

प्रश्नगत शिकायत की जांच मुख्य विकास अधिकारी, बरेली द्वारा करायी गयी। जांचोपरान्त शिकायत निराधार पायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद बरेली की ग्राम पंचायत नगरिया सादात में गरीब पात्र व्यक्तियों को आवास देने से सम्बन्धित पत्र**

166-श्री सुल्तान बेग-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बरेली की तहसील व ब्लाक मीरगंज की ग्राम पंचायत नगरिया सादात के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र सं0-सी0एम0/वि0को0/एम-210588/2009, दिनांक 13-10-09, जो गरीब पात्र व्यक्तियों को आवास देने से सम्बन्धित है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

जनपद बरेली में मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेन्ट प्लान के अन्तर्गत 4350 इन्दिरा आवास स्वीकृत हैं। ग्राम नगरिया सादात अल्पसंख्यक बाहुल्य ग्राम के अन्तर्गत चयनित है, जिसमें इन्दिरा

आवास दिये जाने हैं। जनपद में चयन किये गये ग्रामों की सूची जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में तैयार की गई है। इस योजना में प्रथम किश्त में 2175 आवास हेतु रु0 761.24 लाख की धनराशि प्राप्त हुयी है। अवरोही क्रम में अल्पसंख्यक बाहुल्य ग्रामों की सूची में से 50 प्रतिशत तक अल्पसंख्यक ग्रामों को संतृप्त किया जा चुका है। द्वितीय किश्त का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा चुका है। ग्राम नगरिया सादात में अल्पसंख्यक की संख्या 49 प्रतिशत है, जिसमें पात्र सामान्य सूची के 20 में से 12 लाभार्थियों को एवं अनुसूचित जाति के 15 में से 10 लाभार्थियों को आवास आंवटित कर दिये गये हैं। शेष 5 लाभार्थी अपात्र पाये गये। सामान्य सूची के उक्त 12 लाभार्थी पात्रता श्रेणी में आते हैं। उन्हें चयनित कर लिया गया है। मल्टी सेक्टोरल डवलपमेन्ट प्लान में द्वितीय किश्त की धनराशि प्राप्त होने पर उक्त ग्राम के पात्र 12 लाभार्थियों को आवास हेतु धनराशि आवंटित कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

**नगरपालिका शाहजहांपुर स्थित शहर खास बिजलीपुरा में गलत तरीके से 238 नम्बर प्लाट का असेसमेन्ट रजिस्टर में दर्ज करने विषयक-पत्र पर कृत कार्यवाही**

167-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका शाहजहांपुर स्थित शहर खास बिजलीपुरा में खतौनी संख्या-3210 तथा रकबा करीब (12) डिस्मिल है, को गलत तरीके से 238 नम्बर प्लाट दिखाकर किसी अन्य के नाम से असेसमेंट रजिस्टर में इन्दराज करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20-08-2009 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

इस सम्बन्ध मे जांच कराकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी शाहजहांपुर को निर्देशित किया गया था। जिलाधिकारी, शाहजहांपुर के माध्यम से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रकरण पर कार्यवाही के समय यह संज्ञान में आया कि टी0 पी0 सं0 233 आराजी मस्जिद दारिया खां स्थित बिजलीपुरा विवाद में वाद संख्या-411/2007 इन्तजामियां कमेटी आदि बनाम रुफायत उल्ला आदि मा0 सिविल जज सी0 डिवी0, शाहजहांपुर में विचाराधीन है तथा कोर्ट आफ एडिशनल कमिशनर, बरेली डिवीजन बरेली में योजित अपील/रिवीजन सं0 198/2007 में स्थगन आदेश है। वाद संख्या-411/2007 में नगर पालिका परिषद् व मो0 इरफान आदि भी पक्षकार हैं, तत्कालीन अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद् शाहजहांपुर ने अपने आदेश दिनांक 24 मई, 2008 द्वारा वादों के अन्तिम निर्णय होने तक स्थिति यथावत् रखने के आदेश पारित किये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

**प्रदेश में स्थापित पशु वधशालाएं एवं मीट प्रोसेसिंग प्लान्ट**

168-डा0 अनिल चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी पशु वधशालाएं एवं मीट प्रोसेसिंग प्लान्ट स्थापित हैं ? इनमें से प्रत्येक की पशु कटान एवं मीट प्रोसेसिंग की अधिकतम क्षमता प्रतिदिन पृथक-पृथक कितनी है ?

श्री नकुल दुबे-

सूचना एकत्र की जा रही है।

सूचना एकत्र की जा रही है।

**विशाल खण्ड-1 गोमतीनगर लखनऊ में पार्क का विकास कार्य**

169-श्री सुखलाल-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि विशाल खण्ड-1 गोमती नगर लखनऊ में भवन संख्या 1/811 से 1/823 एवं 1/843 से 1/848 के सामने स्थित पार्क का विकास कार्य न कराये जाने के कारण पार्क में आवारा जानवर घूमते रहते हैं ? क्या यह भी सही है कि पार्क का गेट सही न लगाने के कारण बाउन्ड्री तोड़कर गेट गिरा दिया जाता है ? क्या सरकार उक्त पार्क में घुमावदार लोहे का गेट कालोनी की तरफ लगवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं, पार्क का सुधार कार्य पूर्ण करा दिया गया है।

जी नहीं, पार्क में गेट लगा हुआ है जो कि सही स्थिति में है।

जी नहीं, उपरोक्तानुसार गेट लगा हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

**टिकैतराय सचिवालय कालोनी, लखनऊ में पेयजल समस्या**

170-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखनऊ में टिकैतराय सचिवालय कालोनी के फेज-3 में गर्मी के मौसम में आये दिन ट्यूबवेल खराब हो जाने के कारण पेयजल की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार पेयजल समस्या का निराकरण कराने के निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

टिकैतराय सचिवालय कालोनी के फेज-3 स्थित नलकूपों का डिस्चार्ज कम हो जाने के कारण दोनों नलकूपों को रि-बोर करा दिया गया है। नलकूप सुचारु रूप से चल रहे हैं। पेयजल की कोई समस्या नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

**जनपद मऊ के ग्राम तरछापुर व ग्राम पतनारी की सीमा पर स्थित चकमार्ग के किनारे नाली के निर्माण की मांग**

171-श्री सुधीर कुमार-

क्या भूमि विकास एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मऊ में दोहरी घाट कैनाल के अन्तर्गत अखोप माइनर पर ग्राम पतनारी में निर्मित लगभग 1000 मीटर लम्बी नाली में से 120 मीटर पक्की नाली को 29 नवम्बर, 2008 को ग्राम तरछापुर के ग्राम प्रधान द्वारा तोड़कर रास्ता बना दिये जाने से ग्रामवासियों को सिंचाई हेतु असुविधा का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त रास्ते को तोड़कर पुनः पक्की नाली का निर्माण करायेगी तथा दोषियों को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक कुमार दोहरे-

उप निदेशक, देवकली एवं नारायणपुर पम्प कैनाल परियोजना मण्डल मऊ से स्थलीय जांच में पाया गया कि कुलाबा हेड से 120 मीटर पक्की नाली ग्राम-तरछापुर व ग्राम पतनारी की सीमा पर स्थित चकमार्ग के किनारे 22 से 24 वर्ष पूर्व निर्मित हुई थी, ग्राम प्रधान तरछापार द्वारा पक्की निर्मित नाली के स्थान पर ग्राम तरछापार जाने वाले चकमार्ग पर खड़न्जा 03 मीटर की चौड़ाई का लगवाया गया है।

उ0 प्र0 सहभागी सिंचाई प्रबन्धन अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अन्तर्गत विभाग द्वारा निर्मित नाली के रख-रखाव, पुनर्निर्माण/मरम्मत का दायित्व कुलाबा स्तरीय जल उपभोक्ता समिति का है। अतः उपरोक्त नाली के पुनर्निर्माण/मरम्मत एवं अन्य संगत बिन्दुओं पर यथोचित कार्यवाही हेतु प्रकरण जिलाधिकारी, मऊ के माध्यम से जल उपभोक्ता समिति को संदर्भित कर दिया गया है।

**आगरा जनपद के ऐतिहासिक इमारतों पर भिक्षुकों द्वारा भीख मांगने पर रोक**

172-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या आगरा जनपद के ताजमहल, एत्माद्दौला, किला, सिकन्दरा, भगवान टाकीज व हरी पर्वत चौराहे पर अधिक संख्या में भिक्षुक भीख मांगते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें भिक्षुक गृह भिजवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

अब तक चेकिंग के दौरान कोई भिक्षुक भीख मांगते नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

**सत्रकाल के समय मा0 सदस्यों हेतु एम्बुलेन्स की व्यवस्था सम्बन्धी सूचना**

श्री अध्यक्ष-

जैसा कि उस दिन सदन में हमारे एक सम्मानित सदस्य की एकाएक तबियत खराब होने के नाते एक विषम स्थिति पैदा हुई बाद में सदन के सदस्यों के प्रयास से नेता सदन और अन्य सम्मानित नेताओं के प्रयास से उनको सुरक्षित अस्पताल तक पहुंचाया गया। सदन की भावना थी कि एक एम्बुलेन्स की व्यवस्था की जाय। वह एम्बुलेन्स पोर्टिको के पास लगा दी गई है।

**आज की कार्यसूची के अतारांकित प्रश्न संख्या-67 के उत्तर के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न**

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, हम लोग जो यहां प्रश्न करते हैं उनके जवाब सही नहीं आ रहे हैं। आज मेरा अतारांकित प्रश्न-67 लगा था कि क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जल पुलिस का गठन किया गया है ? उत्तर आया कि जी नहीं। जबकि हमारे यहां इलाहाबाद में जल पुलिस का गठन है, बनारस में भी है, गोरखपुर में भी है। तो मेरा प्रश्न यह था कि नदियों के किनारे हमारे तमाम निषाद भाई, मल्लाह भाई रहते हैं वह गोताखोरी का काम करते हैं वह डूबने वाले लोगों को बचाने का काम करते हैं तो क्या उनको स्थाई रूप से उनको करने का भी प्राविधान है ? इसी प्रकार से मेरा दूसरा प्रश्न था क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को इलाहाबाद से लखनऊ में स्थानान्तरित किये जाने हेतु भवन निर्माण की परियेाजना भूमि आदि निर्धारित कर ली गई है ? इसमें उन्होंने कह दिया कि नहीं लेकिन लाटूश रोड पर भवन बन रहा है, उसकी परियोजना बन गई है उसका डी0 पी0 आर0 बन गया है लेकिन उत्तर में कहा कि जी नहीं। इस तरह से प्रश्न का उत्तर सही नहीं दिया जाता है यह बहुत गम्भीर प्रश्न है वैसे तो यह विशेषाधिकार का भी प्रश्न बनता है। मैं संसदीय कार्यमंत्री जी से चाहूंगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट हों और सही हों।

**आज की कार्यसूची के तारांकित प्रश्न संख्या-13 के उत्तर के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न**

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, प्रश्नों के सम्बन्ध में मेरा भी प्रश्न है मैंने एक प्रश्न किया तारांकित प्रश्न-13 जिसमें आपने 4 की संख्या दी है उसी संदर्भ में श्री मोती सिंह का आतरांकित प्रश्न 31 है। प्रश्न अतारांकित प्रश्न संख्या-31 मान्यवर, यह प्रथम सोमवार को था और इसमें संख्या है मान्यवर, 123 माननीय विधायकों को अतिरिक्त श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई। मान्यवर, 123 माननीय विधायकों में से 111 बी0 एस0 पी0 के माननीय सदस्य है। जिनको अतिरिक्त श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गयी ओर जब प्रतिपक्ष वालों ने किसी ने प्रार्थना पत्र दिया भी तो किसी को सुरक्षा नही। दी गई मान्यवर। मान्यवर, मैं यही बात उजागर करना चाहता था कि एक तरफ तो जान का खतरा सबसे ज्यादा इन्हीं को हो गया। बाकी को तो किसी को जान का खतरा है ही नहीं शायद। 123 में से सबसे जयादा 111 संख्या इन्हीं की है। इस पर आप देखें मान्यवर, इस तरह से सरकार भेदभाव करके चलेगी विधायकों में। आपको जनता से खतरा हो गया पैदा। आपके जो अच्छे अच्छे काम हैं उनको देखकर जनता आपके पीछे पड़ गई और आपको खतरा पैदा हो रहा है और बाकी को पैदा नहीं हो रहा है मान्यवर। या आपके पीछे कोई गिरोह पड़ गया है,कोई बाहर के आतंकवादी आपके पीछे पड़ गये कि सारा खतरा इधर ही है मान्यवर। एक-एक माननीय विधायक को 16-16 सुरक्षा कर्मी। मान्यवर, मैं गाजियाबाद के स्टेशन पर था।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, यह व्यवस्था के प्रश्न के रूप में जानकारी के लिये तो नहीं उठाया जा सकता। मान्यवर, आप स्वयं देख लें। प्रश्न का जवाब आ गया। अब जवाब आने के बाद, मान्यवर, एक प्रक्रिया है अगर गलत जवाब आया है तो उसको एक प्रक्रिया के तहत, नियमों के तहत देंगे और

उस पर कार्यवाही होगी। लेकिन मान्यवर, इस प्रश्न के उत्तर के आधार पर बहस करने का अवसर तो नहीं दिया जा सकता।

श्री अध्यक्ष-

एक व्यवस्था का प्रश्न आपने उठाया, प्रश्नों के सम्बन्ध में। मैंने उसको सुना।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, प्रश्नों के उत्तर से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मेरे उत्तर में आते हैं 4, माननीय मोती सिंह जी प्रश्न करते हैं उत्तर में आते हैं 123 उसी में मान्यवर, 111 की संख्या दी हुई है। उसमें दिया है कि ब0 स0 पा0 के 111 हैं।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, वह सही है लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, माननीय हुकुम सिंह जी, जैसे विद्वान सदस्य अगर यह दोनों प्रश्नों को पढ़ लें तो अपने से ही स्थिति स्पष्ट हो जायेगी कि दोनों का उत्तर सही है। एक तरफ निःशुल्क पूछ रहे हैं, दूसरी तरफ सामान्य रूप से पूछा गया है मान्यवर, और उसके बावजूद भी यह व्यवस्था के प्रश्न के रूप में नहीं उठाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष-

बैठ जायें हुकुम सिंह जी।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, सारे नियमों का हवाला देकर हमको चुप कर रहे हैं। यह प्रश्न अगर व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता तो कौन सा बनेगा ?

श्री अध्यक्ष-

नहीं कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं। प्रश्नों के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं।

श्री हुकुम सिंह-

अगर यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनेगा तो कौन बनेगा ? एक जगह आप 123 की बात कर रहे हैं और दूसरी जगह आप 4 की बात कर रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि 111 को आपने निःशुल्क सुरक्षा कर्मी उपलब्ध करायें। क्या कारण है कि एक एक को 16-16 सुरक्षा कर्मी दिये। आप इसको देख लें। इससे ज्यादा मेरा कोई मतलब भी नहीं है। आपकी जानकारी के लिये कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

वह तो एक उत्तर आया है सरकार का। आप उससे असन्तुष्ट है। माननीय मंत्री जी, हमारे कुछ सदस्यों ने प्रश्नों के उत्तर के सम्बन्ध में अपनी कुछ व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। जैसा कि अनुग्रह नारायण सिंह जी, हुकुम सिंह जी ओर अन्य सदस्य भी उठाते हैं। कुछ उन्होंने सन्दर्भ

भी प्रस्तुत किया है कि जो आंथेन्टिक है, जहां इस तरह का गठन हुआ है, या निर्माण हो रहा है उसके सम्बन्ध में कहा गया कि कोई नहीं है। अगर कहीं इस तरह की असमंजस की स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है तो कृपया इसको जरूर दिखवा लें कि प्रश्नों का एक अच्छा उत्तर आवे और कहीं इस तरह की स्थिति न हो कि भौतिक स्थिति कुछ हो और प्रश्नों का उत्तर कुछ हो। इसलिये प्रश्नों के सन्दर्भ में अब बस।

**आज की कार्यसूची के तारांकित प्रश्न संख्या-7 पर समयाभाव के कारण अनुपूरक उत्तर पूछने का अवसर न मिलने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न**

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आज की मान्यवर, कार्य सूची में,

श्री अध्यक्ष-

खन्ना जी, एक अनुरोध मैंने सरकार से भी कर लिया है कि इस तरह की स्थिति न उत्पन्न होने पावे कि स्पष्ट उत्तर न आवे जो वस्तुस्थिति है वही सदन को बताया जाय और वही उत्तर आये। अगर इस तरह से आता है तो मैंने माननीय मंत्री जी से अनुरोध कर लिया है कि सभी माननीय सदस्य अपने प्रश्नों के सन्दर्भ में जो भी अपनी व्यवस्था चाहते हैं, मै। सबसे निवेदन कर रहा हूं कि कहीं न कहीं ऐसी स्थितियां होगी, उस सन्दर्भ में मैंने पूरा का पूरा अनुरोध कर लिया है।

* श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जो विषय आ चुका है, उसको मैं दोहराने नहीं जा रहा हूं। मेरी व्यवस्था यह है कि नो नियमावली देख लें और आज की कार्यसूची में मान्यवर, प्रश्न देख लें। हमारा प्रश्न सातवें नम्ब पर लगा था। अल्पसूचित तारांकित प्रश्न-1 आया और तीन प्रश्नों के ऊपर ही पूरे सदन का समय 11.00 बजे से लेकर 12.20 तक समाप्त हो गया। मान्यवर, हम भी चाहते हैं कि आपका संरक्षण मिले। बाकी कार्य सूची में प्रश्न लगे है। उसमें भी कई प्रश्न मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण हैं। मान्यवर, हम लोगों को भी संरक्षण प्रदान करें कि जिनके प्रश्न बाद में लगे हैं उनको भी पूछने का मौका मिल जाय। इसलिये आपका संरक्षण चाहते है। कि कार्य सूची में अनुपूरक प्रश्नो की भी सीमा तय कर देंगे तो कम से कम बाकी प्रश्नों का भी हो पायेगा।

श्री अध्यक्ष-

हम आपकी भावनाओं का स्वागत कर रहा हूं। हमारी इच्छा शक्ति भी यही है कि जितनी हमारी कार्यसूची में प्रश्न लगे हैं अल्पसूचित प्रश्न लगे हैं या तारांकित प्रश्न लगे हैं सभी प्रश्नों के उत्तर पर मा0 सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न करने का मौका मिल जाए, अनुपूरक की जो समय-सीमा आप निर्धारित करना चाहते हैं वह आप आपस में बैठकर तय कर, मैं स्वागत करूंगा, कितना अनुपूरक आप करना चाहते हैं इसको सभी सदस्य तय कर लें आज मैं आपकी भावनाओं का स्वागत कर रहा हूं आप हमारी मदद सभी सदस्यों के माध्यम से कर दें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

हमें आपका संरक्षण चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

मैं सभी सदस्यों को संरक्षण दूंगा अकेले आपको नहीं, अगर अनुपूरक सीमित हो जाय कम हो जाए, मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों में इसको महसूस करता हूं आगे के भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको आना चाहिये था। आगे भी अगर आप लोग एडजेस्ट कर लें तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि उस दिन की कार्यसूची में जितने तारांकित या अल्पसूचित प्रश्न है वह सब आवें। सभी सदस्य सदन के सामने अपने अनुपूरक प्रश्न करें और उसके सम्बन्ध में जानकारी लें। उस्मानी जी आपकी प्रश्नों के सन्दर्भ में क्या व्यवस्था है।

**आज की कार्यसूची के तारांकित प्रश्न संख्या-5 के उत्तर के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न**

*डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

मान्यवर, हमारा प्रश्न है तारांकित प्रश्न संख्या-5, यह आपने 12 बजकर 21 मिनट पर शुरु किया, माननीय मंत्री जी इसका जबाव देना चाहते थे वह उठकर बार-बार खड़े हो रहे थे मैं चाहता हूं कि इसका जबाब दिया दिया जाए और अगर आज नहीं तो किसी ओर दिन ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

जबाव दे दिया है लिखित से ज्यादा क्या होगा लिखकर दे दिया है कि औचित्य नहीं हैं।

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

आपका संरक्षण चाहते हैं उधर के लोग भी शान्त बैठे हैं वह भी चाह रहे हैं कि पीठ से एक आदेश हो जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इस पर बैठकर बात कर लीजियेगा। इस विषय की व्यवस्था पर बात कर लीजियेगा।

**नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं**

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 01 फरवरी, 2010 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 20 सूचनाएं प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्वीकार की गयी :-

(स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

| क्र0सं0 | मा0 सदस्य का नाम | | विषय |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल | की | उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद् एवं जूनियर हाई स्कूल के अध्यापक एवं कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति पेंशन का भुगतान 17 सितम्बर, 2009 की राजाज्ञा के अनुरूप किये जाने के सम्बन्ध में, |
| 2 | डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल | की | उ0प्र0 के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के छठवें वेतनमान का लाभ 01 जनवरी, 2006 से न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, |
| 3 | श्री सतीश महाना | की | कानपुर स्थित गोविन्दनगर सी0टी0आई0 चौराहे से शास्त्रीनगर चौक बर्रा होते हुए बाई पास कानपुर आने वाले नाले के खुले होने के कारण भीषण दुर्गन्ध से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, |
| 4 | श्री राधेश्याम गुप्ता | की | फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बी0बी0 मार्ग से मिश्रामऊ तथा फतेहपुर अन्दौली से कुशुम्भीपुर मार्ग जीर्ण-शीर्ण होने के कारण मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में, |
| 5 | श्री अशोक कंसल | की | जनपद मुजफ्फरनगर के सदर विधान सभा क्षेत्र के मुहल्ला जनकपुरी में जल निकासी का साधन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, |
| 6 | श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही | की | जनपद बुलन्दशहर के भूतेश्वर मन्दिर शमशान घाट के रास्ते से अवैध कब्जा हटाकर पक्की सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, |
| 7 | श्री सुरेश कुमार खन्ना | की | रौजा पावर सप्लाई कम्पनी से शाहजहांपुर जनपद को अतिरिक्त बिजली दिलाये जाने के सम्बन्ध में, |
| 8 | श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भैया | की | जनपद फतेहपुर की खागा तहसील के जर्जर भवन के निर्माण के सम्बन्ध में, |
| 9 | श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह | की | जनपद प्रतापगढ़ के बाबा बेलखरनाथ धाम के लिये स्वीकृत 33/11 के0वी0ए0 विद्युत उप केन्द्र उड़ैयाडीह का शीघ्र निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, |
| 10 | श्रीमती मिथिलेश पाल | की | यह उपस्थित नहीं हैं, |
| 11 | श्री अब्दुल वारिस खां | की | जनपद मुजफ्फरनगर के थाना भवन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विकास खण्ड ऊन व थाना भवन में विद्युत आपूर्ति 3-4 घण्टे ही होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, |

| क्र0सं0 | मा0 सदस्य का नाम | | विषय |
|---|---|---|---|
| 12 | चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी | की | भारत सरकार की केन्द्र पुरोधानित व्यावसायिक शिक्षा योजना में गड़बड़ी के सम्बन्ध में, |
| 13 | श्री अनूप कुमार गुप्ता | की | जनपद सीतापुर के क्षेत्र पंचायत मिश्रिख व क्षेत्र पंचायत पिसांवा अन्तर्गत श्रमिकों को नरेगा में रोजगार दिये जाने हेतु विशेष पैकेज के सम्बन्ध में, |
| 14 | श्री अनूप सण्डा | की | प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा आचार्य अनुदेशक को शिक्षा मित्र के रूप में समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में तथा |
| 15 | श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर) | की | जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में सुभाष चन्द्र बोस स्टेडियम में खेल कोच की तैनाती न होने के सम्बन्ध में। |

श्रीमती मिथिलेश पाल के अनुपस्थित होने के कारण डा0 आर0 ए0 उस्मानी की सूचना ली जाती है।

माननीय सदस्यों के नाम जिनकी सूचनायें अस्वीकार की गई :-

1. श्री बैजनाथ दुबे 2. डा0 आर0 ए0 उस्मानी 3. श्री सलिल विश्नोई 4. श्री जोखू लाल यादव 5. डा0 राजेन्द्र सिंह।

## उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् एवं जूनियर हाई स्कूल के अध्यापक एवं कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पेंशन का भुगतान 17 सितम्बर, 2009 की राजाज्ञा के अनुरूप किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

मान्यवर,

[ बेसिक शिक्षा परिषद् के प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूलों के अध्यापक एवं कर्मचारियों को 1-1-2006 के पूर्व के सेवानिवृत्तों को पेंशन भुगतान की राजाज्ञा दिनांक 17 सितम्बर, 2009 को जारी कर दी गयी। उनकी पेंशन का भुगतान भी नयी पेंशन के अनुसार हो रहा है। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल भी बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत कार्य करते है लेकिन अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापक एवं कर्मचारियों को अभी तक पेंशन का निर्धारण नहीं हो पाया है जिसके कारण सेवा निवृत्त कर्मचारियों को इस आसमान छूती मंहगाई के जमाने में परिवार का पालन पोषण करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है जबकि इन विभागों की राजाज्ञा 8 सितम्बर, 2008 तथा माध्यमिक शिक्षकों की 26 मई, 2009 को राजाज्ञा जारी की जा चुकी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए पेंशन भुगतान की समस्या का निदान करने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं। ]

**उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को छठे वेतनमान का लाभ 1 जनवरी, 2006 से न दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

* डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

[ महोदय,

मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार ने विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को 6वें वेतनमान की संस्तुतियों का लाभ 1 जनवरी, 2006 से दिये जाने की संस्तुति की है।

उत्तर प्रदेश शासन अपने अधिकांश कर्मचारियों, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों-शिक्षणेत्तर कालेजों तथा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मियों को 6ठें वेतनमान का वास्तविक लाभ 01 जनवरी, 2006 से देते हुए, 01 जनवरी, 2006 से ही एरियर का भुगतान कर रही है।

लेकिन विश्वविद्यालयों एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों को शासन के 28 फरवरी, 2009 के आदेश के तहत वास्तविक लाभ 01 दिसम्बर, 2008 से देते हुए काल्पनिक लाभ 01 जनवरी, 2006 से दिसम्बर, 2008 तक का एरियर का भुगतान न करने का निर्णय लिया गया है।

यह आश्चर्यजनक है कि शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को, जिनका समस्त भुगतान राज्यकोष से होता है उन्हें तो शासन 01 जनवरी, 2006 से एरियर दे रही है और दूसरी ओर विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के शिक्षिकों के वेतनमान का प्रथम 5 वर्षों तक 80 प्रतिशत भुगतान यू0जी0सी0 द्वारा किये जाने के प्राविधान के बावजूद उन्हें 01 जनवरी, 2006 से एरियर नहीं दे रही है।

अतः विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली-1958 के नियम-301 के अन्तर्गत इस निश्चित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर शासन को सदन में वक्तव्य देने हेतु निर्देशित करें। ]

**कानपुर स्थित गोविन्दनगर सी0टी0आई चौराहे से शास्त्रीनगर चौक बर्रा होते हुए बाई पास कानपुर जाने वाले नाले के खुले होने के कारण भीषण दुर्गन्ध से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

* श्री सतीश महाना-

[ महोदय,

कानपुर स्थित गोविन्दनगर सी0टी0आई चौराहे से शास्त्रीनगर चौक बर्रा पर दोनों तरफ कानपुर विकास प्राधिकरण की कालोनी बनी है एवं बड़ी संख्या में लोग यहां निवास करते हैं। साथ ही जी0टी0 रोड से बर्रा होते हुए कानपुर बाईपास पर पहुंचने का यह मुख्य मार्ग है। इस पर स्थित डबल रोड पर लगभग डेढ़ सौ मीटर पर एक खुला नाला बह रहा है जिसके कारण इतने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मार्ग पर एक तरफ रोड तो अवरुद्ध है ही साथ में खुला नाला होने के कारण दोनों तरफ रहने वालों को भीषण दुर्गन्ध का सामना करना पड़ता है। विगत कुछ दिन पूर्व नाला खुला होने के कारण कुछ लोगों की उसमें गिर कर मृत्यु हो गई। इसलिए इस गम्भीर समस्या को देखते हुए खुले नाले को विकास प्राधिकरण द्वारा आगे एवं पीछे की भांति ढंकना अति महत्वपूर्ण है जिससे कि वहां पर रहने वाले लोगों को गन्दगी एवं दुर्गन्ध का सामना न करना पड़े एवं उतनी दूरी तक के लिए सड़क भी दोनों तरफ बन सके।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए नाले को ढंकने के साथ उसके बगल में सड़क बनाने की मांग करता हूं। ]

**फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बी0बी0 मार्ग से मिश्रा मऊ तथा फतेहपुर अन्दौली से कुशुम्भीपुर मार्ग जीर्ण-शीर्ण होने के कारण मरम्मत कराने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

* श्री राधेश्याम गुप्ता-

[ मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर जनपद फतेहपुर के क्षतिग्रस्त एवं जर्जर मार्गों का निर्माण न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बी0बी0 मार्ग से मिश्रा मऊ मार्ग, जी0टी0 रोड से आजमाबाद भैसाहीं मार्ग, मण्डा सराय से आशिकपुर औरैया मार्ग, जी0टी0 रोड से एकारी मार्ग, बी0बी0 मार्ग से सथरियाव मार्ग, बी0बी0 मार्ग से केशवपुर मार्ग, फतेहपुर अन्दौली से कुशुम्भीपुर मार्ग बहुत जीर्णशीर्ण हो गये हैं जिनका नवीनीकरण एवं मरम्मत कराया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त मार्गों का निर्माण/नवीनीकरण/मरम्मत कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं। ]

**जनपद मुजफ्फरनगर के सदर विधान सभा क्षेत्र के मुहल्ला जनकपुरी में जल निकासी का साधन न होने से उत्पन्न स्थिति विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

* श्री अशोक कंसल-

[ महोदय,

मैं आपके माध्यम से अपने विधान सभा क्षेत्र जनपद मुजफ्फरनगर की बस्ती में जल निकासी का कोई साधन न होने के कारण जल भराव से उत्पन्न समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

---

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद मुजफ्फरनगर की सदर विधान सभा क्षेत्र के मोहल्ला जनकपुरी बस्ती में जल निकासी का साधन न होने के कारण बरसात का पानी घरों में 4-5 फुट तक भर जाता है जिससे जल भराव के कारण बहुत से मकान गिर जाते हैं और बहुत से मकानों में दरारे आ जाती हैं। बहुत से लोग अपने घरों के आस-पास मिलकर बोरिंग करा पानी को जमीन के अन्दर डाल रहे हैं जिससे इस क्षेत्र का जल भी प्रदूषित हो रहा है। जल निकासी हेतु साधन न होने के कारण इस क्षेत्र में जो भी विकास कार्य होते हैं वह सब बेकार साबित हो जाते हैं। जनहित में इस क्षेत्र में जल निकासी की व्यवस्था अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए जल निकासी की समस्या के निदान हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं। ]

**जनपद बुलन्दशहर के भूतेश्वर मन्दिर शमशान घाट के रास्ते से अवैध कब्जा हटाकर पक्की सड़क निर्माण कराये जाने विषयक नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

* श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

[ मान्यवर,

जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् बुलन्दशहर के अन्दर कई स्थानों पर बिजली के तारों की स्थिति जर्जर हो गयी है उसको बदलने के सम्बन्ध अनेकों बार लिखा जा चुका है परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी। नगर पालिका परिषद् बुलन्दशहर के अन्दर सर्वे कराकर जर्जर हुए तारों को बदला जाना आवश्यक है तथा मो0 साठा से लेकर रोडवेज बस अड्डे तक राजेश्वर मन्दिर के पास, भूतेश्वर शमसान घाट के पास तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर सोडियम लाइट सार्वजनिक हित में लगाया जाना आवश्यक है। भूतेश्वर मन्दिर, शमसान घाट के रास्ते से अवैध कब्जा हटवाकर पक्की सड़क का निर्माण भी कराया जाना आवश्यक है तथा रोडवेज बस अड्डे से काली नदी तक जाने वाले नाले की सफाई भी किया जाना आवश्यक है तथा रोडवेज बस अड्डे के पीछे वाले नाले व उसके पुल को ठीक कराया जाना भी आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर नियम 301 के अन्तर्गत उपरोक्त कार्यों को कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं। ]

**रौजा पावर सप्लाई कम्पनी से शाहजहांपुर जनपद को अतिरिक्त बिजली दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

* श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[ श्रीमन्, शाहजहांपुर में रौजा पावर सप्लाई कम्पनी (अम्बानी ग्रुप) का 600 मेगावाट विद्युत का कारखाने का कार्य पूर्ण हो चुका है, उससे विद्युत उत्पादन (जनरेशन) प्रारम्भ होने जा रहा है, जो पावर परचेज एग्रीमेन्ट इस कम्पनी व यू0पी0पी0सी0एल0 के बीच 12-11-2006 को

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हुआ है उससे शाहजहांपुर जनपद को कोई अतिरिक्त बिजली आपूर्ति नहीं की जायेगी, जबकि शाहजहांपुर जनपद की कीमती जमीन मात्र 5000/- रुपये बीघा का मुआवजा देकर ले ली गई, कृषक बेरोजगार हुए उनके बच्चों के सामने भुखमरी का संकट है। रौजा तापीय यूनिट आबादी से मात्र 3 किमी0 दूरी पर स्थित है, इसमें सैकड़ों टन कोयला जलेगा तो तपन, जलन, राख व प्रदूषण जनता को मिलेगा परन्तु अतिरिक्त विद्युत नहीं मिलेगी। जनहित में शाहजहांपुर की जनता को इस थर्मल पावर यूनिट से जनरेशन का कम से कम 10 प्रतिशत अर्थात् 60 मेगावाट विद्युत सप्लाई अतिरिक्त दी जानी चाहिये। इसके लिए शाहजहांपुर की जनता सड़कों पर है, उद्वेलित है। 16-01-2010 को हजारों लोगों ने प्रदर्शन करके आक्रोश भी व्यक्त किया था। 19-01-2010 को भी एक धरना प्रदर्शन हुआ था परन्तु अभी तक उसका कोई परिणाम नहीं है।

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए रौजा थर्मल पावर से शाहजहांपुर को कम से कम 10 प्रतिशत (60 मेगावाट अतिरिक्त) विद्युत सप्लाई किये जाने की मांग करता हूं।]

**जनपद फतेहपुर की खागा तहसील के जर्जर भवन के निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

* श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भैया-

[ महोदय,

जनपद फतेहपुर की खागा विधान सभा में खागा की तहसील का निर्माण सन् 1898 में अंग्रेजों द्वारा निर्माण कराया गया था जो कि आज हमारी तहसील के अन्दर आने वाले भवन जो निहायत जर्जर हो चुके हैं जिसका पुनः निर्माण कराना अति आवश्यक है। यदि नये भवनों का निर्माण नहीं होता तो किसी भी समय कोई अप्रिय घटना घट सकती है। जिससे हमारी तहसील नये सिरे से जीर्णोद्धार हो सके।

अतः नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

**जनपद प्रतापगढ़ के बाबा बेलखरनाथ धाम के लिए स्वीकृत 33/11 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र उड़ैयाडीह का शीघ्र निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

* श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[ महोदय,

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड बाबा बेलखरनाथ धाम के लिए 33/11 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र उड़ैयाडीह गत वर्ष स्वीकृत किया गया जिसके लिए 220 करोड़ लागत मूल्य की स्वीकृति भी उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा प्रदान कर दी गई परन्तु आज तक उक्त का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया। मुझे बताया गया है कि जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ के माध्यम से उपजिलाधिकारी, पट्टी को उपेक्षित भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध मुख्य अभियन्ता, विद्युत वितरण के माध्यम से अनुरोध भी कई माह पूर्व प्रेषित किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मेरे द्वारा अपने पत्र संख्या 1095/आ0स0/09, दिनांक 04-08-09 जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को प्रेषित किया गया था। उक्त का निर्माण न प्रारम्भ होने से जहां कई हजार लोगों को लो-वोल्टेज की समस्या से जूझना पड़ रहा है वहीं पर विद्युत सम्बन्धी कार्य हेतु बहुत दूर लोगों को आना-जाना पड़ रहा है। कई हजार लोगों का जनहित इससे प्रभावित हो रहा है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं। ]

**जनपद मुजफ्फरनगर के थाना भवन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड ऊन व थाना भवन में विद्युत आपूर्ति बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री अब्दुल वारिस खां-

[जनपद-मुजफ्फरनगर के थाना भवन विधान सभा के अन्तर्गत आनेवाले क्षेत्र प्रमुख रूप से विकास खण्ड ऊन व थाना भवन में विद्युत आपूर्ति मात्र तीन-चार घण्टे हो पा रही है। जिस कारण किसानों को सिंचाई की समस्या व क्षेत्रवासियों को समय से विद्युत आपूर्ति न होने के कारण कठिनाइयों का समाना करना पड़ रहा है।

जनपद मुजफ्फरनगर के थाना भवन विधान सभा क्षेत्र में निर्भद विद्युत आपूर्ति कराने हेतु निम्नलिखित कार्य अविलम्ब कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

1-अतिभारित 33/11 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र केरटू, हरड फतेहपुर, हाथी करौदा व ऊन की क्षमता वृद्धि एवं उपकेन्द्रों से संचालित सभी पोषकों के जर्जर विद्युत तार बदलवाया जाना।

2-अति पिछड़े क्षेत्र ग्राम ऊदपुर (कमालपुर), दथेड़ा गढ़ी व मछरौली (बिन्ना मजरा) में 33/11 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराया जाना।

3-स्वीकृत 33/11 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र हथछोया, गढ़ीपुखता, भैसानी इस्लामपुर व हसनपुर लोहारी का निर्माण कार्य पूर्ण करा कर ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति सुचारु कराना।

4-अति भारित 132 के0 वी0 विद्युत केन्द्र जलालाबाद (थाना भवन) की क्षमता वृद्धि।

5-विद्युतीकरण से वंचित सभी शेष ग्रामों व मजरों का सर्वेक्षण कराकर विद्युतीकरण पूर्ण कराया जाना।

6-कस्बा थाना भवन, ऊन, झिनझांना, जलालाबाद व गढ़ीपुख्ता में जर्जर विद्युत तारों को बदलवाकर ऐ0 बी0 सी0 वायर को लगाया जाना।

अतः उपरोक्त लोकमहत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कर सरकार से अविलम्ब कार्यवाही की मांग करता हूं।]

**भारत सरकार की केन्द्र पुरोनिधानित व्यवसायिक शिक्षा योजना में गड़बड़ी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

[ महोदय,

मैं सदन के माध्यम से आपके संज्ञान में एक लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि भारत सरकार की केन्द्र पुरोधानित व्यवसायिक शिक्षा योजना के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अन्तर्गत 4.00 करोड़ रुपये की धनराशि उ0 प्र0 सरकार को दी गई थी। जिसमें 2 करोड़ रुपया भवन निर्माण हेतु एवं 2 करोड़ रुपये ट्रेड उपकरण क्रय हेतु था। जिसमें प्रदेश के 100 इण्टर कालिजों का चयन करके उक्त योजना का संचालन करना था। जिसमें सरकार ने 100 कालिजों को चयन करके भवन निर्माण के लिये दो करोड़ रुपये अवमुक्त कर दिया। उक्त कालिजों में भवन निर्माण का कार्य भी पूर्ण हो चुका है लेकिन ट्रेड उपकरण क्रय हेतु प्रदेश सरकार ने धन अवमुक्त नहीं किया ओर बल्कि शेष धनराशि 2 करोड़ रुपयों को जो ट्रेड उपकरण क्रय हेतु है को निदेशक माध्यमिक शिक्षा के पी0 एल0 ए0 खाते में वर्ष 2002 से रखा हुआ है उक्त धन की कोई उपयोगिता नहीं हो पा रही है। सरकार द्वारा जिन विद्यालयों का भवन निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त की गई है उन्हें यह धनराशि ट्रेड उपकरण क्रय हेतु देनी चाहिये। जिससे विद्यालयों में उसका उपयोग किया जा सके अन्यथा सरकार को इस धनराशि को भारत सरकार को वापस करना चाहिये।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस लोक महत्व के अविलम्बनीय जनहित के प्रश्न पर सरकार को कार्यवाही करने का निर्देश देने का कष्ट करें।]

**जनपद सीतापुर के क्षेत्र पंचायत मिश्रिख व क्षेत्र पंचायत पिसावां अन्तर्गत श्रमिकों को नरेगा में रोजगार दिये जाने हेतु विशेष पैकेज के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*अनूप कुमार गुप्ता-

[मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। क्षेत्र पंचायत मिश्रिख व पिसावां में नियमित रूप से कोई खण्ड विकास अधिकारी तैनात नहीं है जिससे कार्य बाधित होता है और नरेगा में धन की कमी की वजह से श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ता भी देना पड़ा और काफी परिवार नरेगा के अन्तर्गत पंजीकृत श्रमिक हैं, सरकार द्वारा पंजीकृत श्रमिकों को 100 दिन का रोजगार नहीं दिया जा रहा है। काफी ग्राम पंचायतों में स्थिति खेदजनक है, स्थानीय श्रमिक भुखमरी के कगार पर है और शहरों के लिये पलायन कर रहे हैं। यह एक बहुत ही जटिल समस्या है, तत्काल इसका निराकरण कराया जाना आवश्यक है।

अतः इस गम्भीर विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

**प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा आचार्य अनुदेशक को शिक्षा मित्र के रूप में समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*अनूप सण्डा-

[मा0 अध्यक्ष जी,

आपका ध्यान लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण प्रकरण की तरफ आकर्षित करते हुये अवगत कराना है कि उ0 प्र0 शासन के शासनादेश सं0 2605/15-05-99-44/99 दिनांक 29 मई,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

1999 एवं शासनादेश सं0 4338/15-5-99-44/99 दिनांक 18-8-99 के क्रम में शिक्षा गारण्टी योजना के तहत जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्या केन्द्र (आचार्य केन्द्र) खोलकर अनुदेशकों की नियुक्ति की गई थी जो कि अपर राज्य परियोजना निदेश उ0 प्र0 के आदेश सं0 3986 दिनांक 31-10-2009 द्वारा केन्द्र बंद कर दिये गये हैं।

पूरे प्रदेश में लगभग 15 हजार नवयुवक इससे बेरोजगार हुये हैं। इन बेरोजगारों के हित में आवश्यक है कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा आचार्य अनुदेशक को शिक्षा मित्र के रूप में समायोजित किया जाय क्योंकि आचार्य/अनुदेशक एवं शिक्षा मित्र डायट द्वारा एक साथ प्रशिक्षित किये गये हैं, दोनों की योग्यता समान है। ऐसे ही प्रकरण में उत्तरांचल राज्य में राजाज्ञा सं0 433/2006 दिनांक 15-05-06 को शासनादेश द्वारा आचार्य अनुदेशकों को शिक्षा मित्र के रूप में समायोजित किया गया है। ऐसी स्थिति में उ0 प्र0 शासन द्वारा नये शासनादेश के अनुसार बी0 टी0 सी0 भर्ती में अनुभव के आधार पर उम्र के छूट देते हुये भर्ती किया जाना चाहिये।

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रकरण पर सरकार से आवश्यक कार्यवाही की मांग करते हुये वकतव्य दिलाये जाने की मांग करता हूं।]

**जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में सुभाष चन्द्र बोस स्टेडियम में खेल कोच की तैनाती न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

* श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

[ मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में सुभाष चन्द्र बोस स्टेडियम में तरण ताल, बाक्सिंग, लांग टेनिस सहित कई अन्य बच्चों के खेल खेलने के कक्ष/उपकरण मोजूद है लेकिन कोचों की तैनाती न होने के कारण स्थानीय बच्चों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यह स्टेडियम जनपद सीतापुर का सबसे बड़ा और विकसित स्टेडियम है।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये शीघ्र कोच की तैनाती किये जाने की मांग करता हूं।]

**जनपद जौनपुर के केराकत चौराहे से ग्राम सरौनी तक क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

[महोदय,

मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि जनपद जौनपुर जिले के केराकत चौराहे से ग्राम सरौनी तक सड़क मार्ग नहीं होने के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह मार्ग काफी क्षतिग्रस्त है तथा जगह-जगह गड्ढे हैं जिससे क्षेत्रीय जनता में काफी आक्रोश/जनाक्रोश व्याप्त हैं इस सड़क का बनाया जाना नितान्त जरूरी हैं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर मैं सरकार से उत्तर देने की मांग करता हूं।]

## औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

28 जनवरी, 2010 की नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित चार सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जो सूचनाएं पिछली 28 तारीख को दी गई थी, जिसमें मैंने कहा था कि आज सुन लेंगे, उसमें श्री सुरेश कुमार खन्ना जी की, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी की, श्री उदयभान करवरिया जी की तथा श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी की है।

आज दिनांक 01 फरवरी, 2010 को जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, उसमें पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी जी की है। विधान सभा में शुक्रवार दिनांक 29 जनवरी, 2010 को मेरे द्वारा सदन में स्मरण कराये जाने के बावजूद संत रविदास जयन्ती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा न किये जाने के सम्बन्ध में। दूसरी सूचना श्री अम्बिका चौधरी की उ0 प्र0 विधान सभा के नेता, विरोधी दल को उनकी सुरक्षा, प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जाने पर उनके आगमन/प्रस्थान से सम्बन्धित शिष्टाचार आदि न प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में। तीसरी सूचना श्री जोखू लाल यादव की महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चार दिन चर्चा न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। चौथी सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की दिनांक 18 नवम्बर, 2009 को विधान सभा में दिये गये तारांकित प्रश्न को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।

शेष सूचनायें नहीं सुनी जायेंगी। अब सुरेश कुमार खन्ना जी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं।

श्री अध्यक्ष-

खन्ना जी, मा0 सिद्दीकी साहब कोई सूचना देना चाहते हैं।

## सत्ता एवं विपक्ष के सदस्यों के प्रस्तावों पर स्वीकृत विकास कार्यों का विवरण

आबकारी, लो0 नि0, आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, 29 तारीख को महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद के समय मैंने एक आश्वासन दिया था, मा0 विपक्षी सदस्यों के कहने पर कि जिन मा0 विपक्ष के सदस्यों के प्रस्तावों पर उसमें कुछ लिखित भी है, कुछ जबानी भी है, जो भी विकास कार्य कराये गये, उनकी सूचना मैं इस सदन को दूंगा, इसी सत्र में दूंगा। मान्यवर, सारे तो नहीं आ पाये हैं, कुछ हमारे पास आये हैं, वह सूचना मैं देना चाहता हूं, जो आश्वासन मैंने दिया था। मान्यवर, यह सिंचाई विभाग से सम्बन्धित है, यह लेटरपैड लगा हुआ है, मा0 राम किशुन जी, जो समाजवादी पार्टी के मुगलसराय के विधायक हैं, अब एम0 पी0 हो गये हैं, लेकिन जिस समय का लेटर पैड है, उस समय वह एम0 एल0 ए0 थे। उनके प्रस्ताव पर 02-12-2008 को 26 लाख 81 हजार की

स्वीकृति दी गई थी। मा0 माता प्रसाद पाण्डेय जी का जो पत्र है, लगा हुआ है, उनके प्रस्ताव पर टी0 ए0 सी0 की जो कमेटी है, उसकी बैठक में 20-01-2010 को 322.97 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके बाद श्री लालजी यादव हैं, जो सिद्धार्थनगर, बांसी विधान सभा क्षेत्र के हैं, इनकी भी टी0 ए0 सी0 की बैठक में 754.87 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई। फिर अनुग्रह नारायण सिंह जी हैं, इनकी भी 174.08 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई।

मान्यवर, जो सिंचाई की और सूचना है, इसमें श्री पूरन प्रकाश जी जो राष्ट्रीय लोक दल के गोवर्धन के एम0 एल0 ए0 हैं, उनको 28 मई, 2009 को 48 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई। उसके बाद श्री रामकिशुन जी हैं, चन्दौली के, पुनः उनको 26 लाख 81 हजार की 6 जून, 2009 को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके बाद लल्लू जी का है, श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी का है, अभी बैठे हुये थे, आपका भी जनपद है, आजमगढ़। आजमगढ़ के बाईपास के लिये इन्होंने मुझसे मिलकर कहा, उसको स्वीकृति प्रदान की गई, काम लगभग पूरा हो गया हो, लेकिन मैं अभी कन्फर्म नहीं हूं। उसके बाद मान्यवर, श्री प्रमोद तिवारी जी बैठे हैं, कहें तो सारे पढ़कर सुना दूं। मान्यवर, मैं यह किसी स्पष्टीकरण के लिये नहीं, केवल एक सूचना दे रहा हूं, जो मैंने आश्वासन दिया था। मा0 ओम प्रकाश सिंह जी का भी 12-06-2007 का है, वह यहां नहीं है, उनके 2 कार्य स्वीकृत किये गये। उसके बाद डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी हैं, उनके प्रश्न पर स्वीकृति प्रदान की गई, उनके तीन कार्य स्वीकृत हुये हैं। इसके बाद अनुग्रह नारायण सिंह का पुनः एक कार्य है, जो उन्होंने लेटर दिया था, उसके बाद फिर अनुग्रह नारायण सिंह जी का है, 29-08-2008 को स्वीकृत किया गया। उसके बाद श्री मदन चौहान जी का है, जो आपकी ही पार्टी के हैं, उनके तीन कार्य स्वीकृत किये गये, जो हापुड़ से कुठौर मार्ग, दूसरा है, ग्राम अटूटा से रघुबीर के ढेर से फाटक तक, तीसरा है, राम खिदवई से गढ़ मेरठ रोड तक, यह समाजवादी पार्टी के हैं। उसके बाद डा0 पी0 के0 राय जी, जो समाजवादी पार्टी के हैं, उनका पैड लगा हुआ है।

मान्यवर, इनके 18 जून, 2009 को 6 कार्य स्वीकृत किये गये। यदि कहें तो डिटेल बता दूं, लेकिन मैं सदन का समय खराब नहीं करना चाहता। श्री बैजनाथ दुबे जी हैं, यह भी समाजवादी पार्टी के एम0एल0ए0 हैं, इनका भी लेटरपैड हमारे पास है, इनका 07-09-2009 का लेटर है, उसके बाद मा0 बिनोद चतुर्वेदी जी हैं, यह कांग्रेस के हैं, इनके भी कार्य स्वीकृत किये गये। उसके बाद सुश्री पुष्पा राज जी बैठी हैं, उनका पत्र है, 14-12-2008 का, उसमें स्वीकृति दी गई। उसके बाद अरविन्द गिरि जी है, सपा के विधायक हैं, उनका 26-07-2007 को कार्य स्वीकृत किया गया। उसके बाद श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा जी हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, इनका भी स्वीकृत किया गया, लेटर मेरे पास है। उसके बाद श्री अनूप कुमार गुप्ता जी हैं, यह भी समाजवादी पार्टी के एम0 एल0 ए0 हैं, उनका भी स्वीकृत किया गया। उसके बाद समाजवादी पार्टी के मा0 शाहिद मंजूर जी है, उनके तीन कार्य स्वीकृत किये गये, अगर कहेंगे तो मैं पढ़कर सुना दूंगा, उनका लेटर मेरे पास है। उसके बाद इमरान मसूद साहब का है, इनके 7 कार्य मंजूर हुये। उसके बाद ज्योत्सना श्रीवास्तव जी, भाजपा की हैं, उनके स्वीकृत किये गये। उसके बाद सुरेन्द्र सिंह पटेल जी हैं, उनका मान्यवर, स्वीकृत किया गया। उसके बाद कोकब हमीद साहब हैं, वारिश साहब हैं, प्रदीप माथुर साहब हैं।

श्री शाहिद मंजूर-

मान्यवर, मैंने कोई चिट्ठी नहीं लिखी है।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

आप हमारे कक्ष में आ जाइयेगा, हम फोटो कापी दे देंगे। हमारे पास जो सूचना है, वह हम बता रहे हैं। मा0 विनोद सरोज जी हैं, निर्दलीय हैं, उनकी स्वीकृति प्रदान की गई। मान्यवर, और भी तमाम मा0 सदस्यों का है, जैसा मैंने आश्वासन दिया है, उसकी सूचना मैंने यहां पर दी, चाहे वह निर्दलीय हो, चाहे क्षेत्रीय दल के हों, चाहे राष्ट्रीय दल के हों, अब सबका तो नहीं हो सकता है, लेकिन हर दल का कोई न कोई जो प्रस्ताव आया है, उसको स्वीकार करने का प्रयास किया गया है।

(कुछ सदस्यों के बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

बैठ जाइये, कोई स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है।

*श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी को धन्यवाद, उन्होंने सूचना बता दी कि फलां के प्रस्ताव पर है। इसी सम्बन्ध में एक अनुरोध है कि अपने कक्ष में बुला लें और समझाने की कृपया आवश्यकता नहीं है, उनके पत्र की फोटो कापी यह आपके कक्ष में भिजवा दें, मा0 सदस्य आपके यहां देख लेंगे और फिर अगर कोई व्यतिक्रम होगा तो अभी सत्र चल रहा है, दोबारा आपसे बात हो जायेगी।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

ठीक है, मान्यवर, मैं आपके कक्ष में भिजवा दूंगा।

**विधान सभा के सदस्यों द्वारा कराये गये विकास कार्यों पर लगाये गये शिलान्यास के पत्थरों को हटाये जाने की शिकायत तथा विकास कार्यों पर शिलान्यास के पत्थर लगाये जाने की मांग**

*श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, एक और सूचना थी। चूंकि आज माननीय मंत्री जी हैं, इसी सम्बन्ध में है। यह एक सामान्य हैं, यह अकेले माननीय मंत्री जी से सम्बन्धित नहीं है, पूरे सरकार का प्रकरण है। आपने भी निर्देश दिया कि जो पहले से शिलान्यास के पत्थर लगे हुये थे, कई विभागों के, वे पत्थर कई जगह हटाये गये हैं और माननीय सदस्यों के प्रस्ताव पर जो कार्य हुआ है, उस पर इनको छोटे कार्यों के उद्घाटन का भी शिलान्यास का पत्थर लगता है, वह नही लग रहा है, इसकी एक शिकायत है। इसको आप दिखवा लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है, निर्देश है इसलिये यह होना चाहिये।

**प्रत्येक वर्ष में विधान सभा के तीन अधिवेशन तथा 90 दिन के उपवेशन न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न**

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मेरी एक सूचना वर्ष 2009 में सदन की बैठकें कम होने के सम्बन्ध में है, इसमें नियमावली का पालन नहीं किया गया, उस सम्बन्ध में एक औचित्य का प्रश्न मान्यवर, मैंने दिया था। आपने कृपा पूर्वक उसके लिये समय दिया, मैं आभारी हूं। मान्यवर, आप नियमावली देख लें वर्ष 2009 में पहला सत्र फरवरी में बुलाया गया था और दूसरा सत्र जुलाई में बुलाया गया था।

पहला सत्र फरवरी में 10 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक 09 बैठकें सम्पन्न हुयी और दूसरे सत्र में मान्यवर, जो जुलाई में बुलाया, 31 जुलाई से 7 अगस्त तक, मात्र 4 बैठकें उसमें हुयीं। टोटल वर्ष 2009 में केवल 13 बैठकें हुयीं। मान्यवर, नियमावली देख लें, नियमावली है उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 , पेज-9, सभा के उपवेशन, नियम-14- सभा के अधिवेशन अनु0-174 के अधीन रहते हुये साधारणतया प्रत्येक वर्ष में सभा के 3 अधिवेशन अर्थात् आय-व्ययक अधिवेशन, वर्षा कालीन अधिवेशन और शीतकालीन अधिवेशन और 90 दिन के उपवेशन होंगे, जिसमें यथासम्भव 2 माह के अन्तराल पर कम से कम 10 कार्यकारी दिवसों के लिये विधानसभा का सत्र बुलाया जायेगा। मान्यवर, नियमावली में स्पष्ट है कि वर्ष में 90 दिन के उपवेशन होने चाहिये और तीन अधिवेशन जरूर होना चाहिये।

मान्यवर, वर्षाकालीन, शीतकालीन और बजट सत्र मान्यवर, इसके नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। दूसरी बात जहां तक आर्टिकल 174 का सवाल है, मान्यवर, मरमरिंग तो यहां तक है कि जो 6 महीने की कांस्टीट्युशनल बाइडिंग हैं, अगर वह बाइडिंग नहीं होती तो शायद यह सरकार सत्र बुलाने की आवश्यकता ही नहीं समझती।

अगर यहां से हम नियमों का पालन नहीं करेंगे, सरकार नियमों का पालन नहीं करेगी तो मान्यवर, बाकी सब लोग जो इससे जुड़े हुये हैं, उनको नियमों का पालन करने के लिये न तो प्रेरणा दी जा सकती है और न वे नियमों का पालन करने के लिये उत्साहित होंगे। इस सदन में मान्यवर, यह मान्यवर, यह प्रश्न कई बार आया लेकिन यह सदन, जिसमें जितनी बैठकें नियमों में होनी चाहिए, वह नहीं हो पातीं और पीछे की स्थिति तो और खराब रही है वर्ष 2009 में। मैं इस बात पर विशेष रूप से मान्यवर, बल देना चाहता हूं कि और आपका संरक्षण चाहता हूं और आपका निर्देश भी चाहता हूं कि कम से कम इस सरकार को इस बात के लिये निर्देशित करें कि नियमावली का अक्षरशः पालन किया जाये क्योंकि अगर नियमावली का पालन नहीं होगा तो निश्चित रूप से बाकी सब लोग भी अपने-अपने तरीके से परिभाषित करेंगे।

मान्यवर, आज अगर पीठ से यह निर्देश हो जायेगा तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में एक मैसेज जायेगा। मान्यवर, बहुत से अनुत्तरित प्रश्न रह गये हैं, बहुत सी चर्चायें जो इस हाउस में हो सकती थीं वे नहीं हो पायीं। मान्यवर, इस वर्ष भी जब 2010 में पहली बार हम मिले तो हम यह उम्मीद कर रहे थे कि नियमों का पालन होगा, पूरी तरीके से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के लिये जो समय निर्धारित है। उसकी चर्चा पूरी नहीं हो पाई। मात्र दो दिन की चर्चा हुई 28 और 29 और 29 तारीख को मान्यवर प्रश्नकाल समाप्त कर दिया गया। आखिरकार कौन सी मजबूरी है कभी किसी विशेष परिस्थिति में मान्यवर, यह सम्भव हो तो हो कि प्रश्नकाल को स्थगित कर दिया जाय, प्रश्नकाल न किया जाय, लेकिन मान्यवर, नियमों का पालन न किया जाय और उसके बाद बाकी जो इससे जुड़े हुए लोग हैं उनको मान्यवर, संरक्षण न दिया जाय, इस पर हम आपकी व्यवस्था चाहते हैं, आपका संरक्षण चाहते हैं कि विशेष रूप से इस पर आपकी पीठ से स्पष्ट निर्देश हो जायें कि कम से कम इस नियमावली का पालन जरूर हो। आपने मुझे मौका दिय मैं आपका आभार प्रकट करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसी से सम्बन्धित सूचना डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी की सूचना है।

*डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे सूचना पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय सदस्य ने जो बातें कहीं हैं मैं अपने आप को उनसे जोड़ता हूं, मैं उनकी किसी बात को यहां दोहराने नहीं आऽ हूं। माननीय सदस्य ने जो नियम-14 है उसको पढ़ कर सुना दिया मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि आप इसे एक बार फिर पढ़ लीजिए। 174 के अधीन रहते हुए साधारणतया प्रत्येक वर्ष में सभा के तीन अधिवेशन आय व्ययक, वर्षा कालीन और शीत कालीन अधिवेशन और 90 दिन के उपवेशन होंगे जिसमें यथासम्भव दो माह के अन्तराल पर कम से कम 10 कार्यकारी दिवस होंगें। एक आदेश है, एक नियम है जिसमें दो हिस्से हैं एक कण्डीशनल है और एक मैनडेटरी है। हम सब इस बात को जानते हैं जो विधिवेत्ता होंगे विशेष रूपसे जानते होंगे, जब किसी चीज में हम कोई कण्डीशनल आदेश जोड़ते हैं तो उसका पूर्ववर्ती आदेश मैनडेटरी ही होता है। अर्थात् यह हमारी बाध्यता है, हमारे पास समय हो या न हो, हम खाली हों या न हों, हमें तीन अधिवेशन करने ही होंगे, 90 उपवेशन करने ही होगे। छूट हमको इस बात की है कि वह 90 अधिवेशन अगर हम तीन सत्रों की जगह पर दो-दो महीने के छः सत्र करना चाहें तो उसमें भी कर सकते हैं, न करना चाहें तो कोई बात नहीं तीन सत्रों में करें, लेकिन तीन सत्रों में 90 उपवेशन होने चाहिए। अर्थात् तीन सत्र की जगह दो सत्र नहीं हो सकता। आप पिछले आंकड़े देख लें, मैं अभी आपके सामने आंकड़े रखूंगा, एक परम्परा सी हो गई है इधर तीन सत्र भी नहीं बुलाये जा रहे हैं, 90 उपवशेन तो बहुत दूर की बात है। माननीय अध्यक्ष जी, अपनी लाईब्रेरी से जो हम लोगें ने तथ्य प्राप्त किये हैं, प्रथम विधान सभा में एक साल में 91 उपवेशन हुए थे, 90 की जगह। द्वितीय विधान सभा में एक साल में 84.4 उपवेशन हुआ था, तृतीय विधान सभा में एक साल में 79 उपवेशन हुए और फिर संख्या घटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, 52 आई है, 51 आई है, 52 आई है, लेकिन यह जो इस विधान सभा में हुआ है, यह कभी नहीं हुआ है। इस विधान सभा में यह हुआ है कि 2007 में तो 32 उपवेशन हुए थे, 2008 में कुल मिला करके 22 हुए हैं और 2009 में कुल मिला करके जो यह आंकड़े दिये गये हैं लाईब्रेरी से कुल मिला करके 13 उपवेशन हुए हैं और तीन सत्र भी नहीं बुलाये गये हैं, सिर्फ दो सत्र बुलाये गये हैं। यह साढ़े अट्ठारह सौ करोड़ की जनसंख्या का सदन है, अध्यक्ष महोदय और पूरे प्रदेश की आशा इस विधान सभा से जीतती है। हम लोगों के पास कितना दबाव होता है, नागरिकों की विभिन्न समस्याओं के बारे में, हम लोगों को कोई शौक नहीं है कि आपके कमरे में जा करके रोज आग्रह करते हैं कि यह नोटिस ले लीजिए, यह प्रश्न लगा लीजिए। हमारी मजबूरियां हैं। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता हमारे पास ढेर सारी समस्याओं को ले करके आती है। अब 19 करोड़ जन संख्या, 403 विधायकों के माध्यम से जब अपने सवालों को रोज ले करके आयेगी तो हमारे पास सिवाय इसके कि हम यहां उसको ले करके आये कोई रास्ता नहीं होता।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अब इतनी बड़ी जनसंख्या, इतने कम विधायकों के साथ 13 दिन के अन्दर प्रदेश की सारी समस्याओं को प्रश्न के रूप में यहां रख पायेगी, यह व्यवहारिक रूप से सम्भव नहीं हो पायेगा। यह सदन सिर्फ जनता की समस्याओं के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, जनता की समस्याओं के लिए तो कम महत्वपूर्ण है, यह जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं, उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि हर पांच साल पर हमें चुनाव में जाना है, अगर इस पांच साल के कार्यकाल में हमारे द्वारा पूछे गये हजारों प्रश्न या जो आपने नियमावलियां, नियम बनाये हैं, गाईड लाइन्स दी हैं। मान्यवर, इनके अधिकारी इनको गलत दिशा में ले जाकर इनके सामने गलत पक्ष प्रस्तुत कर देते हैं। हम लोग जो यहां पर प्रश्न और सूचनायें प्रस्तुत करते हैं वह आपको समय से पहले सावधान कर देती हैं ताकि 5 साल के बाद जो चुनाव हों तो आप बेहतर तरीके से अपने कार्यों को प्रस्तुत कर सकें। प्रश्न काल का समय एक घंटा बीस मिनट है। अब मेरा 18वां प्रश्न था वह नहीं आ पाया। 4-5 प्रश्न ही हो पाये। अब अगर इस तरह से 13 दिन के अधिवेशन में 4-5 प्रश्न ही पूछ पायेंगे तो फिर कुल मिलाकर 52-53 प्रश्न ही हो पायेंगे। तो फिर उसके माध्यम से हम पूरे प्रदेश की साल भर की समस्याओं का समाधान कैसे करा पायेंगे। मुझे समझ में नहीं आता है। 301 की सूचनायें हैं वह एक स्वीकार हो जाती है तो फिर हफ्ते भर बाद ही दे सकते हैं। इसी तरह से नियम 56 की जो सूचनायें उसमें 2 पर सुना जाता है शेष पर ध्यान आकृष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से नियम 51 की सूचनायें है वह दस ली जाती हैं। चूंकि समस्यायें इतनी ज्यादा हैं कि प्रश्नों और सूचनाओं के माध्यम से सभी समस्यायें संज्ञान में नहीं आ पा रही हैं। इसमें यह बात है कि 90 दिन के उपवेशन चलें या फिर प्रक्रियाओं में परिवर्तन करके जो प्रश्नकाल का समय है वह बड़े कि सभी स्वीकृत प्रश्नों के उत्तरित होने पर प्रश्नकाल समाप्त होगा। या फिर जो 301, 56 और 51 की सूचनाओं की सीमा है उसको बढ़ाया जाये। यह भी हो सकता है कि बीच में लंच टाइम के लिए उठकर फिर सदन बैठे और देर तक चलाया जाये।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, नियमावली में जो व्यवस्था दी गयी है उसमें यह है कि साधारणतया प्रत्येक वर्ष में तीन अधिवेशन होंगे। कभी-कभी अपरिहार्य कारणों से ऐसा संभव नहीं हो पाता है और यह कोई पहली बार नहीं हुआ है। जैसा कि माननीय सदस्य ने जिक्र किया है एक दो बार को छोड़कर कभी भी 90 दिन के उपवेशन नहीं हुए हैं। पिछले वर्ष मान्यवर आपको मालूम है कि लोक सभा के चुनाव हुए फिर इधर विधान परिषद् के चुनाव हुए जिस कारण से तीन अधिवेशन नहीं हो पाये हैं। मेरा अनुरोध है कि आप कृपया इस सूचना को औचित्य के प्रश्न के रूप में अग्राह्य करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इस सूचना पर श्री सुरेश कुमार खन्ना, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आप देखें कि निमावली के प्राविधानों का पालन नहीं हो पा रहा है तो फिर इसमें संशोधन ही करा दें। एक तरह से यह नियमों में मैनडेटरी प्रोविजन है फिर उसके ऊपर इनको इतना संवेदनहीन नहीं होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

नियमावली का पालन हो यह तो सबकी मंशा रहती है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने संकेत दिया कि किस वजह से यह अधिवेशन नहीं हो पाया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आगे कम से कम मान्यवर भविष्य में तो व्यवस्थाओं को ठीक करेंगे ऐसा कोई आश्वासन भी उन्होंने नहीं दिया हैं। इसका फिर औचित्य क्या है।

श्री अध्यक्ष-

तभी तो आपने सूचना लगाकर ध्यान आकृष्ट किया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आप सत्ता पक्ष को निर्देशित करें कि नियमों का पालन हो। भविष्य के लिए कोई पक्का आश्वासन भी नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष-

नियमावली और संविधान की भावनाओं का पूरा पालन हो पूरा सदन इसका पक्षधर रहा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, भविष्य के लिए कोई पक्का आश्वासन भी नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष-

भविष्य और भूत दोनों उन्होंने बता दिया है और यह बता दिया कि किन परिस्थितियोंवश नहीं चला है।

**संत रविदास जयन्ती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न**

श्री अध्यक्ष-

माननीय प्रमोद तिवारी जी यह आपकी कैसे सूचना आयेगी यह बतायें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, जैसे खन्ना साहब की आई थी।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, वैसी नहीं है, खन्ना साहब जैसी तो आपकी है ही नहीं।

*श्री प्रमोद तिवारी-

अब इसे अगर गौर से देखा जाय तो पता लग जायेगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण किया।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसे बहुत ज्यादा यथासम्भव संक्षिप्त करने का प्रयत्न करूंगा यह भावनाओं और आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है। विगत वर्ष मेरे ही अनुरोध पर इसी सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था भगवान रविदास की जयन्ती पर। मान्यवर, भगवान रविदास करोड़ो लोग उन्हें भगवान के रूप में मानते हैं, पूजते हैं और आदर देते हैं। पिछली बार सार्वजनिक अवकाश उनकी जयन्ती पर घोषित किया गया था जब मैंने देखा कि इस बार निर्बन्धित अवकाश है तो मैंने शुक्रवार को सरकार के संज्ञान में मैं ले भी आया था यह सदन की कार्यवाही में अंकित है, कृपापूर्वक देख लें। मैंने सरकार को याद भी दिलाने का प्रयास किया कि यह भूल आपसे इस बार हो रही है। कि सन्त रविदास करोड़ों लोगों की आस्था के केन्द्र हैं, आप उनकी जयन्ती पर निर्बन्धित अवकाश घोषित कर रहे हैं। मान्यवर, जितने भी पूज्य आदरणीय महापुरूष हैं, भगवान के स्वरूप हैं, विभिन्न सम्पदायों के आराध्य हैं मैं सबकी चाहे वह हिन्दू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, इसाई हो, मान्यवर, सबके आराध्यों के प्रति आदर व्यक्त करते हुए कहना चाहता हूं कि यह सरकार संत रविदास के प्रति सौतेला व्यवहार अख्तियार कर रही है। यह जानबूझ कर मान्यवर, उनको अपमानित करने का प्रयास कर रही है।

मान्यवर, यह जानबूझकर उन करोड़ों लोगों का विषय जिनके साथ नहीं है उनको अलग करने का प्रयास कर रही है। सिर्फ वह भगवान के रूप में अपने आराध्यों में नहीं पूंजे जाते बल्कि उनका एक बहुत ही प्रचलित था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यह उनका एक सुधारवादी कदम था। वह एक समाज सुधारक भी थे। मैं कहना चाहता हूं कि जो सार्वजनिक अवकाश था उसको निर्बन्धित करके इसने करोड़ों लोगों की भवनाओं को चोट पहुंचाया है। इस सरकार की इस जनविरोधी नीति के विरोध में मैं औचित्य का प्रश्न लाया हूं। मेरा सिर्फ औचित्य यह है कि मैंने विधान सभा में आपके माध्यम से भी उठाया था, पिछली बार भी उठाया था पिछली बार में आपने कृपा पूर्वक निर्देश दे दिया था सार्वजनिक अवकाश घोषित हो गया। इस बार मैंने उठाया आपकी भावनाएं जो पिछली बार की थी वह बदली तो होंगी नहीं मान्यवर, उसका पालन यह सरकार नहीं कर रही है। महान मैं कहूंगा महानतम समाज सुधारक और भगवान के दर्जा प्राप्त सन्त रविदास के प्रति जो इस सरकार ने अनादर का भाव दिखाया है उससे सदन की पीठ से आपके दिये गये निर्देश का भी उल्लंघन हुआ है और सदन की भी आवमानना हुई है, इस सम्बन्ध में मैं औचित्य के प्रश्न पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, सन्त रविदास जी का कौन आस्था रखता है यह सर्वविदित है। मान्यवर, सन्त रविदास जी के नाम पर जिला आदरणीय बहन मायावती जी ने बनाया और संत रविदास जी के नाम पर बनारस में उनका स्मारक घाट बनाने का काम किया तो इस बात से परिलक्षित होता है कि कौन उनका आदर करता है। माननीय तिवारी जी तो आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं इनकी सरकार ने संत रविदास के लिए कुछ भी करने का काम नहीं किया था लम्बे समय के शासनकाल में। हमने तो सत्ता में आने के बाद ही हमारी नेता ने उनके नाम पर जिला भी बनाया और बनारस में उनके एक महत्वपूर्ण स्थान पर घाट बनाने का काम किया। जहां तक औचित्य के प्रश्न का सवाल है आप औचित्य का प्रश्न पढ़ लें किसी भी रूप में यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि यह ऐसे प्रश्न औचित्य के माध्यम से उठाने की अनुमति न दे ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। और इसको अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आपकी भी भवनाएं अच्छी हैं, सदन की भावनाएं भी अच्छी हैं लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जी की भावनाएं महान संत का अनादर करने वाली हैं। मैंने प्रश्न क्या उठाया और यह बता रहे हैं दूसरा। महामहिम राष्ट्रपति स्वयं आये थे जिसके उद्घाटन के लिए। मान्यवर, केन्द्र की सरकार ने क्या किया अब यह इनको बताने की जरूरत है। अब अगर संत रविदास का इतना ही गुनाह है कि उत्तर प्रदेश में उनकी कर्मस्थली है तो इनको उत्तर प्रदेश के महापुरूष से पता नहीं क्यों....

श्री अध्यक्ष-

आप पीछे दो लोगों को क्यों खड़ा कराये है आप तो बोल ही रहे हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, यह सब मेरी आवाज को शक्ति प्रदान करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

तो वह बैठ करके भी तो कर सकते हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, बनेगी नहीं बात। जब मैं खड़ा हूं तो वह खड़े होगे। मेरा सिर्फ आग्रह यह है कि संत रविदास की जयन्ती पर पिछली बार सार्वजनिक अवकाश था। इस बार सार्वजनिक अवकाश नहीं है। इसके विरोध में, उनके अनादर के प्रति मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये, मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करते हैं।

(श्री प्रमोद तिवारी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर दिया)

श्री अध्यक्ष-

इस सूचना पर मैंने माननीय प्रमोद तिवारी जी को सुना तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-300 में नहीं आती, इसलिये मैं इसे अग्राह्य घोषित करता हूं। अगली सूचना श्री अम्बिका चौधरी जी की है।

**नेता विरोधी दल को उनकी सुरक्षा तथा प्रदेश से विभिन्न जनपदों में जाने पर उनके आगमन/ प्रस्थान से सम्बन्धित शिष्टाचार आदि प्रदान न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न**

*श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, यह सदन संविधान, नियम और परम्पराओं से चलता है। श्रीमन् भारतीय लोकतंत्र में जब संसदीय प्रणाली की परिकल्पना की गयी तो उसके लिये जो ब्रिटेन का पार्लियामेंटरी सिस्टम है, जो वहां की संसदीय प्रणाली है, उससे बहुत ज्यादा चीजें एडाप्ट की गयीं। श्रीमन् हाउस आफ कामन्स में नेता प्रतिपक्ष की स्थिति प्रधानमंत्री के बराबर की स्वीकार की गयी है। सिर्फ उनके पास कुछ सीमित कार्यों को छोड़कर स्टेट्स के मामले में नेता प्रतिपक्ष की स्थिति वहीं है। जब हम लोगों ने अपने यहां उसको एडाप्ट किया तो उनके यहां जो क्रम है उसको भी एडाप्ट किया और वहीं स्थिति यहां भी है कि माननीय अध्यक्ष के बांयी तरफ जहां डिप्टी स्पीकर का स्थान होगा, उसके बगल में **'दि लीडर आफ अपोजीशन एंड हिज शैडो कैबिनेट सिट आन दि**

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण किया।

**फ्रंट बेंच आन दि स्पीकर्स लेफ्ट हैन्ड विद देयर सपोर्टर्स बिहाइन्ड देम एज फार्म दि बिगनिंग आफ एट्टीन्थ सेन्चुरी दि फ्रन्ट बेंच आन दि राइट आफ दि स्पीकर केम टू बी रिजर्व फार दि मेम्बर आफ दि कैबिनेट एंड देयर मिनिस्टीरियल कलीग्स।'** वही व्यवस्था मान्यवर, हमने यहां भी एडाप्ट की । आज भी दाहिनी तरफ नेता सदन उनके मंत्रि परिषद् के सहयोगी और बांयी तरफ नेता प्रतिपक्ष और उनके साथ उनके समर्थक होते हैं। हमने प्रत्येक मामले में उनको एडाप्ट किया। यह इनसाइक्लोपीडिया आफ पार्लियामेंट, फिलिप महोदय की पुस्तक का उद्धरण था। मैं इसका हिन्दी अनुवाद कर दूंगा। मान्यवर, 1977 में लोक सभा ने परम्पराओं के अतिरिक्त जाकर के औपचारिक रूप से इसके लिये एक्ट बनाया और संसद में विपक्षी नेता वेतन भत्ता अधिनियम, 1977 के अन्तर्गत लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेताओं को कानूनी मान्यता, वेतन तथा कतिपय अन्य सुख सुविधायें प्रदान की जाती हैं। उसमें सारे अरेन्जमेंट और सारी सुख सुविधायें प्रदान की जाती है। उसमें सारे अरेन्जमेंट और सारी सुख सुविधायें प्रदान की गयीं। श्रीमन्, हमारे उत्तर प्रदेश में भी 1989 में यह अधिसूचना है 25 मार्च, 1989 की, उसके पूर्व अनौपचारिक रूप से था। लेकिन औपचारिक रूप से 1989 में मान्यवर, यह अधिसूचना संख्या-1281-17-1-89/94 संख्या है यह मैं नोट कराये देता हूं और उसके माध्यम से हुआ, उत्तर प्रदेश विधान सभा के नेता विरोधी दल को राज्यपाल महोदय तात्कालिक प्रभाव से कैबिनेट मंत्री का स्तर दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। मान्यवर, कैबिनेट मंत्री के नाते उनको कौन-कौन से विशेष सम्मान, अधिकार या सुविधायें प्राप्त हों इसके लिये भी अधिनियमन हमारे यहां हुआ है। इसके अतिरिक्त, एक प्रीजाइडिंग आफीसर्स कान्फ्रेंस, 1971 में तत्कालीन अध्यक्ष, विधान सभा भाग ले रहे थे और दूसरों ने जब उत्तर प्रदेश का जिक्र नहीं किया तो माननीय अध्यक्ष ने इस पर आपत्ति की और कहा **'वाट शुड बी दि स्टेट्स आफ एंड वाट फैसिलिटीज एफोर्डेड टू दि लीडर आफ अपोजीशन, हू हैज बीन फार्मली सो रिकगनाइज्ड इन आइदर हाउस आफ पार्लियामेंट आर स्टेट लेजिस्लेचर'** पार्लियामेन्ट के दोनों सदनों में या राज्य के विधान मण्डलों में नेता प्रतिपक्ष के स्टेट्स की क्या स्थिति है, क्या उसकी सुविधायें हैं, इस सम्बन्ध में जब कान्फ्रेंस हुयी तो हमारे उत्तर प्रदेश के तत्कालीन अध्यक्ष ने स्पष्टतया उल्लेख किया कि आपने और लोगों का तो उल्लेख किया लेकिन उत्तर प्रदेश का उल्लेख नहीं किया और उन्होंने स्वयं यह कहा कि उत्तर प्रदेश में मिनिस्टर का जो स्थान है वही लीडर आफ अपोजीशन को भी दिया गया है और आप इसको करेक्ट कर लीजिये। ऐसा उन्होंने अपने सम्बोधन में उस कान्फ्रेंस के सभापति से इस बात का उल्लेख किया तात्पर्य यह है कि प्रत्येक दृष्टि से लीडर आफ अपोजीशन की स्थिति वही वर्णित की गई जो राज्य मंत्रि-परिषद् के किसी सदस्य की है और सुविधाओं के मामले में भी यही हुआ जैसे श्रीमन् मंत्री, विधायक सभी के लिए है। राज्य विधान मण्डल सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन अधिनियम, 1980 में श्रीमन्, इसका उल्लेख है, विधायक को सुविधाएं प्राप्त होंगी, मंत्रि-परिषद् के सदस्यों को क्या होंगी, मा0 अध्यक्ष को क्या होंगी, मा0 नेता प्रतिपक्ष को क्या सुविधाएं उपलब्ध होंगी, यह सारी चीजें स्पष्ट है।

मान्यवर, उसके नियम-19 में है कि नेता विरोधी दल ऐसे वेतन आवास, सवारी तथा ऐसी अन्य सुविधाएं पाने का हकदार होगा जो मंत्रि-परिषद् के किसी सदस्य को उत्तर प्रदेश मंत्री वेतन भत्ता और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1981 की धारा 3, 4, 5, 6, 7 और 8 के उपबन्धों के अधीन अनुमन्य है, यथावश्यक परिवर्तनों सहित नेता विरोधी दल के सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू

होंगे जैसे वह मंत्रि-परिषद् के किसी सदस्य के सम्बन्ध में लागू होते हैं। इन तमाम प्रावधानों को रखने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि कानूनी तौर पर भी, व्यावहारिक तौर पर भी और मान्यवर, आपने कृपापूर्वक स्वयं जब-जब स्थितियां आयी हैं तो इसे स्पष्ट करने का काम किया है कि जो परम्परा चली आ रही है इस सम्मानित सदन की, उसमें नेता प्रतिपक्ष की स्थिति इतनी सम्मानजनक है कि नेता सदन के बाद नेता प्रतिपक्ष जब भी खड़े होते हैं तो पूरा सदन शान्त हो करके बैठ जाता है ऐसी परम्परा इस सदन में रही है। भाषण के लिए जो समय आप निर्धारित करते हैं उसमें नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष के लिए कोई समय-सीमा नहीं नियत हैं और जब भी आवश्यक समझते हैं आप उनको सुनते हैं यह परम्परा इस सदन की उच्च परम्परा है। मान्यवर, आज व्यावहारिक स्थिति क्या हो रही है इतनी सारी चीजें कहने-सुनने को लिखा-पढ़ी में अच्छी-अच्छी चीजें मौजूद हैं, इन चीजों को होना चाहिए। एक और उल्लेख करूंगा कि वर्ष 2005 में एक विधेयक हम ले करके आये थे, पारित किया था और यह अधिनियम बन गया था। वर्ष 2005 में उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल अधिकारी एवं नेता विरोधी दल के आवास विधेयक, 2005 इसमें मा0 अध्यक्ष, मा0 उपाध्यक्ष, विधान परिषद् के सभापति और उप सभापति और दोनों सदनों के नेता विरोधी दल के जो आवास हैं उन्हें चिन्हित कर दिया गया था कि अमुक नम्बर का आवास इनके लिए रहेगा। लेकिन यह सरकार जैसे ही पदारूढ़ हुई तो इन्होंने बहुमत के बल पर जिस मंशा से भी उस विधेयक का निरसन प्रस्तुत कर दिया, वह विधेयक समाप्त हो गया। मैं आज विवाद की स्थिति नहीं पैदा करना चाहता कि मा0 अध्यक्ष को बड़े बंगले से छोटे बंगले में क्यों डाला गया वह अलग प्रकरण है। मैं अभी नेता प्रतिपक्ष पर बात कर रहा हूं, नेता प्रतिपक्ष को आज की तिथि तक एक मान्यवर, कोई आवास आवंटित नहीं है। कोई आवास से तात्पर्य क्या है इसके पहले भी व्यवस्था आ चुकी है मैं इस पर सदन का समय बरबाद नहीं करना चाहता, अनेक बार पीठ से निर्देश हो चुके हैं कि सुविधाजनक और उनके स्तर का आवास आवंटित किये जाने का प्रावधान है। अब नेता प्रतिपक्ष को कितनी आवश्यकता है आस-पास की जगहों पर रहने के लिए लेकिन आज की तारीख तक नेता प्रतिपक्ष को आवास आवंटित नहीं हैं। मान्यवर, जनपदों में जाने पर प्रोटोकाल के लिए बिल्कुल स्पष्ट नियम है कि आगमन-प्रस्थान के लिए क्या व्यवस्था होगी, सर्किट हाउस और डाक बंगला में कौन-कौन से अधिकारी उनसे मिलने आयेंगे, उनके मांगने पर कौन-कौन सी जानकारी उन्हें उपलब्ध करायी जायेगी, जिलाधिकारी क्या प्रबन्ध करेंगे, यह सारी चीजें बिल्कुल पहले से स्पष्ट हैं, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई नयी चीज बतानी हो। स्पष्ट है कि जिलों में जाने पर जिलाधिकारी आयेंगे, अगर जिलाधिकारी नहीं आयेंगे तो अपना प्रतिनिधि भेजेंगे। अगर तहसीलों में किसी स्थान पर जायेंगे तो मान्यवर, एस0डी0एम0 और पुलिस के हिसाब से डिप्टी एस0पी0 रैंक का अधिकारी उनकी अगवानी के लिए मौजूद रहेगा। किन्तु व्यवहार में जो हो रहा है पूरे प्रदेश में जिन लोगों के इशारे पर भी हुआ हो, मा0 मंत्री जी इस बात को दिखवा लेंगे कि क्या यह आपके शासन के किसी उच्च अधिकारी के कहने पर हो रहा है या सरकार के किसी मंत्री के इशारे पर हो रहा है, किसके इशारे पर हो रहा है यह मैं नहीं जानता, जानता तो मैं जरूर बताता।

लेकिन ऐसा लगता है कि जब जनपदों में शासन के स्पष्ट निर्देश होने के बाद कानून में स्पष्ट व्यवस्था होने के बाद और मा0 अध्यक्ष जी आपकी मंशा के बावजूद नेता प्रतिपक्ष को जनपदों के दौरे के समय अगर चीजें नहीं दी जा रही हैं तो यह सिर्फ सम्मान का विषय नहीं है। नेता

प्रतिपक्ष क्या किसी काम के लिए थाने में जाए, क्या एस0डी0एम0 के चैम्बर में जाए, अगर आप आदेश कर देंगे, उन सारी चीजों को निरस्त कर देंगे तो मान्यवर, यह सदन इस चीज को देखेगा। आवास की यह स्थिति, सुरक्षा की यह स्थिति। मान्यवर, मंत्रि-परिषद् के प्रत्येक यहां तक कि राज्य मंत्री स्तर पर भी जो सदस्यगण हैं प्रत्येक सदस्य के साथ उसका स्कोर्ट है और नेता प्रतिपक्ष के साथ स्कोर्ट नहीं है। कभी किसी जनपद में किसी थाने पर स्कोर्ट मिल गयी, कभी नहीं मिली। लखनऊ में तो कभी भी अगर मुख्यालय से निकाल करके इस जनपद में किसी भी जगह जाना हो तो नेता प्रतिपक्ष के कितने भी सूचना देने के बावजूद लखनऊ का पुलिस प्रशासन दो पुलिस कांस्टेबुल भी मुहैया कराने को तैयार नहीं हैं। श्रीमन् यह सम्मान का भी प्रश्न है और सुरक्षा का भी प्रश्न है। सुरक्षा की स्थिति यह है कि मंत्रि-परिषद् के एक सदस्य को एक गनर, एक शैडो के अतिरिक्त 4 और परमामेन्ट सुरक्षाकर्मी हैं, हाउस गार्ड हैं, परन्तु नेता प्रतिपक्ष के लिए हाउस गार्ड तक की भी व्यवस्था नहीं है। बहुत कठिनाई हुई तो ऐसी ड्यूटी लगायी गयी, मैं आपके सज्ञान में लाना चाहता हूं। कदाचित आपको संज्ञान नहीं होगा, यह चर्चा करने की बात नहीं थी। एक सिपाही 24 घण्टे के लिए भेजा जाता है। अभी तक पी0ए0सी0 का न टेण्ट, न गार्ड, इतने तक की भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है कि इस कारण से नहीं हो सकता कि पुलिस का अभाव है कि अब 10 कांस्टेबिल नहीं है, पी0ए0सी0 का एक सेक्शन नहीं लगाया जा सकता। ऐसा नहीं है, वह नीयतन जानबूझकर यह किया जा रहा है। लीडर आफ अपोजीशन का सम्मान कम करके इस लोकतंत्र में सरकार अगर ऐसा समझती है कि सरकार का ओहदा और इकबाल बढ़ रहा है तो मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह से लोकतंत्र में सरकार का इकबाल नहीं बढ़ता। मैं मान्यवर, आपसे उल्लेख कर दूं।

श्रीमन् इनके प्रमुख सचिव द्वारा जो चिट्ठियां भेजी गयी हैं मैं आपको प्रति भिजवा दूंगा। 6 कापी हैं, बार-बार पत्र लिखा गया डी0जी0पी0 को, पुलिस महानिदेशक सुरक्षा को लिखा गया, प्रमुख सचिव, गृह को लिखा गया, मुख्य सचिव को लिखा गया, पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी लिखा गया और मान्यवर, जब इन लोगों के लिखने से नहीं हुआ तो नेता प्रतिपक्ष ने स्वयं चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा कि हमारा प्रोटोकाल क्या है ? आप अवगत करा दें, उसी के अनुसार मैं अपने कार्यक्रमों को करूंगा। उन्होंने पहला पत्र 21-12-2009 को और दूसरा भी एक सप्ताह पहले 25-1-2010 को लिखा, इन पत्रों का जवाब देने तक का शिष्टाचार नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, पत्रों का उत्तर देने का कोई शिष्टाचार अगर इस स्तर पर नहीं है, अगर लीडर आफ अपोजीशन के पत्रों का उत्तर देना ये अधिकारी मुनासिब नहीं समझेंगे तो हमारा लोकतंत्र किस दिशा में और कहां जा रहा है इस पर विचार करना होगा ? इसलिए श्रीमन्, आपके सम्मुख औचित्य का प्रश्न रखते हुए अनुरोध करना चाहता हूं कि आपकी मंशा के अनुरूप सदन की परम्पराओं के अनुरूप, स्थापित नियमों और कानून के अनुरूप संविधान के अनुरूप जो लीडर आफ अपोजीशन का स्टेट्स है उसके अनुरूप सारी व्यवस्थायें सरकार को सुनिश्चित करनी चाहिए और अभी तक की कमियों के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनको स्पष्ट रूप से दण्डित करना चाहिए, यह निर्देश देते हुए मान्यवर, इस पर अपनी व्यवस्था देने की कृपा करें।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, संसदीय अनुभाग के शासनादेश के अनुसार 25 मार्च, 1989 में स्पष्ट उल्लेख है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के नेता विरोधी दल को राज्यपाल महोदय ने तत्कालीन प्रभाव से कैबिनेट मंत्री स्तर दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की है। तद्नुसार उत्तर प्रदेश विधान सभा के नेता

विरोधी दल के प्रति वही शिष्टाचार बरता जायेगा जिसका उल्लेख शासन के प्रोटोकाल विभाग के शासनादेश संख्या-599/56-3 (ख) (1) 2477 दिनांक 6 मार्च, 1979 में किया गया है। यह व्यवस्था लागू है। मान्यवर, जिस बिन्दु का चौधरी साहब ने उल्लेख किया, मैं दिखवा लूंगा और हमारा प्रयास होगा कि उनके प्रति जो सामान्य शिष्टाचार है उसका पूरी तरह से पालन हो। औचित्य का प्रश्न नहीं है इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको निरस्त करने की कृपा करें।

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, नेता विरोधी दल और नेता सदन से ही सदन की गरिमा है। आज इस प्रश्न को उठाना पड़े यही अपने-आप में औचित्य है। मैं समझता हूं कि इधर आना-जाना लगा रहता है, यह व्यवस्था मजबूत कर लेनी चाहिए। मैं तो आपसे यही कहूंगा पूरी गरिमा के साथ कि यह प्रश्न उठाना पड़ा यही अपने आपमें दुखद है। आप कड़े निर्देश दें। वर्मा जी ने यह कह दिया कि प्रयास करूंगा इनको कौन सा हिमालय पर चढ़ने के लिए कहा जा रहा है। जो निर्णय इसी सदन ने लिया है। उसको क्रियान्वित करें। इसमें प्रयास नहीं करना है बल्कि कठोरतापूर्वक उन लोगों को दण्ड देने का काम करें जिन्होंने इसका पालन नहीं किया है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मंत्री जी को कृपा नहीं करनी है। यदि नहीं करना है तो बता दें।

*श्री हुकुम सिंह-

जो बात यहां कही गई है जैसा कि चौधरी साहब ने और प्रमोद तिवारी जी ने कहा मैं अपेक्षा करता था कि संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े होकर कहेंगे कि हम यह सुनिश्चित करेंगे और जिन अधिकारियों ने कोताही बरती है उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। मैं प्रयास करूंगा इतने लचर शब्दों का प्रयोग मंत्री जी ने किया। कौन सा यह प्रयास करेंगे। जो नियम हैं जो राज्यपाल जी का आदेश भी है कानून बना हुआ है उसका पालन नहीं हो रहा है। ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए। आज यह स्पष्ट आश्वासन सरकार की ओर से आना चाहिए कि प्रोटोकाल के बारे में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी।

श्री अध्यक्ष-

जैसा कि अभी माननीय अम्बिका चौधरी जी, माननीय प्रमोद तिवारी जी, माननीय हुकुम सिंह जी ने नेता प्रतिपक्ष के बारे में कहा। संवैधानिक तौर पर जो सुविधाएं और सम्मान उनको अनुमन्य है जो भी अनुमन्यता है निश्चित तौर पर मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि नेता प्रतिपक्ष का पूरा सम्मान किया जाय, उनको वे सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। नेता सदन एवं नेता प्रतिपक्ष सदन के महत्वपूर्ण अंग हैं। मैं पुनः नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करूंगा कि निश्चित तौर पर आपके सम्मान में कहीं कटौती नहीं होने पायेगी। हम लोग पूरा सम्मान करेंगे आपने सदन के संचालन में जिस तरह से अपना सहयोग दिया उसमें हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि नेता प्रतिपक्ष का सम्मान हो, सुरक्षा हो जो अनुमन्यता है निश्चित तौर पर नेता प्रतिपक्ष को उपलब्ध करायें। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि नेता प्रतिपक्ष का पूरा सम्मान हो।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, आपका बहुत आभार। जिन मामलों में स्पेसफिक कम्प्लेंट की गई है उनको दिखवा लीजिये जहां कोताही बरती गई हो निश्चित रूप से वहां कार्यवाही करवायें।

**श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चार दिन चर्चा न कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न**

श्री अध्यक्ष-

अगली सूचना श्री जोखू लाल यादव की महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर 4 दिन चर्चा न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

श्री जोखू लाल यादव-

अध्यक्ष महोदय, महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा 4 दिन न कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का सवाल मैंने उठाया है। आप कार्य संचालन नियमावली के नियम 300 को देख लीजिये। औचित्य प्रश्न और उन पर विनिश्चय पहला है औचित्य प्रश्न इन नियमों या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के संबंध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं महामहिम ने 21 जनवरी, 2010 को दोनों सदनों को संबोधित किया। उसके बाद 22 तारीख से 26 तक अवकाश होने के कारण सदन बैठा नहीं, इसी बीच एक वर्तमान सदस्य का देहान्त हो गया जिस कारण 27 जनवरी को निधन के निर्देश के बाद सदन स्थगित हो गया।

मान्यवर, 28 जनवरी, 2010 को श्री त्रिभुवन दत्त के धन्यवाद प्रस्ताव सदन में और एक सदस्य के समर्थन के पश्चात श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। 28 को शुरू हुई और 29 को समाप्त कर दी गई। मान्यवर, मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के अन्तर्गत संचालित होती है। आप मान्यवर, जरा देखें कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-19 (3) में यह उल्लेख है मान्यवर, जरा इसको देखने का कष्ट करें।-**अध्यक्ष, नेता सदन के परामर्श से, राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिये समय नियत करेंगे और जो साधारणतया चार दिन होगा। परन्तु कोई दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिये नियत होते हुए भी, उस दिन सदन में अभिभाषण पर चर्चा आरम्भ होने या जारी होने के पूर्व अन्य औपचारिक कार्य किया जा सकेगा।** माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य के प्रश्न की दोनों शर्तों को पूरा करता है। एक तो यह नियमावली के नियम-19 (3) का सीधा-सीधा उल्लंघन है और दूसरे भारत के संविधान के 176 (1) के प्राविधानों का भी उल्लंघन करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह चार दिन जिसमें महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी चाहिये थी उस पर चर्चा नहीं हुई। इससे दोनों चीजें जो हमारा नियम 300 कहता है वह सीधे का सीधा यह सदन भी विनियमित हो रहा है। यह मामला आपके सामने उठाया है और यह विगत दिनों में मात्र 2 दिन महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, नियमावली के जिस नियम को माननीय सदस्य ने उद्धरित किया, उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों पर चर्चा के लिये समय नियत करेंगे माननीय अध्यक्ष जी सदन के नेता के पराशर्म से। साधारणतया 4 दिन होगी। मान्यवर, यह बाध्यकारी नहीं है 4 दिन। साधारणतया 4 दिन होगा। मान्यवर, इस सत्र में 4 दिन आपने निर्धारित किया था लेकिन अपरिहार्य कारणों के कारण दो दिन नहीं हो पाया इसलिये मैं समझता हूं और मेरा यह सुझाव भी है कि यह नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आता है। पालन हो रहा है, लेकिन परिस्थितियों के कारण नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष-

नहीं इसका पालन होगा। कुछ परिस्थितियां ऐसी रहीं जिससे यह नहीं हो सका। मैंने माननीय जोखू लाल यादव जी को सुना, माननीय मंत्री जी को सुना और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह नियम 300 में नहीं आती, मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

**दिनांक 18 नवम्बर, 2009 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या-16 को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न**

श्री अध्यक्ष-

माननीय सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी, मैंने प्रश्नों के सन्दर्भ में अभी एक व्यवस्था दी है और मैंने निदेश भी दिया है। आप क्या कहना चाहते हैं। दो मिनट में कह लें। और किसी की सूचना नहीं सुनी जायेगी।

*श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मैंने 18-11-2009 को एक प्रश्न लगाया था कि क्या मुख्य मंत्री जी को जानकारी है कि प्रदेश में माननीय उच्च न्यायालय में 8 लाख तथा अधीनस्थ न्यायालय में 40 लाख मुकदमें लम्बित हैं ? यदि हां, तो इन लम्बित मुकदमों को शीघ्र निस्तारित करने हेतु सरकार द्वारा कोई कदम उठाये जा रहे हैं, यदि नहीं तो क्यों ? यह प्रश्न मेरा स्वीकृत हो गया, जो कच्चा एजेण्डा आता है, उसमें छप गया तारांकित प्रश्न संख्या-16 पर। किन्तु यह दुर्भाग्य का विषय है, या मैं कहूं कि चालाकी का विषय है कि सरकार इसका उत्तर नहीं देना चाहती है। आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रातः काल मुझे बनावटी कलर देकर यह लिखा गया कि इस प्रश्न पर पुनर्विचारोपरान्त निम्नलिखित कारणों से आपका प्रश्न निरस्त किया जाता है और कारण क्या है ? एक से अधिक विभागों से सम्बद्ध। लॉ विभाग का सीधा सीधा मैंने प्रश्न पूछा है। एक विभाग का प्रश्न पूछा है और पूछा कि इतने मुकदमें लम्बित हैं, सरकार इन लम्बित मुकदमों को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही करेगी ? एक विभाग से सम्बन्धित प्रश्न के बारे में यह उत्तर देना कि कई विभागों से संबंधित है, मैं समझता हूं कि यह पूरी तरीके से अनुचित है। मान्यवर, यह मेरा औचित्य का प्रश्न है, इस पर अपनी कोई व्यवस्था जरूर दें अन्यथा यह घटना सबके साथ होगी कि पहले तो एजेण्डे में भी छप गया है, प्रश्न स्वीकृत भी हो गया है। प्रातःकाल यह लिख दिया

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाय कि कई विभागों से संबंधित है। आप खुद देखें कि प्राइमाफेसाई यह केवल लॉ विभाग से संबंधित है।

श्री अध्यक्ष-

वैसे तो यह निर्णय हमारा ही है कि प्रश्नों को स्वीकृत करना, निरस्त करना। लेकिन तब भी आप कहेंगे तो दिखवा लेंगे कि क्या परिस्थितियां रही हैं और मैंने आपको सुना, माननीय मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम 300 में नहीं आती, इसको निरस्त करता हूं।

**संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क-नि0-2-252/ग्यारह-9(1)-08-उ0प्र0 अधि0-5-2008-आदेश- (39) 2009, दिनांक 29 जनवरी, 2009†**

नगर विकास, पर्यावरण, शहरी समग्र विकास, कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क-नि0-2-252/ग्यारह-9(1)-08-उ0प्र0 अधि0-5-2008-आदेश- (39) 2009, दिनांक 29 जनवरी, 2009 को उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-4 की उपधारा (5) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

**संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0 नि0-2-260/ग्यारह-9(295)-07-उ0प्र0 अधि0-5-2008-वैट नियमावली-08 आदेश-(40)-2009, दिनांक 30 जनवरी, 2009†**

नगर विकास, पर्यावरण, शहरी समग्र विकास, कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-260/ग्यारह-9(295)-07-उ0प्र0 अधि0-5-2008-वैट नियमावली-08 आदेश-(40)-2009, दिनांक 30 जनवरी, 2009 को उ0प्र0 साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-23-क की उपधारा (1) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

**संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क-नि0-2-356/ग्यारह-9(1)-08-उ0प्र0 अधि0-5-2008-आदेश- (41) 2009, दिनांक 11 फरवरी, 2009†**

नगर विकास, पर्यावरण, शहरी समग्र विकास, कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क-नि0-2-356/ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0 अधि0-5-2008-आदेश- (41) 2009, दिनांक 11 फरवरी, 2009 को उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-4 की उपधारा (5) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

**संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क-नि0-2-505/ग्यारह-9(1)-08-उ0प्र0 अधि0-5-2008-आदेश-(43) 2009, दिनांक 2 मार्च, 2009†**

नगर विकास, पर्यावरण, शहरी समग्र विकास, कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क-नि0-2-505/ग्यारह-9(1)- 08-उ0प्र0 अधि0-5-2008-आदेश-(43) 2009,

---

† छापी नहीं गयी।

दिनांक 2 मार्च, 2009 को उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-4 की उपधारा (5) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

**संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क-नि0-2-1045/ ग्यारह-9(1)-08-उ0प्र0 अधि0-30-07-आदेश-(46) 2009, दिनांक 29 मई, 2009**†

नगर विकास, पर्यावरण, शहरी समग्र विकास, कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क-नि0-2-1045/ ग्याारह-9(1)-08-उ0प्र0 अधि0-30-07-आदेश-(46) 2009, दिनांक 29 मई, 2009 को उ0प्र0 स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर अधिनियम, 2007 की धारा-4 की उपधारा (10) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

**संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क-नि0-2-1754/ ग्यारह-9(1)-2004-उ0प्र0 अधि0-30-07-आदेश-(48) 2009, दिनांक 27 अगस्त, 2009**†

नगर विकास, पर्यावरण, शहरी समग्र विकास, कर एवं निबन्धन मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-क-नि0-2-1754/ग्यारह-9(1)-2004-उ0प्र0अधि0-30-07-आदेश-(48) 2009, दिनांक 27 अगस्त, 2009 को उ0प्र0 स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 की धारा-4 की उपधारा (10) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के वित्तीय वर्ष 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 तथा 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन**††

ऊर्जा मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के वित्तीय वर्ष 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 तथा 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदनों को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए (3) की उपधारा (बी) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

**लोकायुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-12/2007**†††

संसदीय कार्य वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-12/2007 को (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-11, मद संख्या-12, मद संख्या-13 एवं मद संख्या-14 में कुछ नहीं है।

---

† छापी नहीं गई।

†† छापी नहीं गई।

††† छापी नहीं गई।

**नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें**

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-15 में आज नियम .....

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, चाहें तो पहले पढ़ लें। हमारी पहले की सूचना है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, जो पिछली 28-1-10 की सूचना है उसमें सदन में यह तय हुआ था कि इसमें कर्मचारियों का जो आन्दोलन था उस पर लाठी चार्ज और पुलिस द्वारा लाठीचार्ज के संबंध में, इस संबंध में सूचना मा0 प्रमोद तिवारी जी ने दी थी, आज भी सूचना दिये हैं, पहले भी दी गई थी। श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा जी, और अनुग्रह नारायण सिंह, अम्बिका चौधरी साहब, डा0 उस्मानी तमाम लोगों द्वारा सूचना दी गई है इस सूचना को इस आधार पर कि मैं पहली तारीख को सूचना लूंगा और माननीय प्रमोद तिवारी जी को सूचना पर बोलने के लिये आमंत्रित किया था उनका वक्तव्य अभी जारी है। मैं प्रमोद तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं।

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

आप बैठिये। तिवारी जी की पहले की सूचना रही है।

(शोर)

और सूचनायें मिली हैं, उन्हें बता देते हैं। आज दिनांक 01-02-2010 को नियम 311 में प्राप्त 6 सूचनाओं में नियम 56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम 56 के अन्तर्गत कुल 36 सूचनायें प्राप्त हुई हैं दिनांक 28 जनवरी, 2010 को अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्देशानुसार चयनित 4 सूचनाओं को उसी क्रम में रखा गया है एवं आज प्राप्त सूचनाओं में से चयनित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है।

पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री अजय कपूर, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री संजीव दरियाबादी, श्री राम सेवक, श्री शिव बालक पासी, श्रीमती अमीता सिंह, श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला, श्री अजय पाल सिंह, श्री श्याम किशोर शुक्ला, श्री विवेक कुमार सिंह, श्री पंकज मलिक, श्री शिव गणेश लोधी, श्री माधव पासवान, श्री राजाराम त्यागी, श्री अशोक सिंह (दिनांक 28-1-2010 को नियम 311 में प्राप्त), एवं श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री आरिफ अनवर हाशमी, श्री जोखूलाल यादव, डा0 कौशल किशोर, श्री महेन्द्र सिंह, श्री अरविन्द्र सिंह (दिनांक 28-1-2010 को नियम 311 में प्राप्त) तथा श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री अम्बिका चौधरी, डा0 आर0ए0 उस्मानी (नियम 311 में प्राप्त) की प्रदेश के राज्य कर्मचारियों द्वारा किये जा रहे शान्तिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा किये गये लाठीचार्ज से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। दूसरी सूचना श्री ओम प्रकाश सिंह, श्री हुकुम सिंह, श्री सुरेश कुमार खन्ना व श्री प्रमोद तिवारी, श्री अजय कपूर, श्री प्रदीप माथुर, श्री अनुग्रह नाराण सिंह, श्री संजीव दरियाबादी, श्री राम सेवक, श्री शिवबालक पासी, श्रीमती अमीता सिंह, श्री विनोद चतुर्वेदी, श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला, श्री अजयपाल सिंह, श्री श्याम किशोर शुक्ला, श्री विवेक कुमार सिंह, श्री पंकज मलिक, चौ0 रवीन्द्र प्रताप, श्री संजय कपूर, श्री शिव गणेश लोधी, श्री माधव

पासवान, श्री राजाराम त्यागी, श्री अशोक सिंह, की प्रदेश में गन्ना किसानों के बकाये गन्ना मूल्य का भुगतान न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। जिसको हमें सुनना है। तीसरी सूचना श्री कृष्ण गोपाल पटेल, डा0 आर0ए0 उस्मानी, डा0 कौशल किशोर की जनपद लखीमपुर खीरी के थाना मैलानी के ग्राम सुरजनपुर में सरकारी मास्टर हरंगी सिंह चौहान के परिवार का पुलिस द्वारा उत्पीड़न किये जाने के संबंध में है। चौथी सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री महेन्द्र सिंह की जनपद सीतापुर की तहसील लहरपुर के ग्राम बैजनाथपुरवा में विकास राजवंशी द्वारा परशुराम व उनके भाइयों के मकान जलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। पांचवीं सूचना डा0 अनिल चौधरी, चौ0 सत्यपाल सिंह, श्री मिथिलेश पाल व कौकब हमीद की औद्योगिक विकास विभाग के जमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के विस्तारीकरण हेतु गजट नोटिफिकेशन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। छठी सूचना श्री आरिफ अनवर हाशमी की डा0 राम मनोहर लोहिया चिकित्सालय गोमती नगर लखनऊ में लगी डा0 राम मनोहर लोहिया की मूर्ति का अनावरण किये जाने के सम्बन्ध में हैं सातवीं सूचना नियम 311 में प्राप्त, श्री श्यामदेव राय चौधरी की प्रदेश के सरकारी और सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों की फीस में की गई वृद्धि से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री अनूप सण्डा की प्रदेश में अवैध नशीले पदार्थ के प्रयोग से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। विशेष उल्लेख के अन्तर्गत नियम 311 में प्राप्त, श्री अवधेश प्रसाद की जनपद फैजाबाद के ग्राम दतौली निवासी रमापति की पुलिस उत्पीड़न से हुई मृत्यु के संबंध में है। निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें चयनित नहीं हुई। अतः अस्वीकृत हुई-नियम 311 में प्राप्त, श्री सर्वेश कुमार सिंह, श्री सतीश महाना, श्री सलिल विश्नोई, श्रीमती प्रेमलता कटियार, श्री सुन्दर लाल लोधी की सूचना अस्वीकृत की गई। इसके अलावा श्री इमरान मसूद, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री सर्वेश कुमार सिंह, चौ0 सत्यपाल सिंह, चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी, श्री अब्दुल वारिस खां, श्री जोखू लाल यादव, श्री आलोक कुमार शाक्य, श्री लल्लू सिंह, श्री सुरेश कुमार खन्ना, डा0 राजेन्द्र सिंह, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री महेश चन्द्र गुप्ता, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्री शैलेन्द्र यादव ललई, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, श्री अमरमणि त्रिपाठी, चौ0 फसीहा वशीर गजाला, श्री सनातन पाण्डेय, श्री लालजी यादव, श्री दीप नारायण सिंह।

(कई सदस्यों के द्वारा अपनी सूचना सुनने के लिये आग्रह करने पर)

अभी तो दो सूचनायें एवं राज्य कर्मचारियों वाला और दूसरा गन्ना किसानों वाला, पहले इसको सुनेंगे उसके बाद समय मिलेगा तो 2-2 मिनट में आपका सुन लेंगे। आप अपनी जगहों से कहें। महाना साहब आप वरिष्ठ हैं, एडजस्ट हो जाएगा तो सबका सुन लेंगे। जब सीतापुर, लखीमपुर सबका समय मिलेगा तो आप लोगों को दो-दो मिनट सुन लिया जायेगा। जिनकी सूचनायें नहीं ली गई हैं, मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि अगर समय मिलेगा तो 2-2 मिनट सुन लिया जायेगा।

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि उस दिन मैंने जो विचार रखे थे उसके आगे मुझे आपने बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, यह अच्छी खबर है कि हड़ताल समाप्त हो गई। हड़ताल

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समझदारी के साथ उसे स्थगित करना अपने आप में एक अच्छी उपलब्धि है। मैं उसका स्वागत करता हूं। मान्यवर, लेकिन एक सवाल उठता है कि आखिर यह हड़ताल हुई क्यों ? मान्यवर, एक बहुत ही गम्भीर प्रश्न है, यह छठें वेतन आयोग से उत्पन्न विषमताओं की ओर शासन का ध्यान खींचने के लिये हुई थी और कर्मचारियों की सिर्फ इतनी मांग थी कि जो छठें वेतन आयोग से केन्द्रीय कर्मचारियों को लाभ मिल रहा है वह लाभ उत्तर प्रदेश राज्य के जो कर्मचारी हैं उनको भी मिले। मान्यवर, बहुत से पदों, बहुत से स्केल में विषमता है। उनको सुलझाने की जरूरत थी और इसलिये वह भी प्राविधान था कि जहां ऐसे प्रश्न उपस्थित होंगे, उन्हें बातचीत करके सुलझा लिया जायेगा और यह सुलझा लिया गया। मैं सदन को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि उस समय के कई लोग यहां उपस्थित हैं, श्री हुकुम सिंह जी खास तौर से जो उस समय तत्कालीन प्रदेश सरकार से हम लोगों के साथ मंत्री थे। मान्यवर, 1988 और 89 में यह तय हुआ था कि जब कभी केन्द्र के कर्मचारियों का वेतन आयोग के माध्यम से कोई सुविधायें दी जायेंगी, वेतन बढ़ेगा, उन्हें लाभ मिलेगा तो उन्हीं के समकक्ष उत्तर प्रदेश में जो पद हैं, उन्हें भी वही लाभ दिया जायेगा जो केन्द्र के द्वारा लाभ दिया जा रहा है। मान्यवर, यह 1988-89 का मौखिक समझौता या विधान सभा का आश्वासन नहीं है। बल्कि शिक्षक, कर्मचारी एक तरफ और दूसरी तरफ स्व0 श्री वीर बहादुर सिंह जी के समय में और श्री नारायण दत्त तिवारी जी के समय में यह समझौता हुआ था। समझौता लिखित हुआ और दोनों पक्षों के हस्ताक्षर है। तत्कालीन सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। मुख्य मंत्री के रूप में और कर्मचारियों की ओर से जहां तक मुझे याद पड़ता है, मान्धाता सिंह जी इत्यादि ने किया है।

मान्यवर, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में दल बदलते रहते हैं, सरकारों का नेतृत्व बदलता रहता है, परन्तु सरकार एक सतत् प्रक्रिया है, स्थाई प्रक्रिया। एक सरकार जो निर्णय लेती है, जो कानून पास करती है, जो विधेयक बनाती है, जो समझौते करती है, वे दूसरी सरकार पर स्वमेव लागू हो जाते हैं। मान्यवर, यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार है, नहीं तो बड़ा असंभव सा हो जाये। एक मुख्य मंत्री कुछ फैसला करे, एक सरकार कुछ फैसला करे और दूसरे दल की सरकार आये तो पहले की सरकार की बात को मानने से इंकार कर दे। मेरे कहने का आशय सिर्फ यह है कि सरकार एक सतत् प्रक्रिया है कान्टीन्यूअस प्रासेस है और दल, नेतृत्व बदलते रहते हैं तो जब 1988 का एक लिखित समझौता है जो 1987, 88, 89 के काल में काफी वार्ता करके बनाया गया था, कि केन्द्र के कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ को स्वतः उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को हम देंगे, तो मान्यवर, वह प्रभावी है और स्वतः लागू हो जाना चाहिये। जहां वेतनमान के निर्धारण में, पदों के निर्धारण में विषमतायें थी, उनके लिये रिजर्वी समिति और तमाम समिति गठित हो चुकी है और उनका निर्णय भी आ चुका है मान्यवर, अब किसी तरह की, कहीं भी कोई भी व्यवस्था नहीं थी जिसके मान्यवर, कर्मचारियों को न दिया जाये।

लेकिन मान्यवर, मैं एक बात बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूं कि विषमतायें पैदा की गई, जिनको मिलना चाहिये था उनको नहीं मिला। निःसंदेह हम लोकतंत्र में है, कोई तानाशाही में नहीं है। हम यहां पर कोई दुख दर्द यदि होता है, कर्मचारियों को तो उनको कहने की छूट भारत के संविधान में दी है और भारत के संविधान ने शान्तिपूर्वक आन्दोलन चलाने के लिये भारत सरकार ने नियम बनाया है। लेबर ला है, मान्यवर, कि आप किस ढंग से अपनी बात को कह

सकते हैं, तो मेरे कहने का आशय सिर्फ यह है कि हड़ताल की नोटिस देना, हड़ताल करना, शान्तिपूर्वक प्रदर्शन करना, शान्तिपूर्वक आन्दोलन करना किसी भी भारतवासी का एक मौलिक अधिकार है और किसी संगठन का भी यह मौलिक अधिकार है। उसे छीना नहीं जा सकता है मान्यवर, उन्हीं अधिकारों का प्रयोग करते हुए कर्मचारियों ने जब अपनी बात रखने के लिये सरकार को नोटिस देकर जब आगे बढ़ रहे थे तो मान्यवर, उन पर लाठियां चलाई गई, उन पर बल प्रयोग किया गया, उस भीषण सर्दी में मान्यवर, जो आज से 10 दिन पहले पड़ रही थी, और जो लगभग 1 महीना पड़ी, कम से कम वाटर कैनन का इस्तेमाल तो नहीं होना चाहिये, कम से कम पानी तो बचाया ही जाना चाहिये, परन्तु मान्यवर, जो फुटेज हम लोगों ने देखी, मान्यवर, उसमें वाटर कैनन का प्रयोग किया गया है और इतनी भीषण सर्दी जिस दिन लखनऊ का टेम्प्रेचर 3 और 4 डिग्री था, उस दिन इन कर्मचारियों पर शीतल जल की फुआर छोड़ी गई। मान्यवर, इसके बाद ही नहीं, बल प्रयोग तो आप इसके लिये करते हैं कि बल उतना ही प्रयोग किया जाये जितना आवश्यक है। यानी अगर कोई बढ़ रहा है, आप उसे रोकना चाहते हैं तो आप उतने ही बल का प्रयोग करेंगे कि वह आगे न बढ़ सके। यह अधिकार किसने दिया कि एक कर्मचारी अगर लाठी खाकर सड़क पर गिर गया है तो उस पर निर्दयतापूर्वक और विनम्रतापूर्वक प्रहार करते रहे।

ये तो मान्यवर, किसी पुलिस का काम नहीं हो सकता, यह किसी आतताई का काम हो सकता है, किसी अपराधी का काम हो सकता है। नियत बल प्रयोग करके उनको आगे बढ़ने से रोकने की नहीं है, बल्कि उनको यह समझाने की है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी, तुम सड़कों पर आये कैसे ?

मान्यवर, उसे दण्डित करने का इरादा है। एक सामान्य सा नियम है, सामान्य सी बात है कि महिलाओं को तो कम से कम बख्श दिया जाता है। मान्यवर, जो फुटेज देखी, जिन लोगों ने उसे देखा इसी हजरतगंज में महिलाओं तक को नहीं बख्शा गया। राहगीरों को बहुत से लोग तो भाग लेते हैं, जो वृद्ध रह गये थे, उन पर भी, जो हमारे पत्रकार गये थे कवरेज के लिये उन पर भी, मैं उस बात पर बल नहीं देता मान्यवर, लेकिन जो घटना उठ कर आई है कि वहां पर बुलेट का भी प्रयोग किया गया है। अब वह बुलेट गोली-बारी रबड़ की बुलेट थी या जान से मारने की बुलेट थी। कर्मचारियें का कहना है कि उन पर गोलियां चलाई गई कैसी गोलियां थी, यह तो जांच का विषय हो सकता है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अपने ही कर्मचारी जिनके आधार पर सरकार चलती है, अपने ही कर्मचारी जो सरकार की नीतियों का पालन करते हैं, उनका गुनाह क्या और जब हमने पूछा तो सफाई यह आई कि वह आगे बढ़ कर शान्ति भंग करने जा रहे थे। मान्यवर, यानी कि तब तक उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया था जिसके लिये बल प्रयोग किया जाता। इस सम्भावना पर कि वह आगे आकर शान्ति भंग करने के लिये जा रहे थे। मान्यवर, मैं नहीं मानता कि हमारे कर्मचारी वहां पर शान्ति भंग करने के लिए जा रहे थे और अगर शान्ति भंग करने के लिये जा रहे होते तो इतनी बड़ी संख्या में महिलायें और वृद्ध उनके साथ नहीं होते। यह जानबूझ कर किये गये बल प्रयोग को मान्यवर, जस्टीफाई करने के लिये जो गलती हुई थी, उनको दण्डित करने की जगह उनकी तरफ से जो आया हुआ मान्यवर, जो बयान था उसे मैं गलत मानता हूं। मुझे सबसे ज्यादा दुःख और यह कहना चाहूंगा कि सरकार का इकबाल बहुत बुलन्द है।

इस सरकार का मान्यवर, मैं कहूंगा कि सरकार की पकड़ बड़ी मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं सरकार को, वर्मा जी चले गये, मैं इनको बधाई देना चाहता हूं। इस सरकार में इतना दम है मान्यवर, कि झूठ को सच और सच को झूठ साबित कर सकती है इस घटना से यह साबित हो गया है। मान्यवर, करोड़ों लोगों ने भारत वर्ष में इस घटना को देखा, मुझे बहुत सी जगहों से फोन आये जो प्रदेश के बाहर के थे, एक झन्नाटेदार तमाचा, एक कर्मचारी को पड़ता है, वह हिल जाता है, फिर उसके बाद बधाई दूंगा उस डी0एम0 को लगता है, जूडो सीख रहा था उसने। तड़ाक-तड़ाक मान्यवर, तीन-चार तमाचे पड़ते हैं। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि उसको दुनिया ने देखा, दुनिया ने समझा, दुनिया ने माना और स्वयं कर्मचारी ने माना और लालजी वर्मा जी महिमा आपकी अपरम्पार है आपका इकबाल बुलन्द है कि उसके बाद यह साबित हो गया कि उसे किसी ने मारा ही नहीं। मान्यवर, अगर इतने बड़े सच को यह सरकार गलत साबित कर सकती है तो मैं यह कहूंगा कि इस सरकार का इकबाल बुलन्द है और ऐसा इकबाल जिस सरकार का बुलन्द हो जाता है मान्यवर, उस सरकार के जीवन में कोई सुरक्षित नहीं रह सकता है। यह एक घटना है, मैं स्वयं कहूंगा, मान्यवर, देखा आपने भी होगा, आपको बीच में पार्टी बनाना ठीक नहीं, वर्मा जी ने भी देखा होगा, पार्टी बन कर भी सच न बोलने की कसम उसी दिन खा लेते हैं यह जिस दिन राज्यपाल जी अभिसूचित कर देते हैं कि इस दिन से विधान सभा चलने वाली है और जब तक मान्यवर, उसकी अधिसूचना रहती है विधान सभा की तब तक वर्मा जी कभी सच नहीं बोलते हैं। तो इस मामले में भी मैं कहना चाहता हूं मैं जानना चाहता हूं कि वह तमाचा गया कहां, क्या हुआ उस कर्मचारी का। अच्छा जिसने तमाचा मारा था क्या सरकार उससे एक बैठक कर दोनों को तय नहीं करा सकती थी, क्या सरकार खेद नहीं व्यक्त करा सकती थी, क्योंकि जहां तक कानून मैं जानता हूं मान्यवर, आपको स्पष्टीकरण देने का अधिकार है, निलम्बित करने का अधिकार है, सेवा से बर्खास्त करने का अधिकार है, आपको मान्यवर, कहीं से भी किसी नियम के अन्तर्गत शारीरिक दण्ड देने का अधिकार सेवा की नियमावली में नहीं है। और अगर किसी ने उस अधिकार का उपयोग करके मान्यवर, तमाचे कम से कम तीन तो मैंने गिने हैं, उसने मारे हैं तो आवश्यक यह था कि कोई फांसी पर चढ़ा देने की डी0एम0 को जरूरत नहीं थी।

(सत्ता पक्ष की तरफ से आवाज आई कि क्या आप भी सरकारी कर्मचारियों के साथ जा रहे थे)

जी आप बतायें, हम जवाब देंगे। आपको सरकारी कर्मचारियों की उचित मांगों को समर्थन देना कोई गुनाह नहीं है। उस समिति के सदस्य हुकुम सिंह जी और हम थे, उस समय भी हम लोगों ने सरकार के मंत्री के रूप में उनकी उचित मांगों को कहा था, उनको तमाचा नहीं मारा था। मान्यवर, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं यह घटना काफी पर्याप्त बताने के लिये कि एक चीज जिसे दुनिया ने देखा, कर्मचारी ने महसूस किया, हुआ क्या, उनको बैठ कर तय नहीं कराया गया, उसको दूसरे दिन हम लोगों ने टेलीविजन में जेल के अन्दर देखा। मान्यवर, उस घटना को लोगों ने टी0वी0 पर देखा है जो मारा गया वह तो जेल के अन्दर चला गया और जिसने मारा वह अधिकारी बना बैठा है। अब यह मासूम कर्मचारी कह रहा है कि हमको किसी ने नहीं मारा है। यह तो वही कहावत हुई कि जबरा मारे रोबे न दे। मान्यवर, यह घटना सरकार के बहुमत के

आगे दब जायेगी। यह बातें सरकार के इकबाल के आगे खत्म हो जायेगी। लेकिन मेरा कहना यह है कि जिस घटना को करोड़ों लोगों ने देखा है वह व्यक्ति उसका दोषी है या नहीं यह बता दें। यह घटना घटी बाद में कह दिया गया कि यह नहीं घटी। रोज ही इसी तरह की बातें होती होंगी और कह देते हैं नहीं हुई और फिर वह सही होता जायेगा कि नहीं हुई। मान्यवर, सरकारी कर्मचारियों की जो मांगे थी यह अच्छी बात हुई कि उसको आश्वासन दिया गया और हड़ताल समाप्त हुई। मैं चाहता हूं कि इसमें आपको जितना समय मिला है उसको पूरा करायें। मान्यवर, 1988-89 में जो तत्कालीन सरकार थी उसने जो निर्णय लिया था उसके अनुसार केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति लाभ राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिल रहा है। तो जो लाभ मिलने से रह गये हैं वह लाभ उन्हें दिलाये जायें। मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, माननीय नेता प्रमोद तिवारी जी की बात को आगे बढ़ाते हुए यह कहना चाहता हूं कि लोक तंत्र में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका यह प्रमुख अंग हैं जिससे लोकतंत्र चलता है। हम लोग अपना वेतन यहां नियमों में संसोधन करके बढ़ा लेते हैं। न्यायपालिका वाले भी अपना वेतन खुद तय कर लेते हैं। कार्यपालिका के लिए पहले पंचम वेतन आयोग की रिपोर्ट आयी वह लागू हुई। उसमें जो वेतन भत्तों का अंतर था वह सब तय हो चुका है। और उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। मान्यवर, जो छठा वेतन आयोग है उसकी रिपोर्ट को लागू करने के बारे में इसी सदन में माननीया मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी और उसको जानकर सबको खुशी हुई थी कि यह लागू हो गया और केन्द्र सरकार की भांति राज्य सरकार ने उस रिपोर्ट को यथावत् लागू कर दिया है। लेकिन उसमें कुछ विसंगतियां रह गई है उनकी ओर जो कर्मचारी संगठन है उन्होंने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। उसके सम्बन्ध में कई बार वार्तायें हुई। जो उत्तर प्रदेश में कर्मचारी महासंघ है श्री अजय सिंह गुट और श्री पाण्डेय गुट और दूसरी जो उ0प्र0 संयुक्त परिषद् है उसके प्रतिनिधियों से वार्तायें हुई और समझौता हो गया। लेकिन जो समझौता हुआ वह लागू नहीं हो पाया है। उसको लेकर यहां 21 जनवरी को कर्मचारियों और शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया। और उस हड़ताल के दौरान जो कुछ हुआ वह सबके सामने है। मान्यवर, आज स्थिति यह हो गई है कि जो कर्मचारी संघ है उनसे माननीय मंत्रिगण की बात नहीं हो पाती है। पंचम तल पर जो महत्वपूर्ण अधिकारी बैठे हुए हैं, वही बात करते हैं और समझौता करते हैं लेकिन उसे लागू करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं होता है। क्योंकि वह समझौता कैबिनेट से पास होने के बाद लागू होता है। पहले होता यह था कि ऐसी वार्ताओं में मंत्रिगण सम्मिलित होते थे और वे उसे कैबिनेट से पास कराने में सहयोग करते थे। मान्यवर, मुख्य बात यह है कि छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार यहां पर जो कुछ जो वेतन भत्ते बढ़ाये जाने हैं उनको बढ़ाया जाये और उस रिपोर्ट को यथावत् लागू कराया जाये। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि किसी को थप्पड़ मार देने से या कर्मचारियों पर लाठी गोली चला देने से कोई आवाज दब नहीं जाती है बल्कि वह एक ज्वाला बन सकती है। अभी इटर बोर्ड की परीक्षायें होने जा रही है और शिक्षकों ने कह दिया है कि वह उसका बहिष्कार करेंगे। तो ऐसी स्थिति में तो और समस्या बढ़ जायेगी। मैं कहना

चाहता हूं कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही को रोककर चर्चा कराई जाये और उनकी मांगे अविलम्ब मानी जाये।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, मेरी सूचना पर आपने मुझे सुनने का मौका दिया।

श्री अध्यक्ष-

अभी आप बैठ जायें। अभी राज्य कर्मचारियों से सम्बन्धित सूचना पर माननीय सदस्यगण बोलना चाह रहे हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)-

मान्यवर, राज्य सरकार के कर्मचारियों पर जो लाठीचार्ज किया गया मुख्य रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राज्य सरकार के कर्मचारी शिक्षक, निगम कर्मी ये लोग छठे वेतनमान की मांग कर रहे थे कि हमें छठा वेतनमान दिया जाय और उसमें जो विसंगतियां है उनको दूर किया जाय। शान्तिपूर्वक ढंग से उनकी मांग पर उन पर लाठी चार्ज किया गया उनको पीड़ित किया गया, प्रताड़ित किया गया। मैं आपके माध्यम से यह मांग करना चाहता हूं कि राज्य कर्मचारियों को केन्द्र सरकार की भांति समस्त देय, छठां वेतनमान दिया जाय, उनकी वेतन विसंगतियां दूर की जाय और उन पर जो थप्पड़बाजी हुई है उसकी जांच कराई जाय और उसमें जो लोग दोषी हैं उनको दंडित किया जाय और मैं तो आपसे मांग करता हूं कि सदन की कमेटी बना दें जो उसकी जांच करें जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। मैं इस पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

*श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे जनहित से जुड़े मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया। राज्य कर्मचारी अपनी जायज मांग को लेकर सरकार से छठे वेतनमान को पूरा लागू करने के लिये और सरकार से लागू कराने के लिये लखनऊ में अपनी मांगों के लिये आये थे जैसा कांग्रेस विधान मण्डल के नेता माननीय प्रमोद तिवारी जी ने बताया कि समय-समय पर इस तरह सरकार और कर्मचारियों के बीच में जब केन्द्र सरकार वेतन बढ़ायेगी तो राज्य कर्मचारियों को भी मिलेगा। मान्यवर, यह सारी बाते हैं और सरकार के संज्ञान में है। बात एक आई कि अंग्रेजी राज की तरह एक डी0एम0 ने एक कर्मचारी को थप्पड़ मारा। पूरी दुनिया ने पूरे देश ने उसे देखा जब प्रश्न यह उठता है कि उसको धमका कर यह कहा गया कि अब गरीब कर्मचारी यह कह रहा है उसे जेल में डाला गया उसका परिवार अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है मान्यवर, जिस चैनल ने इसे दिखाया था, तो या तो डी0एम0 साहब ने जो थप्पड़ मारा वह गलत है या डी0एम0 साहब ने जो थप्पड़ मारा उसको दिखाने वाला चैनल गलत है। यहां परिस्थितियां भिन्न हो रही हैं यहां सरकार एक ऐसे कलेक्टर का संरक्षण कर रही है जिससे प्रदेश के सारे कर्मचारियों ने गुस्से का भाव उत्पन्न है। मान्यवर, यह लोक महत्व का अविलम्बनीय प्रश्न है। सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराई जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

मान्यवर, उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के कर्मचारियों को पांचवां व छठवां वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया गया। वहां इसे लागू नहीं किया गया जबकि यह निगम लाभ में है यहां पर करीब 800-850 कर्मचारी हैं। मेरी मांग है कि वहां भी पांचवें और छठे वेतन आयोग को लागू करके उसका लाभ उन आठ साढ़े आठ सौ कर्मचारियों को दिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठें, अब हो गया।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, हमारी सरकार और प्रदेश की मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती जी वास्तव में प्रदेश के कर्मचारियों की सच्ची हितैषी है। और इस बात का यह परिचायक है कि उत्तर प्रदेश अकेला प्रदेश है जिसने सर्वप्रथम छठवां वेतन आयोग लागू किया। मान्यवर, माननीय प्रमोद तिवारी जी अभी कह रहे थे कि वर्मा जी जब विधान सभा आहूत करने की अधिसूचना जारी हो जाती है तो असत्य बोलने का संकल्प लेकर आते हैं लेकिन यह पूरी तरह से उन पर लागू है। तिवारी जी यह तय करके आते हैं कि हमें सत्य बोलना ही नहीं है और सत्य के सिवाय ही सब कुछ बोलना है और उसी को चरितार्थ करते हैं। मान्यवर, 1986 में जब चतुर्थ वेतन आयोग लागू किया गया था तो सितम्बर, 86 में पुनरीक्षित वेतन अनुमन्य कराये जाने के लगभग 3 वर्ष पश्चात् राज्य के विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतनमानों का प्रथम लाभ जून, 1989 में केन्द्र सरकार की भांति दिनांक 1 जनवरी, 1996 से अनुमन्य कराया गया। 89 से लागू किया और विभिन्न संशोधित और उच्चीकृत लाभ कराने में 86 के बाद लगभग दो वर्ष और लगे। मान्यवर, पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट जब लागू की गई तो उसमें भी करीब 2 से 3 वर्ष लगे। लेकिन मान्यवर, छठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट आई और उसके तत्काल बाद 2007 की विभिन्न तिथियों में इसे लागू किया गया। इस प्रकार केवल राज्य कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान संशोधित और उच्चीकृत वेतनमान तथा समय वेतनमान का लाभ अनुमन्य कराने में वेतन समिति के गठन के पश्चात इसके पहले 3 वर्ष से 7 वर्ष तक का समय लगा है लेकिन मान्यवर, इस बार केन्द्र सरकार द्वारा 18 अगस्त, 2007 को निर्णय लिया गया। केन्द्र सरकार द्वारा उक्त निर्णय लिये जाने के तत्काल बाद 18 अगस्त, 2008 को निर्णय लेते हुए राज्य सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न श्रेणी के कर्मिकों को वेतनमान आदि के तद्नुसार पुनरीक्षण हेतु संकल्प दिनांक 22 अगस्त, 2008 द्वारा एक वेतन समिति का गठन किया गया और मान्यवर, वेतन समिति के गठन के बाद वेतन समिति की रिपोर्ट आने के केवल तीन माह के अन्दर पहली बार हमने छठवें वेतन आयोग को लागू कर दिया और मान्यवर, जैसे-जैसे वेतन समिति की रिपोर्ट आती गई, उच्चीकृत वेतनमान लागू करने का काम किया गया। हमारे माध्यमिक शिक्षक वर्ग के लोग भी आते हैं और मान्यवर, यही कारण है कि शिक्षक वर्ग के लोगों ने भी इस बात को महसूस किया कि इतनी जल्दी प्रदेश की मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने जिस तरह का निर्णय लिया, किसी भी दूसरी सरकार ने आज तक ऐसा निर्णय लेने का काम कर्मचारियों के हित में नहीं किया। इसका स्वागत सारे तरफ से होना चाहिये था।

मान्यवर, मैं माननीय तिवारी जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मान्धाता सिंह जी के साथ जो समझौता किया गया था उसका हम अक्षरशः पालन कर रहे हैं। उसमें जिन जिन सुविधाओं की समानता के लिये निर्णय लिया गया था उन-उन सुविधाओं को हमने समानता के आधार पर लागू करने का काम किया है। उसमें कोई कमी नहीं रह गई है। इस तरह की बातें फैलाकर चर्चा करके तिवारी जी, कि हमने नहीं लागू किया है, मैं समझता हूं कि बहुत उपयुक्त नहीं है। यह पूरी तरह से प्रदेश के लोगों को गुमराह करने की साजिश है। तत्कालीन सरकार ने मान्धाता सिंह जी के साथ समझौता किया था, उसमें एक भी अक्षर इधर से उधर विचलित होने का हम काम नहीं किये हैं। वेतन समिति की जो रिपोर्ट मान्यवर, आ रही है उसके अनुसार हम उसको लागू करने का काम कर रहे हैं और कर्मचारियों को लाभ देने का काम कर रहे हैं और सच्चे रूप में कर्मचारियों की हितैषी प्रदेश की सरकार है। मान्यवर, उस दिन की जो घटना थी, विभिन्न जनपदों के कर्मचारी लखनऊ आकर महासंघ के अध्यक्ष सतीश चन्द्र पाण्डेय और बी0पी0 मिश्रा के साथ 21-1-2010 को प्रातः पहुंचने लगे। मान्यवर, कार्यक्रम निर्धारित था पदाधिकारियों से पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा वार्ता करके उन्हें कार्यक्रम हेतु निर्धारित स्थल झूले लाल पार्क पर पहुंचकर ज्ञापन देने के बारे में उन्हें अवगत करा दिया गया। उनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया। इस प्रकार निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप चिन्हित ड्यूटी स्थलों पर सुसंगत पुलिस व्यवस्थापन कराया गया तथा सभी के कर्तव्यों के बारे में भलीभांति जानकारी दी गई। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को आश्वासन देने के बावजूद समय करीब साढ़े 12.30 बजे उक्त संगठन के पदाधिकारी और कर्मचारीगण झूलेलाल पार्क न जाकर हजरतगंज चौराहा पर एकत्रित हो गये और विधान सभा की तरफ कूच करने का प्रयास करने लगे।

मान्यवर, जैसा कि आपको भी मालूम है कि विधान सभा का सत्र उसी दिन आहूत हुआ था, सदन चल रहा था महामहिम राज्यपाल महोदय को अभिभाषण देने का भी आना था, जिसके कारण बार-बार उनसे यह अनुरोध किया गया कि आज विधान सभा का सत्र चल रहा है इसलिये आप झूले लाल पार्क में पहुंचकर आप अपना ज्ञापन दे दें लेकिन इसको न स्वीकार करके उन लोगों ने उग्र रूप धारण कर लिया, ईट पत्थर भी चलने लगे, बसों का सीसा तोड़ा जाने लगा। जिसके कारण मजबूर होकर पुलिस बल को सर्वप्रथम वाटर कैनन, फायर टेंडर से इन पर पानी की बौछार करनी पड़ी। टियर गैस का प्रयोग करके इन्हें तितर बितर किये जाने का प्रयास किया गया किन्तु फिर भी इनके द्वारा वहां से न हटने पर हल्का बल प्रयोग करके उन्हें हजरतगंज चौराहे से हटा दिया गया। इस तरह से बहुत ही हल्का बल प्रयोग करके इनको वहां से हटाया गया और उसके सम्बन्ध में जो कारवाई हुई उसमें एफ0आई0आर0 दर्ज किया गया कार्रवाई की गई, लेकिन मान्यवर, कर्मचारियों के प्रति सरकार की सदाशयता और उनके हितों के लिये लिये गये संकल्प के तहत ही दिनांक 25-1-2010 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कर्मचारियों-शिक्षकों के प्रतिनिधि मण्डल से वार्ता हुई। उक्त वार्ता में अपर मण्डलीय सचिव, प्रमुख सचिव, वित्त मण्डलायुक्त, लखनऊ एवं कार्मिक विभाग के अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया। प्रतिनिधि मण्डल में श्री वी0पी0 मिश्र, श्री एस0पी0 तिवारी एवं अन्य अनेक प्रतिनिधि सम्मिलित थे। बैठक में प्रतिनिधि मण्डल को

आश्वासन दिया गया कि कर्मचारियों-शिक्षकों की मांगों पर सतत् बैठक कर उनका निराकरण कराने का प्रयास किया जायेगा।

बैठक में जो हड़ताल के सम्बन्ध में कार्रवाई हुई थी उसमें यह निर्णय लिया गया कि हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध उत्पीड़न की कार्रवाई नहीं की जायेगी। हिंसात्मक गतिविधियों एवं तोड़फोड़ के आरोप में किये गये कर्मचारियों को छोड़कर अन्य प्रकरणों में गिरफ्तार किये गये कर्मचारियों को विधिक प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाये। जिन कर्मचारियों को निलम्बित किया अथवा जिनकी सेवा समाप्ति के आदेश दिये गये उन आदेशों को वापस लेकर संबंधित कर्मचारियों का कार्यभार ग्रहण करा लिया जाये। ब्रेक-इन-सर्विस सम्बन्धी आदेश को वापस लिया जाता है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि शासन/प्रशासन से वार्ता के उपरान्त कर्मचारियों-शिक्षकों द्वारा घोषित की गई अनिश्चितकालीन हड़ताल को वापस ले लिया गया है। इस प्रकार से प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के हितों को पूरी तरह से संज्ञान में लेकर सकारात्मक कार्यवाही करने का काम किया गया। छठवें वेतन आयोग को सबसे पहले प्रदेश सरकार ने लागू किया जिसके कारण हमारे ऊपर 21 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय भार भी पड़ा लेकिन इन सबके बावजूद भी कर्मचारी हितों को पूरी तरह से संज्ञान में लेते हुए जो समझौते की शर्तें थीं मान्धाता कमेटी के साथ उनको हमने पूरी तरह से पालन करने का काम किया है और यह नियम 56 के अन्तर्गत नहीं आता है इसलिये मैं चाहूंगा कि इसे अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री प्रमोद तिवारी, मा0 अनुग्रह नारायण सिंह, मा0 नरेन्द्र सिंह, मा0 आरिफ अनवर हाशमी जी को सुना और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना यह सूचना नियम 56 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिये मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, केवल इतना बता दें कि डी0एम0 ने थप्पड़ मारा कि नहीं, डी0एम0 के थप्पड़ के बारे में बता दें।

श्री अध्यक्ष-

दूसरी सूचना प्रदेश में गन्ना किसानों को बकाये का भुगतान न होने से उत्पन्न स्थिति के [illegible]न्ध में है।

* श्री हुकुम सिह-

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं। 2007-2008 का अब तक भुगतान न होने से हम कल्पना कर सकते हैं कि किसानों की कितनी दुर्दशा हो रही है। मान्यवर, यह सरकारी आंकड़े हमारे पास हैं, 2007-2008 का लगभग 1149 करोड़ रुपया अभी बाकी है मान्यवर, 2006-2007 का 143 करोड़ रुपया अभी बाकी है और यह वह दर है जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित थी। ऐसा नहीं है कि हम

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ऊंचा भाव मांग रहे हों, जो सरकार द्वारा निर्धारित दर थी उसके आधार पर भी 1296 करोड़ रुपया किसानों का बाकी है और आज 2010 में हम बैठे हैं। तीन साल तक जिन किसानों को अपनी फसल का पूरा भुगतान न मिल पाया हो। हम इसकी कल्पना कर सकते हैं कि क्या दशा उनकी रही होगी एक बात कही जायेगी कि न्यायालय ने 110 रुपये के हिसाब से भुगतान करवाया। मान्यवर, न्यायालय हर बात को तय करने में सक्षम है न्यायालय के लिये इस बात की भी आवश्यकता नहीं है कि आदेश का आधार क्या है और क्या आधार नहीं है ? न्यायालय का अपना एक रुख होता है और एक सोच होती है। दो तीन साल पहले यदि न्यायालय ने कोई आदेश दे दिया और किसान को पैसा नहीं मिला तो क्या किसान उस आदेश को दिखाकर कि बैंक की रिकवरी उसके ऊपर आ रही थी उस आदेश को दिखा देता। जो तहसील में उसकी ट्रैक्टर उसकी बुग्गी नीलाम हो रही है तो क्या तहसील में वह उस आदेश को दिखा देगा ? तहसील में उस किसान को बन्द किया जा रहा है तो मान्यवर, क्या वह उस न्यायालय का आदेश दिखाकर वहां से बरी हो जायेगा, वह काम प्रदेश सरकार के थे, मेरा आग्रह उसमें यह है कि उस वक्त चीनी का भाव क्या था और आज क्या है ?

क्या एक लोकतांत्रिक सरकार के लिये यह उचित था कि जब मिल मालिक 40 रु0 लेकर के 50 किलो तक चीनी बेच रहा है और अरबों-अरब रुपये का फायदा कमा रहा है। तो सबसे पहले उसके लिये निर्धारित किया जाता है कि मिल चलाने से पहले यह भुगतान करो। कोई आदेश आपने दिया ? प्रदेश सरकार के पास प्रशासनिक अधिकार होते हैं और भी अधिकार होते हैं उन अधिकारों का जनहित में, किसान हित में इस्तेमाल किया होता तो किसी मिल मालिक की यह हिम्मत नहीं थी कि वह न करता। वह आपको उच्च न्यायालय का आदेश दिखा रहे हैं। उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर मिल मालिकों को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वह किसानों का शोषण करते रहे। किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिये यह शोभा नहीं देता। तो मेरा आग्रह यह है कि मान्यवर, आज बहुत ही दुखी हृदय से इस बात को कह रहा हूं कि जब किसान मेरे पास में आते हैं तो सारे किसान सम्पन्न नहीं होते हैं कोई 10 बीघे का किसान है, 15-20 बीघे का किसान है और वह कहता है कि आप लोग चुन करके वहां चले जाते हैं विधान सभा में बैठते हो जा करके, दो साल से, तीन साल से मेरा भुगतान नहीं हुआ उसके लिये क्या कर रहे हो ? एक मंत्र मिला है, आपने मुझ पर कृपा की, मैं अपनी पीड़ा को, किसान की पीड़ा को, आपके सामने रख सकूं, लेकिन इस पीड़ा का समाधान मान्यवर, तर्क देकर नहीं होने का। हम यह कहने लगे कि उच्च न्यायालय का आदेश है उस उच्च न्यायालय के आदेश को रखे रहने दीजिये। उच्च न्यायालय ने कहीं यह नहीं कहा कि मिल मालिक भुगतान करना चाहेंगे तो कर नहीं पायेंगे। लेकिन मिल वालों को भुगतान करने की इच्छा पैदा करने का काम आपका था। आप उनको बुलाकर सामने बिठाकर पूछ सकते थे कि उस वक्त चीनी का भाव 18 रुपये रहा हो और आज 40 रु0, 42 रु0 व 50 रु0 के भाव चीनी बेच रहे हो किसान का पैसा दिये बगैर, पहले इसका भुगतान करो।

मैं चाहूंगा मान्यवर, कि इस सेशन की समाप्ति से पहले मा0 गन्ना राज्य मंत्री जी, मुझे विश्वास है कि गन्ना मंत्री एक बार अगर सही दिशा से, सच्चे मन से बुलाकर कह देंगे तो कोई

पैसा रोकने वाला नहीं है लेकिन शायद आपकी प्राथमिकता तो यह है ही नहीं, आपकी प्राथमिकता दूसरी होगी और भी बहुत काम आप पर है। दूसरी बात मान्यवर, इसी गन्ना किसान के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपने 165 और 170 रु0 का भाव एस0ए0पी0 के रूप में घोषित किया और बड़ी वाहवाही लूटी कि हमने तो 25 रुपये बढ़ा दिये, हमने तो 30 रुपये बढ़ा दिये। इतना तो किसी ने बढ़ाया ही नहीं था। क्या हुआ 165 रु0 का और कौन पूछ रहा है आपके 170 रु0 को, 270 रु0 का भाव किसान को मिल रहा है। हमारी कृपा तो नहीं रही, आपकी कृपा तो नहीं रही लेकिन हां आपने एक काम जरूर किया, सरकार के मन में पीड़ा हुई कि 270 रुपये क्यों मिल रहा है जब मैं 165 रुपये देना चाह रहा था और तरह-तरह की रुकावटें पैदा कर दी उनके सामने। आज प्राइस-वार है और प्राइस-वार में मिल वाला जानता है कि चाहे मैं 300 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का भाव दे दूंगा तो भी मैं फायदें में रहूंगा। इसलिये वह प्राइस-वार में चला गया। या इस प्राइस-वार का फायदा किसान को नहीं होना चाहिये था, अगर कहीं प्रतिद्वन्दिता है, कम्पटीशन है तो उसका कहीं न कहीं लाभ तो जो गन्ना पैदा करता है उसको मिलना चाहिये आप कहां बीच में आ गये ? आपने वहां पर पुलिस भेजनी शुरू कर दी, 3/7 के मुकदमें कायम करने शुरू कर दिये मिल वालों के ऊपर। वहां से गन्ना नहीं खरीदोंगे, तुमने गन्ना कैसे खरीदा ? उत्पीड़न इस हद तक हो गया कि आज सरकार के बजाय किसानों को अच्छा दाम मिले, बढ़कर भुगतान मिले। पूरा नियंत्रण इस बात पर कर दिया कि किसाने को कैसे कम से कम दाम मिले, यह सरकार की गतिविधि है, आप कहां से बीच में आते हैं। किसान के ऊपर छोड़ दें कि वह अपने गन्ने को जाकर बेच सके उसका परिणाम किसानों को भुगतान पड़ेगा। मिल में बाण्ड कि पूर्ति नहीं करेगा तो अगले साल उसकी आपूर्ति कम हो जायेगी। सरकार के गन्ना अधिकारी, जिलाधिकारी एस0पी0 सब इस काम में लगे हुए हैं कि दूसरे क्षेत्र में गन्ना नहीं जाने देंगे। क्या संविधान मे इस तरह का अधिकार मिला हुआ है। मिलों ने व्यावसायिक दृष्टिकोण अपनाते हुए ज्यादा भाव देना शुरू किया तो उस पर आपने नियंत्रण करना शुरू कर दिया किसान जहां चाहे वहां अपना गन्ना बेचे आप मिल के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्यवाही नहीं करेंगे जो बढ़कर दाम दिये जा रहे हैं अगर सरकार का कठोर रवैया न रहा होता तो निश्चित रूप से किसानों को 300 रुपये कुंतल गन्ने का दाम मिल रहा होता। सरकार की कोशिश यह होती है कि किसानों को सही मूल्य दिलायें। दुर्भाग्य से ऐसी सरकार बैठी हुई है जो पूरा नियंत्रण करके सारी व्यवस्था को अपने नियंत्रण में जकड़ना चाहती है। मेरा पहला बिन्दु है कि किसानों का जो वर्ष 2007-08 का बाकी है वह अविलम्ब मिलना चाहिये क्योंकि कहीं भी हाईकोर्ट या सुप्रीमकोर्ट में यह नहीं कहा गया है कि मिल वाले पेमेंट नहीं करेंगे। रिट पर जो व्यवस्था की गई थी वह परमानेन्ट व्यवस्था नहीं थी आज मिल देने की स्थिति में है सरकार को किसानों के साथ खड़ा होना चाहिये। आज जब गन्ना कम है और चीनी के दाम आसमान छू रहे हैं चीनी के भाव पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है एक बार अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कहा होता कि हम चीनी के दाम 20 रुपये से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे तो बात समझ में आती। आज गन्ने के ऊपर पूरी रोक है चीनी कहीं भी बेचो लेकिन गन्ना दूसरे क्षेत्रों में बेचने पर रोक लगी है।

मेरा इसमें आग्रह है कि यह पक्ष विपक्ष का सवाल नहीं है यह समस्त प्रदेश के किसानों का मामला है। कम से कम सरकार यह घोषणा कर दे कि आज के बाद किसी मिल के खिलाफ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा वह किसी भी केन्द्र से गन्ना खरीदे सरकार कोई रुकावट नहीं पैदा करेगी क्योकि गन्ना किसी भी मिल में जाए चीनी तो उतनी ही बनती है। चीनी बनने में रुकावट तो खाण्डसारी और कोल्हू करते हैं। मिल वाले आजमगढ़ में बेचे या बिजनौर में बेचे गन्ना तो मिल में जा रहा है बाहर नहीं जा रहा है। चीनी के उत्पादन में दीर्घकालिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। जहां तक भाव की बात है भाव किसान को मिल जायेगा उसमें आपका क्या जा रहा है। आप मिलों के खिलाफ 3/7 का मुकदमा कायम करा रहे हैं। इतने सालों बाद किसानों को मौका मिला है उसका भी कुछ भला हो जायेगा ऐसे अवसर बार-बार नहीं आते हैं। अध्यक्ष जी 9-9 रुपये का भाव होता था किसान तड़पता रहता था पहली बार ऐसा अवसर आया है ऐसे अवसर को आप क्यों छीन रहे हैं किसान को अवसर का फायदा उठाने दीजिये जिस सेन्टर में मिल वाले खरीदना चाहें और जहां पर किसान अपना गन्ना बेचना चाहे इसमें सरकार को रुकावट नहीं डालनी चाहिये। मैंने सारे बिन्दु उठा दिये हैं मेरा विश्वास है कि सरकार मानवीय आधार पर किसान के हित के बारे में निर्णय लेगी। मेरा आग्रह है कि सदन के शेष कार्य रोककर इस कार्य-स्थगन के प्रस्ताव पर चर्चा करा लें।

*डा0 कौशल किशोर-

माननीय अध्यक्ष महोदय, गन्ना के संबंध में मुझे भी कुछ कहना है। जब सरकार आई आते ही वक्त सरकार ने गन्ने के दाम में 7 रुपये की कटौती कर दी जितना गन्ना आपकी सरकार ने खरीदा उस पर आदेश दिया पिछली सरकार ने जो खरीदा जिसका भुगतान भी कर दिया था उस पर कटौती नतीजा यह हुआ कि जो गन्ना बाद में काश्तकार ने बेचा वह सारा का सारा कटौती में चला गया। हमारी मांग है कि 7 रुपये कटौती का डिफर दिया जाय कारण क्या है शकर सस्ती अरे अब तो शक्कर बहुत तेज, अब देने में क्या दिक्कत है। जब सस्ती में काटा था तो तेजीपर दो भाई। वर्ष 2007-2008 में जो दाम था। 130-135 दाम कर दिया 110, मिल ले जाओ तो 110 सेन्टर ले जाओ तो 110 सामान्य ले जाओ तो 110 हर माल मिलेगा ढाई आना। और उस रुपये का आज तक हमको भुगतान नहीं किया गया। यह सबसे बड़ी दुर्भावना थी कि काश्तकार के साथ इतना बड़ा अन्याय किया गया। इस साल 165-170 रुपये डिक्लेयर कर दिया और कहा कि हम बहुत बड़ा रेट बढ़ा दिये हैं। जब मिले रेट बढ़ाकर दे रही है तो फिर आपको रेट स्वीकार करने में क्या दिक्कत है। रेट बढ़ाकर करने में क्या दिक्कत है। यह शक्कर बेचते चले जायं अपना मिल भरते चले जायं और हमारा पुराना पेमेंट करने में कोताही बरत रहे हैं लिहाजा मैं सरकार से मांग करता हूं कि जितना रुपया काश्ताकार का बकाया है चाहे साल भर क्विंटल कटौती का हो चाहे 110 रुपये के भुगतान के बाद जो शेष बचता है वह हो। यह सारा का सारा भुगतान डिफर बनाकर काश्तकारों को पेमेंट दिया जाय। हमारी सरकार ने 4 साल का डिफर बनाकर काश्तकारों को पेमेंट किया था जो कटौती इसी सरकार ने की थी और इसी सरकार

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ने फिर से काट लिया। न मालूम कहां से इन्हें काटने की आदद पड़ गई। जो चाहे जहां से काट लें। हमारा पेमेंट तो करो। क्यों काश्तकार का रुपया मिल मालिकों की जेबों में भरने में लगे हों। मेरी मांग है कि सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराई जाय। काश्तकारों को गन्ने का सारा पेमेंट कराया जाय।

डा0 अनिल चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आभारी हूं। आपने मुझे मेरी सूचना की ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, 21 जुलाई, 2009 को यमुना एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण .....

श्री अध्यक्ष-

अभी बैठिये डा0 साहब।

डा0 अनिल चौधरी-

आप ने ही बुलाया है।

श्री अध्यक्ष-

अरे वह दूसरे चौधरी साहब को बुला रहा था। आप बैठिये। अभी बुलवाता हूं आपको।

*श्री शम्भू चौधरी-

मान्यवर, आपने इस विषय पर बोलने का अवसर दिया मैं अत्यन्त ही आभारी हूं। आखिर सारी बर्बता किसानों पर ही क्यों ? यह बहुत बड़ा विषय है और जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ गन्ना मूल्य देने का जो लगातार तांडव हुआ निश्चित ही उसकी जितनी भी निन्दा की जाय कम है। यहां उत्तर प्रदेश में किसानों ने आन्दोलन किया और किसान नेताओं ने जिस तरह से मध्यस्थता करके किसानों के हित में गन्ना मूल्य दिलवाने का काम किया। हमारा देश किसानों पर आधारित है। यह सबसे बड़ी ख़ुशी की बात है कि आज गन्ना किसान खुशहाल है और इसका सबसे बड़ा कारण रहा है कि उनका आन्दोलन। आन्दोलन के नाते अन्यान चीनी मिले 260, 270, 280 इस तरह का गन्ना मूल्य किसानों को देने पर मजबूर है। जिसका कारण यही है कि वह आपस में कम्प्टीशन की वजह से और निश्चित रूप से जिस तरह से गन्ना मूल्य बकाया पिछले 2003-2004 का अर्न्तमूल्य बकाया कप्तानगंज, कुशीनगर, जनपद में रामकोला में 2007-2008 का और अर्न्तमूल्य बकाया गन्ना किसानों का है। गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं मिल रहा है। आज किसान परेशान है। कुशीनगर खड्डा में नगर की चीनी मिल है और वहां पर निगम की चीनी मिल होते हुए भी खड्डा क्षेत्र में 100 कि0मी0 दूर सरदार निगम की चीनी मिल है। खड्डा से चीनी मिल का क्रय केन्द्र हटाकर खड्डा चीनी मिल को बन्द करने का षड़यंत्र रचा जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठ जायं। कोई चर्चा नहीं हो रही है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शम्भू चौधरी-

मान्यवर, मैं कहना चाहता पिछले दिनों में .....

(श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही का नाम पुकारा गया)

श्री अध्यक्ष-

बैठें आपका समय समाप्त हो गया आपके हस्ताक्षर भी नहीं थे।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

माननीय अध्यक्ष जी, इस सूचना के आधार पर .....

(श्री शम्भू चौधरी एवं श्री वीरेन्द्र सिरोही दोनों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आपका समय समाप्त हो गया है। आपके तो हस्ताक्षर भी नहीं थे आपको फिर भी इस सूचना पर बुलवा दिया आप बैठ जायं। आपको बुलवा दिया इसका मतलब नहीं है कि आप बोलते रहें। सिरोही जी आप बोलें।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

मान्य हमारे यहां अगौता मिल है उस पर किसानों का 18 करोड़ रुपया शेष है। अगौता मिल के संबंध में गन्ना मंत्री जी हमारे मित्र भी रहे हैं पता नहीं क्षेत्र के किसानों से इनकी क्या नाराजगी है। कई बार विधान सभा के अन्दर आश्वासन दे चुके हैं। आपके बयान में भी आ चुका है कि हम 15 दिन के अन्दर भुगतान करा देंगे अगर भुगतान नहीं हुआ तो जेल भेज देंगे। न तो अगौता मिल वाला जेल गया, न इस बार भी उसने मिल चलायी अब आ करके मिल चलायी है दस-बारह दिन पहले, श्रीमन् 18 करोड़ रुपया शेष है गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

चलिये बात आ गई है।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

यह बहुत ही गम्भीर मामला है हमारे क्षेत्र का किसान आज दर-दर भटक रहा है । आज उसके पास बच्चों को देने के लिये फीस नहीं है बच्चों की शादी आदि में दिक्कत आ रही है। 18 करोड़ रुपया शेष है जहां चीनी 50 रुपये किलो बिक रही हो तो गन्ने का भुगतान होना चाहिये। माननीय हुकुम सिंह जी की बात से अपने को सम्बद्ध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

सोलंकी जी के बाद तिवारी जी आपको बोलना है।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष जी, गन्ना भुगतान के बारे में बात हुई जो गन्ना भुगतान शेष है यह हाई कोर्ट में मामला आने के बाद लम्बित हुआ है लेकिन राज्य सरकार द्वारा जो रेट घोषित किया

गया उस आदेश के खिलाफ मिल मालिक कोर्ट में चले गये। लेकिन जो राज्य सरकार के अधिग्रहण वाली चीनी मिल हैं जो नियंत्रण वाली चीनी मिलें हैं, निगम की चीनी मिले हैं, को-आपरेटिव की जो चीनी मिलें हैं उसमें सरकार कोर्ट में नहीं गई चूंकि इस साल सभी चीनी मिलें फायदे में चल रही हैं पैसे की कोई दिक्कत चीनी मिलों को नहीं है इसलिये मेरा अनुरोध माननीय मंत्री जी से है कि इनके जो नियंत्रण की चीनी मिलें हैं कम से कम उसमें तो किसानों का भुगतान करने का काम कर दें। जो प्राइवेट चीनी मिल मालिक कोर्ट में गये हैं वह तो कोर्ट में है लेकिन सरकार तो कोर्ट में नहीं गई है। जो सरकार के अधीन नियंत्रण वाली चीनी मिलें हैं उनका भुगतान माननीय मंत्री जी कराने की कृपा करें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, सभी बातें आ चुकी हैं। मा0 हुकुम सिंह जी ने, चौधरी साहब ने और मा0 साथियों ने कहा मुझे सिर्फ दो बातें कहनी है। एक तो मान्यवर, यही सीजन है, यही किसान है, यही सरकार है, यही मिल है, 150 रुपये पर कुछ लोगों ने खरीदा है, कुछ समय बाद 260 रुपये 270 रुपये तक किसानों को दाम मिल रहे हैं लोगों को। चीनी का दाम मान्यवर, 40-50 रुपये तक हो गया है। यह भी नहीं कहा जा सकता है, कि इस समय चीनी उद्योग को बचाने की जरूरत है। चीनी उद्योग के पास इतना धन है वह किसानों को दे सकता है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है जहां गन्ना किसानों को 140-150 रुपया देने को मजबूर होना पड़ा गल्ती उनकी नहीं है जब खरीदार नहीं थे, सरकार की तरफ से स्पष्ट निर्देश नहीं थे। बोनस की बात नहीं हुई थी तो उन्हें विवश होकर बेचना पड़ा। आज 260 रुपये 270 रुपये मिल रहा है। मेरा अनुरोध है सबको 260/270 रुपये दिया गया है उनको भी दिया जाए चाहे बोनस के रूप में दिया जाए चाहे क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाए। हर किसान को उतना ही मिलना चाहिये एक सीजन में जितना कि अधिकतम किसी किसान को मिल रहा है दूसरी बात मैं सिर्फ यह कहकर समाप्त कर दूंगा। जब इस तरह के संघर्ष हों प्राइसवार हो तो उसका लाभ भी कमजोर को दिलाना चाहिये, मिल मालिक फायदा उठायें, यह उचित नहीं है। इस प्राइसवार में अगर कोई फायदा उठाये तो वह किसानों को दिलायें। मा0 मंत्री जी सक्षम हैं, मजबूत है, ताकतवर है, अगर और कोई बात हो तो कहें तो वह भी कह दूं क्योंकि करना है आपको। इसलिये मान्यवर, मैं ऐसे सक्षम मंत्री से आशा करूंगा कि जिन किसानों को 150-160 मिल रहा है, और जो अब 250-260 मिल रहा है, वह दिलवा दें, तो उस किसान के घर में जब यह पैसा पहुंचेगा, उसकी बेटी की शादी होगी, बेटा पढ़ेगा, उत्तर प्रदेश फूलेगा-फलेगा। दूसरा मान्यवर, मेरा यह कहना है, जो बकाया है, पिछला, वह दिलवा दें। इसमें अगर कहीं कोई दिक्कत हो, कम ज्यादा में तो कम से कम जो उनके अधीन है, जो उनके नियंत्रण में है, उनसे प्रारम्भ करा दें तो बाकी लोगों को मिल जायेगा, मान्यवर, मैं समझता हूं कि सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की बात मैंने की है, कम से कम इसे तो मंत्री जी मान लेंगे।

*डा0 अजय तोमर-

मान्यवर, आपने मुझे गन्ने की ज्वलंत समस्या पर बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से दो बातों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, प्रदेश या देश में गन्ने के अलावा किसी भी उत्पादन से संबंधित किसी भी किसान के उत्पादन का रेट, कोर्ट के द्वारा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तय नहीं किया जा रहा है। मान्यवर, कितना बड़ा दुर्भाग्य है, हमारा, हमारे किसानों का कि इस प्रदेश के स्कूटर, मोटर साइकिल, साइकिल, जीप, कार आदि किसी भी उत्पादन का हो, उसका रेट कोर्ट तय नहीं कर रहा है तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं, मा0 मंत्री जी से कि प्रदेश के शुगर इण्डस्ट्री के मालिकों को निर्देशित करने का काम करें कि वह किसानों के उत्पादन को जो सरकार के द्वारा जो सदा से तय किया जाता रहा है, जो सरकार की प्रक्रिया चलती आ रही है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसके आधार पर रेट दिलवाने का काम करे। पिछले वर्ष मान्यवर, एक फ्लैट रेट 110 रुपया तय कर दिया गया, जब कि तीन तरह का रेट प्रदेश सरकार से सदा घोषित होता आया है। अरली, वैराइटी, सामान्य जाति और एक रिजेक्ट वैराइटी, तीनों के रेट अलग-अलग होते थे, लेकिन पिछले वर्ष से फ्लैट रेट पर किसानों को भुगतान करने का काम किया गया है, यह जो अन्तर है, उस अन्तर को शीघ्र से शीघ्र दिलाने का काम करें। कम से कम चीनी मिलें निगम और को-आपरेटिव के अधीन है, उसके लिये मा0 मंत्री जी आज ही घोषणा करने का काम करें और मिल मालिकों को निर्देशित करें कि वह एक हफ्ते के अन्दर 110-135 रुपये के अन्तर को शीघ्र दिलाने का काम करें। धन्यवाद।

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, गन्ने का जो मूल्य है, वह मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाता है। वह सिफारिश करती है और उसके बाद सरकार उसको अन्तिम रूप देती है। मान्यवर, मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति ने जैसा कि सभी लोगों ने जिक्र भी किया है और मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि 165-170 रुपये प्रति कुन्तल की दर से गन्ना मूल्य भुगतान की सिफारिश की है, सरकार ने, उसका लागू किया है। मान्यवर, इस वर्ष 25 रुपये प्रति कुन्तल, अगर 165 रुपये, 175 रुपये भुगतान करती है तो 25 रुपये प्रति कुन्तल पिछले साल की अपेक्षा बढ़ोत्तरी की गई, जैसा कि मा0 हुकुम सिंह भी जानते हैं, मा0 सदस्य भी जानते हैं। मान्यवर, आज तक कभी भी 25 रुपये की बढ़ोत्तरी किसी सरकार ने नहीं की। इसमें आप भी सहमत होंगे लेकिन जो परिस्थितियां बनी, चीनी के रेट बढ़े, जो परिस्थितियां बनी, 165 और 170 तक की सीमित नहीं रहे, सरकार ने फिर आगे प्रयास किया और राज्य सरकार द्वारा समस्त मण्डलायुक्तों को यह निर्देश दिये गये कि गन्ना कृषकों के हित में व चीनी उत्पादन को अपेक्षित गति प्रदान करने की दृष्टि से वह अपने मण्डल की गन्ना विकास समितियों और चीनी मिलों के बीच परामर्शित गन्ना मूल्य के अतिरिक्त गन्ना किसानों को दिये जा सकने वाले प्रोत्साहन सुविधाओं के संबंध में अपने स्तर पर पहल करें और पारस्परिक सहमति बनाने की प्रभावी भूमिका निभायें। मान्यवर, यह प्रसास सरकार की ओर से किया गया है। मण्डलायुक्तों विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया। अभी माननीय हुकुम सिंह जी ने बताया कि 270 रुपये प्रति कुन्तल भुगतान किया जा रहा है। मेरे पास जो सूचना आई है वह इतने की नहीं बल्कि इससे कम है। मान्यवर, 140 रुपये से बढ़ाकर 270 रुपये प्रति कुन्तल भुगतान किया जा रहा है और मान्यवर, यह केवल सरकार और सरकार के प्रयास से है। सभी को सहमति बनाकर केवल और केवल सरकार के प्रयास से है। माननीय हुकुम सिंह जी और माननीय तिवारी जी भी जानते हैं। मान्यवर, जहां तक वर्ष 2006-2007, 2007-2008 के भुगतान का मामला है, मान्यवर, माननीय सदस्य अवगत हैं और मान्यवर, बार-बार बात कही गई कि मा0 उच्च न्यायालय के कारण।

मान्यवर, माननीय उच्च न्यायालय नहीं बल्कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय से जो स्थगनादेश है वह स्पष्ट स्थगनादेश है, उसके तहत पेराई सत्र 2006-2007, 2007-2008 में गन्ना किसानों को लाभ परामर्शित मूल्य से कम मूल्य का भुगतान मा0 सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेशों के अन्तर्गत किया गया है। इस प्रकरण में अभी भी मा0 सर्वोच्च न्यायालय में अन्तिम निर्णय लम्बित है। मान्यवर, इसमें जो भी हुआ सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ। जहां तक प्रयास की बात है तो बैठ लीजिये हमारे साथ, आप भी किसान हैं, मैं भी किसान हूं। आप भी किसान के हमदर्द हैं, मैं भी किसान का हमदर्द हूं। क्या रास्ता निकल सकता है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना ना हो। मैं माननीय हुकुम सिंह जी को दावत देता हूं कि मेरे साथ बैठ लें, देख लें कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने क्या आदेश दिया है। अगर कोई आदेश की अवहेलना नहीं होती तो जो करना पड़ेगा हम आपके साथ हैं, गन्ना किसानों के साथ हैं। हम हर तरह से गन्ना किसानों के लिये सहयोग करने के लिये तैयार है। इसमें कोई राजनीति नहीं है। मान्यवर, मुझे तो आश्चर्य इस बात का होता है कि जब तक किसानों के हित में चीनी मिल मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही करते हैं तो माननीय सदस्यों को तकलीफ होती है और इसके बाद जब कार्यवाही नहीं करते हैं तो कहते हैं कि यह मिल गये हैं। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर माननीय सदस्य चाहते क्या हैं। किसानों के हित में चीनी मिल मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई। अभी आपने कहा कि गन्ना किसान उससे प्रभावित हो रहा है। आप जानते हैं, आप स्वयं परिपक्व है। अभी तक यह चार्ज लगता रहा कि सरकार सदन को गुमराह कर रही है। मैं आपको तो नहीं कहूंगा कि आप गुमराह कर रहे हैं लेकिन मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूं। प्रत्येक मिल का एक एरिया है और प्रत्येक मिल का एक रिजर्व एरिया होता है और उसी रिजर्व एरिया से उसको गन्ना आता है। नगद भुगतान करने का कोई भी प्राविधान नहीं है। यह आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं हर बिन्दु पर आपके साथ बैठने को तैयार हूं। एक्ट का उल्लंघन न हो, मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन न हो किसानों के हित में जिस हद तक हमारी सरकार को, बहन कुमारी मायावती जी को जाना होगा हम जायेंगे। बैठ लीजिये अगर जो रास्ता निकलता हो हम निकालने के लिये तैयार हैं। अगर आगे भाषण और देना हो तो मैं दो घण्टे और देता रहूंगा। मतलब की बात उतनी ही है। आप स्पष्टीकरण पूछें तो यही है, और उत्तर पूछें तो भी यही है। अभी आप इसके बाद तय कर लीजिये। देख लीजिये जो भी सारी चीजें हैं वह रख लेते है। क्योंकि यहां हमें राजनीति नहीं बल्कि किसानों के हित का काम करना है और उसमें आपके सहयोग की जरूरत है, पूरे सदन में बैठे हुए चाहे विपक्ष के हों, चाहे सत्तापक्ष के हों सभी माननीय सदस्यों की मदद की जरूरत है। इसमें मैं आपकी मदद की अपेक्षा करता हूं और सभी की अपेक्षा करता हूं। जो भी नियमों के तहत, न्यायालय के आदेशों के तहत संभव हो सकता है, हम करने के लिये तैयार है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह स्वागत योग्य है। जब भी माननीय मंत्री जी चाहेंगे, हम इकट्ठे हो जायेंगे, विचार विमर्श भी कर लेंगे। लेकिन जब बैठें उससे पहले दो बातों पर विचार आप कर लीजियेगा। मान्यवर मैं यह नहीं कह रहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना हो, मैंने यह कहा कि उस आदेश के होते हुए भी सुप्रीम कोर्ट ने मिल वालों से यह नहीं कहा कि आप भुगतान नहीं करेंगे,

इससे ज्यादा। अगर मिल वाले चाहें तो भुगतान कर सकते हैं और मिलवालों को यह चाहने के लिये सरकार का प्रभाव आवश्यक है और दूसरी बात मान्यवर, यह कि जब भी आप बैठें तो मन यह बना लें कि जितना भी रिजर्व एरिया है, उस रिजर्व एरिया का टोटल गन्ना मिल में नहीं बंधक बनता, टोटल का नहीं बनता, 50 प्रतिशत ज्यादा से ज्यादा होगा। जो 50 प्रतिशत गन्ना है उसको बेचने में क्या रुकावट है ? अगर वह दूसरे क्षेत्र में बेचना चाहता है और उसका मिल वाला नहीं खरीदना चाहता है तो उसमें क्यों रुकावट कर रहे हैं ? ये मौके बार-बार नहीं आते, ये मौका पहली बार आया है, इस पहली बार के मौके का फायदा उठा लेने दीजिये। इन बातों को तैयार करके बैठियेगा, जब भी आप कहेंगे, मैं आ जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय हुकुम सिंह जी को सुना, माननीय सोलंकी साहब को सुना, माननीय चौधरी साहब को सुना और माननीय गन्ना मंत्री जी को सुना यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है। मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

अगली सूचना श्री कृष्ण गोपाल पटेल जी, डा0 आर0ए0 उस्मानी जी, डा0 कौशल किशोर जी की है, यह पहले 28-1-2010 को ली गई थी, इस आश्वासन के साथ कि पहली को सुना जायेगा। लखीमपुर खीरी में थाना मैलानी के ग्राम-सुरजनपुर में सरकारी मास्टर हरंगी सिंह चौहान के परिवार पर पुलिस उत्पीड़न के सम्बन्ध में।

श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम-56 में बोलने का अवसर दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, जनपद लखीमपुर खीरी के मैलानी थाने में एक ग्राम पड़ता है सुरजनपुर। 15-01-2010 को रात्रि में दो सिपाही, एक के0के0 मिश्रा और अशोक मौर्या, दोनों रात को ढाई और तीन बजे के आस- पास, मास्टर हरदुर्गा सिंह चौहान के घर जाते है और वहां पर कहते है आपके खिलाफ वारण्ट है। मास्टर साहब कहते है कि आप वारण्ट लाये है तो मुझको दिखा दीजिये लेकिन उन्होने वारण्ट नहीं दिखाया और यहां तक कि दोनो सिपाही बुरी तरह से नशे में धुत थे, उनके घर में घुस करके रात को मारपीट की और उनके साथ मारपीट ही नहीं बल्कि औरतों तक के साथ भी मारपीट की। उनमें से एक सिपाही जो मौर्या है वह वहां से भाग गया, उसके जाने के बाद दूसरे सिपाही के0के0 मिश्रा को वहां पर पकड़कर बंधक बना लिया गया। दोनों सिपाही नशें में धुत थे। जब यह बात सी0ओ0 को पता लगी, साढे पांच-पौने छः बजे सी0ओ0 साहब मयफोर्स के पी0ए0सी0 को लेकर के सीधे वहां गांव में पहुंचे।

मान्यवर, यह तो गांव भी नहीं है। खाली हरंगी सिंह का मकान ही अकेला वहां पर है, वहां पर कोई और आबादी भी नही है वहां जाकर के उन लोगो ने वो तांडव किया कि उनके सारे मकान के अंदर गेहूं की जितनी ढेरियां थीं उनको तहस-नहस कर दी, उनके पांच-सात बड़े-बड़े बक्से थे, उन बक्सों से सब सामान लूटा-पाटा गया, सामान निकाल कर बाहर फेंक दिया गया, 4 कलर टी0वी0 थे उनको तोड़ा गया, 2 ब्लैक एण्ड व्हाइट टी0वी0 थे वे भी तोड़े गये। इतना तांडव किया गया कि देखकर के अंगेजों की याद ताजा हो गयी। यहां तक ही नहीं, जब इससे भी सब्र नहीं हुआ तो उनके जो कच्चे मकान थे, उनमें आग लगा दी गयी। मान्यवर, मेरा आपसे यह

अनुरोध है कि इस तरीके का ताण्डव और मान्यवर, अभी जो चर्चा चल रही थी कि पुलिस महकमें पर क्या कार्यवाही होती है। यह सवाल भी था और उन दोनों सिपाहियों पर धारा 376 का मुकदमा थाना मैलानी के अन्दर दर्ज है पहले का और उसी थाने में ये दोनों के दोनों सिपाही पोस्ट किये हुये थे तो मान्यवर, ऐसा क्यों हो रहा है ? इतना बड़ा अत्याचार और इतना बड़ा जुल्म गांव के अन्दर किया गया है और यहां तक नहीं, वहां से 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर तक जो लोग रह रहे थे वहां तक जाकर के इन लोगों ने उनको मारा है। करीब 150 से 200 व्यक्तियों को इन्होंने मुल्जिम बनाया है इसके अन्दर जिसमें से 20 से 25 महिलायें हैं। शर्म की बात है इन पुलिसवालों के लिये एक महिला तो बेचारी प्रेगनेण्ट थी, उसको भी जेल भेज दिया गया और दूसरे ही दिन जेल के अन्दर उसका प्रसव हो गया, इस तरीके का पुलिस ने ताण्डव किया है वहां पर कि देखकर के बड़ा अजीब और गन्दा माहौल लगता है कि क्या इस तरीके का पुलिस प्रशासन वहां पर काम करेगा ? सुबह को वहां पर जब एस0पी0 और डी0एम0 जाते हैं तो गांव के तमाम लोग इकट्ठा हो गये और गांव के लोगों ने डी0एम0 साहब से कहा डी0एम0 साहब ऐसा-ऐसा मामला हुआ है तो डी0एम0 कहता है कि यहां क्या रण्डी नचाने आये हो, भागिये यहां से, यह डी0एम0 साहब के शब्द हैं जिला जनपद खीरी के। क्या इस तरह एक आई0ए0एस0 और आई0पी0एस0 अधिकारी को व्यवहार जनता के साथ में करना चाहिए। मान्यवर, इस लोक महत्व के प्रश्न पर मैं आपसे मांग करता हूं कि इस पर चर्चा कराई जाय, धन्यवाद।

*डा0 कौशल किशोर-

माननीय अध्यक्ष जी, हृदयहीनता की निशानी पटेल जी ने बता दी, एक गर्भवती महिला जिसको जेल भेजने के 12 घण्टे के अन्दर जेल से प्रसव हो यह घटना ही इतनी काफी है कि बाकी आगे इसमें कहना सब बेकार है। घटना क्या है, यह दो सिपाही जिनका नाम अभी पटेल जी ने बताया है दोनों बलात्कार के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। उसी क्षेत्र में इन्होंने बलात्कार किया था, उन दोनों पर 376 का मुकदमा दर्ज है और दोनों को उसी थाने में फिर पोस्ट कर दिया गया। वह दो सिपाही और तमाम सिपाही, हरंगी सिंह के झाले पर जब बलात्कार करने की नीयत से 3-4 बजे रात को पहुंचे हैं तो जब ये के0के0 मिश्रा जो हैं एक कोठरी में जिसमें एक महिला थी उसको छेड़-छाड़ करने लगा तो महिला चुपके से किसी तरह से बाहर भाग आई और बाहर से दरवाजा बन्द कर दिया। बाकी सिपाही सोंचे कि अब तो हम फंस गये तो वह सब भाग गये थाने को और थाने से तमाम पी0ए0सी0 वगैरह ले आये जैसे लगता है कि वहां कोई बहुत बड़ी आफत आ गई हो और लाकर के आस-पास के गांव के आधा किलोमीटर के अन्दर जितने निवासी मिल गये सबको मारा पीटा यहां तक कि मारने पीटने में इन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी। केवल एक 105 साल का बुड्ढा अक्कू सिंह और तीन-चार नाबालिग लड़के केवल उस मकान में बचे हैं बाकी सब भाग गये। घरों को जला दिया गया, टी0वी0 तोड़े गये जैसा बता ही दिया गया है। डबुल बेड को बल्लम से तोड़-फोड़ कर के सत्यानाश कर दिया गया। अनाज के डहरे सब तोड़ डाले गये, चारपाइयां सब तोड़ डाली गईं, कुर्सियां सब तोड़ डाली गईं और उसके बाद उस घर में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जितने मुर्गे थे सब काटकर खा डाले और जो आदमी मिलता गया उसका मोबाइल टेलीफोन छीन लिया, वह आज भी पुलिस वालों के पास है, कम से कम 15-20 मोबाइल पुलिसवालों के पास है, रुपये छीन लिये। यद्यपि हम यह सब जो कह रहे हैं तो सत्ता पक्ष यह विश्वास नहीं करेगा जबकि यह बिल्कुल असली घटना है, इसमें तनिको और कुछ नहीं है। हमारा उसमें और कुछ नहीं है, हमारा तो केवल तीन वोट था उस पोलिंग पर, सब [ x x x ] हैं, सब बैकवर्ड हैं, हरंगी सिंह चौहान बैकवर्ड है और तमाम [ x x x ] को ला-ला करके पीट-पीट करके कम से कम 15 औरतें बन्द कर दी जेल में।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, [ x x x ] शब्द कार्यवाही से निकलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे निकलवा देंगे।

डा0 कौशल किशोर-

इन औरतों का क्या दोष था ? और ऐसी औरतें जिनकी डिलीवरी जेल के अन्दर हो जाय। इतनी बड़ी घटना और क्या हो सकती है ? यह हृदयहीन घटना है। अब उसके बाद वहां पर इतना आतंक व्याप्त है कि वहां पर कोई जाने का नाम नहीं ले रहा है। हमारी सिर्फ एक मांग है इसमें सदन की कार्यवाही रोककर के चर्चा कराई जाये और हमें आप बिल्कुल न भेजें, हम जिला खीरी वालों को न भेजें, हमारे पक्ष के किसी को न भेजें, हम आग्रह करते हैं आप केवल सत्ता पक्ष के विधायकों को भेज दें अगर उनको आंसू न आ जायें, अगर रोने न लगे, विलाप न करने लगे तो मेरा दावा है ऐसी घटना कभी नहीं घटी होगी। हमारे जिले में एक घटना और घट गई, एक रामानन्द पहले उसने अपने भाई को मारा, उसके बाद उड़न खटोला वहां पहुंचा और उसको पांच लाख रुपया दिया, उसको दो गनर दे दिये, उसने गाड़ी खरीद ली, दिमाग खराब हो गये उसका और ऐसा दिमाग खराब हुआ कि उसने अपनी बीबी को मारा और अपने चार बच्चों को मारा, एक बच्चा तो डेढ़ माह का था, आठ साल से डेढ़ माह के बीच के चार बच्चे मार दिये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब आप समाप्त करें। मा0 उस्मानी जी आप अपनी बात कहें। सभी सदस्यों को जबकि मुझे नहीं सुनना चाहिए दो-तीन सूचनाएं ध्यान आकर्षण करके और विशेष उल्लेख में रख लेते हैं लेकिन तब भी हम आपकी भावनाओं का आदर कर रहे हैं कि ठीक है दो-दो मिनट में आप घटनाओं का जिक्र कर दें। मौका जब मिलता है तो सूक्ष्य रूप में सही चित्रण रख दीजिए।

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

माननीय अध्यक्ष जी, यह इतनी निन्दनीय घटना है कि जनपद खीरी के थाना मैलानी के ग्राम सुरजनपुर में हुई हैं यह लोनिया चौहान बिरादरी के लोग हैं और यह पूरा परिवार पढ़ा-लिखा

---

नोट :-[ x x x ] यह अंश मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

है, बाकी जो बात मा0 कृष्ण गोपाल पटेल जी ने, डा0 कौशल किशोर जी ने रखी, उससे सम्बद्ध करते हुए पूरी बात कह दी उन्होंने और यह पढ़ा-लिखा परिवार है। हरंगी सिंह जी जी हैं यह प्राइमरी स्कूल में सरकारी टीचर हैं, इनके विरुद्ध कोई इतना बड़ा अपराध नहीं था कि रात में इनके घर पर रेड की जाती, इनको उठाया जाता। मान्यवर, यह दोनों सिपाही श्री मिश्र व श्री मौर्या बलात्कारी है। इनके विरुद्ध उसी थाने में धारा 376 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज है। मान्यवर, यह लोग उनके घर में बलात्कार की नीयत से घुसे थे और जब पकड़े गये तो उन लोगों ने इन्हें पीटा और बंधक बनाया और उसके बाद पुलिस ने बजाय इनके अपराध को स्वीकार करने के उस घर वालों पर ही जुल्म और ज्यादती ढहा दी। उन्होंने उनके पूरे मकान की तोड़-फोड़ की और कीमती सामान को तोड़ा-फोड़ा। जो महिलायें गर्भवती थीं उनको मारा पीटा गया। एक गर्भवती महिला ने तो थाने पर ही 12 घण्टे बाद प्रसव कर दिया। मान्यवर, एस0पी0 खीरी ने कार्यवाही करते हुए थानाध्यक्ष मैलानी और महिला थानाध्यक्ष को निलम्बित कर दिया है।

मान्यवर, पूरे के पूरे मामले में पुलिस के लोग दोषी हैं। मान्यवर, इसमें कुंवारी लड़कियों को जेल भेजा गया है दर्जनों महिलायें जेल में हैं। मैं मांग करता हूं कि निर्दोष लोगों पर लगाये गये मुकदमें वापस लिये जायें और उनको रिहा किया जाये। जो यह लोग हैं यह पूर्वांचल के रहने वाले हैं और चौहान बिरादरी के लोग हैं। इनके बी0एस0पी0 के कोई बड़े नेता रिश्तेदार हैं जो जौनपुर के हैं। इन्होंने किसी तरह से लखनऊ आकर उनसे सम्पर्क किया और उन्होंने एस0पी0 को फोन किया। लेकिन एस0पी0 ने उनको गलत तथ्य बताकर गुमराह किया है। मान्यवर, जब किसी घर की बहू बेटियों की इज्जत लूटने पर यह पुलिस वाले आमादा हो जायेंगे तो उनको मारा पीटा नहीं जायेगा तो और क्या किया जायेगा। इतना ही नहीं 3-4 किलोमीटर दूर के गांवों की लड़कियों को पकड़कर मारा पीटा गया है। वहां पर पी0ए0सी0 लगवा दी गयी है। किसानों की बकरी और मुर्गों को पकड़कर खाया गया है। रविदास जाति के तीन लोग थे उन तीनों को जेल भेजा गया है। उनके मोबाइल फोन छीन लिये गये हैं पैसे छीन लिये गये हैं। मान्यवर, आप इसमें एक जांच कमेटी बना दें विधायकों की एक जांच कमेटी बना दें जो मौके पर जाकर स्थिति को देख आये। मान्यवर, इसमें दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए और इस प्रकार से पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के लोगों पर जुल्म ज्यादती नहीं होनी चाहिए। मैं इस सूचना पर बल देते हुए आपसे मांग करता हूं कि सदन की सारी कार्यवाही रोककर इस प्रकरण पर चर्चा करायी जाय।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, खीरी की जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसे बताना चाहता हूं।

उक्त घटनाक्रम में दिनांक 15-1-2010 समय प्रातः 7 बजे थानाध्यक्ष मैलानी को सूचना मिली कि मा0 ए0सी0जे0एम0 द्वितीय खीरी के न्यायालय से जारी गैर जमानती वारन्ट केस नम्बर 3864/09 धारा 147/148/149/323/325/504/506/352/452 भा0दं0वि0 के तामील हेतु गये हुये उप निरीक्षक रामशरन व हमराही 5 आरक्षियों द्वारा वारन्टी प्रभू सिंह पुत्र हरंगी सिंह, मन्नू पुत्र परमहंस सिंह, हरंगी सिंह व परमहंस सिंह पुत्रगण सकलू सिंह निवासीगण सुरजनपुर थाना मैलानी को गिरफ्तार कर ले जाने लगे। तभी अभियुक्तों एवं उनके परिवार की महिलाओं व

पुरुषों के उकसाने पर गांव वालों सहित मजहमत करके वारन्टियों को छुड़ा लिया तथा आरक्षी केवल किशोर मिश्रा को बन्धक बना लिया व गम्भीर रूप से घायल कर दिया। (जो जिला अस्पताल खीरी में भर्ती रहा) बन्धक आरक्षी केवल किशोर मिश्रा की सरकारी रायफल लूट ली गई। इस सूचना पर थानाध्यक्ष मैलानी अपने हमराही पुलिस बल के साथ पहुंचे और वहां मौजूद लोगों को समझाने का प्रयास किया गया किन्तु वे लाठी, डन्डा, हंसिया आदि अस्त्र-शस्त्र से लैस होकर पुलिस का विरोध करने लगे एवं आरक्षी केवल किशोर मिश्रा की सरकारी मोटरसाइकिल को आग लगा दी। बाद में सूचना पर क्षेत्राधिकारी गोला श्री करन सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तथा बन्धक आरक्षी केवल किशोर मिश्रा को छुड़ाते समय वहां मौजूद करीब दो सौ ग्रामीणों ने पुलिस बल पर पथराव किया जिससे क्षेत्राधिकारी गोला सहित अन्य पुलिस कर्मी घायल हो गये परन्तु पुलिस बल ने आवश्यक बल प्रयोग करके कान्स0 केवल किशोर मिश्रा को अभियुक्तों के कब्जे से छुड़ा लिया गया। किन्तु आरक्षी की रायफल नहीं मिली। मौके पर शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए तत्काल अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी मोहम्मदी, क्षेत्राधिकारी पलिया, उप जिलाधिकारी गोला एवं अन्य थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। मौके से 29 नफ्र व्यक्तियों को हिरासत में लिया व अन्य भागने में सफल हो गये। इस सम्बन्ध में थाना मैलानी पर मु0अ0सं0 22/10 धारा 34/147/148/149/395/397/307/342/353/332/333/336/504/506/427/223 भा0दं0वि0 व 7 क्रि0लॉ एमेन्डमेन्ट ऐक्ट व लोक सम्पत्ति निवारण अधिनियम धारा-3 पंजीकृत किया गया। बाद में दबिश देकर वारन्टी परमहंस सहित दो अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आरक्षी केवल किशोर मिश्रा की लूटी गयी सरकारी रायफल मय कारतूस बरामद की गयी। मौके पर तत्काल मेरे द्वारा पहुंच कर घटना की जानकारी कर गांव में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये तथा मौके पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल एवं पी0ए0सी0 को कैम्प कराया गया।

उक्त सम्बन्ध में पुनः सादर अवगत कराना चाहूंगा कि घटना में गिरफ्तार सभी 32 नफर अभियुक्तों को भौतिक रूप से न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कराया गया जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा एक-एक अभियुक्त से पूछताछ कर उनका जुडीशियल रिमान्ड स्वीकृत कर जेल रवाना किया गया। इन अभियुक्तों में एक महिला अभियुक्ता श्रीमती कुसुम पत्नी राजकुमार निवासी सुरजनपुर थाना मैलानी जनपद खीरी को दिनांक 17-1-10 को जिला कारागार खीरी में प्रसव पीड़ा होने के कारण जिला महिला चिकित्सालय खीरी में भर्ती कराया गया जहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया। इस सम्बन्ध में थानाध्यक्ष मैलानी श्री हेमन्त कुमार व थानाध्यक्ष महिला थाना श्रीमती नमिता सिंह को दिनांक 19-1-2010 को निलम्बित कर दिया गया है हालांकि उक्त महिला को मेडिकल परीक्षण हेतु जिला चिकित्सालय में चिकित्सक एवं रिमान्ड हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिनके समक्ष भी यह बात जानकारी में नहीं आयी कि उक्त महिला गर्भवती है। प्रकरण में बरती गयी लापरवाही के लिए अपर पुलिस अधीक्षक श्री रमाकान्त प्रसाद से प्रारम्भिक जांच कराई जा रही है। यहां यह भी अवगत कराना है कि वह महिला व उसका बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ है। गिरफ्तार सभी 12 महिला अभियुक्तों में से 11 की जमानत न्यायालय से स्वीकृत हो चुकी है।

जहां तक ग्राम सुरजनपुर में पुलिस द्वारा घरों में लूटपाट एवं आगजनी का आरोप है तो यह असत्य एवं निराधार है।

यहां यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि गांव में शान्ति व्यवस्था की स्थिति सामान्य करने के उद्देश्य से दिनांक 19-1-2010 को जिलाधिकारी व मेरे द्वारा संयुक्त रूप से ग्राम सुरजनपुर में गांव वालों के साथ बैठक कर उन्हें विश्वास दिलाया गया कि किसी भी निर्दोष का उत्पीड़न कदापि नहीं किया जायेगा, केवल दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध ही कार्यवाही की जायेगी। किसी भी आम जनमानस को पुलिस से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। घटना की निष्पक्ष जांच के लिए मेरे अनुरोध पर जिला मजिस्ट्रेट खीरी द्वारा मैजिस्ट्रीयल जांच के आदेश किये जा चुके हैं।

डा0 वकार अहमद शाह-

मान्यवर, गम्भीर आरोप हैं। (शोर)

मान्यवर, अधिकारियों की रिपोर्ट पर काम नहीं चलेगा।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, अब मैजिस्टीरियल जांच चल रही है।

श्री अध्यक्ष-

मैजिस्टीरियल जांच हो रही है।

डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

मान्यवर, यह नौकरशाही शोषण कर रही है। यह कोई जांच वांच नहीं करेगी।

श्री अध्यक्ष-

जो निर्दोष हैं उसको न फंसाया जाय माननीय मंत्री जी दिखवा लें।

(अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

एक जानकारी कर लें, आप लोग बैठिये।

सभी सदस्यों ने एक बात कहा है कि दो वहां पुलिसकर्मी हैं जिनके ऊपर बलात्कार का मुकदमा उसी थाने में दर्ज है और उसी थाने पर वह पोस्ट है तो इस बात को दिखवा लें कि अगर बलात्कार का मुकदमा उन पर उसी थाने में दर्ज है और निर्दोष लोगों को कोई परेशानी न हो।

मैंने इस सूचना में माननीय कृष्ण गोपाल पटेल, माननीय डा0 आर0ए0 उस्मानी, माननीय कौशल जी को और माननीय मंत्री जी को सुना यह सूचना नियम 56 में नहीं आती है। इसे अग्राह्य करता हूं।

*श्री अनूप कुमार गुप्ता-

मान्यवर, जनपद सीतापुर के थाना तालगांव के ग्राम बैजनाथपुर की घटना है यहां के निवासी एक पार्टी के कार्यकर्ता विकास राजवंशी वहां के थानाध्यक्ष हरि राम कर्दम, उप जिलाधिकारी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हरि राम की मौजूदगी में गांव में पहुंच गये। गांव में जाकर के चकरोड के किनारे एक मंदिर बना है और मंदिर के पास एक पेड़ लगा था वहां पर जाकर के जब वह पेड़ काटने लगे तो एम महिला शशिकला पत्नी परशुराम ने पेड़ काटने से मना किया और कहा कि यह चकरोड पर पेड़ नहीं है खेत के अन्दर पेड़ हैं मंदिर के पास पेड़ है इस बात पर जो वहां के थानाध्यक्ष वगैरह गये थे और जो लोकल के आदमी गये थे वह जबरदस्ती पेड़ काटने लगे और मंदिर गिराने लगे इस बात का विरोध शशिकला महिला और गांव के अन्य लोगों ने शुरू किया तो वहां पर उनकी पिटाई होने लगी और पुलिस वालों ने भी उनकी पिटाई की और यहां तक मान्यवर, अखबारों में है कि गले में उसके फन्दा लगाकर पेड़ पर उसको बांध दिया गया बाद में जिलाधिकारी ने जब उसको उतरवाया है तब उसको उतारा गया और वहां पर पूरे गांव में आग लगा दी गयी वहां के बच्चों तक को पीटा गया और निर्दोष लोगों को जेल भेजा जा रहा है जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनको छूट दे दी गयी है गांव में कर्फ्यू जैसा माहौल है। वहां पर जो थानाध्यक्ष है वह लगभग 8 वर्ष से वहीं पर है और वह घूमफिर कर वहीं आ जाता है जैसे लखीमपुर में गया दो महीने के लिए और दो महीने के लिए हरदोई गया उसके बाद फिर सीतापुर में आ गया और 8 साल से वह सीतापुर के अन्दर हरिराम कर्दम है। यह एक बहुत भ्रष्टाचारी दरोगा है और जहां-जहां यह रहा है निर्दोष लोगों को तंग करता रहा है। गांव के अन्दर कर्फ्यू जैसा माहौल है। मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि सदन की समस्त कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा कराई जाय।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी इस घटना का जिक्र मा0 अनूप जी ने किया इसको जरूर दिखवा लें।

श्री लालजी वर्मा-

ठीक है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने मा0 मंत्री जी को सुना, गुप्ता जी को सुना यह सब नियम-56 में है। मैं इनको अग्राह्य करता हूं। डा0 अनिल चौधरी, सतपाल सिंह की सूचना है जिसको 2 मिनट सुनना है औद्योगिक विकास विभाग के द्वारा जमुना एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण के विस्तारीकरण हेतु गजट नोटीफिकेशन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

डा0 अनिल चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी मान्यवर,

श्री अध्यक्ष-

डा0 साहब थोड़ा संक्षिप्त में कह दीजिए। केवल आप लोगों की भावनाओं का आदर करते हुए।

डा0 अनिल चौधरी-

मैं सदन का समय खराब नहीं करूंगा केवल ग्राह्यता पर बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

डा0 अनिल चौधरी-

आपने सूचना की ग्राह्यता पर बोलने के लिए मुझे समय दिया आपका आभारी हूं। मा0 अध्यक्ष जी 21 जुलाई, 2009 को एक गजट नोटीफिकेशन प्रमुख सचिव (उद्योग) के हस्ताक्षर से जारी हुआ अखबारों में और उसके मुताबिक यमुना एक्सप्रेस में औद्योगिक विकास प्राधिकरण के विस्तारीकरण के लिए चार जनपद और उनकी 7 तहसीलों के 850 ग्रामों को इस विस्तारीकरण में अधिसूचित किया गया। मा0 अध्यक्ष जी मैं बहुत छोटे रूप में अपनी और किसानों की इलाके की पीड़ा के ऊपर आता हूं। अध्यक्ष जी, इस विस्तारीकरण की अधिसूचना से प्रभावित होने वाले जनपद है उनकी संख्या चार है इन जनपदों की 7 तहसीलों के पूरे-पूरे राजस्व ग्राम जो हैं इस अधिसूचना में सम्मिलित किये गये हैं और मेरी निगाह में यह शायद विश्व की सबसे बड़ी अधिसूचना रही होगी, जिसमें लगभग 50 लाख हेक्टेयर जमीन को अधिसूचित किया गया और अध्यक्ष जी मैं ये और बता देना चाहता हूं कि यह कौन सी जमीन है। यह गंगा जमुना के दोआब की विश्व की सबसे उपजाऊ जमीनों में से एक जमीन और आपके ही आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस राष्ट्र के आलू उत्पादन का कुल 47 फीसदी उपजता है और मैं यह भी सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इस आलू उत्पादन का उत्तर प्रदेश के सकल आलू उत्पादन का लगभग आधा और इस तरह से राष्ट्र का लगभग 25 फीसदी इन इलाकों से पैदा हो के आता है। तीन फसल देने थाला यह इलाका सौ फीसदी जमीन सिंचित, उसको अधिसूचित किया गया है और मा0 अध्यक्ष जी बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब सरकार को देना चाहिए था, इस अधिसूचना को जारी करने से पहले। किसानों की बड़ी-बड़ी पंचायतें इन चारों जनपदों में न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के लोगों को भी अखबारों में कहना पड़ा कि हम इस अधिग्रहण को नहीं होने देंगे।

मैं यह मानता हूं कि अधिग्रहण इन साढ़े आठ सौ गांवों में नहीं हो रहा है लेकिन उससे पहले की सूचना के अनुसार 169 गांवों में अधिग्रहण की कार्यवाही 44 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जिला गौतमबुद्ध नगर और बुलन्दशहर में कार्यरत हैं इसी विकास प्राधिकरण द्वारा तो हम कैसे मान लें कि आ गई अधिसूचना का भी यही उद्देश्य होगा कि वहां भी अधिग्रहण की कार्यवाही लागू हो और जब यह अधिसूचना जारी की गयी तो इस प्रदेश की नौकरशाही ने कितने संवेदनहीन तरीके से बिना तैयारी के इसको अंजाम दिया। मेरा इसी सत्र में एक प्रश्न इससे सम्बन्धित था। मेरा प्रश्न था प्रथम गुरूवार को अतारांकित प्रश्न सं0-137, मैंने उसमें प्रश्न किया था कि इस अधिसूचना में जो क्षेत्र सम्मिलित किया गया है, उसका क्षेत्रफल कितना है। उसके उत्तर में मुझे जवाब दिया गया है कि इस सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है। 31 जुलाई को आप नोटीफिकेशन कर देते हैं लेकिन नोटीफिकेशन की कोई तैयारी नहीं की जाती। मैं पूछना चाहता हूं कि कोई मास्टर प्लान तो तैयार होता होगा, कोई नक्शा तैयार होता होगा। लेकिन आज तक यह सरकार यह बताने के लिये तैयार नहीं है कि आखिर इस अधिसूचना में कितना क्षेत्रफल सम्मिलित किया गया है। इसके बाद मेरा दूसरा प्रश्न जनसंख्या के सम्बन्ध में था कि कितनी जनसंख्या इसमें प्रभावित होगी तो उत्तर आया कि जनसंख्या सम्बन्धी सूचना सम्बन्धित जनपदों से एकत्र की जा रही है। सरकार को यही नहीं पता कि इतनी बड़ी कार्यवाही करने से कितने लोग प्रभावित होंगे। आज राष्ट्र के सामने खाद्यान्न का संकट है, उसके समाधान के लिए सरकार कार्यक्रम चला रही है

जैसे ऊसर सुधार, कार्यक्रम, बंजर सुधार कार्यक्रम यानि इनको कल्टीवेटेड लैण्ड बनाने के लिए करोड़ों-अरबों की योजनायें केन्द्र और प्रदेश की सरकार चला रही हैं। दूसरी तरफ सिंचित भूमि के बारे में इतनी भी जानकारी नहीं है और एक अधिकारी ने बिना किसी तैयारी के अधिसूचना जारी कर दी।

हमने इस सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय को ज्ञापन भी दिया। यह सितम्बर माह के दूसरे सप्ताह की बात है। हमने कहा कि इसका कोई मास्टर प्लान तैयार किया गया होगा लेकिन आज तक कोई तैयारी नहीं है। हमने कहा कि इस क्षेत्र की 50 लाख की आबादी इससे विस्थापित होगी तो उनके रोजगार के लिये कोई योजना ला रहे हैं तो उसकी भी कोई तैयारी नहीं है। हमने यह भी पूछा कि इस औद्योगीकरण के बाद यमुना के किनारे पर्यावरण के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया गया है तो बताया गया कि जी नहीं। इस प्रकार कहीं कोई तैयारी नहीं। जबकि आज ही एक तारांकित प्रश्न-17 नं0 पर था कि यमुना नदी का जल प्रदूषित हो गया है तो उत्तर आया कि जी हां हो गया है। यह बहुत संवेदनशील मुद्दा है और 4 जनपदों से जुड़ा हुआ है। मैं शासन से यह पूछना चाहता हूं कि इससे पहले भी बहुत सारे औद्योगिक आस्थान बनाये गये, प्राधिकरण बनाये गये, उनके अंदर क्या कोई एक-आध कारखाना लगा। हमारे हाथरस जनपद में ही सलेमपुर नाम की परियोजना है। पिछले 15 वर्ष से है। जिस ग्रुप को वह एलाट किया गया वह ग्रुप वहां खेती करा रहा है एक फिलिंग टाइप का छोटा सा एक संस्थान जरूर लगा है बाकी पूरी परियोजना के अन्दर खेती की जा रही है। अगर खेती करने के लिये आपको अधिग्रहण करना है तो फिर किसान को ही खेती करने दीजिए। क्यों आप उसको बड़े-बड़े सरमायदारों को देने का काम करते हैं।

मान्यवर, एक बड़ा गम्भीर प्रश्न उपस्थित हो गया है जिस ऐक्ट के तहत उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास ऐक्ट 1976 के तहत यह अधिसूचना जारी की गयी है उसकी धारा 12ए के अनुसार जैसे ही अधिसूचना जारी होती है इन गांवों के अन्दर पंचायतों का अस्तित्व समाप्त कर दिया जाता है। मैंने प्रश्न किया आपकी सरकार ने यह उत्तर भी दिया कि इनका अस्तित्व समाप्त हो गया। लेकिन साथ में मेरा प्रश्न फिर दूसरा उपस्थित हुआ कि अगर यहां पर यह सारी पंचायतें खत्म कर दी गयी हैं तीनों स्तर की इन इलाकों में तो फिर इनमें जो लोक कल्याणकारी योजनायें हैं, कोई सड़क बननी है, कोई पुलिया बननी है, मिड-डे मील है, विकलांग पेंशन है, विधवा पेंशन है, इन्दिरा आवास है, इनको आप किस एजेन्सी द्वारा करायेंगे। उसके बारे में कोई उत्तर नहीं है और बड़ी संवेदनशील से एक उत्तर हमें यह प्रेषित किया गया है। मैं बहुत थोड़े समय में बता रहा हूं, मैंने पूछा है इनसे, यह प्रश्न है प्रथम गुरुवार का अतारांकित-136, इसमें सरकार स्वीकार करती है उन्होंने कहा कि हां यह ग्राम पंचायतें अस्तित्वहीन घोषित कर दी गयी हैं। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं जो कि इसी प्रश्न का अगला भाग है कि इनमें विकास योजनाएं कहां से होंगी तो वह कह रहे हैं इनकी विकास योजनाओं के बारे में अभी विचार किया जायेगा। जहां तक मेरी जानकारी में है ग्राम पंचायतें पहले की तरह काम भी कर रही हैं यानी कि आप कानून का भी उल्लंघन कर रहे हैं। अगर आपने ग्राम पंचायतों का क्षेत्र पंचायतों का जिला पंचायतों का अस्तित्व समाप्त कर दिया है तो आप उसे पूरा समाप्त करके दूसरी एजेन्सी बनाइये जो इस विकास कार्य

को संभालें और अगर आप आज भी लोक कल्याणकारी योजनाओं को अगर इन ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत से करा रहे हैं तो यह सीधे-सीधे इसी सदन में तैयार किये गये कानून का उल्लंघन है। मैं अपनी बात को ज्यादा न बढ़ाते हुए सदन का ध्यान किसानों की चिन्ता की ओर ले जाता हूं। इन इलाकों में जहां अधिसूचना जारी हो गई वहां पर अगर किसान के ट्यूबवेल की कोठरी टूट गई तो क्या वह ग्रेटर नोएडा जा करके अथॉरिटी से परमीशन लेगा या उसका नक्शा पास करायेगा। यह हमारी चिन्ताएं हैं यह केवल हमारी ही चिन्ता नहीं है वहां के चार-पांच जनपदों की चिन्ता है।

श्री अध्यक्ष-

चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई, आप बैठ जायें आपको 15 मिनट सुन लिया गया है, कृपया बैठ जायें।

श्री लालजी वर्मा-

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 की अधिसूचना दिनांक 21 जुलाई, 2009 द्वारा यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के विस्तार के रूप में विकसित किये जाने हेतु जनपद अलीगढ़, महामाया नगर, मथुरा, आगरा के 850 ग्रामों को अधिसूचित किया गया। वर्तमान में इन 850 ग्रामों को अनियंत्रित निर्माण/अनियोजित विकास को रोके जाने के दृष्टिगत प्राधिकरण द्वारा अपने क्षेत्र में अधिसूचित कराया गया है ताकि भविष्य में इस क्षेत्र का सुनियोजित विकास कराया जा सके। फिलहाल इन ग्रामों की भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा रहा है। उक्त अधिसूचना जारी होने से वर्तमान में जीविकोपार्जन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

श्री अध्यक्ष-

तब फिर क्या है, डाक्टर साहब। मा0 मंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया है। मैंने डा0 अनिल चौधरी जी को सुना और मा0 मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है इसे मैं अग्राह्य करता हूं।

(डा0 अनिल चौधरी और अन्य सदस्यगण अपने स्थानों पर खड़े होकर अपनी बात कहने लगे)

आप लोग बैठ जायें, मा0 मंत्री जी कह रहे हैं कि अधिग्रहण नहीं किया जा रहा है।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मा0 अध्यक्ष जी, आज वहां का किसान डरा हुआ है, कोई बुनियादी कार्य नहीं कर सकता, अपने घर की छत भी नहीं ठीक कर सकता।

श्री अध्यक्ष-

आप पांचों लोग बोल रहे हैं। मा0 मंत्री जी ने कह दिया कि इस प्रकार का कोई अधिग्रहण नहीं किया जा रहा है।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मा0 अध्यक्ष जी, अभी आपने भी और मा0 मंत्री जी ने भी कह दिया कि सरकार का अधिग्रहण करने का कोई इरादा नहीं है तो जो लाखों किसान भयभीत हैं, सो नहीं पा रहे हैं

उनको आशंका है तो उस अधिसूचना को रद्द करने का काम करवा दें। मा0 मंत्री जी यह आश्वासन दे दें कि सरकार को जमीन नहीं चाहिए हम उस अधिसूचना को रद्द करवा देंगे। सरकार के पास लाखों हेक्टेयर जमीन नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा में है, ट्रोनिका सिटी में है वहां पर एक भी उद्योग नहीं लगा है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी ने कहा कि गांवों का अधिग्रहण हम अभी नहीं कर रहे हैं।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, सारे पार्टी के लोग आन्दोलन कर रहे हैं, किसान आन्दोलन कर रहे हैं, तमाम राजनीतिक दल के लोग उनके बीच में जाने का काम कर रहे हैं, सत्ताधारी पार्टी के नेता भी वहां जाने का काम कर रहे हैं।...

श्री अध्यक्ष-

कृपया बैठ जाइये। आप लोग समय बर्बाद करते हैं, माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट उत्तर दे दिया है उसके बाद भी आप सब खड़े हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए आपकी सूचनायें नहीं लेता हूं।

डा0 अनिल चौधरी-

मान्यवर, बहुत ही उपजाऊ जमीन है उसको सरकार अधिग्रहीत करने जा रही है।

श्री अध्यक्ष-

कृपया बैठ जाइये।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

यह सरकार उपजाऊ भूमि को जो कृषि योग्य भूमि है, उसका जबरदस्ती अधिग्रहण करने का काम कर रही है और उसे व्यापारियों बिचौलियों को देने का काम कर रही है। मैं और मेरा दल इसके विरोध में सदन का बहिष्कार करता है।

(चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी ने राष्ट्रीय लोकदल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया।)

श्री अध्यक्ष-

अगली सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी जी की है, कृपया संक्षेप में अपनी बात रखिये।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि बहुत देर के बाद आपने मुझे बोलने का समय प्रदान किया।

श्री अध्यक्ष-

सूचनायें क्रम से ली जा रही हैं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मेरे चिन्ता का विषय है कि राज्य सरकार ने सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त जो अशासकीय विद्यालय है उनकी कक्षा 6 से 12 तक की फीस में बहुत लम्बी बढ़ोत्तरी करने की

घोषणा की है और संभवतः उसको लागू करने के निर्देश भी जारी हो गये हैं और यह वृद्धि अध्यक्ष महोदय 18 मदों में की गयी है और इसमें लगभग 2 गुने से लेकर के 10 गुना तक वृद्धि कर दी गयी है। मान्यवर, आप भी एक शिक्षक हैं और यह सरकार भी कहती है कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वह बहुत कुछ करना चाहती है लेकिन मेरी जिज्ञासा यह है कि आजकल भयंकर मंहगाई से जनता त्रस्त है और यह बात हम नहीं कह रहे हैं, मा0 मुख्य मंत्री जी ने विधान सभा में कहा कि इस मंहगाई के लिए केन्द्र सरकार भी दोषी है। मैं उस डिबेट में नहीं जाता कि कहां उत्तर प्रदेश सरकार दोषी है कहां केन्द्र सरकार दोषी है या दोनों ही दोषी हैं। मैं तो सिर्फ यह कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि इन स्कूलों में कौन से बच्चे पढ़ते हैं ? जो सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालय है उनमें गरीब-गुरबा के बच्चे और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे पढ़ते हैं। बड़े लोगों के बच्चे कान्वेन्ट और पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं और वह हजारों रुपये फीस देते हैं और वह शौक से कहते हैं कि मेरे बच्चे कान्वेन्ट स्कूल में, मंसूरी के फलॉ स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन यह जो गरीब वर्ग की हितैषी सरकार है उसके द्वारा गरीब के बच्चों के पढ़ने के ऊपर, मध्यमवर्गीय बच्चों के पढ़ने के ऊपर शुल्क वृद्धि की गयी है, यह नितान्त अनुचित है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार द्वारा कहा गया कि केन्द्र सरकार दोषी है तो सरकार यह मान रही है कि मंहगाई है, मंहगाई से जनता त्रस्त है। खाने के लाले पड़े हैं, पहनने के लाले पड़े हैं। अभी चीनी का, आटे का भाव और दाल का भाव क्या है ? सवाल यहां यह नहीं है, सवाल है कि कुल मिलाकर जो मंहगाई है उसका बोझ आम जनता पर पड़ रहा है। उससे जनता कराह रही है, त्रस्त है। ऐसी परिस्थिति में अध्यक्ष महोदय इन शिक्षण शुल्कों में दो गुना से 10 गुना वृद्धि कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। घोर अनुचित है उस हालत में जबकि इस प्रदेश की मुख्य मंत्री जो एक महिला हैं और महिला को हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत ऊंचा दर्जा प्राप्त है वह ममता की प्रतिमूर्ति मानी जाती हैं। वह कैसे इतना कठोर निर्णय ले सकती हैं। इस भीषण मंहगाई में गरीब गुरबा और मध्यम वर्ग के बच्चे जो इन विद्यालयों में पढ़ते हैं उनकी फीस में दो गुना से 10 गुना वृद्धि कर दी जाय और वह शिक्षा से वंचित हो जाये यह निश्चित रूप से उनके दिल की मंशा नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि यह बिल्कुल अनुचित है फीस वृद्धि को वापस लेने की घोषणा करें ताकि जो सरकार की मं... सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वह परिलक्षित हो। सर्वजन में गरीब भी आते हैं, मध्यम वर्ग भी आते हैं अनुसूचित जाति के भी आते हैं इन सारे वर्ग के लोग आते हैं। इसका जो प्रभाव है वह निश्चित रूप से शिक्षा पर पड़ेगा, उनके अभिभावकों पर पड़ेगा और आज की मंहगाई में उनके लिए बोझ उठाना मुश्किल होगा वह कराहेंगे और त्रस्त होंगे। मैं इस पर बल देता हूं और नियम-311 के अन्तर्गत कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में जो विषय आपके समक्ष उपस्थित किया है उस पर बल देते हुए यह आग्रह करता हूं कि सदन के शेष कार्य रोककर इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर चर्चा कराकर कार्यवाही की जाय।

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री रंगनाथ मिश्र)-

अध्यक्ष जी माननीय चौधरी साहब ने जो फीस वृद्धि का मामला कार्य-स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सदन में रखा है मान्यवर, जैसा कि चौधरी साहब ने कहा कि शिक्षण शुल्क में वृद्धि हो

गयी तो अध्यक्ष जी शिक्षण शुल्क में कोई वृद्धि नहीं हुई है। शिक्षण शुल्क पहले भी नहीं लिया जाता था और आज भी नहीं लिया जा रहा है। जिन मदों में वृद्धि की गई है इन मदों में पहले भी फीस ली जाती थी उसमें थोड़ी सी वृद्धि की गई है और वृद्धि करने का कारण भी स्पष्ट है कि आज प्रतिस्पर्धात्मक विद्यालय जैसे सी0बी0एस0सी0, आई0सी0एस0सी0 या निजी क्षेत्र के विद्यालय हैं उनके इन्फ्रास्ट्रक्चर हैं, सुविधाएं हैं उनकी वजह से बच्चे उधर ज्यादा प्रभावित होकर जा रहे हैं। हमारे अनुदानित कालेज में निरन्तर छात्र संख्या में गिरावट हो रही थी उसका एक कारण यह भी था कि उसमें कोई मेंटीनेंस का, चूना, प्लास्टर, कुर्सी मेज ऐसी चीजें थीं लाइब्रेरी में सुविधाएं न होने के कारण जो तीन हजार करोड़ रुपये हम शिक्षकों को पढ़ाने के लिए दे रहे थे लेकिन सुविधाएं न होने की वजह से बच्चे हमारे अनुदानित कालेजों में कम आ रहे थे इसके कारण भी हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि अवस्थापना मद में जो शुल्क है उसमें वृद्धि कर दी जाए। प्रिंसिपल, प्रबन्ध समिति को निश्चित रूप से बिल्डिंगों के रख-रखाव व तमाम ऐसी परिसम्पत्तियां जो विद्यालय में हैं व जहां भी अतिक्रमण हो रहा है पैसा न होने के कारण बाउन्ड्रीवाल भी नहीं बन पा रही थी तमाम प्रकार के लैब के सामान व कैमिकल की खरीद नहीं हो पाती थी वह फीस बढ़ी है। क्रीड़ा की फीस बढ़ी है वर्ष 1976 में 30 पैसा निर्धारित किया गया था। 1976 में 30 पैसे से कौन सा खेल हमारा गेम्स टीचर करा पायेगा। इसलिये इसमें 30 पैसे जो रेजगारी होती है मान्यवर, वह आज रेजगारी भी नहीं मिल पा रही है और यह पैसा लेकर भी पर्याप्त पैसा न होने की वजह से इसका उपयोग भी नहीं हो पाता था इसलिये इसमें 30 पैसे से बढ़ाकर आगे किया गया। विकास शुल्क में भी थोड़ी सी वृद्धि की गई है वह मेन्टीनेंस के कारण की गई मान्यवर। इसमें जो दोगुना से बीस गुना वृद्धि की बात चौधरी साहब ने कही है। इसमें मान्यवर, 20 गुना वृद्धि जिसमें मासिक फीस और वार्षिक फीस दो प्रकार की फीसें हैं। एक फीस ऐसी है जो दण्डात्मक शुल्क है। जैसे विद्यार्थी अगर विद्यालय में नहीं आ रहा है तो उसको विद्यालय में दबाव बनाने के लिये नाम कटता है मान्यवर, तो उसकी फीस 10 पैसे है। 10 पैसे मान्यवर, आज खोजने में भी नहीं मिलेगा और विद्यार्थी का नाम कट गया कोई फर्क नहीं, दस पैसे दे देगा और फिर नाम लिखा लेगा। इसीलिये इसमें वृद्धि की गई कि 10 पैसे की जगह पर इसको 10 रुपया किया जाय ताकि बच्चे के अन्दर यह भाव हो कि हम नहीं जायेंगे तो नाम कट जायेगा और यह बराबर नहीं ली जाती है। यह कभी कभार किसी बच्चे ने अगर विद्यालय छोड़ दिया तो पुनः प्रवेश की फीस 10 पैसे से बढ़ाकर 10 रुपये की गई है। यह प्रतिदिन या प्रतिमाह लेने वाली फीस नहीं है चौधरी साहब। उसी प्रकार से विलम्ब दण्ड के रूप में लेने वाला जो शुल्क है उसमें भी वृद्धि इसलिये की गई है क्योंकि विलम्ब होने से वह काम नहीं हो पाते थे जो अनुदानित कालेज का जिसकी वजह से कठिनाई होती है। इस वजह से यह रखा गया है। कुछ फीसों में वार्षिक वृद्धि ही गई है। वार्षिक फीस में जैसे पंखे का है मान्यवर। आज हर ओर कम्प्यूटर की शिक्षा का जमाना है। आज अलग लाइन नहीं रहेगी, बिजली का कनेक्शन विद्यालय नहीं लेगा तो निश्चित रूप से कम्प्यूटर नहीं चल पायेगा। आज आवश्यकता बढ़ गई है हर लोग चाहते हैं कि हमें पंखे की हवा लगे और उसमें हम पढ़ाई करें। इसलिये इसमें डेढ़ रुपये प्रतिमाह वृद्धि की गई है। मैं समझता हूं कि पूरा सदन इस बात से सहमत होगा कि यदि इसको नहीं बढ़ाया जायेगा तो फिर इन विद्यालयों का होगा क्या ?

दूसरा मान्यवर, अगर देखा जाय तो वाचनालय फीस बढ़ाई गई है। यह भी इसलिये कि वाचनालय में अगर किताबें नहीं होंगी तो फिर गरीब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। इसलिये मान्यवर, देखा जाय तो शिक्षा शुल्क एक पैसा नहीं है। 1976 में यह शुल्क लगा हुआ था और 1976 के बाद जितनी भी सरकारें आईं। आपकी भी सरकार थी, इसमें कुछ न कुछ वृद्धि जरूर की गई। 2003 में तत्कालीन सरकार ने इसे फिर से 1995 के शुल्क को ही निर्धारित कर दिया था। उसी को हमने वृद्धि किया है। कोई नई फीस हमने नहीं लगाई है। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह उपयोगी है अनुदानित कालेज और गवर्नमेन्ट कालेज के बच्चों के हित में है इसलिये मैं चाहूंगा कि श्यामदेव दादा इसको वापस ले लें और उच्च शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि यह दादा है इसलिये मान भी जायेंगे। इसलिये अपना कार्य-स्थगन प्रस्ताव वापस ले लें तो बहुत अच्छा होगा।

डा0 श्यामदेव राय चौधरी-

अध्यक्ष महोदय, मैं दो एक बात उल्लेख के रूप में कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री श्री रंगनाथ मिश्र जी, जिनका बड़ा रंग है। मैं उनसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि 2003 में जब सरकार ने वृद्धि को वापस ले लिया था तो उससे यह जो उदार सरकार है, यह अपनी अनुदारता का परिचय क्यों देना चाह रही है। अगर इन्फ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि करना है, स्कूलों में और सुविधाओं में बढ़ोत्तरी करना है तो आपके पास तमाम साधन हैं और जहां चाह, वहां राह है। आप कर सकते हैं उसको वह आपका प्रशंसनीय कदम होगा। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप स्कूलों की बाउन्ड्रीवाल मत बनवाइये। उसमें कुर्सी टेबुल मत दीजिये। कुर्सी टेबुल के लिये तो हम लोग विधायक निधि से भी दे रहे हैं। पंखों के लिये पैसा दे रहे हैं। हम लोग कमरे बनवा रहे हैं। मैं तो अपने क्षेत्र में कर रहा हूं तो जहां यह है कि उनकी जेब से इस समय निश्चित रूप से उचित समय नहीं है कि जब आदमी हर ओर से पिस रहा है, जकड़ा जा रहा है, उस समय आपने कहा कि कोई ज्यादा वृद्धि नहीं है।

हम इसको कोड नहीं करना चाहते थे आपने कहा कि शुल्क में वृद्धि नहीं है हमने कहा कि अन्य 18 मदों में आपने वृद्धि की है अन्य 18 मदों में विकास है, क्रीड़ा है, विज्ञान है, स्काउटिंग है, पंखा है, निर्धन शुल्क है। निर्धन शुल्क में भी आपने 1 रुपया बीस पैसा कक्षा 11 से 12 तक उसमें दस रुपया वृद्धि कर दी है।

(इस समय 3 बजकर 25 मिनट पर श्री अधिष्ठाता श्री भगेलू राम पीठासीन हुए)

श्री अधिष्ठाता-

आपकी बात आ गई है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

अधिष्ठाता महोदय आप आये हैं अभी-अभी आसीन हुए हैं तो थोड़ा उदारता का परिचय दीजिए। कुल मिलाकर आपके ऊपर इसका असर नहीं होगा, मेरे ऊपर इसका असर नहीं होगा, लेकिन हम जिस वर्ग की बात कर रहे हैं उस वर्ग के ऊपर इसका असर पड़ेगा। वह किसी तरह से अपने बच्चे को स्कूल भेज रहा है, चाय की दुकान पर न भेजकर पान की दुकान पर न भेजकर उसको स्कूल में भेज रहा है कि हम तो नहीं पढ़ पाये लेकिन बेटा तुम पढ़ो।

श्री अधिष्ठाता-

सारी बातें आ गई हैं।

श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मेरा अनुरोध है कि जो भी बढ़ोत्तरी है इससे कोई बहुत ज्यादा इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने में सक्षम नहीं होंगे विद्यालय तो अगर आप इसको वापस ले लेंगे तो सरकार की बहुत ज्यादा कृपा होगी उदारता होगी मेरा पुनः आग्रह होगा कि इसको आप वापस ले लें।

श्री रंगनाथ मिश्र-

इसमें शिक्षण शुल्क में एक पैसा भी नहीं लिया जा रहा है कुछ कारण रेजगारी की भी समस्या थी इसके लिए भी इसको बढ़ाया गया है। 30 पैसे 10 पैसे कहां से लायेंगे। इस कारण यह नामिनल वृद्धि है इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय श्यामदेव राय चौधरी जी को सुना, माननीय मंत्री जी को सुना यह सूचनायें अग्राह्य की जाती हैं। अगली सूचना अनूप सण्डा जी की है प्रदेश में अवैध नशीले पदार्थों के प्रयोग से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

श्री अनूप सण्डा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूं आपका, आपने मुझे एक ऐसे विषय पर अपनी बात कहने का मौका दिया जिससे हमारा पूरा समाज खासकर हमारी युवा पीढ़ी इससे ग्रसित है। मान्यवर, जब मैं नशे की बात कर रहा हूं तो मैं शराब की बीयर की या भांग और गांजा की बात नहीं कर रहा हूं। मैं खासकर उन नशीली वस्तुओं की बात करना चाहता हूं जिन वस्तुओं का नशा हमारे पूरे समाज के अन्दर प्रसारित किया जा रहा है और हमारी युवा पीढ़ी को पंगु करने का षडयंत्र रचा जा रहा है मान्यवर, उसके पीछे जहां एक तरफ अन्तर्राष्ट्रीय ताकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बहुत सी ऐसी बड़ी ताकते भी हैं जो धन कमाने के लालच में हमारे पूरे समाज को, हमारी पूरी युवा पीढ़ी का पंगु बना देना चाहती है। मान्यवर, यह नशा कोई मामूली नशा नहीं है और नेटवर्क इसका संजाल इतना व्यापक है कि अगर आप सुदूर ग्रामों से प्रदेश की राजधानी तक भी देख लीजिए तो चाय की दुकान से लेकर पान की दुकान तक और राजधानी में चलने वाले नाइट क्लबों तक में नशीली दवायें अवैध रूप से बेची जा रही हैं।

मान्यवर, मैं विशेष तौर पर कहना चाहता हूं गोमतीनगर के फन शापिंग माल में एक नाइट क्लब चलता है 'औरा' नाम का वेव माल में एक नाइट क्लब चलता है 'नशवा' के नाम से और गोमतीनगर में इनाक्स माल में एक नाइट क्लब चलता है 'जीरो डिग्री' के नाम से, इन सारे नाइट क्लबों के अन्दर नशीली दवायें बेची जाती हैं। उन नशीली दवायों का शिकार कोई गरीब का बच्चा नहीं हो रहा है बल्कि जो राज्यपाल दीर्घा में हमारे बहुत से अधिकारी बैठे होंगे और हम में से बहुत से लोगों के बच्चे क्योंकि वहां तो मामूली आदमी जा ही नहीं जा सकता है क्योंकि वहां प्रवेश शुल्क ही 1000 रुपया है। वहां षडयंत्र के तहत बिकता है वहां योजनाबद्ध ढंग से नौजवानों को नशे की आदत डलवाने का काम होता है। मान्यवर, आप चले जाइए, दारुलशफा में चले जाइए

वहां पर हेरोइन के नशेबाज घूम रहे हैं। बेच रहे हैं युवाओं को जहां पा जा रहे हैं उन्हें मुफ्त में नशा करा रहे हैं मुफ्त में नशा कराने के बाद मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं कुछ लोगों के परिवारों को कहा जाता है कि अगर पैसा नहीं है तो बताना इंतजाम हो जाएगा एक स्थिति ऐसी आती है कि और मान्यवर, एक अन्तिम स्थिति इन नशे के शिकार युवाओं की यह आती है कि घर का गहना बेच करके घर का जेवर बेच करके अपने पिता की कार बेच करके, अपने पिता की घड़ी बेच करके, अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिए यह लोग काम करते।

मान्यवर, यह मामूली बात नहीं है और मैं कहना चाहता हूं कि हमारी पुलिस इतनी मजबूर है कि इन बड़े लोगों के ऊपर कभी नशे के सौदागरों को पकड़ने के नाम पर कभी कोई चाय वाला पकड़ लिया जाए कभी कोई पान वाला पकड़ लिया जाए, लेकिन इसके पीछे जो हाथ हैं जो हाथ हमारी युवा पीढ़ियों को बर्बाद करने का काम कर रहा है, उनके गिरेबान तक हमारी पुलिस के हाथ और हमारी कानून व्यवस्था के हाथ नहीं पहुंच पा रहे हैं। मान्यवर, यह अत्यन्त गम्भीर विषय है, हमारी पूरी युवा पीढ़ी का सवाल है, आज पूरे प्रदेश में 18 लाख से ज्यादा युवा इस नशे के शिकार हैं और प्रतिदिन लगभग 16 नये नौजवान इस नशे के शिकार होते हैं। मान्यवर, यह किसी एक दल की बात नहीं है, एक आंकड़े के अनुसार प्रतिदिन 16 नौजवानों को ऐसे नशे का आदी बनाया जाता है तो मान्यवर, यह मामूली बात नहीं है। 16 नौजवानों प्रतिदिन का मतलब 16 परिवार प्रतिदिन बर्बाद हो रहे हैं तो एक साल में कितने लोग प्रभावित होंगे ? 18 लाख लोग पहले से ही इस नशे के शिकार हैं तो अधिष्ठाता महोदय मैं आपका संरक्षण चाहते हुए कहना चाहता हूं कि आप सरकार को स्पष्ट निर्देश दें कि जो बड़ी मछलियां इसके पीछे हैं, छोटी मछलियों पर हाथ डालने से कुछ नहीं होने वाला है, नाइट क्लबों के माध्यम से जो बड़े-बड़े स्थलों पर इस तरह से नशा कराया जा रहा है, उस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। यह अत्यन्त गम्भीर विषय है, इसलिए सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाए, धन्यवाद।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, दिखवा लिया जाएगा, अगर कहीं इस तरह की बातें हैं तो निश्चित रूप से नियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री अनूप सण्डा-

मान्यवर, मैंने नाम का उल्लेख किया है।

श्री अधिष्ठाता-

मंत्री जी ने संज्ञान ले लिया है।

मैंने इस सूचना पर मा0 अनूप सण्डा जी को सुना, मा0 मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-56 में नहीं आती, इसे अग्राह्य किया जाता है।

अगली सूचना श्री अवधेश प्रसाद जी की है। जनपद फैजाबाद के ग्राम दतौली निवासी रमापति की पुलिस उत्पीड़न से हुई मृत्यु के सम्बन्ध में है।

*श्री अवधेश प्रसाद-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, यह मेरे जनपद फैजाबाद की एक बहुत दुखद दर्दनाक और हृदय-विदारक घटना है। कल 11 बजे के लगभग फैजाबाद जनपद के थाना महराजगंज की पुलिस और उसकी चौकी की पुलिस वहां पहुंचती है, दतौली गांव जहां पर एक दलित, जिसका नाम रमापति है, जाती है, एक जमीन के मामले में और वहां से पकड़ कर ले जाती है और पकड़कर ले जाते समय इतना मारती है कि पांच बजे के पहले-पहले उसकी मौत हो जाती है। उसका बेटा गया प्रसाद ने जब फोन किया अपने घर दतौली में कि बाबू को दरोगा और पुलिस ने इतना मारा कि बाबू मर गये और यह खबर जैसे ही घर में पहुंचती है, पूरे घर में रोना-पिटना शुरू हो जाता है। घर के सारे सदस्य, उसकी लड़कियां, उसकी पत्नी, उसकी छोटे बच्चे सब बेहोश तो हो ही जाते हैं, पूरे गांव और इलाके में मातम मच जाता है। श्रीमन् यह घटना बहुत ही दर्दनाक है और ऐसे समय में जब इस प्रदेश में मा0 मुख्य मंत्री की कुर्सी पर एक दलित की बेटी हो, ऐसे समय में एक दलित की हत्या और वह हत्या भी किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, किसी पट्टीदार के द्वारा नहीं बल्कि यह हत्या उसके द्वारा हुई है, जिसकी जिम्मेदारी समाज की रक्षा करने की है। आज रक्षक, पूरी तरह से भक्षक हो गये हैं। यह घटना आजाद देश के माथे पर कलंक तो है ही, पुलिस विभाग पर भी कलंक है। श्रीमन् इसी प्रकार की एक अन्य घटना 19 तारीख को जब हमारा प्रदेश व्यापी आन्दोलन चल रहा था तो उसमें भी एक महिला की मौत हो गयी, एक श्री दुर्गा प्रसाद आज चोट खाये हुए पड़ा हुआ है। मान्यवर, मैंने जो आज नियम-311 के अन्तर्गत सूचना दी है। मैं उस पर बल देते हुए शासन से मांग करता हूं कि यह गम्भीर मामला है, स्थानीय पुलिस इसमें लीपापोती कर रही है। मैं मांग करता हूं कि उस रोते-बिलखते हुए परिवार के आश्रितों को शासन से 10 लाख का हर्जाना दिया जाये और जो भी पुलिस के कर्मी चाहे वह दरोगा हो, चाहे जो भी दोषी हो, जांच कराकर तत्काल उसको जेलों में भेजा जाये, यही नहीं उसकी बेटी नूरा ने एक प्रार्थना-पत्र भी रिपोर्ट के लिए दिया है मैं उसकी कापी आपके द्वारा भिजवा देता हूं। यही नहीं श्रीमन् अखबारों में भी इसके बारे में साफ-साफ लिखा है। मान्यवर, मैं इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जनपद फैजाबाद के थाना महाराजगंज की पुलिस चौकी के अन्तर्गत ग्राम दतौली के श्री रमापति राम पुत्र श्री सीताराम कोरी, उम्र 55 वर्ष का, इसी गांव के कन्हैया, भगवती, माखनलाल आदि से सभी उसी अनुसूचित जाति के थे, पट्टे की जमीन का विवाद था। दिनांक 31-01-10 को दोनों पक्षों में गेहूं की फसल को लेकर विवाद हुआ उस पर दोनों पक्षों को सायंकाल थाने लाया गया, रमापति के सीने में दर्द होने पर पहले उसे स्थानीय सरकारी अस्पताल ले जाया गया। जिसे बाद में जिला अस्पताल फैजाबाद रिफर किया गया। जिला अस्पताल में उसे मृत घोषित किया गया। मजिस्ट्रेट से पंचायतनामा करवाया गया। इसकी गम्भीरता को देखते हुए दो डाक्टरों की टीम से आज दिनांक 01-02-10 को पोस्टमार्टम किया गया। थाना महाराजगंज में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुकदमा संख्या-87/210 अन्तर्गत धारा 302 आई0पी0सी0 पंजीकृत कराया गया है। इसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी श्री प्रेमचन्द के द्वारा की जा रही है। चौकी पूरा बाजार के प्रभारी एस0आई0 श्री एम0पी0 सिंह एवं तीन सिपाही जो इसे लेकर आये थे उन्हें निलम्बित कर दिया गया है। मान्यवर, काफी कार्यवाही हो गयी है और यह नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आता है, इसलिए मैं चाहूंगा कि इसे अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अवधेश प्रसाद-

इसमें अभी गिरफ्तारी नहीं हुयी है और इलाके के पुलिस के लोग ताण्डव मचाये हुए हैं, दबाव डाल रहे हैं और दूसरी बात यह है कि यह गरीब लोग हैं उनके बच्चों के पास खाने को कुछ नहीं है तो दस लाख रुपये आर्थिक सहायता दिये जाने की मैं मांग करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने श्री अवधेश प्रसाद जी एवं माननीय मंत्री जी को सुना। यह सूचना अग्राह्य की जाती है।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, स्वर्गीय डा0 राम मनोहर लोहिया जी ने इस देश को आजाद कराने में अग्रणी भूमिका निभायी और वह इतने बड़े चिंतक और विचारक थे कि उनकी कही हुयी बातें रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ायी मुफ्ती हो, दाम बांधों काम बांधो, गरीबी की सीमारेखा तय न हो, अमीरी की सीमा रेखा तय हो, अंग्रेजी में काम न होगा फिर से देश गुलाम न होगा। यह डा0 लोहिया की कही हुयी बातें हैं। जब माननीय श्री मुलायम सिंह जी मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने लखनऊ में डा0 राममनोहर लोहिया अस्पताल की स्थापना जनता के लिए की थी।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, कितनी सूचनाएं लेंगे।

श्री आरिफ अनवर हाशमी-

मान्यवर, तीन साल पहले उनकी मूर्ति डा0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल में लगायी गयी। किन्तु बड़े दुख की बात है कि प्लास्टिक के मोटे तिरपाल से डा0 लोहिया जी की मूर्ति को बांधकर रखा गया है। जबकि लखनऊ में उसी के बगल में बड़ी-बड़ी मूर्तियां महापुरुषों की लगायी गयी है। मैं अपने इस कार्य-स्थगन के माध्यम से सदन की कार्यवाही रोक करके चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महान विचारक जिन्होंने प्रधान मंत्री के खिलाफ, उस जमाने में चुनाव लड़ा, डा0 राम मनोहर लोहिया दुनिया के नक्शे पर माने जाते हैं उनकी मूर्ति के अनावरण की मांग करता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

दिखवा लेंगे, मान्यवर।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी ने संज्ञान में ले लिया है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जब जानकारी होगी तभी तो कार्यवाही होगी, इसलिए दिखवा लिया जायेगा। निश्चित रूप से जो कार्यवाही आवश्यक होगी, की जायेगी।

डा0 पी0 के0 राय-

माननीय अधिष्ठाता, केवल इतना कहना चाहता हूं मैं कि डा0 राम मनोहर लोहिया के विचारों से निश्चित रूप से हम लोग जुड़े हुये हैं। अगर उनके अनावरण करने की बात है और मूर्ति अगर बनी हुयी है तो अनावरण करने न हम जायेंगे और न हाशमी जी जायेंगे। अनावरण तो सत्ताधारी दल में से और आप लोगों में से ही कोई करेगा, तो इतनी दूरी न रखें माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आपका कभी उनसे कोई लगाव रहा है। अगर मूर्ति बनी हुयी है और ढकी हुयी है तो स्पष्ट तौर से कह दें कि मूर्ति का अनावरण करा दिया जायेगा। इसमें दिखवाने की कोई बात ही नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

डा0 साहब माननीय मंत्री जी ने अपने संज्ञान में ले लिया है, इसलिये उन्होंने कहा है कि दिखवा लेंगे।

डा0 पी0 के0 राय-

मान्यवर, यदि आपके स्तर से निर्देश आ जाता।

श्री अधिष्ठाता-

डा0 साहब, माननीय मंत्री जी ने अपने संज्ञान में ले लिया है। मैंने माननीय आरिफ अनवर हाशमी को सुना, माननीय मंत्री जी को सुना, यह सूचना अग्राह्य की जाती है। माननीय सतीश महाना जी, आप अपनी बात केवल 1 मिनट में कहें।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, इससे अच्छा तो मत सुनिये, यदि इतनी गम्भीर सूचना पर भी आप ऐसा कहेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

महाना जी, आपकी सूचना तो अग्राह्य हो चुकी है।

*श्री सतीश महाना-

मान्यवर, कानपुर महानगर में जिस समय हम लोग 29 तारीख को सदन से उठकर गये, इसी शनिवार को, 30 तारीख को एक दसवीं की छात्रा नीलम शुक्ला ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली। मान्यवर, आत्महत्या किस कारण से की, आत्महत्या के लिये परिस्थितियां क्या बनीं, आज इस समय जिस उस नौजवान लड़की को पढ़ना चाहिए था, उस समय उसे आत्मग्लानि और अन्तर्ग्लानि से पीड़ित होकर आत्महत्या के लिये मजबूर होना पड़ा। मान्यवर, यह बड़ी गम्भीर बात है। मान्यवर, यह केवल शासन तक समाचार पहुंचाने की बात नहीं है, जैसा कि आपको मालूम है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि इस सदन के अन्दर अखबारों का संज्ञान नहीं लिया जाता लेकिन कानपुर महानगर का और प्रदेश का कोई अखबार ऐसा नहीं था जिसने फ्रंट पेज पर लीडिंग न्यूज के रूप में इस बात को न लिया हो। मान्यवर, इस बात के महत्व को समझा जा सकता है कि यह पीड़ा उस लड़की की है, उस परिवार की है, उस समाज की है और हम सब लोग भी उसी समाज से आते है। मान्यवर, मैं इस बात की पृष्ठभूमि में इस बात को इसलिये बताना चाहता था क्योंकि विगत 18 दिसम्बर को कल्याणपुर क्षेत्र के रावतपुर में रहने वाली एक लड़की जो घर के बाहर खड़ी थी, उसको तीन लड़के उठाकर ले गये। उसके गरीब पिता ने गुहार लगायी, थाने में गया, चौकी में गया, कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं था, उसने बताया कि उसकी बच्ची के साथ अनाचार, दुराचार करने के लिये लोग उसको उठाकर ले गये हैं, उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। 24 घण्टे व्यतीत हो जाने के बाद, अगले दिन शाम को उस लड़की को बदहवास हालत में, एक मंदिर के पास पाया गया, उस वक्त वह बेहोशी की हालत में थी। मान्यवर, जिस समय उसके माता पिता को लोगों ने सूचना दी कि वहां पर आपकी लड़की पायी गयी है तो वे दौड़ करके गये और देख करके दंग रह गये।

मान्यवर, उस समय मानवता शर्मसार हो गयी। एक लड़की जिस तरह से वहां पर पड़ी थी, उसको देखकर के कोई भी व्यक्ति, जिसके अन्दर थोड़ी भी शर्म होती तो उसके अन्दर पीड़ा होती और हुयी। हालांकि माननीय मंत्री जी यहां पर नहीं हैं जो कानपुर से हैं, उनकी भी जानकारी में लाये, बहुत-बहुत बड़े-बड़े अधिकारियों की जानकारी में लाया गया, उनसे न्याय की गुहार की गयी कि ये लोग इस लड़की को लेकर के गये थे और उन्होंने इसके साथ दुराचार किया है, इनके खिलाफ कार्यवाही हो। मान्यवर, कार्यवाही करने की बात तो दूर, उनको दुत्कार कर थाने से भगा दिया गया। अगर, ऐसी परिस्थितियों में जिस समय कोई बाप अपनी बेटी की लाचारी के ऊपर थाने में जाता है। उसकी सुनी नहीं जाती और उसको दुत्कार कर जिस समय भगा दिया जाता है मान्यवर, उस समय सरकार में बैठे हुए चाहे इधर के लोग हों चाहे उधर के लोग हों, सब लोग शर्मसार होकर उनकी आंखें नीचे हो जाती हैं। माननीय मंत्री जी मैं आपके ऊपर या सरकार के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से इस बात को नहीं कहना चाहता कि आप उसके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन अगर आपने उसमें कार्यवाही नहीं की, लेकिन आपने अगर उन दोषियों के खिलाफ संज्ञान लेकर उनके खिलाफ कार्यवाही न करने का आपने मन बनाया तो हम मानेंगे कि आपकी मन्शा ठीक नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 महाना जी, कृपया अब आप समाप्त करें।

श्री सतीश महाना-

नहीं मान्यवर, मैं अपनी पूरी बात कहूंगा, अगर आप नहीं सुनना चाहेंगे तो मैं छोड़ कर चला जाऊंगा। हम पूरी बात कहेंगे आपको सुनना हो सुनें नहीं सुनना हो तो न सुने। हम अगर गरीब को न्याय भी नहीं दिलवा सकते, अगर हम एक बलात्कार हुई लड़की को न्याय भी नहीं दिलवा सकते, अगर उन परिस्थितियों के अन्तर्गत शर्मसार होकर आत्महत्या कर ले मान्यवर,

उसकी बात भी अगर इस सदन में नहीं उठा सकते तो हम यहां आते क्यों हैं। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप तो हमारे संरक्षक हैं।

श्री अधिष्ठाता-

टीक है, संक्षेप में अपनी बात कह दें।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, उसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, चार दिन तक उसको होश नहीं आया। होश में आने के बाद जब उसने उन लड़कों के नाम बताये तो उनको बुलाकर थाने में उनकी अच्छी तरह से सेवा की गई, वह सम्मान शायद इस सदन में बैठे हुए लोगों को भी थानेदार नहीं देता होगा जो उन बलात्कारियों को उसने सम्मान दिया और उसके बाद दबाव बनाने के बाद उसने तीन में से दो लोगों को जेल भेज दिया। मान्यवर,वह लड़की जो दसवीं की छात्रा थी, वह लड़की जिसके साथ दुराचार हुआ वह एक गरीब परिवार की पुताई मजदूर की बेटी थी। उसने कहा कि हम यह घर छोड़ देना चाहते हैं, हम यह मोहल्ला छोड़ देना चाहते हैं, हम कहीं भी चले जायेंगे यहां नहीं रहेंगे, घर के बाहर जब निकलती थी, उसके परिवार वालों को ताने सुनने को मिलते थे, लोगों की निगाहें किस पर से उस पर गड़ती थीं, इसलिए मान्यवर बेबस होकर मजबूर होकर 30 तारीख को उसने आत्महत्या कर लिया। मान्यवर, जिस समय हम यह बात कहते हैं उस समय मन में पीड़ा है, केवल राजनीतिक विषयों के लिए यह बात नहीं कही जा रही है, केवल आरोप-प्रत्यारोप के लिए यह बात नहीं कही जा रही है, मान्यवर, वह तो चली गयी, उसका परिवार तो गया, मान्यवर, अगर सरकार उस व्यक्ति के खिलाफ उस थानेदार के खिलाफ जिसको यह बात कहें कि अगर उस लड़की को उनके ऊपर विश्वास हो जाता, मान्यवर, उसके मन के अन्दर विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था कि उसको न्याय मिलेगा, वह न्याय की आह में न्याय के रोष में मान्यवर, उसने आत्महत्या कर ली। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग भी उसमें दोषी थे, उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय। मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो परिस्थितियां पैदा की गई जिसमें उसने आत्महत्या की, मान्यवर, यह अपने आप में एक अपराध बनता है, आत्महत्या करने की परिस्थितियां पैदा कर देना भी अपने आप में अपराध है। मान्यवर, जिन लोगों ने वह परिस्थितियां पैदा की कि वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो, उनके खिलाफ भी सुसंगत धारा के अन्तर्गत रिपोर्ट लिखकर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय, उनको गिरफ्तार किया जाय, उनको निलम्बित किया जाय और उस गरीब परिवार को आर्थिक सहायता देने की सरकार घोषणा करे।

श्री सलिल बिश्नाई-

मान्यवर, एक मिनट बोलने का अवसर दे दें।

श्री अधिष्ठाता-

नहीं, एक ही सूचना पर आप तीनों लोगों का नाम है और पूरी बात को आपने कह दिया है।

*श्रीमती प्रेमलता कटियार-

मान्यवर, सूचना पर मेरे भी हस्ताक्षर हैं, इसलिए मुझे भी अपनी बात कह लेने दें।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, कटियार जी, एक मिनट में आप अपनी बात कह दें।

श्रीमती प्रेमलता कटियार-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा प्रयास होगा कि एक भी शब्द को मैं दोहराऊं नहीं। मेरा प्रयास अनर्गल, अनावश्यक, अव्यवहारिक किसी बात को बोलने का भी होता नहीं, लेकिन विषय जब ऐसा आ जाता है कि पीड़ा असहनीय हो जाती है, तब कुछ कहना पड़ता है और अगर यहां भी कहने में कोई चूक हुई, तो उचित न होगा उस बालिका की अस्मिता के साथ, उस परिवार के सम्मान के साथ जो कुछ हुआ और उसकी परिणति में उसके प्राण गये, यह बचाये जा सकते थे, अगर प्रशासन तत्पर होता। मैं कहना चाहती हूं, इसे बचाया जा सकता था, मेरी मान्यता है कि पुलिस ज्योतिषी नहीं होती, लेकिन यह व्यवहारिक तथ्य है कि जब नाम लेकर एफ0आई0आर0 हो जाय तब पुलिस को देर न कर के सम्मान और प्राण दोनों की रक्षा करने में तत्पर होना ही चाहिए यह भी उतना ही आवश्यक होता है जो नहीं हुआ। इसीलिए मैं कहना चाहती हूं कि वह तत्व जो दोषी थे, उनमें से 18 दिसम्बर की घटना के बाद भी आज तक एक आजाद है पकड़ा नहीं गया। केवल दो जेल में है।

मान्यवर, 18 तारीख को एफ0आई0आर0 होने में, 19 तारीख को बालिका के बरामद होने और 12 दिन हास्पिटल में रहने पर जो उसने असहाय पीड़ा सही है उसको मान्यवर, देखने की बात है। मेरा यह भी कहना है कि उस बीच वे कौन से तथ्य हैं या जो बिचौलिये लोग हैं जो उस बालिका की आत्महत्या होने तक प्रेरणा बनते हैं। वह उसकी मजबूरी बनते हैं और पीड़ा बनते हैं। यह तो एक तरह से उसे मजबूर कर देना है विवश कर देना हैं मान्यवर, 18 दिसम्बर के बाद से उस बालिका तक यह सूचना पहुंचती रही कि उसका भाई सुरक्षित नहीं है उसका पिता सुरक्षित नहीं है उसका पूरा परिवार सुरक्षित नहीं है। लेकिन वह इतना गरीब परिवार है कि तत्काल ठिकाना बदल नहीं सकता था। हमारा यह भी मानना है कि अगर समय रहते उस सूचना पर कार्यवाही हो गयी होती तो शायद वह बच्ची बच गयी होती। अब तो उसके लिए मुआवजा से कोई भरपायी नहीं हो सकती क्योंकि वह बच्ची तो चली गयी। लेकिन यह पाप शासन/प्रशासन का है और वह परिवार आर्थिक दृष्टि से बहुत ही गरीब है आप उस परिवार की आर्थिक सहायता जरूर करें। हम तो यह भी चाहेंगे कि इस घटना की ज्युडिशियल इन्कवायरी करा दी जाये। सारा सच सामने आ जायेगा।

श्री सलिल बिश्नोई-

मान्यवर, 18 तारीख को लड़की का अपहरण होता है 24 घण्टे बाद वह बेहोशी की हालत में बरामद होती है। पिता थाने में जाता है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती हैं उसके बाद

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वहां की पुलिस उसे प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराने की कार्यवाही करती है। तो वह नर्सिंग होम वाले मना कर देते हैं फिर उसे उर्सला अस्पताल ले जाया जाता है वहां के डाक्टर भी अपने हाथ खड़ा कर देते हैं। फिर उसे हैलट अस्पताल ले जाया जाता है। पांच दिन मान्यवर लड़की बेहोश रही है।

श्री अधिष्ठाता-

आप वही सब बातें दोहरा रहे हैं जो महाना जी ने कही हैं।

*श्री सलिल बिश्नोई-

मान्यवर, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। लड़की के पिता के अनुरोध पर भी उसका मेडिकल टेस्ट नहीं कराया गया। कानपुर में रहने वाले यहां के माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने पुलिस अधीक्षक से इस बारे में कहा तब भी उसका मेडिकल परीक्षण नहीं कराया गया। तब उन्होंने डी0एम0 से कहा। लेकिन तब तक इतना विलम्ब हो चुका था कि प्रशासन उसकी लीपा पोती करने में जुट गया और यह दिया गया कि मेडिकल रिपोर्ट में लड़की के ऊपर बलात्कार होना साबित नहीं हो रहा है। जब 15 दिन तक उसका मेडिकल परीक्षण ही नहीं हुआ तो साक्ष्य तो अपने आप मान्यवर मिट जाते हैं। मान्यवर, आप उस परिवार को न्याय प्रदान करने का कष्ट करें। आप पूरी बात सुन लें।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप कृपया माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का जवाब सुन लें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जो रिपोर्ट जिला प्रशासन से हमें प्राप्त हुई है उससे अवगत कराना चाहता हूं।

पुलिस उप महानिरीक्षक, कानपुर नगर से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 30-1-2010 को जनपद कानपुर नगर के थाना कल्याणपुर क्षेत्र में कु0 नीलम शुक्ला पुत्री नन्द किशोर शुक्ला जो बलात्कार की पीड़ित थी, के द्वारा आत्महत्या किये जाने के सम्बन्ध में सम्पूर्ण तथ्य निम्नवत् हैं :-

दिनांक 19-12-09 को 14.00 बजे वादी श्री नन्द किशोर शुक्ला द्वारा थाना कल्याणपुर पर सूचना दी गयी कि उनकी पुत्री कु0 नीलम उम्र लगभग 17 वर्ष को रामू कटेरिया, इरशाद तथा सचिन गुप्ता द्वारा मारूति वैन से आकर बहला-फुसलाकर दिनांक 18-12-2009 को सायंकाल 8.00 बजे बैठाकर ले गये हैं। इस सम्बन्ध में थाना कल्याणपुर पर मु0अ0सं0 1680/09 धारा 363, 366 भादंवि बनाम उपरोक्त तीन अभियुक्त पंजीकृत किया गया है। अभियोग पंजीकरण के उपरान्त परिजनों द्वारा थाने को सूचित किया गया कि दिनांक 19-12-09 को ही सायं उनकी पुत्री कु0 नीलम वापस आ गयी है तथा बेहोशी की हालत में है। कु0 नीलम को तत्काल पी0एच0सी0 कानपुर तत्पश्चात् उर्सला अस्पताल में चिकित्सीय परीक्षण हेतु ले जाया गया। दिनांक 19-12-2009 को चिकित्सीय परीक्षण में कु0 नीलम के शरीर एवं गुप्तांग पर कोई चोटे नहीं पायी गयी तथा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई। पैथालाजी टेस्ट के लिए स्लाइट बनाई गई थी। उर्सला अस्पताल से कु0 नीलम को विष होने की संभावना पर हैलट अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया। कु0 नीलम से श्री लाल बहादुर, अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, अपर नगर मजिस्ट्रेट, षष्टम कानपुर नगर तथा क्षेत्राधिकारी नजीराबाद श्रीमती निहारिका शर्मा द्वारा विस्तृत रूप से अकेले में पूंछतांछ की गयी थी, जिसमें कु0 नीलम द्वारा अपने साथ जोर जबरदस्ती से इंकार कर दिया गया था। चिकित्सीय परीक्षण के दौरान ली गयी स्लाइड की रिपोर्ट दिनांक 23-12-09 को प्राप्त हुयी, जिसमें बलात्कार के सम्बन्ध में कोई निश्चित मत नहीं दिया जा सकता तथा कोई शुक्राणु न होना अंकित था।

कु0 नीलम का मा0 न्यायालय में द्वारा 164 द0प्र0सं0 का बयान दिनांक 23-12-09 को किया गया, जिसमें कु0 नीलम द्वारा उसके साथ दवा पिलाना एवं बेहोशी की हालत में गलत काम करना बताया गया, जिसके आधार पर अभियोग में धारा 376, 328 भादंवि की बढोत्तरी की गयी। दिनांक 24-12-09 को नामित अभियुक्तों में से रामू कटेरिया पुत्र सोनी लाल कटेरिया एवं इरशाद पुत्र दिल शेरा निवासीगण सैय्यद नगर रावतपुर थाना कल्यानपुर को गिरफ्तार कर उन्हें धारा 363, 366, 376, 328 भादंवि में चालान कर जेल भेजा गया। तीसरा अभियुक्त सचिन पुत्र अज्ञात की गिरफ्तारी नहीं हो पायी है तथा उसके विरुद्ध कुर्की की कार्यवाही अपेक्षित है।

परिजनें के अनुरोध पर कु0 नीलम के चिकित्सीय परीक्षण हेतु मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया। तथा दिनांक 7-1-10 को मेडिकल बोर्ड ने परीक्षण कर पूर्व चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट का समर्थन किया तथा पैथालाजी टेस्ट हेतु फिर स्लाइड बनाये। पैथालाजी रिपोर्ट दिनांक 15-1-2010 को प्राप्त हुयी जिसमें बलात्कार के विषय में राय नहीं दी जा सकती तथा शुक्राणु न होना अंकित है।

दिनांक 30-1-2010 को कु0 नीलम के पिता श्री नन्द किशोर शुक्ला द्वारा चौकी रावतपुर पर समय 11.40 बजे कु0 नीलम द्वारा मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या किया जाना चौकी रावतपुर को सूचित किया। पुलिस के मौके पर पहुंचने तक कु0 नीलम की मृत्यु हो चुकी थी। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। घटना स्थल का निरीक्षण पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर नगर द्वारा तत्काल कर लिया गया था तथा परिजनों से भी वार्ता की गयी थी। कु0 नीलम के पिता श्री नन्द किशोर शुक्ला द्वारा यह अवगत कराया गया कि लड़की कु0 नीलम अपने पिता से वहां से घर छोड़कर अन्यत्र रहने के लिए कहती थी तथा हमेशा यह कहती थी कि अभियुक्तगण दबंग है, जेल से छूटने के बाद आपको तथा भाई को मार सकते हैं। आत्महत्या का कोई तात्कालिक कारण होना नहीं बताया। अभियुक्तगण गिरफ्तारी के बाद लगातार जेल में है अभी जमानत नहीं हुयी है तथा जमानत प्रार्थना पत्र सेशन से खारिज हो चुका है। अस्पताल से लड़की के घर आने के पश्चात् मेडिकल बोर्ड के गठन एवं परीक्षण के दौरान स्थानीय पुलिस नियमित रूप से परिवार के सम्पर्क में थी, लेकिन इस दौरान लड़की के पिता द्वारा कोई विपरीत तथ्य पुलिस के संज्ञान में नहीं लाया गया था। सम्पूर्ण प्रकरण में पुलिस ने समय से, तथ्यों के आधार पर आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर ली थी तथा अभियोग पंजीकरण के समय से लेकर विवेचना में कोई लापरवाही नहीं की गयी है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, लड़की ने कहा कि उसके साथ बलात्कार हुआ उसके बाद यह कहते है कि नहीं हुआ मैनें कहा कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां बनी कि उसके साथ कुछ भी नही हुआ, वह बहुत अच्छी थी उसके बाद भी उसको आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। मान्यवर, अगर सरकार की रिपोर्ट ही यहां पढ़नी रहती है तो फिर जो हो रहा है वह ठीक हो रहा है आपको क्या करना है और हमको क्या करना है। यहां पर जो बात कही जाती है मान्यवर, वह जो लोग दोषी है अपने को बचाने के लिए वही जो रिपोर्ट भेज देगें उसको आप यहां पर पढ़ दोगे। मान्यवर, मै आपसे और माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय प्रेमलता जी हमारी बड़ी वरिष्ठ सदस्य है एक महिला के साथ जिस प्रकार का दुराचार हुआ आप एक महिला सदस्यों की समिति बनाकर भेज दो वह जो रिपोर्ट दे उसके हिसाब से आप कार्यवाही कर लो। मान्यवर, अगर आप यह भी नहीं करना चाहते हो जो अधिकारी रिपोर्ट दे वही आपको करना है तो फिर कोई औचित्य नही है यहां पर किसी बात को उठाने का। मैं सदन का त्याग करता हूं।

(शासन के उत्तर के विरोध में श्री सतीश महाना, श्रीमती प्रेमलता कटियार एवं श्री सलिल विश्नोई सदन त्याग कर चले गये)

श्री अधिष्ठता-

माननीय सतीश महाना जी, माननीय सलिल विश्नोई जी, माननीय श्रीमती प्रेमलता कटियार जी और माननीय मंत्री जी को सुना, यह सूचना अग्राह्य की जाती है।

*श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

माननीय अधिष्ठता जी, लखनऊ में छत्रपति साहू जी महराज चिकित्सा विश्वविद्यालय एक ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय है लेकिन यहां पर दो दिन से लगातार दो लड़के एमबीबीएस के द्वितीय वर्ष के छात्र है और उसका कारण प्रकाश में आया है कि वहां पर अनुसूचित जाति के जो लड़कें एमबीबीएस में पढ़ रहे है उनका उत्पीड़न किया जाता है और उस उत्पीड़न के कारण वह अवसाद में चले जाते है इस प्रकार वह आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाते है। 31 जनवरी, 2010 को चिकित्सा विश्वविद्यालय के एमबीबीएस द्वितीय वर्ष के छात्र सुशील चौधरी ने जहर खाकर के जान दे दी। कहा जाता है कि सुशील कुमार चौधरी एमबीबीएस द्वितीय वर्ष का छात्र था और महानगर में सिविल अस्पताल के पीछे किराये के कमरे में रहता था। वह वर्ष 2005 का छात्र था। शनिवार की शाम परीक्षा परिणाम घोषित हुआ था और वह फार्माकोलोजी विषय में एक-दो नं0 से फेल हो गया था। परीक्षा परिणाम की जानकारी होने के बाद वह सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में जाकर अपनी बुआ के यहां जहर खा लिया और फिर वह ट्रामा सेन्टर में भर्ती हुआ, जहां उसकी मृत्यु हो गयी। उसके पहले 30 जनवरी को इसी प्रकार से उपेन्द्र नामक अनुसूचित जाति के छात्र ने भी आत्महत्या कर ली। अधिष्ठता महोदय, मै कहना यह चाहता हूं कि इन छात्रों को प्रैक्टिकल में जानबूझकर फेल किया जाता है। थ्योरी और प्रैक्टिकल के नम्बर में इतना मार्जिन रखा जाता है कि यह दोनों मिलाकर भी यह पास न होने पावें जिसके कारण इनका लगातार उत्पीड़न हो रहा है। मैं आपसे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

मांग करता हूं कि विश्वविद्यालय की कुलपति ने अपनी एक पावर कमेटी बनाकर जांच करने की बात कही है। मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं मैं मांग करता हूं कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच कराई जाय। यह विषय इतना चिन्तनीय है कि लखनऊ में इतना प्रख्यात विश्वविद्यालय में छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि इसका जवाब आ जायें।

श्री अधिष्ठता-

माननीय सदस्य जी, समाप्त करें।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने दो प्रकरण बताये। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार एक प्रकरण है। सुशील कुमार चौधरी दिनांक 30-01-2010 को अपने निकट संबंधी श्री आर0बी0 चौधरी निवासी ई0-28, सेक्टर-सी, एल0डी0ए0 कालोनी, कानपुर रोड, थाना सरोजनी नगर से मिलने गया था और वहीं पर यह दुखद घटना घटित हुयी। दिनांक 31-1-10 को उसका पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम होने के समय मृतक छात्र के परिजनों श्री राम औतार कनौजिया, इन्दर लाल कनौजिया आदि के नेतृत्व में कुछ लोगों द्वारा प्रदर्शन कर चिकित्सा विश्वविद्यालय में नारेबाजी कर कुछ आरोप लगाये गये। इसी क्रम में मान्यवर, मुकदमा अपराध संख्या-010 धारा 306 आई0पी0सी0 व 3110 एस0सी0एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत श्री वी0पी0 सिंह कुल सचिव, डा0 एस0के0 दास, परीक्षा नियंत्रक और डा0 के0के0 पंत, विभागाध्यक्ष, फार्माकोलोजी के विरुद्ध परीक्षा में अनुत्तीर्ण करने तथा जातिसूचक शब्द प्रयोग करने का मुकदमा पंजीकृत कराया गया। मान्यवर, उक्त छात्र के विषय में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय से प्राप्त सूचना के आधार पर सम्बन्धित वस्तुस्थिति निम्न है। फार्माकोलोजी विषय में पेपर-1 22/40 यानि 40 में 22 नं0, पेपर-2 में 40 में 10 नं0 ओरल में 15 में 8, प्रैक्टिकल में 25 में 17 नं0 प्राप्त हुये। माननीय सदस्य जी जो कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल में फेल किया गया तो ऐसा नहीं है यह छात्र प्रैक्टिकल और ओरल दोनों में पास है। थ्योरी के एक विषय में फेल है और जिसके कारण यह स्थिति है। मान्यवर, वाइस चांसलर के अनुसार उक्त छात्र केवल लिखित परीक्षा में फेल था। ओरल और प्रायोगिक परीक्षा में उत्तीर्ण था। इसके अतिरिक्त चिकित्सा विश्वविद्यालय में परीक्षा पुस्तिकायें विश्वविद्यालय परिसर में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में स्थित गोपनीय कक्ष में आंतरिक एवं वाह्य परीक्षकों द्वारा जांची जाती है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि न ही छात्र सुशील कुमार चौधरी और न ही उनके किसी परिजन द्वारा पूर्व में कभी भी किसी परीक्षक या अध्यापक या कुलसचिव महोदय द्वारा किसी प्रकार से छात्र को परेशान किये जाने के सम्बन्ध में कोई शिकायत विश्वविद्यालय को प्राप्त नहीं हुयी है। मान्यवर, यह इस तरह की घटना है और बार कोडिंग करके परीक्षा की कापियां जांची जाती है, जिसमें नाम नहीं रहता। इसलिये यह कहना बहुत उपयुक्त नहीं होगा लेकिन फिर भी इस मामले की जांच कराई जायेगी और जांच में जो भी दोषी होगा, उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

जब वहां के शिक्षक इन्वाल्व हैं तो वहां की जांच कमेटी बनाकर जांच कराने से कोई औचित्य नहीं बनता। इसलिये हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच कराई जाये।

श्री अधिष्ठाता-

इस सूचना पर मैंने माननीय सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी को सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती इसलिये अग्राह्य की जाती है। जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें चयनित नहीं हुयी, अतः अस्वीकृत हुयी है, उसमें श्री सर्वेश कुमार सिंह जी, श्री सुन्दर लाल लोधी, श्री इमरान मसूद जी, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद जी, श्री सर्वेश कुमार सिंह जी, चौ0 सत्यपाल सिंह जी, चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी जी, श्री अब्दुल वारिस खां, श्री जोखू लाल यादव, श्री आलोक कुमार शाक्य, श्री लल्लू सिंह, श्री सुरेश कुमार खन्ना, डा0 राजेन्द्र सिंह, श्री महेश चन्द्र गुप्ता, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री जगन प्रसाद गर्ग।

(इस समय 4 बजकर 10 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री अध्यक्ष-

19-श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई', 20-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, 21-श्री अमरमणि त्रिपाठी, 22-चौधरी फसीहा वसीर गजाला, 23-श्री सनातन पाण्डेय, 24-श्री लालजी यादव, 25-श्री दीप नारायण सिंह जी, इन सभी मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गई।

श्री सुन्दर लाल लोधी-

मा0 अध्यक्ष जी, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

**उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 2010**

राजस्व मंत्री (श्री फागू)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 2010 पर विचार किया जाय।

**नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)**

श्री सुन्दर लाल लोधी-

मान्यवर, हमारी सूचना में एक मिनट लगेगा।

श्री अध्यक्ष-

चलिये ठीक है, लोधी जी कल आपकी सूचना ले लेंगे। उदयराज जी आपकी क्या व्यवस्था है, कुछ नोटिसें नहीं ली गईं वह कल ले ली जायेंगी। तीन तारीख तक हमारे पास कोई बिजनेस नहीं है केवल नियम-56 ही चलाना है। अमरमणि त्रिपाठी जी, आपका क्या है, आपसे मैंने कहा था आपकी नोटिस वनवासियों वाली है, उसे मैं ले लूंगा। सत्य प्रकाश अग्रवाल जी आपका क्या है ? आज इतनी देर तक बैठे हैं, सरकार से भी मैंने निवेदन किया है कि मा0 सदस्यों की सूचनाओं को सुन लिया जाये, दो दिन में आपकी सूचनाएं हम ले लेंगे

*श्री उदय राज-

विधान सभा के ठीक सामने दारुलशफा ए ब्लाक, बी ब्लाक, सी ब्लाक, काफी विधायक इन तीनों ब्लाकों में निवास करते हैं। पिछले तीन माह से स्थिति यह कर दी गयी है, मुझे नहीं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया

मालूम कि किसका आदेश है कि दारुलशफा के चार गेट है इनमें से तीन गेटों में ताला लगा रहता है केवल एक गेट जनपद के सामने खोला जाता है और उसमें जब कहीं नाली फटती है, टूटती है तो आने-जाने का कोई रास्ता नहीं रहता है। मैं केवल यह चाहता हूं कि जो मेन गेट है दारुलशफा का जो विधान सभा के ठीक सामने से खुलता है लोग आते-जाते हैं, इसको खुलवाने की निश्चित रूप से व्यवस्था करा दें, यही मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी इसे दिखवा लें।

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, ठीक है।

श्री अध्यक्ष-

अग्रवाल जी आपकी क्या व्यवस्था है ?

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

मान्यवर, जो मेरठ और सहारनपुर में नकली दवाइयों का जखीरा बरामद हुआ है। जो लाखों-करोड़ों रुपये का जखीरा बरामद हो रहा है उसका मेन कारण यह है कि हमारे पास जो लैब है वह साढ़े नौ सौ सैम्पिल पास करते हैं एक महीने के अन्दर और सैम्पिल भरे जाते हैं चार हजार। नतीजा यह है कि नकली दवाइयां बिक रही हैं और कानूनी कार्यवाही कुछ नहीं हो रही है। गरीब जनता मर रही है और नकली दवाएं बिक रही हैं मा0 मंत्री जी बतायें कि इसमें क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 अग्रवाल जी, आपकी नोटिस तो नहीं है लेकिन आपने जनहित में इस सवाल को उठाया है।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

मान्यवर, हमारा नोटिस है।

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना अग्राह्य हो गई तब भी आप जनहित में इस सूचना को लाये हैं, यह सरकार के संज्ञान में आ गया है इस पर कार्यवाही होगी।

**उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 2010 (क्रमागत)**

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी प्रस्ताव रखें।

श्री फागू चौहान-

मान्यवर, मैं रख चुका हूं।

*श्री अमरमणि त्रिपाटी-

मा0 अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 2010, को इस सदन की प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नही किया

मान्यवर, लिखा है जमींदारी विनाश। जब अंग्रेजों का राज था हिन्दुस्तान में। उस समय जब राजे-रजवाड़े कर वसूल करके अंग्रेजों को दिया करते थे, दलित, शोषित, पिछड़े समाज का उत्पीड़न करते थे, जोर-जबरदस्ती करते थे, हारी-बेगारी कराते थे और हर प्रकार का उत्पीड़न बर्दाश्त करने वाले लोग जब जंगे आजादी की लड़ाई में आगे बढ़े तो उन्होंने देश की स्वतंत्रता आन्दोलन में कूद कर इस देश को स्वतंत्र कराने में अपना योगदान सुनिश्चित किया। उस समय देश के राजनेताओं ने यह बात सुनिश्चित किया था कि देश में सदैव-सदैव के लिए राजे-रजवाड़े खत्म कर दिये जायेंगे, जमींदारी का विनाश कर दिया जायेगा। साढ़े बारह एकड़ से ऊपर जिन लोगों के पास जमीनें होंगी उस जमीन को भूमिहीनों में विभाजित कर दिया जायेगा। इसका यही उद्देश्य था। सन् 1950 में जब संविधान की रचना हुई उस समय यह बात निहित कर दी गयी कि देश से जमींदारी विनाश हो जायेगा लेकिन आज भी आप देखें। हमारे क्षेत्र में सिद्धार्थनगर जनपद में 1000 एकड़ से अधिक जमीन राजा साहब सोहरतगढ़ जोत रहे हैं हमारे जनपद महराजगंज में बाबू पुरुषोत्तम दास, जमींदार 1000 एकड़ से अधिक जमीन अपने कारिंदों, कुत्ते-बिल्लियों के नाम जमीन रखकर उस पर अवैध कब्जा बनाये हुये हैं। यही हाल बहराइच जनपद में श्रावस्ती जनपद में, राजा साहब बलरामपुर, राजा साहब बांसी, तमाम राजे-रजवाड़े आज भी हजारों-हजार एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा बनाये हुये हैं। मान्यवर, सरकार ध्यान नहीं दे रही है।

आज जिसकी सरकार है, आज बराबर से उन राजे-रजवाड़ों की जमीन निकालकर पात्र और भूमिहीन व्यक्तियों में यदि विभाजित कर दी जाए तो आज वह लोग जो सरकार की ओर बड़े हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं, वह गरीब भूमिहीन दलित जिसके पास लहसुन बोने की जमीन नहीं है, उसके पास थोड़ी बहुत जमीनें आ जायेंगी, उसका जीवन सुगम व सुलभ हो जायेगा। ऐसा यह सरकार नहीं कर पा रही है, ऐसा करने में विफल हो रही है। जमींदारी ही मूल समस्या है, अगर जमीन का विभाजन हो जाए और भूमिहीनों को एक एकड़, 50 डिसमिल, दो एकड़ अगर मिल जाए तो आज तमाम समस्याओं का समाधान अपने आप हो जायेगा तो माननीय अध्यक्ष जी, हम आपसे कहना चाहते हैं कि मा0 मंत्री जी ने कहा कि जमींदारी विनाश। हम चाहते हैं कि नष्ट हो जाए, सदैव के लिए जमींदारी समाप्त हो जाए। कागजों पर तो सन् 1950 में समाप्त हो गयी लेकिन वास्तविकता में, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, सभी यहां सदन में बैठे हुए लोग जानते हैं कि आज भी हजारों-हजार एकड़ पर लोग कब्जा बनाये हुये हैं और कुत्ते-बिल्लियों के नाम से जोत रहे हैं। माननीय राजस्व मंत्री जी सदन में मौजूद हैं वह भी उस समाज से उस वर्ग से आते हैं जो पीड़ित पक्ष है। हम चाहते हैं मा0 मंत्री जी कमर कसें, आगे बढ़ें और ऐसी-ऐसी बड़ी-बड़ी रियासतें हैं जो अवैध रूप से आज भी जमीनों पर कब्जा बनाये हुये हैं जिनको केवल साढ़े बारह एकड़ रखने के बाद बाग-बगीचा सब कुछ लेकर 18 एकड़ रखने का हक है वह हजारों एकड़ जमीन पर कैसे कब्जा बनाये हुये हैं ? हम अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहते हैं और इस विषय पर आते हैं कि आज भी देखें, छोटी-छोटी टाउन एरिया, छोटी नगरपालिका, जैसे हमारे यहां हैं, हमारी मुख्य बाजार नौतनवां बाजार है, वहां आज भी जमींदारी लागू है, जमींदारी प्रथा लागू है।

श्री अध्यक्ष-

त्रिपाठी जी, आपकी पूरी बात आ गयी।

श्री अमरमणि त्रिपाठी-

मान्यवर, भारी मात्रा में जमींदार गरीबों का उत्पीड़न करते हैं चाहे वह सब्जी बेचने वाला हो, चाहे वह खोंमचा बेचने वाला हो मेंहदावल आप देख लीजिए, आपके बगल में खलीलाबाद में देख लीजिए सबका उत्पीड़न हो रहा है। अध्यक्ष जी, हम चाहते हैं कि मा0 मंत्री जी आगे बढ़े और उस जमींदारी को समाप्त करके एक ऐसी व्यवस्था लाये आप लाये हैं बहुत छोटी सी व्यवस्था। जो जमींदार आज भी उत्पीड़न कर रहे हैं जो जमींदार आज भी हजारों-हजार एकड़ अवैध रूप से जोत रहे हैं उस पर यह सरकार अंकुश लगाये। जिसमें तमाम दलित वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं गरीब लोगों को दो डिसमिल, चार डिसमिल जमीन मिल जाएगी। अध्यक्ष जी इसमें उद्देश्य और कारण दिया है। ऐसे टुकड़े के किसी संक्रमण जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 168 क जैसी कि वह उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था संशोधन अधिनियम, 2004 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-27 सन् 2004 के प्रारम्भ के पूर्व विद्यमान थी के अधीन शून्य हो गया और जिसकी राज्य सरकार के पक्ष में राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि नहीं की गई थी के विधिमान्यकरण के अवसर की व्यवस्था करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1951 के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध करने की व्यवस्था करने के लिए विधि बनाये जाने का विनिश्चय किया गया है। हमारा यह कहना है मंत्री जी से माननीय मंत्री जी एक कदम आगे बढ़कर जो सीलिंग कानून है उसको प्रभावी रूप से लागू करें जो आज हजारों एकड़ जमीन जमींदारों के कब्जे में है उनको सीलिंग से निकालकर भूमिहीनों में विभाजित किया जाय। मैं यही कहना चाहता हूं। मैं पुनः अपने संशोधन 'उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 2010 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे' पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि 'उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 2010 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 2010 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक**

**उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 2010**

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 2010 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1, सन् 1951 के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध

2-एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि ऐसे टुकड़े का कोई संक्रमण जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 168-क, जैसी कि वह उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 2004 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-27, सन् 2004) के प्रारम्भ के पूर्व विद्यमान थी के अधीन शून्य हो गया था और जिसकी राज्य सरकार के पक्ष में राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि नहीं की गयी थी, निर्निहित समझा जायेगा और कोई भी व्यक्ति ऐसे संक्रमण को ऐसी फीस ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से जैसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, जमा करके विधिमान्य करा सकता है।

प्रतिबन्ध यह है कि यह विशेष उपबन्ध इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी नहीं रहेगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री फागू चौहान-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 2010 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 2010 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**महाप्रशासक (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2010**

संसदीय कार्य, वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि महाप्रशासक (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2010 पर विचार किया जाय।

*श्री अमरमणि त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि महाप्रशासक (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2010 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

मैं इस पर बल देते हुए कुछ सुझाव मंत्री जी को देना चाहता हूं। सबेरे से हम लोग यहां आग्रह कर रहे थे कि विधायक निधि बढ़ा दी जाए मंहगाई बढ़ गई है और हम लोग चूंकि गांवों में छोटे-छोटे काम भी कराने को कहते हैं वह काम नहीं हो पा रहा है आप इसमें स्वीकार कर रहे हैं आपका कहना है कि वर्तमान अर्थव्यवस्था की दृष्टि से दो लाख रुपये की उक्त धनराशि कम है। मान्यवर, इसको 200 प्रतिशत बढ़ाकर आप 10 लाख कर दे रहे हैं और मान्यवर, हम लोग कह रहे हैं कि हम लोगों की विधायक निधि को थोड़ा बढ़ा दें जिससे क्षेत्र में जो भी छोटे-मोटे काम हैं, उसको हम लोग अपने क्षेत्र के लोगों का प्रस्ताव स्वीकृत करायें और छोटे-छोटे गांव के नाली, खड़न्जे, सड़कें, पुल, पुलिया, लाइट, खम्भा इत्यादि की व्यवस्था करा सकें तो नहीं। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आप 10 लाख करना चाहते हैं तो आप और कर लें, हम लोगों को असुविधा नहीं है लेकिन उसी तरह से इसी सापेक्ष में, इसी की रोशनी में कम से कम विधायक निधि पर भी विचार कर लें जिससे हम लोग अपने क्षेत्र के विकास में भी अपना योगदान सुनिश्चित कर सकें। इतना ही हमको कहना है।

श्री अध्यक्ष-

आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं।

श्री अमरमणि त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि महाप्रशासक (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2010 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि महाप्रशासक (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2010 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक**

**महाप्रशासक (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2010**

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में महाप्रशासक अधिनियम, 1963 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

**विधेयक**

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम महाप्रशासक (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2010 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

अधिनियम संख्या-45, सन् 1963 की धारा 29 का संशोधन

2-महाप्रशासक अधिनियम, 1963 की धारा 29 की उपधारा (1) में "दो लाख रुपये" जहां कहीं भी आये हों के स्थान पर शब्द "दस लाख रुपये" रख दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि महाप्रशासक (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2010 पारित किया जाय ?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि महाप्रशासक (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2010 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

**नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं**

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 1 फरवरी, 2010 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 38 सूचनायें प्राप्त हुईं। पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी की प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यरत विशेष शिक्षकों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में है, यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। दूसरी सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की वाराणसी नगर की सीवर सफाई का कार्य न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। तीसरी सूचना डा0 राधामोहन दास अग्रवाल की गोरखपुर में बन्द पड़े फर्टिलाइजर फैक्ट्री को पुनः चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है, यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। चौथी सूचना श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला की जनपद सिद्धार्थनगर स्थित बांसी-धानी मार्ग के निर्माण में अधिग्रहीत किसानों की जमीन का मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में, यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। पांचवीं सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की जनपद मेरठ में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में खराब पड़े ट्रान्सफार्मर को बदले जाने एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है, यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। छठी सूचना श्री विजय कुमार की जनपद गाजीपुर की जखनिया में बेसो नदी एवं मगई नदी पर चैकडैम बनाये जाने के सम्बन्ध में है, यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। सातवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह की जनपद प्रतापगढ़ स्थित बेल्हादेवी धाम में पर्यटकों की सुविधा हेतु राज्य योजना एवं केन्द्र योजना के अन्तर्गत धन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, यह वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। आठवीं सूचना श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही की जनपद बुलन्दशहर की नगर कोतवाली अन्तर्गत श्री जय प्रकाश एवं श्री अनिल कुमार के यहां पड़ी भीषण डकैती से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। नवीं सूचना श्री आरिफ अनवर हाशमी की जनपद गोण्डा के विकास खण्ड बभनजोत में प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत कराये जा रहे सड़क निर्माण कार्य मानक के विपरीत कराये जाने एवं सरकारी धन के दुरुपयोग के सम्बन्ध में है, यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। दसवीं सूचना डा0

आर0 ए0 उस्मानी की परिवहन निगम लखनऊ द्वारा संचालित नगर बस को बस-स्टाप बहुखण्डी मंत्री आवास पर रोके जाने के सम्बन्ध में है, यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं उनके नाम इस प्रकार हैं :-श्री दीप नारायण सिंह, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री जगन प्रसाद गर्ग, चौ0 सत्यपाल सिंह, चौ0 फसीहा बसीर गजाला, श्री मिथलेश पाल, श्री बाला प्रसाद अवस्थी, चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी, श्री इमरान मसूद, श्री विद्या सागर गुप्ता, श्री अनूप कुमार गुप्ता, श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सुरेश चन्द्र तिवारी, श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्री राधेश्याम गुप्ता, श्री बैजनाथ दुबे, श्री अशोक कंसल, श्री लालजी यादव, श्री सुधीर कुमार, श्री अरविन्द सिंह, डा0 पी0के0 राय, श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री उदयभान करवरिया, श्री संजय कपूर, श्री कुलदीप सिंह सेंगर तथा श्री लल्लू सिंह।

अब हम उठते हैं। कल 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 04 बजकर 29 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :
दिनांक 1 फरवरी, 2010

**प्रदीप कुमार दुबे,**
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

# नत्थी 'क'

(देखिये ता0प्र0 सं0-13 का उत्तर पीछे पृष्ठ 37 पर)

मा0 विधायकों एवं सांसदों जिन्होंने वर्ष 2009 में अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की परन्तु उनको अतिरिक्त सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई गयी

| क्रमांक | महानुभावों का नाम | जनपद |
|---|---|---|
| 1 | श्री उदयभान करवरिया, मा0 विधायक | इलाहाबाद |
| 2 | श्री कपिलमुनि करवरिया, मा0 सांसद | इलाहाबाद |
| 3 | श्री बनवारी सिंह यादव, मा0 एम0एल0सी0 | बदायूं |
| 4 | श्री राम कृपाल सिंह पटेल, मा0 सांसद | चित्रकूट |
| 5 | श्री चन्द्रपाल सिंह यादव, तत्कालीन सांसद द्वारा 09-03-09 के द्वारा अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की गई थी। | झांसी |
| 6 | श्री घनश्याम अनुरागी, मा0 सांसद | जालौन |
| 7 | श्री अजय कपूर, मा0 विधायक | कानपुर नगर |
| 8 | श्री आर0 ए0 उस्मानी, मा0 विधायक | खीरी |
| 9 | श्री स्वतंत्र देव, मा0 एम0एल0सी0 | लखनऊ |
| 10 | श्री कैलाश सिंह, मा0 एम0एल0सी0 | लखनऊ |
| 11 | श्री अरविन्द सिंह गोप, मा0 विधायक | लखनऊ |
| 12 | श्री अकबर अहमद डम्पी, तत्कालीन सांसद | लखनऊ |
| 13 | श्री दाउद अहमद, मा0 विधायक | लखनऊ |
| 14 | श्री दयाराम प्रजापति, मा0 एम0एल0सी0 | लखनऊ |
| 15 | श्री जय प्रकाश, मा0 सदस्य राज्य सभा | लखनऊ |
| 16 | श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, मा0 विधायक | मेरठ |
| 17 | श्रीमती सरोजनी अग्रवाल, मा0 एम0एल0सी0 | मेरठ |
| 18 | श्री मदन चौहान, मा0 विधायक | गाजियाबाद |
| 19 | श्री पंकज मलिक, मा0 विधायक | मुजफ्फरनगर |
| 20 | श्री अमीर आलम खां, मा0 सदस्य, राज्य सभा | मुजफ्फरनगर |
| 21 | श्री अब्दुल राय वारिस, मा0 विधायक | मुजफ्फरनगर |
| 22 | श्री कैलाश सिंह, मा0 विधायक | गाजीपुर |
| 23 | श्री कैलाश चौरसिया, मा0 विधायक | मिर्जापुर |
| 24 | श्री बाल कुमार पटेल, मा0 सांसद | मिर्जापुर |
| 25 | श्री विजय कुमार मिश्र, मा0 विधायक | भदोही |

## नत्थी 'ख'

(देखिये ता0प्र0 सं0-110 का उत्तर पीछे पृष्ठ 83 पर)

उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी में-

1 माली के पद पर श्री राम जगदीश दि0 06-11-1994 से एवं श्री राम नवल 01-02-1995 से

2 इलेक्ट्रीशियन के पद पर श्री राजू कश्यप, सितम्बर, 1996 से

3 सफाई कर्मी (अंश0) के पद पर सुश्री सुमन दि0 07-9-1996 से एवं श्री राजकुमार सितम्बर, 2005 से

4 चपरासी के पद पर श्री श्याम बाबू दि0 15-9-1998 से

5 कम्प्यूटर आपरेटर के पद पर श्री अनिल कुमार यादव दि0 12-11-1998 से एवं श्री विक्रम सिंह 20-9-2005 से

कथक केन्द्र (उ0प्र0 संगीत नाटक अकादमी के अधीन)

1 कथक प्रशिक्षक के पद पर सुश्री आशा सक्सेना दिनांक 17-2-1992 से एवं श्री रेनू श्रीवास्तव दि0 01-9-1995 से

2 तबला संगतकर्ता के पद पर श्री शहनवाज खां दि0 18-3-1995 से

3 सफाई कर्मी (अंश0) के पद पर सुश्री रजनी दि0 04-7-1997 से

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-एल0 10 विधान सभा (11)-08-04-2010-813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।